राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 07] पन्द्रहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का बयालीसवां दिवस [संख्या: 21

मंगलवार,

22 मार्च 2022

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या 369

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री नारायण बेनीवाल।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

प्रश्न संख्या 370

श्री रफीक खान।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री हरेन्द्र निनामा।

जे.डी.ए. में उपायुक्तों के पदों पर पदोन्नति

371. श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जे.डी.ए. अधिनियम में उपायुक्त शत-प्रतिशत जे.डी.ए. सेवा से पदोन्नति का पद है किन्तु उक्त पद पर आर.ए.एस. अधिकारी पदस्थापित है? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जे.डी.ए. में आर.ए.एस. तथा जे.डी.ए. सेवा में किस संवर्ग के कितने अधिकारी जोन उपायुक्त के पद पर रहे व कितनों को एक से अधिक जोन का कार्य दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जे.डी.ए. में जोन उपायुक्त के पदों पर दोनों संवर्गों के अधिकारियों को समान प्राथमिकता से पदस्थापन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: धारीवाल साहब।

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): (1) जी नहीं। जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 में उपायुक्त का पद अंकित नहीं है अपितु जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 1984 के तहत जे.डी.ए. सेवा के उपायुक्त का पद शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में जे.डी.ए. सेवा के उपायुक्तों के 8 पद हैं। इन पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा का कोई अधिकारी पदस्थापित नहीं है।

(2) जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन उपायुक्त नाम से कोई पद सृजित नहीं है, केवल उपायुक्त का पद है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तथा जे.डी.ए. सेवा के जो अधिकारी विभिन्न जोनों में उपायुक्त के पद पर पदस्थापित रहे हैं एवं इनमें से जिन्हें एक से अधिक जोनों का कार्य दिया गया है, उसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(3) जे.डी.ए. में जोन उपायुक्त का कोई पद नहीं है। जोन में उपायुक्त के पद पर पदस्थापन कार्य की प्रकृति एवं प्रशासनिक आधार पर किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरेन्द्र निनामा (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है, क्या कारण है कि जे.डी.ए. में आर.ए.एस. अधिकारी को ही जोनों में लगाया जा रहा है? कभी कहीं कमी होने पर उन्हें अतिरिक्त चार्ज दिया गया, वहीं जे.डी.ए. सेवा के उपायुक्त को अपने ही पैतृक निकाय में जोनल प्रकोष्ठ से बाहर क्यों रखा गया?

नम्बर दो, क्या जे.डी.ए. में स्वीकृत 20 पदों के विरुद्ध 28 अधिकारी आज की तारीख में काम कर रहे हैं? क्या इन पदों की वित्तीय स्वीकृति है और सरप्लस अधिकारियों को वेतन किस मद से दिया जा रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि जे.डी.ए. में 1982 का जो एक्ट है, उसमें उपायुक्त पद का कोई उल्लेख नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम में उपायुक्त के पद पर शत-प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान जरूर है, लेकिन 21 मार्च, 1985 को प्रकाशित अधिसूचना द्वारा पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले सहायक आयुक्त को ही उपायुक्त के पद पर पदोन्नति दी जाती है।

दूसरी बात यह है कि 05 जुलाई, 1913 को अधिसूचना जारी करके

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

पांच वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले वरिष्ठ निजी सहायक और निजी सचिव को ही उपायुक्त के पद पर पदोन्नति देने का प्रावधान है, तो जितने अवेलेबल होते हैं, जिनकी पदोन्नति होती है, उतने ही यह बनते हैं। कुल मिलाकर यह जो आठ पद स्वीकृत हैं उपायुक्त के, उनमें से छह आदमी आज भी काम कर रहे हैं।

रहा सवाल इस बात का कि बाकी लोगों को, तो यह डी.ओ.पी. का, कार्मिक विभाग का आदेश है 24 जनवरी, 1913 का, उसके तहत पदों की कैडर स्ट्रेंथ में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 21 पदों को जयपुर विकास प्राधिकरण में 14 उपायुक्तों के पद व सात प्राधिकृत अधिकारियों के पद स्वीकृत हैं, तो जब पद स्वीकृत है, तो तनख्वाह तो मिलती ही होगी?

दूसरी बात यह है कि वर्तमान में 20 राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी उपायुक्त के पद पर हैं और 6 जैसा मैंने अभी बताया, 6 उपायुक्त जो जे.डी.ए. सेवा के अधिकारी हैं उनको उपायुक्त बना रखा है। जे.डी.ए. सेवा के अधिकारियों को जोन में उपायुक्त के पद पर लगाया गया। वर्तमान में सरकार के कार्यकाल में जोन में उपायुक्त के पद पर नहीं लगाया गया। मोटी बात यह है कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी होते हैं, उनको रेवेन्यू लॉ की पूरी जानकारी होती है।

एक मिसाल बताता हूं मैं आपको कि जब आपके यह गोयल, क्या नाम था? गोयल जब यहां के कमिश्नर थे तो जे.डी.ए. के अधिकारी, जे.डी.ए. के जो कर्मचारी हैं, वे पहुंचे कि, साहब, हमें उपायुक्त के पद पर क्यों नहीं लगाया जाता? हम सीनियोरिटी रखते हैं, यह रखते हैं, वह रखते हैं, तो उन्होंने यह कहा कि मेरे पांच सवालों का जवाब दे दो। एक सवाल उन्होंने यह पूछा कि 90-बी किस प्रकार से होती है, तो एक का भी जवाब नहीं दे पाये तो इसलिए यह 1913 में डी.ओ.पी. ने यह आदेश निकालकर जो प्रशासनिक अधिकारी लगाये गये हैं, उन्हीं से यह व्यवस्था चल रही है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 1913 नहीं, यह 2013 है।

श्री अध्यक्ष: हां, 2013 है। अगला प्रश्न।

प्रश्न संख्या 372

सुश्री दिव्या मदेरणा।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

अगला प्रश्न। श्री पदमाराम।

चौहटन ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे

373. श्री पदमाराम (चौहटन): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

ग्राम पंचायत चौहटन में आबादी क्षेत्र में सरकारी भूमि कितनी है तथा उक्त भूमि पर अवैध कब्जा किसका है? क्या सरकार उक्त अवैध कब्जे को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): ग्राम पंचायत चौहटन के अन्तर्गत एक ही राजस्व ग्राम चौहटन है जो ग्राम पंचायत मुख्यालय के साथ ही तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय भी है। ग्राम पंचायत चौहटन के नाम वर्तमान में खाता संख्या 338 में 18 खसरा नम्बरान की कुल रकबा 920-10 बीघा भूमि आबादी के रूप में दर्ज है, आबादी भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है :-

खसरा नम्बर, सर, इसको पूरा पढ़ूं?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, जब विवरण सदन पर रखा जाये तो आप सदन पर रखें, इसको डिटेल करने की जरूरत नहीं है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): ओ.के. सर, काफी लम्बा है इसलिए।

श्री अध्यक्ष: आपका उत्तर माना गया।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): माननीय अध्यक्ष महोदय, आबादी भूमि का खसरावार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म
1	628	03-03	गै.मु. आबादी
2	637	288-16	गै.मु. आबादी
3	640	75-02	गै.मु. आबादी
4	682/344	3-12	गै.मु. आबादी
5	757/344	27-04	गै.मु. आबादी
6	779/344	5-12	गै.मु. आबादी
7	930/498	23-00	गै.मु. आबादी
8	1072/625	36-05	गै.मु. आबादी
9	1081/625	18-04	गै.मु. आबादी

(राजस्व मंत्री)

क्र.सं.	खसरा संख्या	रकबा (बीघा में)	किस्म
10	1083/625	10-00	गै.मु. आबादी
11	1098/625	13-12	गै.मु. आबादी
12	1099/625	13-00	गै.मु. आबादी
13	1101/625	17-10	गै.मु. आबादी
14	1103/625	1-01	गै.मु. आबादी
15	1110/633	64-10	गै.मु. आबादी
16	1113/636	9-19	गै.मु. आबादी
17	1131/642	3-00	गै.मु. आबादी
18	1187/642	10-00	गै.मु. आबादी
योग		**920-10**	

ग्राम पंचायत चौहटन के खाता संख्या 338 में 11 खसरा नम्बरान की कुल रकबा 2993-10 बीघा भूमि गैर मुमकिन गोचर के रूप में दर्ज है। साथ ही ग्राम चौहटन में राजस्व रिकार्ड अनुसार खाता संख्या 1 में निम्नानुसार राजकीय भूमि दर्ज है :-

क्र. सं.	भूमि वर्गीकरण	कुल खसरों की संख्या	कुल रकबा (बीघा में)
1	बिला कब्जा गैर मुमकिन मय गोचर	18	11-16
2	सिवायचक पड़त	7	196-11
3	समर्पण भूमि	17	30-06-12
4	मन्दिर	2	6-10
5	कब्रिस्तान	1	3-00
6	श्मशान	2	10-00
7	मैदान	1	1-09
8	पगडण्डियां तथा रास्ते	7	100-15
9	खड्ढेदार भूमि	7	8-07
10	बिला कब्जा मुमकिन भूमि	18	2475-05
योग		**67**	**2433-19-12 बीघा**

(राजस्व मंत्री)

ग्राम पंचायत को आबादी हेतु आबंटित मूल खसरा संख्या 642 के दो खसरा संख्या 1131/642 एवं 1187/642 आबादी भूमि के रूप में दर्ज है तथा इसी मूल खसरा संख्या 642 में से वर्ष 1994 में 940 बीघा भूमि रक्षित वन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित की गई थी, लेकिन राजस्व नक्शे में वन विभाग को आबंटित भूमि की तरमीम 940 बीघा के स्थान पर 665 बीघा की दर्ज है तथा वन विभाग के नाम खसरा संख्या 1169/642 रकबा 940 बीघा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वन विभाग को आबंटित भूमि के रकबे में एवं राजस्व नक्शे में भिन्नता के कारण सहायक कलेक्टर न्यायालय, चौहटन में वाद संख्या 14/2022 अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत विचाराधीन है, जिसमें आगामी सुनवाई तिथि 25.03.2022 नियत है।

अर्थात्, मूल खसरा संख्या 642 से आबादी भूमि एवं वन विभाग को आबंटित भूमि के सीमाज्ञान पश्चात् स्पष्ट होने पर कि कौनसी भूमि वन विभाग की है तथा कौनसी भूमि आबादी की है तथा शेष राजकीय भूमि का स्पष्ट ज्ञान होने पर तद्नुसार किस भूमि पर अतिक्रमण है या नहीं, इसका चिह्निकरण किया जा सकेगा तथा भूमि की पैमाइश हेतु टीम गठित की जाकर सीमाज्ञान के आदेश दिये जा चुके हैं। प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है तथा ग्राम विकास अधिकारी चौहटन ने भी अपने पत्र दिनांक 16.03.2022 से वन विभाग एवं ग्राम पंचायत के मध्य सीमा विवाद होने तथा सीमाज्ञान की कार्रवाई पूर्ण नहीं होने तक आबादी भूमि पर अतिक्रमण चिह्नित किया जाना सम्भव नहीं बताया है।

इसके अलावा सरकारी भूमि का खसरा संख्या 625/11 जिसका वर्तमान संशोधित व विभाजित खसरा संख्या क्रमशः 1086/625 रकबा 25-09 बीघा एवं खसरा संख्या 1634/625 रकबा 4-00 बीघा जमाबन्दी में दर्ज है, लेकिन ग्राम चौहटन के लट्ठे में तरमीम अनुसार उक्त दोनों खसरों का कुल रकबा 20-00 बीघा है तथा उक्त 20-00 बीघा भूमि मौके पर खाली है, जिस पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि के सम्बन्ध में न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, चौहटन में राजस्व वाद संख्या 44/2004 उनवान छगना बनाम तहसीलदार चौहटन वगैरह में दिनांक 28.12.2005 (प्रति परिशिष्ट ब) से मूल वाद के निर्णय तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश हैं। इसके अलावा राजकीय खसरा संख्या 1152/642 रकबा 18-05 बीघा किस्म गै.मु. गोचर जमाबन्दी में दर्ज

(राजस्व मंत्री)

है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 6376/2005 उनवान भगवानसिंह बनाम राजस्थान सरकार में स्थगन है। उक्त खसरे की भूमि पर किसी प्रकार का पक्का निर्माण नहीं है। वर्तमान में उक्त खसरे पर अस्थायी केबिन व हाथ-ठेले रखे हुए हैं तथा प्राइवेट बस स्टैण्ड के उपयोग में ली जा रही है। स्थगन की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है। उक्त के अलावा ग्राम चौहटन के अन्य किसी भी सरकारी खसरे पर अतिक्रमण नहीं है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें। माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, खसरा नम्बर 1086/625 में 28.12.2005 को उपखण्ड कार्यालय के अन्दर वाद है तो 26.10.2017 को इसी जमीन के अन्दर सार्वजनिक रास्ता क्यों निकाला गया? कौन-कौनसे कर्मचारियों ने यह काम किया? उनके खिलाफ सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है?

दूसरा प्रश्न, खसरा नम्बर 1162/642 में 18 बीघा जमीन माननीय उच्च न्यायालय के अन्दर 2005 से विचाराधीन मामला है, तो क्या सरकार उनका वापस जवाब देकर उसको निस्तारण करने की मंशा रखती है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य के दो क्वेश्चन हैं। पहला यह है कि इस जमीन में हाई कोर्ट का स्टे होने के बाद 2017 में रास्ता दे दिया गया, जो हमारे पास डिपार्टमेंट की सूचना है, इसमें तीन विवाद हैं। सर, एक तो फोरेस्ट की जमीन है, जिसमें फोरेस्ट विभाग कोर्ट में गया हुआ है, ए.सी.एम. न्यायालय, चौहटन में वाद चल रहा है। उनको 940 बीघा जमीन अलाट हुई जबकि मौके पर 620 बीघा ही दर्ज हुई।

दूसरा विवाद है जो आप बता रहे हैं जिस नम्बर में भगवानसिंह बनाम राज्य सरकार, इस गोचर भूमि में हाई कोर्ट का स्टे है। इस जमीन में रास्ता 2017 में दे दिया गया जो बिलकुल गलत दिया है। माननीय सदस्य की भावना के अनुसार हम कोर्ट के बावजूद अगर रास्ता काटा है तो उस पर हम कार्रवाई करवाएंगे और जो अधिकारी, जिसकी कमेटी, जिला कलेक्टर को कह दिया है हमने और अभी जैसे ही यह क्वेश्चन लगा तो पता चला कि इसमें 11 बिस्वा जमीन में रास्ता काटा गया जबकि कोर्ट का स्टे था।

(श्री रामलाल जाट)

तीसरा स्टे जिसमें छगना बनाम राज्य सरकार है, यह चौहटन पूरी तहसील को हमने ऑनलाइन कर दी, लेकिन चौहटन कस्बे की इतनी हेराफेरी हो रखी है रिकार्ड में, लट्ठा जो कागज है, उसमें अलग जमीन है और रिकार्ड में अलग जमीन है। इसकी एक कमेटी गठित कर दी है, जो कमेटी के सदस्य हैं वे भी बहुत जल्दी रिपोर्ट दे देंगे। 30.12.2021 को तहसीलदार, धनाऊ, चौहटन, नायब तहसीलदार, रामसर गिरदावर और धनाऊ पटवारी और सेड़वा पटवारी, यह पूरी चौहटन की बस स्टैंड के ऊपर जो जमीन है, यह काफी कीमती जमीन है, इस पर रिकार्ड में अलग चीज बोल रही है और लट्ठा के कागज में अलग बोल रही है, यह जो पूरी हेराफेरी हो रखी है पूरे के पूरे रिकार्ड में, इसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं। कमेटी बनाकर जिला कलेक्टर के माध्यम से और भी सैटलमेंट टीम के माध्यम से भी हम इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं, तो इनका पहला क्वेश्चन जो है कि 2017 में रास्ता गलत काटा, उसको हम दुरुस्त करवा देंगे।

दूसरा क्वेश्चन है इनका, बाकी जो केसेज हैं, उसमें हमने ओ.सी. तहसीलदार को बना रखा है। हम आज ही उसको एस.डी.एम. को बनाकर इसको जल्दी ही अभी राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू बोर्ड में जो केस था, उसकी फाइलें मंगवा ली गयी हैं और जल्दी ही पेशी करवाकर हम ओ.सी. एस.डी.एम. को बनाकर इसकी कार्रवाई करवा देंगे।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जवाब में कहा कि उसके ऊपर कोई कब्जा नहीं है। खसरा नम्बर 625 के अन्दर 30 बीघा जमीन है और जवाब में मंत्रीजी ने बताया कि पट्टे के अन्दर 20 बीघा ही जमीन है, तो 10 बीघा जमीन कहां है और उसी जमीन के पीछे निर्माणाधीन कालेज है और साइड में मकान बने हुए हैं, तो वह कौनसी जमीन में बने हुए हैं? क्या उसका सीमाज्ञान करके कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 30 बीघा जमीन है जिसमें से 25 बीघा 9 बिस्वा खसरा 1086 नये नम्बर आये हैं 625 और रकबा 4 बीघा 1634 नये नम्बर में 4 बीघा जमाबन्दी में दर्ज है और 30 बीघा में से 20 बीघा अलाटमेंट बता रहा। 11 बीघा रास्ते में कम होने की वजह से यह फर्क आ रहा है। दूसरा, पक्के निर्माण वहां नहीं हैं। बस स्टैण्ड है प्राइवेट, ठेले लगे हुए हैं। पक्का निर्माण कहीं नहीं है इसलिए डिपार्टमेंट कब्जा नहीं मान रहा है। रोज ही ठेले लगते हैं और चले जाते हैं और बसें आती हैं। प्राइवेट बस स्टैण्ड है। पक्का निर्माण वहां पर नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, यह प्रश्न पूरे राजस्थान के म्युनिसिपल एरिया का है। राजस्व जमीन को वन विभाग में डिक्लियर कर दिया गया है। वन विभाग की जमीन को जितना डिक्लियर किया गया है उतना राजस्व की एन्ट्री नहीं हुई इसलिए हर जगह यह प्रोब्लम चल रही है। वन विभाग कहता है हमारे खाते में है, राजस्व विभाग कहता है उसकी जमीन जितनी वन विभाग में है, उससे कम जमीन उसके खाते में है। क्या राजस्थान सरकार वन विभाग के साथ उच्च स्तर पर बैठकर यह फैसला करेगी कि यदि जमीन राजस्व थी और वन विभाग डिक्लियर कर दिया और वन विभाग डिक्लियर होने के बाद उसमें अंकित नहीं किया गया तो इस सारी एनोमली को दूर करने के लिए कोई हाई लेवल पर कमेटी बनाकर निर्णय करेंगे?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, आपकी भावना के अनुसार हम काम करेंगे। यह बात सही है कि हर जगह यह दिक्कत है, लेकिन इस मैटर में 940 बीघा भूमि वन रक्षित को अलाट की गयी और मौके पर तरमीम 665 बीघा हुई। वन विभाग धारा 131 और 136 में दर्ज कराने के लिए गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, मैं इसका नहीं कर रहा। मैं तो खुद उदाहरण दे रहा हूं। नाथद्वारा म्युनिसिपैलिटी इलाके में जितनी जमीन राजस्व की है और वन विभाग में डिक्लियर की है, वन विभाग ने पूरी की पूरी डिक्लियर कर दी और राजस्व विभाग में एन्ट्री नहीं है। पूरे नाथद्वारा में जमीन पर लोग बसे हुए हैं। वह भूमि फोरेस्ट के अन्दर है। न राजस्व विभाग कुछ काम कर रहा है, न म्युनिसिपैलिटी काम कर रही है और अनधिकृत लोग कब्जा कर रहे हैं। मैं समझता हूं यह समस्या सभी जगह की है क्योंकि आजादी के बाद में राजस्व जमीन थी तब वन डिक्लियर किया गया तो वन विभाग की जमीन को राजस्व में अंकित करने के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसलिए यह एनोमली आज तक बनी हुई है। यह सभी जगह की समस्या है। मैं चाहता हूं कि राजस्थान सरकार हाई लेवल पर बैठकर फोरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट की आजादी के बाद जो जमीन राजस्व में थी और राजस्व के बाद वन विभाग में डिक्लियर कर दी और वह जमीन पूरी की पूरी वन विभाग के खाते में है, राजस्व खाते में एन्ट्री नहीं है, इस तरह की एनोमली को दूर करने के लिए कोई निर्णय करे जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके। राजस्थान सरकार पट्टे दे रही है, पर ऐसे जो लोग बसे हुए हैं, उनके पट्टों

(श्री अध्यक्ष)

की कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। बाड़मेर का ही नहीं, सब जगह की समस्या है। मैं समझता हूं, इसके बारे में कोई निर्णय करना चाहिए।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जरूर आपकी बात को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर हम लोग खुद इसको देखकर जो उचित निर्णय होगा, वह करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र शक्तावत।

वल्लभनगर के धार्मिक स्थलों का पर्यटन की दृष्टि से विकास

374. श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति कुराबड में सुप्रसिद्ध जगत माता मंदिर पंचायत समिति, भीण्डर में केलेश्वर महादेव लूणदा तथा मेनार बर्ड सेंक्चुअरी के पर्यटन की दृष्टि से विकास हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है जिससे कि स्थानीय नागरिकों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर की पंचायत समिति कुराबड में स्थित जगत माता मंदिर, पंचायत समिति भीण्डर में केलेश्वर महादेव लूणदा तथा मेनार बर्ड सेंक्चुअरी के पर्यटन की दृष्टि से विकास के संबंध में वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

लेकिन आपके माध्यम से...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री, लिखा हुआ जवाब ही पढ़ें। सप्लीमेंट्री में जवाब दीजिए। लिखा हुआ ही बोलें। आपने पूरा नहीं पढ़ा है मान्यवर।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

मुझे मालूम था सब लोग इस पर हंसेंगे, इसलिए मैंने पढ़ा नहीं।

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह जानना चाहती हूं कि जो अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट घोषणा की है, प्रत्येक जिले से दो पर्यटक स्थलों में चिह्नित जन सुविधा सम्बन्धी 100 करोड़ रुपये की जो आगामी घोषणा है, उसमें जो मेवाड़ का खजुराहो जगत माता का मन्दिर और मेवाड़ का हरिद्वार

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र शक्तावत)

केलेश्वर महादेव है, को भी लिया जाये क्योंकि ये बहुत जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हो रखे हैं।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसी बात का निवेदन करना चाह रहा था।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, आप पहले ही निवेदन कर रहे थे। माननीय सदस्य द्वारा सप्लीमेंट्री पूछने से पहले ही निवेदन कर रहे थे। आपको मालूम था कि सप्लीमेंट्री पूछेंगे।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आपके शिष्य हैं हुकुम, कुछ तो मालूम करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। मुझे पता नहीं था कि ट्रेनिंग आप देकर आये हैं या पहले आपने मेरे पास भेजा था।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): आपसे भी ट्रेनिंग लेता रहता हूं, राठौड़ साहब, ऐसी क्या बात है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): जैसाकि माननीय सदस्या ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा में यह कहा है, उस हिसाब से आपके विधान सभा क्षेत्र में दो-दो पर्यटक स्थल चिह्नित करके एस्टीमेट आप भिजवा दें। जैसा आप भिजवायेंगी, उस तरीके से हम उसको पूरा कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री संजय शर्मा।

एक माननीय सदस्य: बीच में एक प्रश्न रह गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, दोबारा पूछ लेंगे इसके बाद में। आज वैसे भी ट्रैफिक जाम के कारण जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न छूट गये हैं, उनको दोबारा पुकारूंगा मैं।

अलवर में संचालित राजकीय मुद्रणालय

376. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र अलवर में संचालित राजकीय मुद्रणालय को बन्द किये जाने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किस कारण से? आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजय शर्मा)

(2) प्रदेश के कितने जिलों में राजकीय मुद्रणालय संचालित हैं एवं वर्तमान में उक्त में कितने-कितने कर्मचारी, अधिकारी किस-किस पद पर कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री) (राज्य मंत्री, मुद्रण एवं लेखन सामग्री के स्थान पर): (1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र अलवर में संचालित राजकीय मुद्रणालय, अलवर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। उक्त निर्णय के क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक 251-63 दिनांक 17.01.2022 के द्वारा दिनांक 20.01.2022 (अंतिम कार्यदिवस) को मुद्रणालय बंद कर दिया गया है। राजस्व आय के विरुद्ध अत्यधिक व्यय होने के कारण राजकीय मुद्रणालय, अलवर को बंद करने का निर्णय लिया गया है। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में प्रदेश के 3 जिलों जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में राजकीय मुद्रणालय संचालित हैं। विभाग एवं राजकीय मुद्रणालयों मे कार्यरत कर्मचारियों एवं अधिकारियों का जिलेवार एवं पदवार विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि प्रदेश में संचालित जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में व्यय के मुकाबले राजस्व आय अधिक है? यदि हां, तो कितनी? यदि नहीं, तो फिर अलवर कार्यालय को क्यों बंद किया गया?

माननीय अध्यक्ष महोदय, 20.01.2022 को अलवर कार्यालय का अन्तिम कार्य दिवस था, उस वक्त अलवर कार्यालय में कितने कर्मचारी कार्यरत थे तथा उन कर्मचारियों को किन-किन विभाग में और किस जिले में समायोजित किया गया है? क्या सरकार उनकी भविष्य में सेवा...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, इतने प्रश्न पूछोगे तो जवाब ही नहीं आयेगा। इसका जवाब आ जाये, फिर पूछ लेना।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने अलवर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर की रेवेन्यू के बारे में पूछा। पिछले दस साल का है अलग-अलग ईयर में। एक्सपेंडिचर है 223.92 लाख का 2017-18 में, रेवेन्यू कलेक्ट हुई 27.75, जो अन्तर आया, घाटा है 196.17 लाख का। 2018-19 में 245.74 एक्सपेंडिचर हुआ और रेवेन्यू प्राप्त हुई 57.76

(श्री रामलाल जाट)

लाख, यानी घाटा है 187.98 लाख। इसी तरह 2019-20 में एक्सपेंडिचर हुआ 198.43 लाख और रेवेन्यू कलेक्ट 19.64 लाख यानी 178.79 लाख का घाटा हुआ। 2020-21 में एक्सपेंडिचर हुआ 175.87 लाख, रेवेन्यू कलेक्ट हुई 17.23 लाख यानी घाटा हुआ 158.64 लाख। पूरे टाइम का देखें तो एक्सपेंडिचर 146.13 लाख हुआ और रेवेन्यू कलेक्ट हुई 17.22 लाख और घाटा जो आया है 128.91 लाख। यह केवल तनख्वाह का है।

इसमें स्वर्गीय यतीन्द्र सिंहजी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी थी 14.06.2005 को, उन्होंने रिकमण्ड किया कि नये तरीके से आईटी के माध्यम से भी चीजें आ रही हैं। जो राजकीय मुद्रणालय हैं वह आजादी के बाद 1964 से बने हैं, उस समय विधान सभा सहित ही सारे काम इन मुद्रणालय में हुआ करता था। ऑनलाइन सिस्टम आने की वजह से वहां नगण्य रूप में काम रह गया है। इसलिए इस कमेटी ने रिपोर्ट दी। मार्च 2018 में बीकानेर को बंद करने का कर दिया गया। उसके उपरान्त अलवर को भी उन्हीं की रिकमण्ड के आधार पर मंत्रालय लेवल पर निर्णय लिया गया, जिसमें यह बंद हुआ और इसकी आय मैंने आपको बता दी।

श्री अध्यक्ष: मतलब अगले तीन भी बंद हो जायेंगे।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): हां, इस रिपोर्ट के आधार पर तीन भी होंगे। जयपुर ही रहेगा, एक ही।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अलवर कार्यालय में 20.01.2022 को अन्तिम कार्य दिवस पर कितने कर्मचारी वहां कार्यरत थे? उन कर्मचारियों को किन-किन विभाग में किस जिले में समायोजित किया गया?

श्री अध्यक्ष: इतना डिटेल में थोड़े ही, उनके प्रोटेक्शन की बात कहें। माननीय सदस्य, उन एम्प्लाई के प्रोटेक्शन की बात करें। कहां-कहां विभाग में लगाया, यह तो अलग प्रश्न है। प्लीज यह रेलेवेंट नहीं है। आपको पता है कहीं-न-कहीं लगाया है, डिटेल बताएंगे क्या?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां 26 पद थे, दो पहले रिक्त थे और 22 कर्मचारी वहां कार्यरत थे। उनको विकल्प दिया गया, 22 में से 20 कर्मचारियों ने विकल्प दिया जयपुर का, तो 20 को जयपुर ज्वाइन करवा दिया गया। एक आदमी अलवर का था सूबेसिंह। अलवर में मुद्रण प्रथम श्रेणी का था, उसने अलवर के लिए निवेदन किया तो उसको

(श्री रामलाल जाट)

अलवर में एडजस्ट कर दिया गया। एक त्रिलोकचन्द शर्मा, जो लेखाधिकारी है, वह दूसरे डिपार्टमेंट से आया है। बाकी काम पूरा होने के बाद उसके विकल्प के आधार पर उसके डिपार्टमेंट में भेज दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समस्या लगभग मुद्रणालयों में आ रही है। क्या सरकार इतने पुराने और इतनी बेशकीमती जमीन पर स्थित हैं, हमारे सिस्टम को क्या हम बदलकर आज की तारीख में उन मुद्रणालयों को उपयोगी नहीं बनाया जा सकता, जिससे प्रोपर्टी का भी उपयोग हो और वर्कर को भी केवल और केवल संसाधन डालना, यह मंशा है कि नहीं या एक-के बाद एक बन्द करना है?

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा है, आपकी बात बिलकुल सही है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में इनकी बेशकीमती जमीन, जो अलाट हुई यह जो बिल्डिंग है, उन्हीं के अंडर में अभी किया गया और आने वाले टाइम के लिए तो जो फैसला होगा, वैसे यह कमेटी 2005 में माननीय यतीन्द्र सिंहजी की अध्यक्षता में बनी थी, उन्होंने यह निर्णय लिए और उसके बाद में भी जब डिपार्टमेंट के थ्रू बातचीत हुई तो उसमें भारत सरकार अर्नाकुलम से ऑनलाइन चीजें खरीदने लग गयीं। दूसरा गोपनीय दस्तावेज जैसे बैलेट छपवाना, बजट बनवाना, यह चीजें हैडक्वार्टर को छोड़कर अलग-अलग जगह करवाने में सक्षमता नहीं बतायी गयी और गोपनीयता भी भंग होती है। आज सारे काम ऑनलाइन होने की वजह से डाकुमेंट का काम कम हो गया, इस वजह से यह कमी आ रही है। केवल तनख्वाह के अलावा वहां पर और कोई काम नहीं है। फिर भी आपने जिस बात को कहा, उसको ध्यान में रखते हुए इस पर और विचार करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बिहारीलाल।

नोखा तहसील के अकालग्रस्त गांव

375. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला बीकानेर की नोखा तहसील में भयंकर अकाल होने के उपरान्त भी विभागीय कर्मचारियों की लापरवाही से 30 गांव ही अकाल प्रभावित घोषित किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बिहारीलाल)

(2) क्या सरकार उक्त तहसील की विशेष गिरदावरी करवाकर वंचित रहे गांवों को अकाल प्रभावित घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) खरीफ फसल वर्ष 2021 (संवत् 2078) में बीकानेर जिले की नोखा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। नोखा तहसील के 30 ग्रामों में ही गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक खराबा होने के कारण 30 ग्राम ही सूखा प्रभावित हैं, शेष ग्रामों में फसल खराबा नहीं हुआ है।

विभागीय कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार गिरदावरी की गई है।

(2) जी नहीं। खरीफ फसल वर्ष 2021 की गिरदावरी नियमानुसार की गई है।

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नोखा तहसील को सूखाग्रस्त घोषित किया गया, क्योंकि पूरी तहसील में 100 प्रतिशत खराबा था, यह बात ठीक है। फिर मात्र 30 गांवों में ही गिरदावरी में 33 प्रतिशत खराबा बताया गया, यह क्रोप कटिंग के जो प्रयोग हुए, उसमें पूरी तहसील में खराबा हुआ, फिर भी यह किसानों के साथ अन्याय है। इसमें कर्मचारियों की लापरवाही है। उन्होंने काम से बचने के लिए इस तरह की रिपोर्ट दी है, तो दोबारा गिरदावरी कराएंगे या इन कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे? तहसीलदार के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे माननीय मंत्रीजी?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ फसल 2021 वर्तमान में मौके पर फसल नहीं होने से उक्त फसल की अब विशेष गिरदावरी करना सम्भव नहीं है लेकिन किसी तहसीलदार, पटवारी की कोई भी अगर लापरवाही रही है, तो माननीय सदस्य लिखकर दे दें, जांच करवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

भादरा अनाज मण्डी में पुनर्निर्माण के कार्य

377. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि भादरा अनाज मंडी में सड़कों के निर्माण, चारदीवारी ऊंची करने व शैड के पुनर्निर्माण का कार्य किया जा रहा है? यदि

(श्री बलवान पूनियां)
हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति भादरा से दिनांक 08.02.2022 को प्रस्ताव संख्या 01 मण्डी प्रांगण में 07 निर्माण कार्यों की स्वीकृति के लिए राशि 251.05 लाख रुपये का प्राप्त हुआ है, जिसमें उक्त 03 कार्य भी सम्मिलित हैं। प्राप्त प्रस्ताव निर्माण कार्यों की स्वीकृति हेतु विभागीय दिशा-निर्देशों के तहत परीक्षणाधीन है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी साफ-सुथरी सी मांग है, मंत्रीजी यह बता दें कि तीनों काम महत्वपूर्ण हैं, यह कब तक करवा देंगे?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य से मैं निवेदन करूंगा कि जो आपके प्रस्ताव हैं उनका अमाउंट अधिक है। वर्तमान मण्डी में इस मद में जो बजट है वह 01 करोड़ 03 लाख है। आप अपनी प्रायोरिटी बता दें, 01 करोड़ 03 लाख उनको शीघ्र स्वीकृत कर देंगे। बाकी जैसे बजट आएगा, वैसे कर देंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): थैंक यू।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रूपा राम।

मकराना में खेलों के लिए आबंटित राशि

378. श्री रूपा राम (मकराना): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या योजना संचालित की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र मकराना में वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में कितनी राशि आबंटित की गई थी एवं उसमें से कितनी-कितनी राशि किस-किस मद पर व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों का निर्माण कार्य भी करवाया जाता है? यदि हां, तो उक्त विधान सभा क्षेत्र में कहां-कहां खेल मैदान कितनी-कितनी राशि से तैयार करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) सरकार द्वारा

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

प्रदेशों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं:-

· राज्य/राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को नियमानुसार अनुदान नियम-2016 के तहत आर्थिक सहायता एवं 25 बीघा कमाण्ड भूमि व 220 वर्गमीटर आवसीय भू-खण्ड दिये जाने का प्रावधान है।

· राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नियुक्ति में 2 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है।

· राजस्थान सरकार द्वारा पदक विजेता खिलाड़ियों को बिना पारी नियुक्ति नियम 2017 एवं संशोधन नियम 2020 के तहत सरकारी नियुक्तियां प्रदान की जा रही हैं।

· समस्त जिला मुख्यालयों में जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्रों पर जिले के प्रचलित खेलों में प्रशिक्षक पदस्थापित कर नियमित प्रशिक्षण, खेल उपकरण, खेल मैदान आदि की सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

· ग्रीष्मकालीन अवकाश में क्रीड़ा परिषद्, जयपुर द्वारा जयपुर, डूंगरपुर/उदयपुर एवं माउण्ट आबू, सिरोही में प्रतिवर्ष माह मई-जून में खिलाड़ियों के लिए 21 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर तथा नये खिलाड़ियों के लिए प्रत्येक जिले में प्रतिभा खोज प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाता है।

· खिलाड़ियों को जिला/राज्य संघों के मार्फत पंजीकृत खेल संघों में विभिन्न आयु वर्गों की प्रतियोगिता में राज्य स्तर पर 600 रु. प्रतिदिन तथा राष्ट्रीय स्तर पर 1000 रु. प्रतिदिन अनुशांषिक एवं दैनिक भत्ता प्रदान किये जाते हैं।

· राज्य में वर्तमान में 19 खेल अकादमियां खोली गई हैं, जिनमें खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण, खेल उपकरण, आवास, भोजन, शिक्षा, चिकित्सा एवं यात्रा आदि की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त जयपुर में आवासीय खेल स्कूल संचालित है एवं जोधपुर में आवासीय खेल स्कूल बनाने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है।

· राष्ट्रीय प्रतियोगिता के पूर्व चयनित राज्य के खिलाड़ियों का प्रशिक्षण शिविर उच्च स्तर के प्रशिक्षकों द्वारा लगाया जाता है।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

· राज्य में समस्त जिलों के अन्दर खेलों के विकास के लिए खेल सुविधा में आधारभूत संरचना तैयार की जा रही है ताकि खिलाड़ियों को खेलने के लिए मैदान की सुविधा प्राप्त हो सके।

· अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन हेतु महाराणा प्रताप एवं गुरु वशिष्ठ पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं, जिसमें इनामी राशि एक-एक लाख रु. दिये जाते हैं।

· स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य हेतु समन्वित स्टेडियम (खेल आधारभूत संरचनाएं) विकास कार्यक्रम 2015 के अन्तर्गत उपखण्ड/तहसील स्तर पर स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्य करवाये जाने का प्रावधान है।

· वर्ष 2021-22 की बजट घोषणा के बिन्दु संख्या 61 के अनुसार मेजर ध्यानचन्द स्टेडियम योजना के तहत चरणबद्ध रूप से राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियमों के विकास कार्य करवाये जाने हेतु विधायक सांसद निधि/जन प्रतिनिधि/जन सहयोग/सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर राशि मैचिंग ग्रांट के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिकतम राशि रु. 25.00 लाख दी जायेगी।

ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से खेल मैदान विकसित करने के लिए समन्वित स्टेडियम विकास कार्यक्रम-2015 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर प्रचलित At Least One Outdoor Game का मैदान बनाये जाने का प्रावधान है जिसे स्थानीय स्तर पर मनरेगा योजना के तहत जिला परिषद् के माध्यम से बनाये जा सकते हैं।

(2) वर्ष 2020-21 एवं 2021-22 में विधान सभा क्षेत्र मकराना में युवा मामले एवं खेल विभाग/राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद् द्वारा कोई राशि आबंटित नही की गई है।

(3) जी हां। सरकार द्वारा खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल मैदानों का निर्माण करवाया जाता है। वर्ष 2012-13 में युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा मकराना में खेल संकुल का निर्माण कार्य करवाया गया है।

विधान सभा क्षेत्र मकराना के मुख्यालय पर खेल परिषद् को 22 बीघा आबंटित भूमि पर रु. 2.00 करोड़ की लागत से मल्टीपरपज हाल, फुटबाल/ हॉकी खेल मैदान, एथलेटिक्स ट्रेक, दर्शक दीर्घा, कार्यालय भवन, पेयजल हेतु टांके 2 बास्केटबाल खेल मैदान, खो-खो मैदान, बाउण्ड्रीवॉल व ट्यूबवैल आदि सुविधाओं का निर्माण कार्य वर्ष 2013 बजट घोषणा की पालना में करवाया गया।

(राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल)

पायका योजना के तहत ग्राम बुड़सू में राशि रु. 12,500 की लागत से कार्यालय जिला परिषद् नागौर द्वारा कबड्डी, फुटबाल, खो-खो खेल मैदानों के समतलीकरण का कार्य करवाया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पढ़ा हुआ माना गया। प्रश्न पूछें माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड तीन के बारे में प्रश्न करूंगा। माननीय मंत्रीजी ने मकराना में दो करोड़ का जो मैदान बनाया, उसके लिए धन्यवाद। मेरा प्रश्न इतना ही है कि 2012-13 में दो करोड़ की लागत से बनाये गये मैदान के रख-रखाव के लिए या हुई भारी अनियमितताओं की आप क्या जांच करवाना चाहते हैं? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य को लगता है, क्योंकि 2013 के अन्दर वह मैदान बना हुआ है, यदि आपको उसमें मेन्टीनेंस का कोई बजट चाहिए तो आप लिखकर दे देवें। यदि उसकी जांच करानी है तो आप लिखकर दे देवें, उसकी जांच करा दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ का राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय

379. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या भाषा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि किशनगढ़ में राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित है? सरकार द्वारा उक्त एकमात्र राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय को अन्यत्र स्थापित करने के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय के स्थानांतरण के पश्चात् जनहित में किशनगढ़ में शीघ्र नया राजकीय पुस्तकालय स्थापित किए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, भाषा एवं पुस्तकालय (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): (1) जी हां। वर्तमान में किशनगढ़ में राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय संचालित है।

जी हां। राजकीय सार्वजनिक जिला पुस्तकालय, किशनगढ़ को भूमि

(राज्य मंत्री, भाषा एवं पुस्तकालय)

अभाव एवं केकड़ी कस्बे की अजमेर मुख्यालय से दूरी एवं केकड़ी के आसपास 100 किलोमीटर तक सार्वजनिक पुस्तकालय के अभाव को देखते हुए आस-पास के रहने वाले पाठकों एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लाभ हेतु केकड़ी में स्थानान्तरण का निर्णय लिया गया है। पुस्तकालय भवन निर्माण तक उक्त पुस्तकालय को किशनगढ़ में यथावत रखा जाएगा। (परिशिष्ट-1 एवं 2)

(2) जी हां। किशनगढ़ में उक्त जिला पुस्तकालय के स्थानान्तरण के बाद भी यहां आमजन के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय की सेवा यथावत रखी जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने खण्ड-एक में जवाब दिया किशनगढ़ में भूमि का अभाव है और इसके साथ ही केकड़ी में पाठकों की समस्या और प्रतियोगी परीक्षा देने वालों की दिक्कतें हैं। क्या किशनगढ़ में पाठकों की कमी है या किशनगढ़ में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले कोई भी नहीं हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि किशनगढ़ में नगर परिषद् की साधारण सभा द्वारा दिनांक 20.01.2020 को भूमि आबंटित कर दी गयी थी। निदेशालय ने 900 वर्गगज जमीन इस हेतु आबंटित कर दी थी, वह प्रक्रियाधीन है। इसके बावजूद किशनगढ़ का जिला चिकित्सालय केकड़ी में स्थानान्तरित होना..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दिया न भवन निर्माण करके वापस किशनगढ़ में कर देंगे। बात लम्बी खींचने से क्या मतलब है?

प्रश्न संख्या 380

अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

(अनुपस्थित। कृपया आगे देखें।)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सुभाष पूनिया।

राज्य वित्त आयोग मद से सूरजगढ़ में विकास कार्य

381. श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य वित्त आयोग के योजना मद से

(श्री सुभाष पूनिया)

ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराये जाते हैं? यदि हां, तो विधान सभा क्षेत्र सूरजगढ़ में जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक किन-किन विकास कार्यों के लिए उक्त मद से कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति के अंतर्गत उक्त विधान सभा क्षेत्र में क्या-क्या विकास कार्य कराया जाना प्रस्तावित है? उक्त कार्यों की पूर्ण होने की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) जी हां। सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों (ग्रामीण क्षेत्रों) में राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अन्तर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि से जनवरी, 2019 से जनवरी, 2022 तक करवाये गये विकास कार्यों एवं उनके लिए स्वीकृत राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृतियों के अन्तर्गत सूरजगढ़ विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों (ग्रामीण क्षेत्रों) में प्रस्तावित कार्यों में आन्तरिक सडकें, नाली निर्माण, शौचालय निर्माण, सोखती कुई निर्माण, पेयजल आपूर्ति एवं मरम्मत संबंधी कार्य, इत्यादि कार्य सम्मिलित हैं।

प्रस्तावित स्वीकृत कार्यों के पूर्ण होने एवं वर्तमान स्थिति का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायत समिति सूरजगढ़, बुहाना व सिंघाना में कब और कितनी राशि डलवायी गयी? विलम्ब के क्या कारण रहे? किस्तें कब तक डलवाने का विचार रखते हैं?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है क्या इस राशि का गाइडलाइन के अनुरूप उपयोग हुआ है? यदि नहीं, तो उक्त राशि का दुरुपयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जहां तक सवाल है तो आपने दो पंचायतों का पूछा है, मैंने आपको सारी पंचायतों की बाबत सूची दे दी। दो पंचायतें छाटूंगा तो इसमें

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

टाइम लग जाएगा। बाकी जहां-जहां का आपने पूछा है, फाइनेंस कमीशन का पैसा आपके विधान सभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में कहां-कहां खर्च हुआ, यह सारी मैंने सूची आपको दे दी।

श्री अध्यक्ष: पंचायतवाइज नहीं, पूरे विधान सभावाइज दे दिया आपको।

हां माननीय सदस्य, सैकण्ड प्रश्न क्या है?

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): हां, यह उत्तर आ गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब आपका दूसरा सवाल है, तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 589 कार्य स्वीकृत हुए हैं, उनमें 48 कार्य तो अभी भी प्रगतिरत हैं और 10 निरस्त हो चुके। निरस्त होने के अलग-अलग कारण होते हैं। कभी गांव वाले खिलाफत कर देते हैं, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है। सिर्फ 2-3 काम प्रारम्भ नहीं हुए हैं। बाकी सब पूर्ण हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अनियमितता के बारे में पूछा है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अनियमितता की कोई शिकायत हमें प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, शिकायत ही प्राप्त नहीं हुई तो कार्रवाई क्या करें। शिकायत लिखकर भेज देना कार्रवाई हो जायेगी।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): अगर कोई शिकायत आये तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का विचार रखते हैं क्या?

श्री अध्यक्ष: हां, जरूर करेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जांच करवाकर कार्रवाई करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपी चन्द मीणा।

शक्करगढ़ (जहाजपुर) के संस्कृत विद्यालय का क्रमोन्नयन

382. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत संस्कृत विद्यालय संचालित हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से एवं कहां-कहां पर? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(2) क्या सरकार नामांकन के आधार पर उक्त विधान सभा क्षेत्र के शक्करगढ़ संस्कृत उच्च प्राथमिक विद्यालय को राजकीय संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

संस्कृत शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के नियन्त्रणाधीन विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में कुल 18 राजकीय संस्कृत विद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	विद्यालय स्तर	विद्यालय संख्या
1.	राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय	04
2.	राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय	08
3.	राजकीय प्राथमिक संस्कृत विद्यालय	06
	कुल योग	**18**

विद्यालय नामवार एवं नामांकनवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग अन्तर्गत राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, शक्करगढ़ को राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में क्रमोन्नत करने संबंधी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड निर्धारित है। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु विभाग में प्राप्त प्रस्तावों का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर, वित्तीय उपलब्धता होने व निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होने के आधार पर निर्णय लिया जाता है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी से मैं पूछना चाहता हूं कि राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय बीरधौल, सांखड़ा, पारोली, बिहाड़ा, बिशनिया, धौड़, पीपलून्द, शक्करगढ़ के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का क्या सरकार विचार रखती है? साथ ही मेरे विधान सभा क्षेत्र में कौनसे विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है तथा बजट के लिए भी प्रावधान किया गया है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अभी 11 मार्च, 2022 को खजूरी में संस्कृत प्रवेशिका विद्यालय यानी उच्च प्राथमिक से

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

प्रवेशिका क्रमोन्नत की गयी है। जहां तक शक्करगढ़ का सवाल है, इसमें आठवीं में मात्र 7 बच्चे हैं, 20 से 25 बच्चे होने पर यहां पर भी हम खोल देंगे, लेकिन बच्चे ही नहीं हैं तो कैसे खोलें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री धर्मेन्द्र कुमार।

गोलुवाला (पीलीबंगा) को नगरपालिका बनाने की कार्ययोजना

383. श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों को नगरपालिका क्षेत्र में परिवर्तित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कस्बा गोलुवाला (सिहागान व निवादान) को नगरपालिका बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शान्ती कुमार धारीवाल): जी हां। ग्राम पंचायत को नगरपालिका में परिवर्तित करने हेतु निर्धारित मानकों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के कस्बा गोलुवाला (सिहागान व निवादान) को नगरपालिका क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इन्होंने सैकण्ड पृष्ठ पर एक सूची दी है, क्षेत्र की जनसंख्या 10 हजार होनी चाहिए, जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होनी चाहिए, स्थानीय प्रशासन की दृष्टि से 10 रुपये प्रति व्यक्ति से आय अधिक होनी चाहिए। कृषि से अलग 10 परसेंट या अधिक कार्यों के बिन्दु हों। वहां धान मण्डी है, बाजार है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें, प्रश्न।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): हां, उसी में आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): वहां धान मण्डी है, बाजार है। लगभग एक हजार दुकानें हैं। कॉटन फैक्ट्री है, वेयरहाउस है, उप तहसील है, कृषि उपज मण्डी समिति है, पुलिस थाना व स्वास्थ्य केन्द्र है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको लिखा है कि मापदण्ड हैं तो ही हां भरो न।

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): उसी में से पूछ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। मापदण्ड की कापी दी है। मापदण्ड में होता है तो पूछो। मापदण्ड में आता है आपका गांव?

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): उसी की कह रहा हूं। दोनों की जनसंख्या 50 हजार से ऊपर है। दोनों मिलती हुई हैं। दोनों में सारे मापदण्ड पूरे हैं, तो क्या आप इसमें मेहरबानी करोगे ताकि वहां नगरपालिका बन जाये।

श्री अध्यक्ष: खोलोगे, मेहरबानी क्यों करेंगे। खोलेंगे, यह पूछो न आप।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा के पास में गोलुवाला के सिहागान व निवादान, 2 अलग-अलग ग्राम पंचायतें हैं, जिनकी जनसंख्या सिहागान ग्राम पंचायत की तो है 7,114 और निवादान ग्राम पंचायत की जनसंख्या 10,072 है। कुल मिलाकर यह हो गयी 17,186 की जनसंख्या। किसी भी ग्राम पंचायत की जगह नगरपालिका अगर खोली जाती है तो 10 हजार की आबादी ही काफी होती है इसलिए आपकी आबादी तो काफी है। 50 हजार नहीं है आपकी, लेकिन काफी है फिर भी खोलने के लिए।

दूसरी बात जो आपने बतायी, वह भी बिलकुल सही है कि जनसंख्या घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। बिलकुल है। तीसरी बात जो आपने बतायी, वह भी सही है कि निजी आय प्रति व्यक्ति 10 रुपये से अधिक है। चौथी बात आपने बतायी कि कृषि से भिन्न क्रिया-कलापों का नियोजन 10 प्रतिशत से अधिक है। वह भी मापदण्डों के अनुसार है। चौथी बात आपने बतायी कि गोलुवाला में एसडीएम, तहसीलदार, पंचायत समिति मुख्यालय पीलीबंगा के क्षेत्राधिकार में स्थित है। गोलुवाला विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के अन्तर्गत आती है। 20 किलोमीटर की दूरी है। यह सब बातें तो सही हैं। लेकिन सवाल यह आता है कि जिला कलेक्टर के वहां से कभी अभिशंसा नहीं आई इस बात के लिए कि यहां पर नगरपालिका खोल दी जाये। मेहरबानी करके आप वह प्रयत्न करिये तो निश्चित तौर पर आपके यह जो मापदण्ड हैं, उन मापदण्डों पर तो आप खरे उतरते हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सदस्य ने कह दिया। आप कलेक्टर से मंगवाकर खोल दें, बात खतम हुई।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस जगह नगरपालिका की डिमाण्ड होती है, अक्सर वहां से जो लोग कहते हैं कि नगरपालिका खोल दी जाये...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य ने कह दिया हाउस में।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह तो प्रश्न के माध्यम से कहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप बैठें। एक मिनट, माननीय मंत्री जी आप बैठें। आप विराजें तो मैं बोलूं। आप बैठें तो मैं बोलूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सॉरी।

श्री अध्यक्ष: यह हाउस ही लोगों की एक्सप्रेशन को रिप्रजेंट करने की जगह है। एक विधायक ने यह बात कही है। आपके नोटिस में आ गया इसलिए आप सरकार की दृष्टि से कलेक्टर को कहें कि इसके बारे में प्रस्ताव भेजें जिससे नगरपालिका डिक्लियर हो।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): ठीक है। बिलकुल ठीक है, कह देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती इन्द्रा।

पॉलीथीन के उपयोग पर प्रतिबंध

384. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में पॉलीथीन पर प्रतिबंध होने के बाद भी पॉलीथीन का उत्पादन एवं उपयोग होने से पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पॉलीथीन खाने से गौवंश एवं अन्य पशुधन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और उनकी जान भी चली जाती है? यदि हां, तो सरकार द्वारा पशुधन को बचाने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यावरण मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी): (1) जी हां। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग, विनिर्माण,

(पर्यावरण मंत्री)

भंडारण, आयात, विक्रय एवं परिवहन पर प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्लास्टिक कैरी बैग्स के विनिर्माण हेतु किसी भी इकाई को स्थापना/संचालन हेतु सम्मति जारी नहीं की गई है तथा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के अभिलेखों के अनुसार राज्य में पॉलीथीन कैरी बैग्स बनाने वाली कोई भी उत्पादन इकाई राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की सम्मति प्राप्त कर कार्यरत नहीं है। तथापि राजस्थान राज्य के पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से प्लास्टिक कैरी बैग्स के राज्य में परिवहन कर बिक्री हेतु लाने से इंकार नहीं किया जा सकता है। उक्त परिवहन एवं अन्य राज्यों से आयातित प्लास्टिक कैरी बैग्स के उपयोग को रोकने हेतु प्रभावी कार्रवाई की जाती है।

प्लास्टिक कैरी बैग्स पर लागू प्रतिबंध को सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा नगर निकायों एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर प्रदेश में समय-समय पर अभियान चलाकर प्रतिबंध होने के बावजूद प्लास्टिक कैरी बैग्स का उपयोग/ विनिर्माण करने वाले प्रतिष्ठानों/इकाइयों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है। विगत 2 वर्षों में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 19 के अंतर्गत 35 प्रतिष्ठानों/ इकाइयों के विरुद्ध बीकानेर जिले के विभिन्न न्यायालयों में परिवाद दायर किये गये हैं। जयपुर जिले में अवैध रूप से प्लास्टिक कैरी बेग बनाने की एक इकाई पकड़ी गई जिसके विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 5 के अंतर्गत बंद करने के आदेश दिनांक 18.07.2019 को जारी किये गये हैं एवं इकाई से 10 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि वसूल की गई है। इसी प्रकार अजमेर जिले में एक इकाई पकड़ी गयी जिसके विरुद्ध जल/वायु अधिनियम 1974/1981 की धारा 33/31A के अन्तर्गत बंद करने के निर्देश दिनांक 01.12.2021 को जारी किये गये।

(2) जी हां। गोपालन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार पॉलीथीन खाने से गौवंश के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। गौवंश को पॉलीथीन खाने से बचाने के लिए गोपालन विभाग द्वारा निम्न प्रयास किये गये हैं:-

I. गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 अन्तर्गत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 180 दिवस की सहायता राशि दो चरणों (प्रथम चरण अप्रैल,

(पर्यावरण मंत्री)

मई, जून तथा द्वितीय चरण जनवरी, फरवरी, मार्च) में 90-90 दिवसों हेतु पात्र गौशालाओं में संधारित गौवंश के भरण पोषण के लिए वर्तमान में बड़े गौवंश हेतु 40 रुपये तथा छोटे गौवंश हेतु 20 रुपये प्रतिदिन प्रति गौवंश की दर से दी जा रही है।

II. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 से सृजित निधि द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य जैसे गौ शैड, चारा भण्डार गृह, गौपालक आवास गृह, पानी की खेली, चारा खेली, तारबंदी आदि के लिए गौशाला जन सहभागिता विकास योजना अन्तर्गत अधिकतम राशि रुपये 10 लाख प्रति गौशाला दिये जाने का प्रावधान है। आधारभूत निर्माण हेतु 90:10 के अनुपात में राजकीय अंशदान व जनसहभागिता अंशदान का प्रावधान है।

श्री अध्यक्षः माननीय मंत्रीजी, पढ़ा हुआ माना। प्रश्न पूछें, माननीय सदस्य। पढ़ा हुआ मान लिया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): अध्यक्ष महोदय, यह जो मैंने प्रश्न पूछा, उसका जवाब मुझे मिल गया है। रिप्लाई के बाद मैं कुछ पूछना नहीं चाह रही हूं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

अगला प्रश्न। श्री मदन प्रजापत।

बालोतरा को नवीन जिला बनाने की कार्ययोजना

385. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार बालोतरा को नया जिला घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजस्व मंत्री (श्री रामलाल जाट): प्रदेश में नवीन जिलों के संबंध में भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जाता है।

बजट सत्र 2022-23 के दौरान दिनांक 03.03.2022 को सामान्य वाद-विवाद पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नये जिले बनाने के संबंध में प्राप्त हो रहे ज्ञापन/मांग पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नये जिलों के लिए 6 माह में अभिशंसा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया है।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा और कोई प्रश्न नहीं है। मैंने प्रण लिया है, त्याग किया है। हमें निराश करेंगे या जिला खोलेंगे? यही प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: प्रण लिया है, त्याग कहां किया है अभी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष जी, मुझे आपके माध्यम से माननीय सदस्य और अन्य सदस्यों को बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने कमेटी भी गठित कर दी है। श्री रामलुभाया जी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग या उनके प्रतिनिधि सदस्य हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वह प्रश्न नहीं है। उनका प्रण मानोगे या नहीं मानोगे?

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): हमें निराश करेंगे या हमारी भावना की कद्र करते हुए करेंगे।

श्री अध्यक्ष: रिपोर्ट आने के बाद करेंगे।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): यह कमेटी 6 महीने के अन्दर पूरी रिकमंडेशन देगी। इनके हिसाब से और भी जिले बन सकते हैं। अच्छा काम किया है, इनकी मांग पर मुख्य मंत्री जी ने पूरे सदन की भावना को रखते हुए कमेटी का गठन कर दिया। अब यह जूते पहन लें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो चप्पल ही पहन लें। कमेटी तो गठित कर ही दी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। सदन के सभी सदस्यों की भावना है कि जूते नहीं पहनने का प्रण आपने लिया है। कमेटी की रिपोर्ट आ जाये तब तक जूते पहन लें। रिपोर्ट आने के बाद आप फिर फैसला करना।

अगला प्रश्न। श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी।

अलवर के पर्यटन स्थल

386. श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में कितने पर्यटन स्थल हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मुण्डावर में अलिबक्श पैनोरमा की तर्ज पर प्राचीन बावड़ी व अन्य विरासतों को विकसित कर उनका सौन्दर्यीकरण करके पर्यटन

(श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी)

स्थल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): (1) अलवर जिले के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में मुण्डावर में अलिबक्श पैनोरमा की तर्ज पर प्राचीन बावड़ी व अन्य विरासतों को विकसित कर उनका सौन्दर्यीकरण करके पर्यटन स्थल बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि अलिबक्श पैनोरमा को कब और कितने बजट से विकसित किया गया तथा इसका रख-रखाव किसके द्वारा किया जाता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिलेवेंट प्रश्न पूछें। प्लीज।

श्री मंजीत धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय मंत्री जी ने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य स्वीकृत किये जाते हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि यह प्राथमिकता के आधार का पैमाना क्या है?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): देखिये, किसी दिन आप मेरे पास आ जायें, आप मेरे भतीजे की तरह हैं, और हैं भी, और आपकी जो भी समस्याएं हैं, आप जो चाहते हैं उनको अपन विस्तृत रूप से चर्चा करके उनकी सैंक्शन कर देंगे, लेकिन बजट तो जितना है उतना ही है न, अगर उसको अपन असत्य बोल दें तो कोई मकसद नहीं निकल रहा उससे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री कालूराम।

डग में रबी की फसल खराबे का मुआवजा

387. श्री कालूराम (डग): क्या आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डग में वर्ष 2020-21 में अल्प बारिश होने के कारण रबी की खराब हुई फसलों की गिरदावरी की गयी है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत फसलों को नुकसान हुआ तथा सरकार द्वारा कितने प्रतिशत क्रॉप कटिंग में नुकसान दर्शाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कालूराम)

(2) क्या यह सही है कि राज्य एवं केन्द्र सरकार की टीमों के द्वारा फसल खराबी का निरीक्षण किया गया था? यदि हां, तो अब तक मुआवजा नहीं देने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (श्री गोविंद राम): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डग की तहसील डग के 7 पटवार मण्डल में, तहसील गंगधार के 13 पटवार मण्डल में व तहसील पचपहाड़ के 14 पटवार मण्डल में रबी फसल वर्ष 2020-21 की गिरदावरी का कार्य किया गया। विधान सभा क्षेत्र डग में रबी फसल 2020-21 में अल्प बारिश से फसल खराबा नहीं हुआ है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के औसत की तुलना पूर्व निर्धारित गारंटी उपज से की जाकर फसल को हुई क्षति के अनुपात में बीमा क्लेम का वितरण किया जाता है। योजनान्तर्गत रबी फसल 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र डग के अन्तर्गत फसल कटाई प्रयोगों तथा गारंटी उपज की तुलना के आधार पर पटवार सर्किलवार तथा फसलवार क्षति प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जिले में विधान सभा क्षेत्र डग में रबी फसल वर्ष 2020-21 में फसल खराबा नहीं होने के कारण इस विभाग द्वारा एवं भारत सरकार के अन्तर मंत्रालय केन्द्रीय दल द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया।

राज्य आपदा मोचन निधि के नोर्म्स के अनुसार 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा होने पर ही किसानों को कृषि आदान-अनुदान दिया जाता है। रबी फसल 2020-21 में विधान सभा क्षेत्र डग में फसल खराबा नहीं होने के कारण कृषि आदान-अनुदान देय नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि डग तहसील में 20 पटवार मण्डल हैं, पचपहाड़ में 40 पटवार मण्डल हैं और गंगधार में 29 पटवार मण्डल हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में कुल 89 पटवार मण्डल हैं जबकि आपके द्वारा गिरदावरी 34 पटवार मण्डलों में की गयी, जबकि बाकी पटवार मण्डलों में गिरदावरी नहीं की गयी। मेरा विधान सभा क्षेत्र अभावग्रस्त था, सूखाग्रस्त एरिया था, 34 में ही गिरदावरी की गयी, बाकी में क्यों नहीं की गयी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में आप बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री कालूराम (डग): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही प्रश्न।

श्री अध्यक्ष: आपके प्रश्न के सम्बन्ध में 2020-21 में गिरदावरी के बारे में कह दिया कि नहीं है। फिर बाकी क्या बचा है? (व्यवधान) नहीं, कोई नहीं। प्लीज। न, न, इर्रेलेवेंट नहीं।

अगला प्रश्न। श्रीमती संतोष।

...(व्यवधान) न, प्लीज। आप माननीय सदस्य, बैठे प्लीज। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा। आप बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) सुना नहीं क्या आपने? रिकार्ड नहीं होगा। Please, I said, रिकार्ड नहीं होगा। Please. It's enough. आप गलत परम्परा डाल रहे हैं। उत्तर को पढ़ लें ढंग से।

माननीय सदस्य।

श्रीगंगानगर में कृषक साथी सहायता योजना के लाभार्थी

388. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रदेश के कृषकों, खेतिहर मजदूरों के लिए संचालित है? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर में जनवरी, 2019 से दिसम्बर, 2021 तक कितने कृषकों, खेतिहर मजदूरों को लाभान्वित किया गया? लाभान्वितों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में कुछ कृषकों, खेतिहर मजदूरों के द्वारा उक्त योजना के लिए आवेदन किया गया था, लेकिन उक्त योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो किन-किन आवेदकों को उक्त योजना के लाभ से वंचित रखा गया है? ग्राम पंचायतवार, तहसीलवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना से वंचित आवेदकों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री मुरारी लाल): (1) जी हां। जिला श्रीगंगानगर की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2021 तक राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत लाभान्वितों की संख्या का मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कृषि विपणन)

(2) जी नहीं। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में योजना का लाभ नहीं मिलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(3) राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजनान्तर्गत आवेदकों को योजना के लाभ से वंचित नहीं रखा गया है। प्राप्त आवेदनों में से योजनान्तर्गत पात्र आवेदकों को सहायता राशि का भुगतान किया जाता है किन्तु प्रकरण योजना के प्रावधानानुसार नहीं होने की स्थिति में आवेदन को मण्डी स्तरीय सहायता समिति द्वारा निरस्त किया जाता है।

वर्तमान में योजनान्तर्गत श्रीगंगानगर जिले में 32 प्रकरण विचाराधीन/लम्बित हैं। उक्त विचाराधीन/लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए की जा रही कार्रवाई का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि इस योजना के अनुसार मृतक के परिजन आवेदक को तब तक लाभ नहीं मिलता है जब तक एफएसएल और विसरा की रिपोर्ट नहीं मिल जाती है, क्या ऐसे मामलों में पीड़ित पक्ष को त्वरित लाभ मिले, इसकी कोई व्यवस्था करेंगे? ज्यादातर मामले इन्होंने एफआर रिपोर्ट के अभाव में लम्बित बताये हैं, तो पीड़ित पक्ष को एफआर रिपोर्ट तुरन्त उपलब्ध हो, इस ओर भी क्या सरकार प्रयास करेगी?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि इस योजना के अन्तर्गत किसान को खेत पर हुई दुर्घटना पर ही लाभान्वित किया जाता है, किसान को अपनी उपज, खाद, बीज या फसल बेचने के लिए मण्डी जाते समय दुर्घटना होने पर इस योजना से लाभान्वित करने की क्या कोई योजना प्रस्तावित है?

श्री मुरारी लाल (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय अध्यक्ष महोदय, एफएसएल रिपोर्ट वहीं पर मांगी जाती है जहां पर मेडिकल रिपोर्ट में डैथ का कारण स्पष्ट नहीं होता है। अधिकतर प्रकरणों में जहां डैथ का कारण स्पष्ट हो जाता है वहां पर एफएसएल रिपोर्ट नहीं मांगी जाती है। मैंने पूर्व में भी एक रोज बताया था कि एफएसएल रिपोर्ट के लिए हम भी कोशिश करेंगे कि शीघ्र प्राप्त हो।

दूसरा, इन्होंने पूछा कि रास्ते में आते जाते हैं उनके लिए क्या प्रावधान करेंगे, तो हमारी गाइड लाइन बनी हुई है कि किन-किन प्रकरणों में

(श्री मुरारी लाल)

और खेत में काम करते हुए दुर्घटना हो जाती है तो कौन-कौनसी योजनाओं में किसान को लाभ मिलता है, उनमें मिलेगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

आज ट्रैफिक जाम होने के कारण जिनके प्रश्न नहीं हो पाये उनको मैं पुकार रहा हूं।

श्री नारायण बेनीवाल। श्री रफीक खान। (व्यवधान) रफीक खानजी, आप एक बार बैठ जाएं। माननीय सदस्य, आप प्रश्न संख्या बोलें।

राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण

369. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राजस्थान पुलिस का आधुनिकीकरण करने, संसाधन बढ़ाने, नवीन हथियार तथा नवीन वाहन उपलब्ध करवाने को लेकर विगत तीन वर्षों में कितना बजट व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार प्रदेश के पुलिस थानों में नवीन व आधुनिक गाड़ियां देने तथा थानों में एक से अधिक वाहन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): (1) विगत तीन वर्षों में राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण पर कुल 126.22 करोड़ रुपये, संसाधनों पर 71.60 करोड़ रुपये, नवीन हथियार खरीद पर 6.55 करोड़ रुपये व नवीन वाहन खरीद पर 85.43 करोड़ रुपये का बजट व्यय किया गया है। वर्षवार बजट व्यय का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। पुलिस थानों में नवीन व आधुनिक गाड़ियां उपलब्ध करवाया जाना सतत रूप से प्रक्रियाधीन है। थानों में एक से अधिक वाहन दिये जाने के सम्बन्ध में क्षेत्र की कानून-व्यवस्था की स्थिति और वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री महोदय की तरफ से आया है, राजस्थान पुलिस के आधुनिकीकरण पर 2019-20 में 75.21 करोड़, 2020-21 में 44.99 करोड़

(श्री नारायण बेनीवाल)

और 2021-22 में 6.02 करोड़ और इसी तरह से संसाधनों में 2019-20 में 37.75 करोड़, 2020-21 में 25.10 करोड़, 2021-22 में सिर्फ 8.75 करोड़।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछो।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाह रहा हूं कि आधुनिकीकरण पर इतना कम व्यय कर रहे हैं और संसाधनों पर भी बहुत कम व्यय कर रहे हैं, इसके लिए प्रपोजल नहीं आये या सरकार ने सोच लिया कि पुलिस का पूरा आधुनिकीकरण हो गया है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, काफी विचार-विमर्श करके ये चीजें तय की जाती हैं कि कितना तो आधुनिकीकरण पर खर्च करना है और कितना संसाधनों पर खर्च करना है, कितने के नवीन हथियार लेने हैं और कितने के नवीन वाहन खरीदने हैं। उसी के अनुसार 2019, 2020, 2021 और 2022 का मैंने आपको चार्ट दिया है। अब इसमें यह पूछा गया कि इसमें कम किया गया और इसमें ज्यादा क्यों नहीं किया गया? उसके या तो कारण बता दें आपको कि क्यों किया गया। जहां तक सवाल इस बात का है, आपका मुख्य प्रश्न यह है कि सरकार पुलिस थानों में नवीन वाहन व आधुनिक गाड़ियां देने और थानों में एक से अधिक वाहन देने का विचार रखती है? तो जहां तक आपका प्रश्न है, आपने तो पूरे राजस्थान का प्रश्न पूछ लिया, तो राजस्थान की तैयारी पूरी नहीं, लेकिन नागौर जिले की मैं बता सकता हूं आपको कि नागौर जिले में मोटे तौर पर तो यह होता है कि जब भी कोई नवीन थाना खुलता है तो उसको एक चार पहिये की गाड़ी और दो मोटरसाइकिलें प्रोवाइड करवा दी जाती हैं। जहां तक सवाल इस बात का है कि आपके नागौर जिले में, तो नागौर जिले में जो नाकारा वाहन हुए, वो हुए 25 चौपहिया, उनके बजाय वहां पर 34 चार पहिया, चार पहिया ही कहेंगे न फोर व्हीलर को, फोर व्हीलर वहां पर प्रोवाइड करवाये गये हैं। 25 के बजाय 34 करवाये गये हैं। इसी तरीके से 54 मोटरसाइकिलों के बजाय 77 मोटरसाइकिलें वहां पर उपलब्ध करवायी गयी हैं। ऐसी कोई डिमांड वहां पर नहीं है जिसकी वजह से थाने को इस प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की वजह से वहां से इस प्रकार की कोई मांग आयी हो और वो पूरी नहीं की गयी हो।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह तो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने बताया कि आपने आधुनिकीकरण पर 2019-20 में कितना व्यय किया। 2020-21 में आपका अलाटमेंट कितना था हर साल का और उसके अगेंस्ट में आपने जो व्यय किया, वह फिर फिगर उसके सामने आयेगा तो लग जायेगा। पैसा आपके पास था पर आपने खर्च नहीं किया, तो वह बताएं कि उस साल का आधुनिकीकरण में बजट कितना रखा हुआ था?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैंने बता दिया आपको जो रखा था। दे चुका हूं मैं तो इसका जवाब। वह शायद आपको नहीं मिला होगा। आधुनिकीकरण के लिए 2019-20 में 75 करोड़ 21 लाख...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो मिल गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां तो दे रखा है तो यही सवाल है आपका।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो व्यय किया है, मैं कह रहा हूं कि आपका बजट अलाटमेंट कितना था और उसके अगेंस्ट में व्यय होगा। व्यय हुआ, वह तो दिया है यह फिगर...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वह फिगर मेरे पास नहीं है, साहब। न ही यह पूछा गया।

श्री अध्यक्ष: ठीक है माननीय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं केवल इतना ही जानना चाहता हूं, यह जो हर वर्ष आधुनिकीकरण में...

श्री अध्यक्ष: यह प्रश्न इसके स्कोप में नहीं है, कटारिया जी, आप भी मानेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्यों नहीं होगा स्कोप में, जब आप खर्च कर रहे हैं और...

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप सीनियर आदमी हैं, यह प्रश्न जो पूछा है, यह स्कोप में नहीं है। माननीय सदस्य, कुछ पूछना है आपको?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सवाल ही यह पूछा गया है कि कितना व्यय किया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना

(श्री नारायण बेनीवाल)

पूछना चाह रहा हूं कि जो नवीन वाहन आपने थानों में दिये, उनमें जीपीएस सिस्टम नहीं लगने से कई जगह पुलिस अपराधी को कहीं से घर से बहला-फुसलाकर लाती है और यह कहती है कि वहां मुठभेड़ कर रहा था, तो क्या सरकार की सरकारी वाहनों में जीपीएस लगाने की कोई मंशा है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि लगा दिये हैं तो उनकी मॉनिटरिंग कौन करता है? यह मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मॉनिटरिंग तो पुलिस वाले ही करेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा क्या, जहां-जहां भी सम्भव हो सकता है, वहां-वहां पर लगाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रफीक खान।

उर्दू माध्यम के बंद किये गये विद्यालय

370. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में उर्दू माध्यम के प्राथमिक स्तर के कितने विद्यालय बंद किये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालय किस आदेश के तहत बन्द किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

शिक्षा मंत्री (श्री बुलाकी दास कल्ला): (1) प्रदेश में विगत पांच वर्षों में उर्दू माध्यम के प्राथमिक स्तर के किसी भी विद्यालय को बंद नहीं किया गया है।

(2) प्रश्नोत्तर बिन्दु संख्या 1 के अनुसार।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): जिन प्राइमरी स्कूल्स में उर्दू सब्जेक्ट था, वहां उर्दू माध्यम खतम हो गया है। क्या सरकार 2019 से पहले की स्थिति उर्दू माध्यम अतिरिक्त विषय और उर्दू माध्यम को बहाल करने की मंशा रखती है?

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, 2015 में 20 विद्यालय थे जहां उर्दू के माध्यम से 8 उच्च प्राथमिक विद्यालयों और 12 प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू माध्यम से पढ़ाई करायी जाती थी। उनमें आज भी 3 उच्च प्राथमिक और 3 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित हैं- राजकीय

(श्री बुलाकी दास कल्ला)
प्राथमिक विद्यालय कमनीगरान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नीलगरान, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मौलाना साहब, ये तो जयपुर में हैं।

अजमेर में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तारागढ़, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय अन्दरकोट, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़बाव उर्दू, अब कुछ स्कूल्स मर्ज हुईं क्रमोन्नत हुईं। 2014 में 2, 2015 में 2, 2016 में 4, 2008 में 1, 2002 में 1 और 2009 में 1 तथा कुछ विद्यालय क्रमोन्नत भी हुए, इसके कारण से हुआ।

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जहां-जहां प्राथमिक शालाओं में 20 विद्यार्थी उर्दू में पढ़ना चाहेंगे, वहां पर मैं प्राथमिक विद्यालय में उर्दू माध्यम शुरू कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गोपीचंद मीणा।

डूंगरपुर में संचालित आई.टी.आई. केन्द्र

389. श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार जिला डूंगरपुर में विगत पांच वर्षों से निर्मित विभिन्न सात आईटीआई भवनों को छात्रों के हित में प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कितने आईटीआई केन्द्र खोले गये एवं कितने छात्र वहां अध्ययन व ट्रेनिंग कर रहे हैं? प्रत्येक आईटीआई का पृथक्-पृथक् संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता (श्री अशोक): (1) जी हां। राज्य सरकार जिला डूंगरपुर में नवसृजित 7 संस्थानों का संचालन स्वयं के भवन में किये जाने की मंशा रखती है।

i. राजकीय औप्रस चिखली स्वयं के भवन में संचालित है।

ii. राजकीय औप्रस बिच्छीवाडा, गलियाकोट, झोथरी, सीमलवाडा, दोवडा एवं आसपुर को प्रवेश सत्र जुलाई-अगस्त 2022-23 में स्वयं के भवन में संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2013-14 संशोधित 2014-15 के अन्तर्गत 07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों क्रमशः

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)
गलियाकोट, सीमलवाडा, आसपुर एवं चिखली की प्रशासनिक स्वीकृति 1(3)(2) त.2013-1 जयपुर दिनांक 17.12.2014 को जारी की गयी थी। परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2014-15 संशोधित 2017-18 के अन्तर्गत डूंगरपुर जिले में राजकीय औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थान सबला की प्रशासनिक स्वीकृति 1(3)त.शि./2013 जारी की गयी थी। परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

जिला डूंगरपुर में विगत 5 वर्षों में सरकार द्‌वारा खोले गये राजकीय औद्‌योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययन व ट्रेनिंग कर रहे छात्रों का आईटीआई वार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, पढ़ा हुआ माना गया। माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत सरकार से पूछना चाह रहा हूं, मेरे डूंगरपुर जिले में टोटल 8 आईटीआई भवनों की स्वीकृतियां 2014-15, 2016-17, एक भवन की 10 करोड़ की लागत से भवनों की स्वीकृतियां जारी की थीं, उसमें से आज तक कितने भवन पूर्ण हो चुके हैं और कितने अपूर्ण हैं? जो अपूर्ण हैं, वे कब तक पूरे कर दिये जायेंगे?

साथ में एक और पूछना चाह रहा था, जो भवन पूर्ण हो चुके हैं, उनमें सरकार इन छात्रों को आईटीआई का प्रशिक्षण देने के लिए कब तक चालू करा देगी?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुल 8 आईटीआई अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। बिच्छीवाड़ा में 9 करोड़ 97 लाख में से 3 करोड़ 77 लाख रुपये लग चुके हैं। चिखली में 9 करोड़ 97 लाख में से 8 करोड़ 72 लाख लाख रुपये लग चुके हैं। गलियाकोट में 9 करोड़ 97 लाख में से 7 करोड़ 46 लाख रुपये लग चुके हैं। झोथरी में 9 करोड़ 97 लाख में से 8 करोड़ 14 लाख रुपये लग चुके हैं। सीमलवाड़ा में 6 करोड़ 72 लाख रुपये लग चुके हैं। देवड़ा में 4 करोड़ 13 लाख रुपये लग चुके हैं। आसपुर में 8 करोड़ 39 लाख रुपये लग चुके हैं। सबला में 4 करोड़ 5 लाख रुपये लग चुके हैं। इन आठों में से सबला को छोड़कर सात आईटीआई इस जुलाई सेशन से हम

(श्री अशोक)

सम्बन्धित आईटीआई की बिल्डिंग के अन्दर शुरू कर देंगे। केवल सबला जो है, उसके लिए एक सेशन और लगेगा, 2023 की जुलाई में स्टार्ट हो पायेगा।

श्री गोपीचंद मीणा (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, 2014-15 से यह कार्यक्रम चल रहा है और वसुन्धरा जी राजे की पूर्ववर्ती सरकार की यह मंशा थी कि उसमें इन छात्रों को जितना जल्दी हो सके, हम सहयोग देना चाहते हैं। अभी वर्तमान में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें।

अगला प्रश्न। श्री अमर सिंह।

रुदावल (बयाना) में कन्या महाविद्यालय की स्थापना

390. श्री अमर सिंह (बयाना): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार विधान सभा क्षेत्र बयाना के रुदावल कस्बे में शहरी एवं ग्रामीण आबादी की अधिकता को देखते हुए कन्या महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह यादव): वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र बयाना के रुदावल कस्बे में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना के रुदावल में निजी क्षेत्र में एक कन्या महाविद्यालय व सहशिक्षा के दो महाविद्यालय संचालित हैं।

विधान सभा क्षेत्र बयाना के राजकीय क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय बयाना, देवनारायण राजकीय कन्या महाविद्यालय, बयाना व राजकीय महाविद्यालय रूपवास संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र बयाना में निजी क्षेत्र में 14 महाविद्यालय संचालित हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री अर्जुन लाल जीनगर।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या मैं डायरेक्टली प्रश्न पूछ लूं?

श्री अध्यक्ष: आप आराम से बैठें। टाइम है अभी।

कपासन में श्रमिक सहायता के लम्बित आवेदन

391. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़) (श्री अर्जुनलाल जीनगर (कपासन) के स्थान पर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में श्रमिक कार्ड योजना में श्रमिकों व उनके परिजनों को लाभ दिया जाता है? यदि हां तो किस-किस कार्य के लिए कितनी-कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कपासन में श्रमिक कार्ड योजना में कितने श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं व कितने श्रमिकों को अनुदान सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा कितने आवेदन लम्बित हैं? वर्षवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रमिकों के सहायता अनुदान के लम्बित आवेदनों को शीघ्र सहायता स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक व नहीं तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री सुखराम विश्नोई): (1) जी हां। भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं उसके अन्तर्गत राजस्थान नियम, 2009 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिक एवं भवन अन्य संनिर्माण कार्य के रूप में परिभाषित किये गये पंजीकृत श्रमिकों को पात्रतानुसार मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ दिया जाता है। मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विगत तीन वर्षों में विधान सभा क्षेत्र कपासन में 9,315 श्रमिक कार्ड बनाये गये हैं। विगत तीन वर्षों की अवधि में 7,099 श्रमिकों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है तथा वर्तमान में योजनाओं के कुल 8,835 आवेदन लम्बित हैं। लाभान्वितों का वर्षवार तथा लम्बित आवेदनों का योजनावार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में लम्बित योजना आवेदनों के प्रभावी निस्तारण हेतु दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में योजनाओं के कुल 8,835 आवेदन लम्बित हैं, लम्बित प्रकरणों का कब तक निस्तारण करेंगे? एक शुभ शक्ति योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितने आवेदन बाकी हैं और उनका कब डिस्पोजल करेंगे? एक निर्माण श्रमिक अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता हेतु प्रोत्साहन राशि, जिनके भी आवेदन बाकी हैं, वे कब तक कर देंगे?

श्री अध्यक्ष: कपासन का पूछ रहे हैं कि चित्तौड़ का?

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): साहब, कपासन का।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी बजट घोषणा में जिला कलेक्टर्स को जांच कराने के, सत्यापन कराने के लिए निर्देश दिये हैं। आने वाले तीन महीनों में शुभ शक्ति के जितने भी आवेदन लम्बित हैं, सबका निस्तारण कर दिया जायेगा।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये काफी समय से लम्बित हैं, काफी लोग दु:ख पा रहे हैं, उसके लिए कब डिस्पोजल कर देंगे? आप पाबन्द करें मंत्री जी को जल्दी करने हेतु। पूरे राजस्थान में दिक्कत है।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): बजट घोषणा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिला कलेक्टर्स के मार्फत जो भी श्रमिक हैं, उनकी पात्रता की जांच की जा रही है, दो महीने में जैसे ही जांच पूरी होगी, उनकी तमाम योजनाओं को राशि दे दी जायेगी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, दो-दो साल से बाकी हैं श्रमिक विभाग में।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): दो-दो साल नहीं, आपकी सरकार के समय से बाकी हैं।

श्री अध्यक्ष: एक खड़ा हो, एक बैठें, दोनों ही खड़े हैं। पहले इन्हें बोलने दीजिये, फिर आप खड़े हो जाएं।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): मंत्री महोदय, दो साल से उन प्रकरणों का डिस्पोजल नहीं हो पाया और आप कह रहे हैं कि तीन महीने में कर देंगे। कैसे कर देंगे? पिछले दो साल से प्रकरण लम्बित हैं। पूरे राजस्थान में बाकी हैं, पर कपासन में सबसे ज्यादा बाकी हैं, चित्तौड़ में सबसे ज्यादा बाकी हैं।

श्री सुखराम विश्नोई (राज्य मंत्री, श्रम): शुभ शक्ति योजना में 2018 में 1.92 लाख आवेदन विरासत में मिले थे हमें, जिनका दायित्व 10 हजार 56 करोड़ था, जबकि उस समय 634 करोड़ रुपये पेंडिग थे। अन्य योजनाओं को भी शामिल करते हुए 2018 तक 2,385 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी था। जब जांच करवा रहे हैं, जैसे ही जांच होगी, भुगतान कर दिया जायेगा।

(समय: 12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न काल समाप्त हुआ। बैठें।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्री गोविन्द प्रसाद, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से डूंगरपुर जिले में कई राजकीय विद्यालयों के समीप धूम्रपान व नशीली वस्तुओं की बिक्री से छात्र-छात्राओं पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में तखतगढ़ में रानी कस्बों को जोड़ने वाली सड़कों की चौड़ाई बढ़ाते हुए नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश की ग्राम पंचायतों की 13 सूत्री मांगों को लेकर सरपंचों द्वारा आन्दोलन किये जाने के सम्बन्ध में।

(5) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रेवदर के आबूरोड में गत सप्ताह के दौरान नाबालिग बालिकाओं के साथ हुई दुष्कर्म की घटना से आमजन में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से सरसों की एमएसपी पर खरीद में दो दिन शेष होने पर भी किसानों का पंजीयन नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण की पंचायत समिति जैतारण व रायपुर में बन्द पड़े आरओ प्लांट की O&M स्वीकृति जारी करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(8) श्री समाराम गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा-आबू स्थित देवालयों में वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा श्रद्धालुओं को रोके जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री गिरधारीलाल, सदस्य की ओर से श्रीडूंगरगढ़ में 132 केवी जीएसएस से विद्युत लाइन के इन्सुलेटर व पिनें खराब होने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश की 11 हजार ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों द्वारा अपनी मांगों को लेकर विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(11) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स/लैम्पस में कार्यरत कार्मिकों को लम्बे समय से वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर सहित सम्पूर्ण राज्य में बढ़ रही मादक पदार्थों की तस्करी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में बढ़ते राजस्व मामलों का समय पर निस्तारण करने हेतु एडीएम कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(14) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे में स्थित पूज्य देवनारायण भगवान के मन्दिर में पूजा अर्चना नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर), सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे में भगवान देवनारायण जी मन्दिर को समुदाय विशेष के लोगों द्वारा जबरन बन्द किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

दोनों माननीय सदस्य एक-दूसरे के बाद अपनी बात को रख पायेंगे।

(16) श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के उम्मेद बांध और उसके कैचमेंट एरिया की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्रवाई

(श्री अध्यक्ष)

को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री मदन दिलावर, श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर) एवं श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अमीन खां, सदस्य की ओर से बाड़मेर जिले की तहसील गडरारोड के ग्राम सुंधरा के पास डेजर्ट नेशनल पार्क द्वारा भारतमाला सड़क का काम रुकवा दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती प्रीति गजेन्द्रसिंह शक्तावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर जिला उदयपुर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरे जाने तथा राउप्रावि, रामज, पंचायत समिति कुराबड़, जिला उदयपुर को क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा किसानों को आबंटित कृषि भूमि का नामान्तरण निर्धन किसानों के नाम नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से कोटा शहर में चोरी की बढ़ती घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से प्रदेश में तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं पंचायती राज के कनिष्ठ लिपिकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण करने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती मनीषा पंवार, सदस्य की ओर से पारम्परिक एवं देशी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा दिये जाने एवं यूनानी चिकित्सकों के नये पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

(7) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से अजमेर जिले की पंचायत समिति, जवाजा में विकास अधिकारी सहित विभिन्न संवर्गों के रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से सरकार द्वारा प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन एवं असुविधाग्रस्त बच्चों का निजी विद्यालयों को पुनर्भरण नहीं किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री सुरेश टाक, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे के बीच से गुजर रहे बरसाती नाले के खुला होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री राजकुमार गौड़, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर में मिनी सचिवालय का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों के स्थान पर प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री बिहारीलाल, सदस्य की ओर से लोक जुम्बिश कार्मिकों को राज्य कर्मियों की भांति सुविधाएं दिये जाने तथा निगम/बोर्ड/उपक्रम/स्वायत्तशाषी संस्थाओं के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन दिलावर।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

माण्डल के देवनारायण भगवान के मन्दिर में पूजा-अर्चना

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय अध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा जिले के माण्डल कस्बे में 45 वर्षों से भगवान देवनारायण जी के मन्दिर के ताला लगाया हुआ है और उसकी पूजा-अर्चना नहीं हो रही है। 45 साल पहले ताला इसलिए लगाया गया बताया कि पास में एक मस्जिद है जिसमें नमाज पढ़ने वालों को यह आपत्ति हुई कि यहां मन्दिर में भजन-कीर्तन नहीं होने चाहिए, यहां हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए, रामायण जी का पाठ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको परेशानी होती है। इसीलिए जिला कलेक्टर ने या जो भी सक्षम अधिकारी होगा, उसने उस समय उसको ताला लगा दिया, रिसीवरी में ले लिया। दुर्भाग्य देखिये हिन्दुओं का और भगवान का भी कि 45 सालों से उन भगवान की पूजा अर्चना नहीं हो रही है, न ही उनको कोई भोग लगाया जा रहा है। इतना अनादर, मैं समझता हूं, भगवान का कहीं भी नहीं हुआ होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री मदन दिलावर)

लगातार वहां का हिन्दू समाज आन्दोलित है, अपनी बात कहता रहा, लेकिन 45 साल तक भी एसडीएम रिसीवरी से नहीं हटा पाया, यानी रिसीवरी को समाप्त नहीं कर पाये। गुस्सा तो होता है, समाज में नाराजगी तो होती है और नाराजगी हुई तो बस्सी के गोपाल जी गुर्जर को इससे काफी वेदना हुई और उन्होंने कुछ दिन पहले ही यह घोषणा की कि मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार भगवान के मन्दिर का ताला खोल दे, पूजा अर्चना होने दे लेकिन इस सरकार ने, जो हिन्दुओं की विरोधी है, जो भगवान की विरोधी है, उसने उनकी बात को नहीं सुना और वे स्वयं आये और वहां आकर गोपाल जी गुर्जर ने....

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। सरकार हिन्दू विरोधी है, यह तो अंकित नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: मेरा अधिकार है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): स्वयं ने मन्दिर का ताला खोला, साफ-सफाई की, पूजा अर्चना की, वहां झण्डा लगाया और उसके बाद वे चले गये। तब से पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है और फिर 3-4 दिन बाद उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अभी भी वे जेल में हैं। ये नमाज पढ़ने वाले लोग ही बाद में अपना कब्जा जमाने के लिए मन्दिर को अपना बताने लग गये....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कोर्ट में गये, कोर्ट ने इनकी अर्जी को खारिज कर दिया कि तुम्हारा इससे कोई लेना-देना नहीं। फिर भी वह रिसीवरी क्यों नहीं हटायी गयी? इससे साफ जाहिर होता है कि यह सरकार हिन्दुओं के साथ अन्याय करना चाहती है, ज्यादती करना चाहती है और इसी कारण से आज भी भगवान राम के मन्दिर की पूजा-अर्चना नहीं हो रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। I will not allow it. माननीय सदस्य, हो गया बस।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): मैं निवेदन कर रहा हूं कि राजस्थान का हिन्दू समाज आन्दोलित है। समय रहते हुए....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। प्लीज। आपकी भावना सुन ली। Don't go beyond this. This platform cannot be used. Please. मिस्टर गोपी चन्द मीणा। आपकी भावना समझ में आ गयी, आपने बात कह दी। 45

(श्री अध्यक्ष)

साल बाद को क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। प्लीज, माननीय सदस्य, बैठें। रिकार्ड नहीं होगा। (व्यवधान) माननीय सदस्य, नीचे बैठें। माननीय मंत्री जी, क्या कर रहे हैं आप? यह मेरा काम है, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय अमीन कागजी, आप अपनी जगह पर जाइये। माननीय सदस्य, अपनी जगह पर जाइये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, गलत परम्परा नहीं डालेंगे। श्री गोपी चन्द जी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज। रिकार्ड नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। I will deprive you. 45 साल हो गये यह मामला। किसी बात का इश्यू उठा रहे हैं और कम्युनल करना। माननीय गोपी चन्द मीणा।

माण्डल के भगवान देवनारायण जी मन्दिर को जबरन बन्द किया जाना

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप हमारे जिले के पूर्व में सांसद रहे हुए हैं, मेवाड़ के आप भी हिस्से हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे मेवाड़ सम्भाग में भगवान देवनारायण की आस्था का सवाई भोज का मन्दिर और जगह-जगह मन्दिर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे जिले में ही नहीं, पूरे सम्भाग में, मेवाड़ा में जन आक्रोश है।

मैं भगवान देवनारायण मन्दिर के पट खोलने हेतु प्रशासन से, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, क्योंकि वह धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ स्थान है और गोपाल गुर्जर को रिहा किया जाये। इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे जिले में आंदोलन किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद, प्लीज। आपकी भावना आ गयी है। माननीय सदस्य, बैठ जाइये, हो गयी बात। This platform cannot be used for communal things. श्रीमती सूर्यकांता जी।

सूरसागर के उम्मेद बांध और उसके कैचमेंट एरिया की अतिक्रमण से मुक्ति

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्य सरकार का ध्यान..

श्री अध्यक्ष: आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलें।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): उम्मेद सागर की तरफ दिलाना चाहती हूं। रियासतकाल में जल संरक्षण के लिए भैरवाभाकर सहित चौपासनी-चौखा-आखलिया-प्रताप नगर-सिद्धनाथ पहाड़ी क्षेत्र के समस्त वार्डों से बहने वाले वर्षा जल के संरक्षण के लिए नहर बनाकर उक्त समस्त वर्षा जल को चौपासनी श्री श्याम मनोहर मन्दिर के पीछे उम्मेद सागर बांध का निर्माण कराया गया था, जिसमें कायलाना का ओवर फ्लो भी उसी नहर के माध्यम से उम्मेद सागर तक पहुंचता था, परन्तु विभागीय उदासीनता के कारण उम्मेद सागर बांध को पूर्णतया उपेक्षित कर दिया गया है। आज इसके कैचमेंट एरिया और बांध की भूमि पर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हो रहे हैं। नहर पूर्णतया क्षतिग्रस्त और मलबे, कचरे से अटी पड़ी है, जो कि बहुत ही खेदजनक है। एक तरफ एक-एक बून्द वर्षा जल को बचाने के लिए सरकारी नारे गूंज रहे हैं, दूसरी तरफ हम इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ पूर्णतया विकसित वर्षा जल संरक्षण की महत्वपूर्ण इकाई उम्मेद सागर बांध और नहर तथा कैचमेंट एरिया प्रशासनिक उदासीनता के कारण और हितबद्धता के चलते अवैध कब्जों की भेंट चढ़ रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अत: मेरा आपसे निवेदन है कि रियासतकाल के अन्दर जल संरक्षण के लिए और जोधपुर की जनता को पानी से कभी वंचित नहीं रहना पड़े, उसको देखते हुए रियासतकाल में कुएं, बावड़ियां और तालाब बनाये गये, मगर मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार को इसके लिए भी एक ऐसा फण्ड रिलीज करना चाहिये, जिससे इसका संरक्षण हो सके और कैचमेंट क्षेत्र को पूर्णतया अतिक्रमण मुक्त करके इसे कायलाना, तख्तसागर के पूरक जल संग्रहण के रूप में विकसित किये जाया।

मेरा आपसे और अनुरोध है कि जोधपुर शहर एक ऐसा शहर है, वहां ज्यादातर कुएं और बावड़ियां हैं...

श्री अध्यक्ष: हो गया, माननीय सदस्या।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत ही कम बोलती हूं..

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव, आप 295 पर बोलना। 295 पर आप बोलें, स्थगन प्रस्ताव में आपकी बात आ गयी।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): नहीं-नहीं, आप नहीं बोलने देंगे तो कौन बोलने देगा?

श्री अध्यक्ष: आपको कोई नहीं रोक सकता, पर आपकी बात आ गयी है।

श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना-सा कहना चाहती हूं कि किसी की बराबरी नहीं करनी है। मैं चाहती हूं आप कुछ तो ऐसा एक्शन करवायें जिससे ये जल स्रोत बच सकें। इनके अन्दर मकान बनने शुरू हो गये हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि इन पर रोक लगायें या जो नहरें हैं, उनके ऊपर भी मकान, दुकानें बन रही हैं, इसके ऊपर रोक लगाने के लिए सरकारी स्तर पर आप इस पर विशेष ध्यान दिलाकर, इसकी पूर्णता करायें, ताकि इस पर रोक लग सके और लोगों को पानी सुरक्षा, आज, जोधपुर को तो श्राप था।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब हो गया, धन्यवाद।

श्री अमीन खां (अनुपस्थित)। श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

वल्लभनगर में शिक्षकों के रिक्त पद व कुराबड़ पंचायत समिति स्थित रामज रा.उ.प्रा.वि. का क्रमोन्नयन

श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत (वल्लभनगर): मेरे विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर, जिला उदयपुर के राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के अधिकांश पद रिक्त चल रहे हैं। ब्लाक भीण्डर एवं ब्लाक कुराबड में विभाग के 1,001 पद रिक्त हैं, जिसके कारण विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है तथा इनका भविष्य असमंजस में है। रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों को निजी विद्यालयों में जाना पड़ रहा है अथवा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है।

(समय: 12.14 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

राउप्रावि, रामज, पं.स. कुराबड, जिला उदयपुर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित है। राज्य सरकार द्वारा समस्त ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर स्थित विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है, परन्तु यह विद्यालय अभी तक क्रमोन्नत नहीं होने के कारण यहां 50 से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ चुके हैं।

(श्रीमती प्रीति गजेन्द्र सिंह शक्तावत)

अत: मेरा सरकार से प्रक्रिया के नियम 295 विशेष उल्लेख के जरिये आग्रह है कि विधान सभा क्षेत्र वल्लभनगर में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाये तथा राउप्रावि, रामज, पंचायत समिति कुराबड, जिला उदयपुर को क्रमोन्नत किया जाये।

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

किसानों को आबंटित कृषि भूमि का नामान्तरण

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति जी, आपने नियम 295 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, मैं निम्न अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। कई दशक पूर्व किसानों को राज्य सरकार ने कृषि भूमि आबंटित की थी, ये भूमियां अब नगर परिषद् एवं अन्य नगरीय निकायों की परिसीमा क्षेत्र में आ गयी हैं। परिसीमा क्षेत्र में जिला स्तरीय भूमि दरें बहुत अधिक हैं।

आबंटित कृषि भूमि अभी तक आबंटी किसानों के नाम पर भूमि लेखों में नहीं चढ़ी है। जिला स्तरीय दरों का 20 प्रतिशत जमा करवाना निर्धन किसानों की क्षमता में नहीं है। इस कारण दलाल किसानों का शोषण कर रहे हैं। राजसमन्द में यह गम्भीर समस्या है।

अतएव राज्य सरकार किसानों को आबंटित भूमि का नामान्तरण किसानों के नाम पर बिना कोई शुल्क लिये एक निश्चित समय सीमा में करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती कल्पना देवी।

कोटा शहर में चोरी की बढ़ती घटनाएं

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): माननीय सभापति जी, आपने मुझे नियम 295 के अन्तर्गत मेरे क्षेत्र की समस्या सदन में रखने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति जी, निवेदन है कि राजस्थान पुलिस का मुख्य ध्येय 'आमजन में विश्वास एवं अपराधियों में भय' है, जबकि कोटा शहर में इसके विपरीत हो रहा है। यहां चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चोर बेखौफ होकर चोरियों को अंजाम दे रहे हैं। उनके लिए आये दिन चोरी करना

(श्रीमती कल्पना देवी)

आम बात हो गयी है, जिसके चलते लोग अपना घर नहीं छोड़ रहे हैं और यदि वे किसी कारणवश बाहर निकलते भी हैं तो चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे देते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र के बोरखेड़ा थाने क्षेत्र में गत महीनों में चोरी के कई बड़े मामले मेरे संज्ञान में आये हैं, जिसमें चोरों ने नगद, कीमती सामान आदि चुराये हैं। इसमें से कई वारदातें तो सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद भी बोरखेड़ा पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है, जिसके कारण चोरों के हौसले और अधिक बढ़ गये हैं। उक्त बड़े मामलों के अतिरिक्त इस प्रकार की चोरी की घटनाएं लगभग प्रतिदिन हो रही हैं, लेकिन लोग छोटी चोरी व अपनी व्यस्तता के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते हैं। क्षेत्र के लोगों में मेहनत एवं गाड़ी कमाई से कमाया गया धन और सामान चोरी हो जाने का भय व्याप्त है।

मेरे द्वारा पुलिस अधीक्षक, शहर, कोटा को क्षेत्र में हो रही चोरी को रोकने एवं चोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने हेतु दिनांक 16.07.2021 एवं 10.09.2020 को पत्र भी लिखा गया, किन्तु अभी तक पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गयी है।

अत: आपसे निवेदन है कि कोटा शहर में नित हो रही चोरी की घटना को रोकने के साथ-साथ उन्हें पकड़ने हेतु ठोस योजना बनाने की भी कृपा करें, जिससे कोटा क्षेत्र में शान्ति कायम हो सके। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

तृतीय श्रेणी शिक्षकों एवं पंचायती राज के कनिष्ठ लिपिकों के अन्तर-जिला स्थानान्तरण

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे नियम 295 पर राजस्थान प्रदेश के तृतीय श्रेणी अध्यापकों और कनिष्ठ लिपिकों के स्थानान्तरण पर बोलने का अवसर दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, निवेदन है कि राजस्थान में लाखों कर्मचारी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर कार्यरत हैं। वर्तमान सरकार ने उक्त सभी तृतीय श्रेणी अध्यापकों के तबादलों के लिए माह अगस्त, 2021 में आवेदन लिए, जिनकी

(श्री अविनाश)

संख्या लगभग 85 हजार थी, लेकिन आज दिनांक तक उपरोक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्थानान्तरण नहीं हुए, जिस कारण उक्त अध्यापकों में राज्य सरकार के प्रति भारी आक्रोश है।

वर्तमान सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री गोविन्द सिंह डोटासरा जी ने माह अगस्त, 2021 को व्याख्याता, प्रिंसिपल, सैकंड ग्रेड शिक्षक और क्लर्क ग्रेड-द्वितीय के बाद में दिनांक 18.08.2021 को तृतीय श्रेणी शिक्षकों से ट्रांसफरों के लिए ऑनलाइन आवेदन भरवाये थे, लेकिन आवेदन करने के पश्चात् आज करीब 6-7 माह पश्चात् भी ट्रांसफर नहीं किये जा रहे हैं। विभिन्न शिक्षक संगठनों द्वारा ट्रांसफर की बात करने पर पालिसी बनाने की बात की जा रही है।

जहां एक तरफ राज्य सरकार ने व्याख्याता, प्रिंसिपल, सैकण्ड ग्रेड शिक्षक और क्लर्क ग्रेड-द्वितीय के बिना किसी पालिसी के तबादले करके शिक्षकों को राहत दी गयी, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ ऐसा भेदभाव वर्तमान राज्य सरकार कर रही है। तृतीय श्रेणी शिक्षक अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं। वे अपने घर, परिवार से दूर रहकर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से राज्य सरकार के सभी शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कार्य कर रहे हैं। ट्रांसफरों पर प्रतिबंध के बावजूद माह जनवरी व फरवरी, 2022 में व्याख्याताओं के तबादले किये गये थे।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा हाल ही में माह जुलाई, 2022 में रीट परीक्षा की घोषणा की है। उक्त रीट परीक्षा से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों के ट्रांसफर की बार-बार मांग की जा रही है। इसके साथ ही पंचायती राज के कनिष्ठ लिपिक के अन्तर जिला स्थानान्तरण भी नहीं हो रहे हैं, जबकि राज्य के अन्य 122 विभागों में अन्तर जिला स्थानान्तरण हो रहे हैं।

अत: माननीय मंत्री महोदय से विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों एवं पंचायती राज के कनिष्ठ लिपिकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण पर गंभीर विचार करते हुए उनका तबादला कर, उन्हें राहत प्रदान करे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती मनीषा पंवार।

पारम्परिक एवं देशी चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन एवं यूनानी चिकित्सकों के नये पदों का सृजन

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): आदरणीय सभापति महोदय, नियम

(श्रीमती मनीषा पंवार)

295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि राज्य सरकार के निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूर्ण करने में देशी चिकित्सा पद्धतियों का बहुत योगदान रहा है। विगत वर्षों में जब कोरोना जैसी वैश्विक महामारी राज्य में फैली हुई थी तो लोगों का रुझान इन पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों की तरफ अधिक हुआ। उस समय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन एनएच.एम. में कार्यरत यूनानी चिकित्सकों द्वारा कोविड हॉटस्पॉट पर फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सेवाएं दी गईं, चाहे वह जयपुर का रामगंज क्षेत्र हो या जोधपुर का नागौरी गेट क्षेत्र, इन स्थानों पर कोविड संक्रमण की चेन तोड़ने हेतु एन.एच.एम. यूनानी चिकित्सकों द्वारा फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में कार्य किया गया।

वर्तमान में राज्य सरकार का विशेष ध्यान पारम्परिक एवं देशीय चिकित्सा पद्धतियों पर है। इसी क्रम में, मैं आपका ध्यान यूनानी चिकित्सकों की नयी भर्ती और पदों के नव पद सृजन की ओर दिलाना चाहती हूं। वर्ष 2013 के पश्चात् यूनानी चिकित्सकों की नियमित भर्ती का कोई विज्ञापन विज्ञापित नहीं हुआ है।

वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने 358 यूनानी चिकित्सकों की भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी की, जो कि राज्य सरकार की देशीय चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था, परन्तु गत भाजपा सरकार ने इन विज्ञापित पदों में से 180 यूनानी चिकित्सकों के पदों को दुर्भावनावश कम कर दिया, इसी कारण से एन.एच.एम. में कार्यरत कई यूनानी चिकित्सक नियमित होने से रह गये।

अत: मेरा राज्य सरकार से निवेदन है कि यूनानी चिकित्सकों के जो पद पूर्व में कम किये गये एवं 580 यूनानी चिकित्सकों के नये पदों के सृजन का प्रस्ताव, जो कि यूनानी निदेशालय द्वारा आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा पद्धति विभाग को अग्रेषित किया गया है, को स्वीकृति प्रदान करें, ताकि राज्य सरकार की मंशानुरूप पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा एवं निरोगी राजस्थान के संकल्प को मजबूत करने में मदद मिल सके।

श्री सभापति: श्री शंकर सिंह रावत।

जवाजा पंचायत समिति में विकास अधिकारी व विभिन्न संवर्गों के रिक्त पद

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): सभापति महोदय, राजस्थान विधान

(श्री शंकर सिंह रावत)

सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख। पंचायत समिति जवाजा में काफी समय से अधिकारियों/कर्मचारियों की कमी के चलते आम जनता के कार्य प्रभावित होने बाबत निवेदन है कि पंचायत समिति जवाजा, जिला अजमेर में काफी समय से अधिकारियों/कर्मचारियों के पद रिक्त चल रहे हैं, जिसके कारण आम जनता के सरकारी योजनाओं सहित व्यक्तिगत कार्य बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। पंचायत समिति कार्यालय में विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता व जेटीओ सहित ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त चलने के कारण ग्राम पंचायतों में भी विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं तथा पंचायत समिति जवाजा विकास के मामले में अजमेर जिले में पिछड़ती जा रही है। आम जनता को अपने कार्य करवाने के लिए पंचायत समिति कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिसके कारण आम जनता को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत पुनर्गठन के दौरान पंचायत समिति जवाजा में 10 ग्राम पंचायतों के नवीन गठन से 46 ग्राम पंचायतें हो गई हैं, जिसके कारण एक ग्राम विकास अधिकारी के पास तीन-तीन ग्राम पंचायतों का कार्यभार दिया गया है।

अत: माननीय सभापति महोदय के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि पंचायत समिति जवाजा में काफी समय से रिक्त चल रहे विकास अधिकारी सहित विभिन्न संवर्ग के पदों पर शीघ्र कर्मचारी/अधिकारी लगाने की कृपा करावें, ताकि आम जनता को हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।

श्री सभापति: श्री संदीप शर्मा।

RTE के तहत निजी विद्यालयों को पुनर्भरण

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहता हूं कि प्रदेश में नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी विद्यालयों द्वारा निर्धन एवं असुविधाग्रस्त बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जा रहा है, परन्तु विभाग द्वारा सत्र 2020-21 व 2021-22 का पुनर्भरण अभी तक सम्बन्धित निजी विद्यालयों का नहीं किया गया जबकि केन्द्र सरकार द्वारा गरीब व निर्धन बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने हिस्से की 65 प्रतिशत राशि राज्य सरकार को अग्रिम प्रदान कर दी गयी है। इस

(श्री संदीप शर्मा)

राशि का, जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्धन व असुविधाग्रस्त बच्चों की नि:शुल्क शिक्षा के लिए प्रदत्त की गयी थी, जिसका निजी विद्यालयों को आज दिनांक तक पुनर्भरण नहीं हुआ है। इसके कारण राज्य के 30,000 राजस्थान बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड के विद्यालयों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त करोड़ों रुपयों का पुनर्भरण नहीं किये जाने से नि:शुल्क शिक्षा अधिकार कानून की स्पष्ट अवहेलना की जा रही है, जिससे न केवल गरीब व असुविधा अभावग्रस्त परिवारों के बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार से वंचित किये जाने का अंदेशा हो गया है। इसी प्रकार जो निजी विद्यालय RTE के तहत नि:शुल्क शिक्षा प्रदान कर रहे हैं उन्हें एक्ट के प्रावधानों के तहत पुनर्भरण नहीं हो पाया।

साथ ही कोविड संक्रमण के कारण आर्थिक संकट से गुजर रहे सभी निजी विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण कार्य नियमित रूप से किया था तथा वर्तमान में भी इस शिक्षण कार्य को किया जा रहा है। राजस्थान में सभी निजी विद्यालयों द्वारा उपरोक्त सत्र में ऐसे विद्यालय, जिन्होंने ऑनलाइन के अतिरिक्त लिखित कार्य एवं घर-घर जाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान की थी तथा इसी के आधार पर बच्चों को अगली कक्षा में क्रमोन्नत किया गया था तथा उन्हें पोर्टल पर ऑफलाइन का विकल्प न देकर पुनर्भरण से वंचित रखा जा रहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी विद्यालयों को आर.टी.ई. पुनर्भरण 30 दिसम्बर, 2021 तक करने के स्पष्ट आदेश दिये थे। अपने आदेश में माननीय उच्च न्यायालय ने सत्र 2020-21 में राजस्थान के सभी विद्यालयों को पुनर्भरण के निर्देश दिये थे परन्तु राज्य सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय की अवहेलना की जा रही है।

अत: मेरा सदन के माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान के कई विद्यालयों द्वारा सत्र 2020-21 कोविड के दौरान ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण कार्य से विद्यालय पोर्टल पर एन्ट्री करने से वंचित रहे विद्यालयों के लिए पोर्टल खुलवाया जाये और कोविड संक्रमण के दौरान नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार (RTE) कानून के तहत निजी विद्यालयों का सत्र 2020-21 व 2021-22 का पुनर्भरण करवाया जाये।

श्री सभापति: श्री सुरेश टाक।

किशनगढ़ कस्बे के बीच में खुला बरसाती नाला

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): सभापति महोदय, नियम 295 के

(श्री सुरेश टाक)

अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ के किशनगढ़ कस्बे के बीच में से गुजर रहे नाले को ऊपर से कवर करने के सम्बन्ध में, मैं स्वायत्त शासन मंत्री जी का ध्यान किशनगढ़ शहर की एक गम्भीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, किशनगढ़ शहर के मध्य स्थित सघन कालोनियों के बीच में से बरसाती नाला गुजर रहा है, जो खुला हुआ है। बरसात के दिनों में इस नाले से जनहानि एवं अन्य नुकसान प्रतिवर्ष होता है। विगत वर्ष दो बच्चों की इसमें डूबने से मृत्यु हो गई थी, जिनकी लाशें बड़ी मुश्किल से मिली थीं। इसके अलावा बारिश के बाद भी नाले में गन्दगी भरी रहने से पूरे क्षेत्र में बदबू फैली रहती है, मच्छर पनपने से बीमारियां फैलती हैं तथा जानवर उसमें फंस जाते हैं। इसके कारण से नाले के आस-पास रहने वालों का जीना दूभर हो गया है।

मेरा इसमें निवेदन है कि अगर इस नाले को ऊपर से पक्का कर देंगे तो क्षेत्र में लोगों को हो रही परेशानी से भी छुटकारा मिलेगा। साथ ही उक्त नाले के ऊपर खड़े होकर व्यवसाय करने वाले वेंडर, ठेले वाले, फुटपाथ पर बैठ कर व्यवसाय करने वालों को जगह दी जा सकती है, जिससे वे अपना व्यवसाय कर सकते हैं। इसके अलावा शहर के मुख्य बाजार में भी यातायात सम्बन्धी व्यवस्था सुधर सकती है, क्योंकि जगह उपलब्ध नहीं होने के कारण ये मुख्य मार्गों पर ठेले लगाते हैं, फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय करते हैं, जिससे यातायात भी अवरुद्ध होता है। ये सब खुशी-खुशी उस जगह पर बैठने को तैयार हैं तथा इससे इनके व्यापार हेतु निश्चित जगह भी उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही उपरोक्त व्यवस्था होने से शहर की सुन्दरता भी बढ़ेगी।

अत: इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से मेरा स्वायत्त शासन मंत्री जी से निवेदन है कि अगर एक चरण में उक्त कार्य नहीं हो सकता है तो दो चरणों में करायें, परन्तु यह कार्य जनहित में करवाना अत्यन्त आवश्यक है। आपसे विनम्र अनुरोध है कि इसी वित्तीय वर्ष में उक्त नाले को कवर करवाकर जनता को राहत प्रदान करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजकुमार गौड़ (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, आफिसर गैलरी तो खाली है।

श्री सभापति: बैठे हैं।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): नाम मात्र के लिए एक दो बैठे हैं।

राजकीय चिकित्सा संस्थाओं में प्रशिक्षित कार्मिकों की नियुक्ति

सभापति महोदय, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों से दवा वितरण का कार्य करवाये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि वर्तमान समय में देश हो या प्रदेश, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता अति संवेदनशील बनी हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विगत दो वर्षों में कोरोना महामारी ने पूरे देश में कोहराम मचाया है और उससे हमारा प्रदेश भी अछूता नहीं रहा। कोरोना के प्रकोप के दौरान प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं की क्या स्थिति हुई, वास्तविकता किसी से छिपी हुई नहीं है। प्रदेश में संचालित नि:शुल्क दवा योजना के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर नि:शुल्क दवाओं के वितरण में गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। प्रदेश के 13 हजार उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर शेड्यूल में मिली छूट के आधार पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों के द्वारा दवा वितरण करवाई जा रही है, जिनमें गर्भपात तक की दवाइयां शामिल हैं। गंभीरता को देखते हुए ऐसी दवाइयां स्त्री रोग विशेषज्ञ की निगरानी में प्रशिक्षित व्यक्तियों (फार्मासिस्ट) द्वारा ही दी जानी चाहिये। निजी बाजार में शेड्यूल एच और एच-1 की दवाइयों का वितरण फार्मासिस्ट के जरिए ही किये जाने का नियम है, लेकिन इसी नियम में सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को शिथिलता दी हुई है। विशेषज्ञों के अनुसार शिथिलता का मतलब यह नहीं है कि वहां नियमों का पालन ही नहीं किया जाय। सरकार की कोशिश नियम पालन की होनी चाहिये, जिससे किसी की जान से खिलवाड़ न हो। सरकारी केन्द्रों पर दवा वितरण के संबंध में गंभीर स्थिति को देखते हुए सरकार को योजना बनाकर फार्मासिस्टों के रिक्त पड़े हुए स्थायी पदों पर तुरंत प्रभाव से भर्ती की कार्रवाई की जानी चाहिये, ताकि आमजन के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं हो एवं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।

निवेदन है कि प्रदेश के सरकारी चिकित्सा संस्थानों पर अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा दवा वितरण करने पर रोक लगाये जाने एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करने का श्रम करावें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल।

सूचना

कोटा में लागू धारा 144

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फोर्मेशन।

श्री सभापति: एक मिनट, यह पूरा हो जाने दीजिए।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, जिला प्रशासन ऐसा आदेश लाया है जिसमें धारा 144 लगा दी। देश में कहीं भी त्यौहारों के बीच में 'कश्मीर फाइल्स' को लेकर यह आदेश नहीं दिया गया है। क्या प्रशासन इतना पंगु हो गया कि वह जिले के त्यौहार नहीं संभाल सकता? माननीय सभापति महोदय, 'कश्मीर फाइल्स' पूरे देश में चल रही है। यह किस तरह का आदेश है? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपकी बात शासन के ध्यान में आ गई है। प्लीज, प्लीज (व्यवधान) माननीय सदस्य, आपकी बात शासन के ध्यान में आ गई है। (व्यवधान) आपने पाइंट आफ इन्फोर्मेशन की बात उठाई, आपकी बात शासन के ध्यान में आ गई है। प्लीज बैठिए। (व्यवधान)

(समय: 12.33 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए प्लीज। I will not allow. I will not allow. रिकार्ड नहीं होगा। माननीय बिहारीलाल। (व्यवधान) प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): 000

श्री अध्यक्ष: I have to do an unpleasant duty. Please, don't compel me. कटारिया जी, प्लीज इसके बाद। Let these things get executed. इसके बाद मैं अलाउ करूंगा। मैं आपको अलाउ करूंगा।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

लोक जुम्बिश कार्मिकों को राज्य कर्मियों के समान सुविधाएं व राजकीय संस्थाओं के कार्मिकों को सातवें वेतनमान का लाभ

श्री बिहारीलाल (नोखा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

(श्री बिहारीलाल)

के प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि शिक्षा विभाग में अनुबंध पर कार्य कर रहे लोक जुम्बिश कार्मिकों की नियुक्ति राज्य सरकार के वित्त विभाग से स्वीकृत व अनुमोदित लोक जुम्बिश सेवा नियम 1993 के तहत की गई थी तथा इन्हें राज्य कर्मियों की भांति ही चिकित्सा अवकाश व पुनर्भरण, उपार्जित अवकाश, बोनस, आकस्मिक अवकाश, ईपीएफ कटौती, वेतन आयोग की सिफारिशों का नियमानुसार लाभ, समय-समय पर पदोन्नति इत्यादि लगभग सारी सुविधाएं देय थीं, किन्तु 01 जुलाई, 2004 में जब इन्हें सर्व शिक्षा अभियान में समायोजित किया गया तो इन्हें बिना किसी शासकीय आदेश के लोक जुम्बिश सेवा नियम 1993 के परिलाभों से वंचित कर दिया गया। इस बार के बजट में घोषणा की है कि निगम/बोर्ड/उपक्रम/स्वायत्तशासी संस्थाएं/ विश्वविद्यालय में कार्यरत सातवें वेतनमान से वंचित कर्मियों को अगले साल से लाभान्वित किया जायेगा। इसलिए राज्य सरकार अपनी इस घोषणा में पूर्व लोक जुम्बिश कार्मिकों को भी सातवें वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप नियमानुसार लाभ देने का श्रम करावें।

राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही नि:शुल्क दवा योजना के सफल क्रियान्वयन में सम्पूर्ण राजस्थान प्रदेश के समस्त सरकारी चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत 4,041 संविदा मशीन विद मैन (कम्प्यूटर आपरेटर) का विशेष योगदान रहा है। जन घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने के किये गये वादे के अनुसार इस योजना में कार्यरत सभी कार्मिकों को नियमित पद क्लीनिकल अभिलेख सहायक सीआरए पद पर समायोजित किया जाय और नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने तक मुख्यमंत्री नि:शुल्क दवा योजना में कार्यरत संविदा मशीन विद मैन का कैडर बनाकर वेतन 18,000 रुपये प्रति माह किया जाय।

राजस्थान में चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं NHM, 108, UTB, RMRS, MMU के तहत वर्षों से संविदा नर्सेज कार्यरत हैं जो कि आज तक नियमितीकरण से वंचित रह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 2018 के बाद से राजस्थान में नर्स ग्रेड द्वितीय की नियमित भर्ती अभी तक नहीं निकली है। कोरोना महामारी की पहली, दूसरी, तीसरी लहर में संविदा नर्सेज ने अपनी जान व परिवार की परवाह किये बगैर रात-दिन अल्प वेतन (7,900) में कार्य किया है। इसलिए 16,000 नर्स ग्रेड द्वितीय पदों पर नई भर्ती निकाल कर संविदा नर्सेज को 2013 व 2018 नर्सिंग भर्ती की तर्ज पर मेरिट बेस 10, 20, 30 बोनस देकर इन्हें नियमित करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप क्या बोल रहे थे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जो विषय उन्होंने उठाया है, कल विधिवत नोटिस देकर ही इसको उठायेंगे। मैं सोचता हूं कि उस पर सही निर्णय निकलेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अनुमत करेंगे तभी हम इसको आगे बढ़ायेंगे।

श्री अध्यक्ष: आप चेम्बर में मिल लें, फिर बात करेंगे।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्रीमती अनिता भदेल।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अजमेर शहर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 के आवास निर्माण में विलम्ब

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से अजमेर शहर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 के तहत बनाये जाने वाले आवासों का अवधि पूर्ण होने के पश्चात् भी कार्य प्रारम्भ ही नहीं किये जाने से पात्र लोगों को अपने घर का इंतजार लम्बे समय से करने के संबंध में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करती हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय,..

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप। माननीय सदस्य, प्लीज। आप सीनियर सदस्य होकर क्या कर रही हैं? मंत्री जी बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे। ऐसे क्या कर रही हैं आप, प्लीज।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आपको मैं यह बता रही हूं कि मेरे को यह जवाब अभी-अभी ही मिला है, ऐसा मैं आपको निवेदन कर रही हूं। अभी जस्ट यहां टेबल पर मिला है।

श्री अध्यक्ष: फिर इसको पोस्टपोन कर दें?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, आप पोस्टपोन मत कीजिए। लेकिन यह तरीका गलत है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, इनकी कई बार तारीखें भी पलटीं, लेकिन विभाग जवाब ही समय पर नहीं पहुंचाता है, जबकि आपने स्वयं ने इनके ध्यानाकर्षण को दो बार आगे-पीछे किया और

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसके बाद भी विभाग से जवाब नहीं आता, इसके बारे में तो आपको कार्रवाई करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: इसको आगे रख लें, और क्या है? अपने ऑफिस में चैक कर लें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यहीं कुछ भेजने में लैप्स हो गया होगा।

श्री अध्यक्ष: अपना आफिस चैक कर लें, उनके पास क्यों नहीं पहुंचा, चैक कर लें। धारीवाल साहब, आप बोलिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा माननीया अनिता जी ने बताया, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के द्वारा मुख्यमंत्री जन आवास योजना, 2015 की नीति 3 (ए) व 3 (बी) के तहत निजी विकासकर्ता के द्वारा जो प्रस्तुत ले आउट प्लान स्वीकृत किये गये हैं, उन योजनाओं का समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। मैडम, जरा ध्यान रखिए, मैं जवाब दे रहा हूं, फिर आप सवाल ऐसे पूछोगी। उन योजनाओं का समय पर निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ। अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर द्वारा विकासकर्ताओं को आज दिनांक तक न कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई शास्ति आरोपित की गई। इसके पीछे मुख्य कारण यह बताया गया है कि 2020 में कोरोना से उत्पन्न हुई स्थिति के कारण निश्चित रूप से निर्माण कार्यों में देरी हुई है। ऐसी स्थिति में संवेदक के स्तर पर निर्माण कार्यों को निश्चित समय पर न करने के कारण अनुबंध में सरकार के द्वारा छूट भी दी गई थी। चूंकि सम्पूर्ण देश में आर्थिक मंदी व रोजगार में भारी कमी के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है। उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण के स्तर पर नोटिस आदि नहीं दिये गये, यह बात सही है।

जहां तक आपका सवाल इस बात का है कि डिले हुआ है, निश्चित तौर पर डिले हुआ है। उनको कोई नोटिस नहीं दिया गया, निश्चित तौर पर नहीं दिया गया। यह बात सही है।

अब सवाल यह आता है कि आपने कहा कि कोई काम शुरू ही नहीं हुआ। सिर्फ दो काम हैं, जो प्रारम्भ नहीं हुए, बाकी जितने भी काम थे, कुल मिलाकर 11 कामों में से दो काम शुरू नहीं हुए बाकी 9 काम चल रहे हैं। अब जो चल रहे हैं, उनकी रफ्तार धीमी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलने

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

का एक-एक का कारण मैं बता देता हूं, क्योंकि आपने 11 कामों की लिस्ट दी है। मैं एक-एक का बता देता हूं।

1. एआरजी इंफ्राइंफ्रा डवलपर्स का काम प्रारम्भ नहीं हुआ।

2. श्री जयसिंह चौहान वाला काम प्रारम्भ नहीं हुआ।

3. इसके बाद मैसर्स शालीमार बिल्डकॉन का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

4. श्री मुकेश कुमार जिन्दल के काम में कुल मिलाकर 232 फ्लैट बनने थे, लेकिन 107 फ्लैट का निर्माण कार्य शेष है और 70 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

5. विनायक लैण्डहोम्स में कुल मिलाकर 192 EWS और LIG के हाउसेस बनने थे, उनमें से 158 LIG हाउस का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

6. जीएस ड्रीम होम में EWS और LIG के कुल मिलाकर 160 मकान बनने थे, उनमें 80 प्रतिशत का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है।

7. आर.एम. इन्फ्रास्ट्रक्चर में EWS और LIG के कुल मिलाकर 32 मकान बनने थे, निर्माण कार्य प्रगति पर है।

8. अजमेर आशियाना में 140 मकान बनने थे, जिनमें से 84 बन चुके हैं और 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

9. अरावली रीयल में LIG के 160 फ्लैट बनने थे, जिनमें से 120 फ्लैट बन चुके हैं।

10. गणेश जी में 142 बनने थे, 116 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

11. मैसर्स अग्रवाल के 130 बनने थे, 70 आवासों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

जहां तक इस बात का सवाल है, आपने जो इंफोर्मेशन दी है, जो सवाल में पूछा है तो आपकी यह टेबल गलत है, इसको मैं सुधार देता हूं। क्योंकि 2020 के बाद में जो ओरिजिनल फिगर दी गयी थी कि 200 आवासों को 24 माह के अन्दर-अन्दर बना दिया जाये, 200 से 400 तक तीस माह में बना दिया जाये, 400 से 500 आवासों को 36 माह में बना दिया जाये और 600 आवासों से अधिक हो तो 42 माह में बना दिया जाये। आपने जो टेबल दी है, वह टेबल ही गलत है। ओरिजिनल में आपको बता देता हूं। 2015 में जो

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

नोटिफिकेशन निकला था, उसमें भी LIG में 200 तक के लिए 30 महीने, 200 से 400 तक के लिए 36 महीने, 400 से 600 तक के 42 महीने और 600 से ऊपर के लिए 48 महीने का प्रोविजन था। उसको बदलकर 2020 में फिर एक कोरिजेण्डम निकला। उसके बाद उसमें 200 को 30 महीने में कम्प्लीशन करें। 200 से 400 तक के लिए 36 महीने दे दिये और 400 से 600 के लिए 48 महीने दे दिये और 600 से ऊपर के लिए 60 महीने दे दिये। खैर यह बात तो अलग है लेकिन मैं आपकी इस बात के लिए एग्री हूं कि इन पर वक्त पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया गया? जुर्माने का जो ओरिजिनल आर्डर था, उसमें कुछ अलग टेबल दे रखी थी, हमने 2020 में आकर उस टेबल को बदला। पहले तो यह था कि पहले तीन माह तक 5 हजार रुपये प्रति यूनिट लगा दिया जाये, इसके पश्चात् तीन महीने के बाद 10 हजार रुपये लगा दिया जाये, उसके बाद छह महीने के बाद 20 हजार रुपये का जुर्माना लगा दिया जाये। उसको बदलकर हमने एक नया आर्डर निकाला। उस नये आर्डर में यह निकाला कि प्रथम तीन माह तक 50 रुपये वर्ग फीट का उस पर जुर्माना लगाया जाये, अगले तीन माह में 100 रुपये वर्ग फीट का जुर्माना लगा दिया जाये और 6 माह तक 200 रुपये लगा दिया जाये। यह नहीं हुआ, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अभी तक जितना भी डिले हुआ है, उसके खिलाफ वहां के कमिश्नर को जिम्मेदारी दी गयी है कि 7 रोज के अन्दर वह नोटिस देकर इन पर जुर्माना लगाये और टाइम पर कम्प्लीशन करवाने की कोशिश की जाये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने यह तो स्वीकार कर लिया कि अजमेर विकास प्राधिकरण ने कोई जुर्माना नहीं लगाया। दूसरा कारण आपने कोविड का बताया है। मेरा प्रश्न यह है कि 2015 में यह प्रोजेक्ट शुरू होने थे और 2020 में खतम होने थे। 2019 में कोविड आया है तो 2015 से लेकर 2019 तक की अवधि में तो काम ही शुरू नहीं हुआ था। यह मैं इस आधार पर कह रही हूं क्योंकि ये प्रश्न मैं अलग-अलग प्रकार से पहले ही विधान सभा में लगा चुकी हूं। आपके प्रश्न के जवाब में ही मैंने यह ध्यानाकर्षण बनाया है। उस जवाब को देखकर ही मैंने यह ध्यानाकर्षण बनाया है, इसलिये जवाब तो विधान सभा के रिकार्ड पर होगा। मैं उस आधार पर यह प्रश्न कर रही हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से दो-तीन प्रश्न करना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना स्वीकृत

(श्रीमती अनिता भदेल)

हुई थी तो जो फ्लैट्स थे, उन फ्लैट्स की तत्कालीन रेट क्या थी, अब उनकी रेट डवलपर ने क्या कर दी है क्योंकि यदि उस समय बन जाते तो जो पात्र व्यक्ति थे, जिनको यह मिलना थे, वे सस्ती दर पर मिलते, लेकिन अब इनको महंगा कर दिया गया है। किस आधार पर डवलपर ने इसकी रेट को बढ़ाया है? क्या आपके विभाग ने इसकी स्वीकृति दी है? एक प्रश्न तो मेरा यह है। आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जिस वक्त डवलपर से एग्रीमेंट हुआ, उस वक्त जो कीमत रखी गयी, उसको बढ़ाने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह एग्रीमेंट वैसा का वैसा ही है। मैंने आपका जवाब दे दिया।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मेरी जानकारी में लाया गया है कि उस समय की जो दरें थीं, वे 1,380 रुपये थीं।

श्री अध्यक्ष: जब कह दिया कि चेंज नहीं हुए तो नयी बात क्या है? माननीय सदस्य, मैं समझता हूं कि आपके जो दोनों इश्यू रहे हैं, उनको एड्रेस कर दिया है। कोई स्पेसिफिक बात हो तो आप बतायें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मेरी स्पेसिफिक बात यही है कि आप इन प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा करा देंगे? मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जिन लोगों ने पैसे जमा करा रखे हैं, उन्हें फ्लैट्स मिल जायें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपको मैंने जो परिशिष्ट-अ दिया है, उसमें बाकायदा सब चीजें लिखी हैं। भवन मानचित्र की स्वीकृति कौनसी तारीख को हुई, कार्य पूर्ण करने की तारीख पहले कौनसी थी, प्रस्तावित आवासों की संख्या कितनी थी?

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक सैकंड, मंत्री महोदय मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूं क्योंकि मेरे पास जवाब में सिर्फ यह है, कोई परिशिष्ट इसके साथ नहीं है। यह अभी-अभी मेरे पास टेबल पर आया है, इसलिये मेरे पास कुछ भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप जो कह रहे हैं, उसका उत्तर इनको भिजवा दें, बात खतम होती है।

(श्री अध्यक्ष)

अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री वासुदेव देवनानी।

अजमेर में विज्ञान पार्क का निर्माण एवं संचालन हेतु पदों का सृजन व पदोन्नति

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर में विज्ञान पार्क का निर्माण प्रारम्भ करने एवं उनके संचालन हेतु तत्काल सृजित पदों की भर्ती एवं पदोन्नति किये जाने हेतु मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अजमेर में विज्ञान पार्क के निर्माण हेतु वांछित भूमि अजमेर विकास प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क आबंटित कर 2015 में दे दी गयी। विज्ञान पार्क के निर्माण कार्य हेतु अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा राशि 8 करोड़ 65 लाख रुपये दिनांक 24.09.2019 को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार को हस्तान्तरित की जा चुकी है। अजमेर स्मार्ट सिटी द्वारा आबंटित भूमि के समतलीकरण का कार्य भी करवा दिया गया है। विज्ञान पार्क का कार्य प्रारम्भ कराना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से अपेक्षित है।

पार्क के संचालन हेतु विभिन्न पदों पर भर्ती करना एवं पदोन्नतियां करना विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है। एक बात तो यह हुई।

यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM) है और राजस्थान सरकार, दोनों का जाइंट प्लान है और दोनों की शेयरिंग है। मैंने आपको बता दिया कि राजस्थान सरकार ने 8 करोड़ 65 लाख का अपना शेयर दे दिया, लेकिन उनका शेयर अभी पूरा जमा नहीं हुआ है। जो एमओयू होना था, जो एमओयू की शर्तें थीं, एनसीएसएम के द्वारा प्रस्तुत एमओयू में उल्लिखित शर्तों के अनुसार राज्य सरकार पर पूर्ण रूप से अधिरोपित है। “To provide gap funding due to the cost escalation based on the prevalent RBI Index on account - were over and above and approved capital cost of Rs. 11 crores 70 lakhs, if any to the NCSM”. इस बात पर विवाद चलता रहा कि जो एस्केलेशन हुआ है, उस एस्केलेशन की कीमत कौन देगा? बड़ी मुश्किल से अब जाकर एन.सी.एस.एम. तैयार हुआ है कि ठीक है इसमें आधा पैसा राज्य सरकार दे दे और आधा पैसा केन्द्रीय सरकार का राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(एन.सी.एस.एम.) दे दे। अब वह हो चुका है, लेकिन अभी भी उन्होंने सहमति दी है, एम.ओ.यू. हुआ नहीं है कम्प्लीट।

शासन सचिव के स्तर पर 12/08/2021 को विज्ञान केन्द्रों की समीक्षा के लिए जो मीटिंग अजमेर में बुलायी गयी, उसमें भी यह तय हो गया कि ठीक है हम आपको आधा पैसा दे देंगे, आप कीजिए और एम.ओ.यू. की स्वीकृति उन्होंने, प्रिंसिपली तो वे एग्री कर गये, लेकिन एम.ओ.यू. हुआ नहीं। अब सवाल यह आता है कि काम कैसे स्टार्ट हो? वित्त विभाग के द्वारा 10/03/2022 को एम.ओ.यू. की सहमति जो प्रदान की गयी तो एम.ओ.यू. हस्तांतरित होने के उपरांत ही कार्य प्रारम्भ हो पायेगा। अगर एन.सी.एस.एम. वाले उस पर दस्तखत कर देते हैं तो उसके बाद ही कार्य प्रारम्भ होगा। कार्य प्रारम्भ होने के लिए समतलीकरण तो कर दिया गया है उस जमीन का। जमीन अलाट हो गयी, सब कुछ हो गया।

अब सवाल यह रह गया कि भर्ती करने के लिए जो आपने लिखा है तो विभाग द्वारा विज्ञान केन्द्रों में पदों पर भर्ती करने के लिए निम्न कार्रवाई की गयी है। जून, 2021 में विभाग के सेवा नियम कार्मिक विभाग के द्वारा अधिसूचित कर दिये गये हैं। तकनीकी कर्मियों की पदोन्नति का प्रस्ताव सक्षम स्तर के अनुमोदन अर्थात् राज्य सरकार को विभाग के द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। नवीन भर्ती का प्रस्ताव विभाग तैयार करवाकर राजस्थान लोक सेवा आयोग व मंत्रालयिक चयन बोर्ड को भिजवाये जाने की कार्रवाई शीघ्र ही पूर्ण कर ली जायेगी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इसका उत्तर भी मुझे अभी इस टेबल पर इन 5-6 लाइनों का प्राप्त हुआ। आपकी जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं। मंत्री महोदय ने जो जानकारी दी, मैं समझता हूं ये साइंस पार्क कागजों से बाहर नहीं निकल पा रहा है। केवल इनकी उदासीनता व अनदेखी के कारण हुआ है। इन्होंने जो उत्तर दिया कि 2015 के अन्दर नि:शुल्क आबंटित हुई। चार साल तो इनको लगे विज्ञान पार्क निर्माण करने के लिए राशि उपलब्ध कराने में अपना सोर्स, फिफ्टी परसेंट केन्द्र देता है। केन्द्र से राशि आबंटित हो गयी, उसके बाद आपको 4 वर्ष केवल स्टेट को लगे, तो इसके कारण से एस्केलेशन तो होना ही था। पहले तो आपको लगा समय नि:शुल्क आबंटन में, उसके बाद 4 साल लगे राशि उपलब्ध

(श्री वासुदेव देवनानी)

कराने में और अब भी उसको ढाई साल हो चुके हैं और आपके एम.ओ.यू. वगैरह..., मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या साइंस एंड टेक्नोलोजी डिपार्टमेंट राजस्थान सरकार का नहीं है? संयुक्त उत्तरदायित्व बनता है सरकार का। केवल ये जो उत्तर दिया कि स्मार्ट सिटी के द्वारा, स्मार्ट सिटी का केवल काम नहीं है। स्मार्ट सिटी के मंत्री आप होंगे, आपके विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का मंत्री कोई और होगा, सारा मंत्रिमंडल एक संयुक्त उत्तरदायित्व के अन्तर्गत काम करता है। निर्माण कराना उसका काम है, यह कहकर आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। यह जिम्मेदारी संयुक्त मंत्रिमंडल की है।

मैंने निर्माण की बात कही तो आखिर ये निर्माण कब बनेगा? मतलब 2015 का है आज 2022 आ गया, इस कारण अजमेर में न तो पर्यटन की वृद्धि हो रही है और न ही विज्ञान का ज्ञान मेरे वहां के बालकों को प्राप्त हो रहा है। सात साल हो गये और अभी भी कहीं भी निर्माण में एक ईंट भी नहीं लगी है। यह आखिर कब तक लगेगा? कब तक मेरे बच्चे देख पायेंगे? कब तक अजमेर को इसका लाभ मिलेगा? बड़ी मुश्किल से केन्द्र सरकार के पास जाकर मैंने व्यक्तिगत यह प्रोजेक्ट स्वीकार करवाया है जब महेश जी जोशी थे केन्द्र में मंत्री विज्ञान के, उसके बाद सात साल तक सरकार की उदासीनता के कारण, यह भी आज ध्यानाकर्षण लगाया, इसके पहले मैं 295 पर भी दो बार पूछ चुका हूं, लेकिन उसका भी कोई उत्तर नहीं मिला।

आपने दूसरा जवाब जो दिया, ये जुलाई 2021 में पार्क संभालने हेतु आपने आदेश जारी कर दिये थे, लेकिन अभी तक भर्ती में कोई पदोन्नति करने का, 8 माह हो गये, 8 माह के बाद भी किसी प्रकार की न कोई भर्ती है, न कोई पदोन्नति है। जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, झुंझुनूं के भी यही हाल हैं। अजमेर का मैं स्पष्ट पूछना चाह रहा हूं आखिर ये पार्क कब तक शुरू होगा? ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग कब शुरू करेगा? आपने कहा एम.ओ.यू. होने में फिर दो साल लगे...

श्री अध्यक्ष: रिपीट मत कीजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): फिर आपका निर्माण का काम कब शुरू होगा? इसकी मुझे जानकारी दें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसा आपने बताया आपके प्रयासों से ये केन्द्र सरकार के द्वारा अनुमोदित किया गया प्लान। 2015 से लेकर 2015, 2016, 2017,

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

2018, ये चार साल तो आपका शासन था, हम तो 2019 में आये हैं और 2019 में आते ही हमने पैसा जमा करा दिया। आपके टाइम पर चार साल तक एक पैसा नहीं मिला। मिला हो तो बता दो। दूसरी बात, यह है कि अभी भी उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपली ही एग्री किया है एम.ओ.यू. पर दस्तखत करने के लिए, हस्ताक्षर नहीं किये। शर्त यह है कि एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब जाकर इसका काम चालू होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो कह रहे हैं..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न-उत्तर नहीं। चर्चा समाप्त हुई। श्री चन्द्रभान आक्या।

करसाना ग्राम पंचायत (चित्तौड़गढ़) में हिन्दू धार्मिक स्थल को कारित क्षति

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का चित्तौड़गढ़ जिले में तहसील डूंगला की ग्राम पंचायत करसाना में प्राचीन हिन्दू धार्मिक स्थान को ध्वस्त करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य चन्द्रभान जी ने ध्यान आकर्षण के माध्यम से स्थिति के बारे में बताया है। जिला कलेक्टर पत्रांक दिनांक 21.12.2021 द्वारा उपखण्ड क्षेत्र डूंगला में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु 15.20 हैक्टेयर राजकीय भूमि जो मुख्य सड़क से लगती हुई है व औद्योगिक दृष्टि से उपयुक्त हो, को आबंटन करने के संबंध में चयन कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में तहसीलदार, डूंगला द्वारा ग्राम पंचायत करसाना के ग्राम करसाना की चरागाह आराजी संख्या 14/2 रकबा 1.0701 हैक्टेयर आराजी संख्या 19 रकबा 10.3320 हैक्टेयर आराजी संख्या 20 में से रकबा 4.78 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 16.1821 हैक्टेयर भूमि किस्म चरागाह की रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की गई, जिसमें आराजी संख्या 19 में अवैध रूप से निर्मित एक शिवजी के स्थान का उल्लेख किया गया, जिसका जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना बताया गया।

(श्री रामलाल जाट)

इस संबंध में तहसीलदार, डूंगला द्वारा स्वयं मौका देखा गया व ग्राम पंचायत करसाना के सरपंच श्री नारायण लाल मेनारिया से इस बाबत स्पष्टीकरण लिया गया, जिसमें पाया कि यह कमरानुमा शरण स्थल (लगभग 20x20 फीट), 25-30 वर्ष पूर्व एक बाबा द्वारा अपने निजी आवास एवं पूजा पाठ हेतु अवैध रूप से निर्मित किया गया था। बाबा इसमें निवास करता था तथा यह स्थान कोई आस्था का केन्द्र नहीं था। बाबा की मृत्यु करीब 20-25 वर्ष पूर्व हो चुकी है। बाबा की मृत्यु उपरांत इस स्थान पर कोई क्षेत्रवासी आता-जाता नहीं है, न ही कोई पूजा-अर्चना होती है। यह स्थान विलायती बबूलों से घिरा होकर एक सुनसान स्थल है, जहां आस-पास के असामाजिक तत्व सट्टेबाजी, नशाखोरी एवं अन्य अनैतिक गतिविधियां करते हैं। यदि राज्यहित में रीको को भूमि दिये जाने हेतु अवैध रूप से अतिक्रमण कर निर्मित इस स्थान को हटाया जाता है तो इस ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

सरपंच, ग्राम पंचायत करसाना से उक्त स्थल के संबंध में प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर तहसीलदार, डूंगला द्वारा दिनांक 30.12.2021 को मानक रूप में प्रस्ताव तैयार कर जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ को भिजवाया गया, जिसमें अवैध रूप से चरागाह भूमि पर निर्मित उक्त स्थल को 15 दिवस में नियमानुसार हटाये जाने हेतु लिखा गया। इसी क्रम में तहसीलदार डूंगला के पत्रांक दिनांक 04.01.2022 द्वारा भू-अभिलेख निरीक्षक, रावतपुरा, पटवारी हल्का करसाना को आराजी संख्या 19 में अवैध रूप से निर्मित अतिक्रमण को तीन दिवस में नियमानुसार हटाने की कार्रवाई बाबत लिखा गया। साथ ही ग्राम पंचायत, करसाना के ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच को प्रतिलिपि तामील करा अतिक्रमण हटाने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने व स्वयं मौके पर उपस्थित होने बाबत लिखा गया।

ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम विकास अधिकारी, करसाना की उपस्थिति में आम मौतबिरान देह दिनांक 03.02.2022 को अपराह्न 3-4 बजे अवैध रूप से निर्मित उक्त अतिक्रमण को जे.सी.बी. मशीन की सहायता से हटवाया गया। मौके पर कानून व्यवस्था के मद्देनजर भू-अभिलेख निरीक्षक, रावतपुरा एवं पटवारी हल्का करसाना उपस्थित हुए। मौके पर अतिक्रमण हटाने के दौरान ग्राम पंचायत करसाना व पास की पंचायत बिलोट एवं फलोदडा के किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई।

अतिक्रमण हटाने के 3 दिन बाद एक विशेष राजनैतिक दल के

(श्री रामलाल जाट)

नेताओं द्वारा सरकार की छवि धूमिल करने व अपना राजनैतिक हित साधने की मंशा से रात के समय किसी और स्थान से हनुमानजी की मूर्ति लाकर विवादित स्थल पर रखी गई तथा दूसरे स्थानों (यथा बोहेडा, भीण्डर, कानोड़, डूंगला) से लोगों को गुमराह कर लाया गया व विरोध प्रदर्शन करवाया गया, जबकि स्थानीय ग्राम पंचायत करसाना एवं आस-पास की पंचायत देलवास, बिलोट, फलोदड़ा का कोई व्यक्ति विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं था।

इस संबंध में जमाबन्दी सैटलमेंट विभाग सम्वत 2010, खसरा सैटलमेंट विभाग सम्वत् 2010 तथा नक्शा मौका करसाना में भी उक्त स्थल पर किसी पुराने धार्मिक स्थल के होने का उल्लेख नहीं है। ग्राम पंचायतवासी, करसाना द्वारा भी दिनांक 11.02.2022 को जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष विवादित स्थल पर हटाये गए अवैध अतिक्रमण के संबंध में अपनी अनापत्ति जताते हुए बयान दिये गये कि वह स्थान 25-30 वर्ष पूर्व एक बाबा द्वारा अपने निजी आवास एवं पूजा पाठ हेतु अवैध रूप से निर्मित किया गया था तथा यह स्थान कोई आस्था का केन्द्र नहीं था। बाबा की मृत्यु उपरांत इस स्थान पर कोई क्षेत्रवासी आता-जाता नहीं है, न ही कोई पूजा-अर्चना होती है। यह स्थान विलायती बबूलों से घिरा होकर एक सुनसान स्थल है, जहां आस-पास के असामाजिक तत्व सट्टेबाजी, नशाखोरी एवं अन्य अनैतिक गतिविधियां करते हैं। ग्राम पंचायत, फलोदडा, बिलोट के सरपंच व ग्राम पंचायत, करसाना के पूर्व सरपंच द्वारा भी पूर्व में विवादित स्थल पर अनैतिक गतिविधियों के होने के संबंध में शिकायती प्रार्थना पत्र पेश किये गये हैं।

जे.सी.बी. मशीन के मालिक श्री मनीष कुमार मेहता पिता श्री प्रकाश चन्द मेहता निवासी डूंगला द्वारा जिला कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ के समक्ष उपस्थित होकर बयान दर्ज कराये गये, जिसमें स्पष्ट रूप से ग्राम पंचायत, करसाना के सरपंच श्री नारायण लाल मेनारिया एवं ग्राम विकास अधिकारी, श्री टीकमचन्द सामर के बुलाये जाने पर अपनी जे.सी.बी. मशीन उपलब्ध कराने का उल्लेख किया गया।

(समय: 13.00 बजे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरी घटना की रिपोर्ट है। इसमें ग्राम पंचायत फलोदडा आस-पास की पंचायतों के लैटर भी, पंचायत समिति मैम्बर डूंगला की भी अलग-अलग तारीखों में, 27.4 से ही, पहले ही लैटर लिख रहे

(श्री रामलाल जाट)

हैं। हटने के तीन दिन बाद यह घटना हुई। उससे पहले किसी का कोई आब्जेक्शन नहीं था। यह पूरी फैक्चुअल रिपोर्ट वहां के एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर, पूर्व सरपंच, वर्तमान सरपंच के द्वारा लिखी हुई, सारी मौका रिपोर्ट के आधार पर यह बात हुई।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय..

श्री अध्यक्ष: ललित जी।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट बिलकुल असत्य है। वहां के सरपंच को भी नहीं पूछा। वहां 47 बीघा जमीन, इन्होंने रीको के लिए प्रस्ताव भेजा था। वहां करीब 1600 बीघा जमीन पड़ी है। 200 वर्ष पुराना शिव जी का मन्दिर है। वहां हनुमान जी का मन्दिर बना हुआ है। तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब तो खुद उसमें हैं। तहसीलदार साहब का लिखित में उन्होंने आदेश दिया है। उसी के कारण वहां उस मन्दिर को तोड़ा गया है। यह कह रहे हैं तीन दिन बाद, उसी दिन सब गांव के लोग पहुंचे, आस-पास के लोग पहुंचे। माननीय विपक्ष के नेता, गुलाब जी कटारिया वहां पहुंचे। उन्होंने खुद ने वहां मौका देखा है। हम जितने भी ज़िले के जन प्रतिनिधि हैं, उन सब लोगों ने वहां देखा है। वहां वास्तविक मन्दिर था। गूगल पर आज मन्दिर है। आप जहां भी देखो, वहां मन्दिर है। इन्होंने केवल हिन्दू, इस तरह का वातावरण बनाकर, उस मन्दिर को उन्होंने तहस नहस किया है। उन कर्मचारी-अधिकारियों को सस्पेंड करें। सरकार वहां पर वापस मन्दिर बनाये। मंत्री महोदय के पास जो सूचना है, वह बिलकुल असत्य है। एक कमेटी बनायें और कमेटी के द्वारा .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): पूरी जांच कराकर उसको करवायें।

श्री अध्यक्ष: माननीय एमएलए साहब।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गूगल मैप कितने वर्षों पुराना होगा, इसमें शिव जी के मन्दिर का स्थान साफ दिख रहा है। यह किसके द्वारा गिराया गया है, यह शिव मन्दिर इस पोज में दिख रहा है। यह तहसीलदार साहब का आर्डर। तहसीलदार साहब, डूंगला, जिन्होंने कहा कि इस अवैध निर्मित मन्दिर को हटाया जाये जबकि यह अवैध नहीं है। वहां वर्षों पुराना मन्दिर बना हुआ था। वहां पर भेराजी महाराज,

(श्री ललित कुमार ओस्तवाल)

जबकि इस उत्तर में उनको बाबा लिखा है। कितनी असत्य बात है, कितनी गलत बात है, इस उत्तर में उनको बाबा लिखा है, आप महाराज भी तो लिख सकते थे। भेराजी महाराज, पुश्तैनी सेवा करते आ रहे थे। उस मन्दिर की स्थापना उन्होंने की। मूर्ति की स्थापना उन्होंने की। वहां हनुमान जी की मूर्ति थी, शिव जी की मूर्ति थी। प्रशासन को क्या पता, प्रशासन तो उसको ढहा कर चला आया। यह तो वहां के लोगों ने, आस-पास के श्रद्धालु लोगों ने फिर उस मलबे को हटाया। उस मलबे के अन्दर से, स्थापित महादेव जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति को निकाला और वापस लोगों के दर्शन के लिए खोला।

जिला कलेक्टर महोदय को 9 तारीख को, यह 3 तारीख की घटना है। इस उत्तर में 3-4 बजे बता रहे हैं, जबकि सूर्यास्त के बाद उस मन्दिर को ध्वस्त किया गया। इसमें समय 3-4 बजे का बता रहे हैं जबकि सूर्यास्त के बाद किया गया। आप यहां बता रहे हैं अनैतिक रूप से, असामाजिक तत्व वहां सट्टेबाजी करते थे, शराबखोरी करते थे, तो वहां की पुलिस ने अब तक क्या किया, प्रशासन ने क्या किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? यह असत्य घटना है। वहां 1400 बीघा जमीन है। सिर्फ 40 बीघा जमीन रीको को देनी थी। 40 बीघा प्रस्तावित थी, तो दूसरी जमीन भी दे सकते थे।

राजस्थान में जितने औद्योगिक क्षेत्र हैं, लगभग सभी औद्योगिक क्षेत्र में आज की तारीख में मन्दिर है। यह मन्दिर रह जाता, जो उद्योग लगाने वाले लोग थे, उद्योगपति थे, बना देते। जिला कलेक्टर महोदय ने 9 तारीख को...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री ललित कुमार ओस्तवाल (बड़ी सादड़ी): जब प्रतिनिधि मण्डल गया था, 200-300 लोग, वहां के आस्थावान लोग गये थे, श्रद्धालु लोग गये थे, जिला कलेक्टर महोदय, चित्तौड़ ने यह माना कि प्रशासन द्वारा यह गलती हुई है, मन्दिर गलत रूप से ध्वस्त कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब पढ़ा, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं, इसकी सच्चाई को जानने के लिए या तो आप या आपके कोई प्रतिनिधि वहां जाकर देखें। सच

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

में, यह बहुत लम्बे समय से पुराना मन्दिर था। केवल रीको को आपको 45 बीघा देनी थी, तो वहां तो 150 बीघा जमीन पड़ी थी। मान लो, एक 20x20 की जगह छोड़कर भी आप करते, तो उसका उपयोग हो सकता था। आपने और आपके अधिकारियों की एक तरह से हठधर्मिता या जान-बूझकर, जनता को नीचा दिखाने की दृष्टि से। कोई जरूरत नहीं थी।

मैं तो आपसे यह निवेदन करता हूं, निश्चित रूप से जिस व्यक्ति ने यह आदेश निकाला कि इसको दो दिन में तोड़ दो, यह जितने कागज आपको दे रहे हैं, यह सब बाद में बनाये हुए कागज हैं। अपनी सेफ्टी के लिए बनाये हुए कागज हैं। न तो उसके पहले, किसी प्रकार के कागज हैं, कुछ नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही चाहता हूं, इसकी गलती करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो क्योंकि भावना धर्म से जुडी हुई है, लोगों से जुड़ी हुई है। क्यों आप अनायास वहां अशान्ति पैदा करने का प्रयास करते हो? फिर से मन्दिर बनाने के लिए, जो भी विधिवत सूचना आपको देनी है, या जो विज्ञप्ति निकालनी है। इतने बड़े प्लाट में यदि 20x30, 30x40 का अगर रीको में रह भी जाये तो क्या दिक्कत आने वाली है? मन्दिर गूगल पर है, मन्दिर है। यह जो उत्तर भेजे हैं, यह गलत उत्तर हैं। इसको सही दिखवाओ। दिखवाकर, जिन्होंने गलत किया उनके खिलाफ, केवल छोटे कर्मचारियों को दण्ड देने से कोई लाभ नहीं है, आप केवल पटवारी और उनको फांसी पर चढ़ाओगे, कोई मतलब नहीं है। उनको लिखित आदेश आपके तहसीलदार ने दिया है। इसके लिए अगर कोई दोषी है तो तहसीलदार है। तहसीलदार अगर यह कहे कि मैंने उसके कहने से किया तो उसको, उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलनी चाहिये। इस मन्दिर के निर्माण की स्वीकृति निकालकर, इस वातावरण को शान्त करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो बात कही, मैं, जिला कलेक्टर, खुद जाकर मौका देख लेंगे। यहां से भले और दिखवा देंगे। मेरे पास जो सूचना आई, सरपंच जगदीश, यह 27.04.2021 की..

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): यह पूर्व सरपंच की है।

श्री अध्यक्ष: मैं चर्चा बन्द कर दूंगा। Do you want to impose it? अजीब है।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): जगदीश चन्द्र सरपंच फलोदड़ा, उसका लिखा हुआ है 27.4 को। दूसरा सरपंच लोकेन्द्र कंवर, सरपंच ग्राम पंचायत बिलोट, इसका 16.8 का लैटर है। इन्होंने एसडीएम को लिखकर दिया, यहां पर कुछ लोग आते हैं...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब आप इस पर चर्चा समाप्त कर दें। जैसा कटारिया जी ने कहा, आप मौके पर जाकर इसको देख लें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): ठीक बात है।

श्री अध्यक्ष: उसके बाद क्या हो सकता है, आप उस पर निर्णय करने की बात करें।

श्री रामलाल जाट (राजस्व मंत्री): ठीक बात है, दिखवा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई।

वार्षिक प्रतिवेदन। श्री बुलाकी दास कल्ला।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

लोकायुक्त राजस्थान का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन

(दिनांक 01 मार्च, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम, 1973 की धारा-12(5) के अन्तर्गत लोकायुक्त राजस्थान का 33वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01 मार्च, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021) सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मुलाहिजा फरमाएं, यह लोकायुक्त का प्रतिवेदन 01 मार्च, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021 है। यह जो प्रतिवेदन रखा गया है यह 01 मार्च, 2018 से 31 दिसम्बर, 2021, अध्यक्ष महोदय, इसमें वह सारे आरोप हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जो जांच है। 2018 का प्रतिवेदन, अगर 2022 में अब हमारे सामने रखा जायेगा, इसीलिये लोकायुक्त पर कभी बहस नहीं होती। आप इनको कहिये, कम से कम इस प्रकार की संस्था को प्रतिवर्ष, समय पर अपना प्रतिवेदन भेजना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): ऑडिट, उसको कम्पाइल नहीं कर सकते, जैसे ही आया हमने प्रस्तुत कर दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन का अधिकार है। सदन से बड़ा कोई नहीं है। सदन से बड़ा कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय मंत्री जी, प्रतिवेदन हर वर्ष आना चाहिये, यह अपने नियम का पार्ट है। इसलिये, लोकायुक्त आटोनोमस बॉडी, बिलकुल ठीक है लेकिन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का नियम और कानून विधान सभा के अन्तर्गत है, जिसे प्रतिवर्ष, चाहे आटोनोमस बॉडी लोकायुक्त हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, उन्हें प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। डिले हुआ, उसको ठीक करके अपने को समय पर करने का काम करना है।

माननीय मंत्री जी। हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर, (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय..

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आज बिल ज्यादा हैं। सबसे निवेदन है कि हम बिल का, किस तरह से पास होते हैं, वह नये सदस्य सीखें, वह भी हम काम करेंगे। कुछ बिल ऐसे हैं जो कॉमन बिल हैं, उन बिल को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। जो पहले बिल है, एक तो हरिदेव जोशी पत्रकारिता वाला और विधि विश्वविद्यालय, यह तो हम इनडिपेंडेंट लेंगे, बाकी के बिल को हम एक साथ लेंगे।

माननीय सदस्य, जिन्होंने अपना जनमत जानने का दिया, उनकी संख्या 22-24 है, यह कॉमन है।

(श्री अध्यक्ष)

मैं आपका ध्यान इस प्रक्रिया के नियम में जरूर आकर्षित करना चाहूंगा, खास तौर से नये सदस्यों को कि बिल पर डिस्कशन है, वह इसमें बहुत नियम और कानून लिखे हुए हैं इसका स्कोप बहुत कम है। जो अमेंडमेंट प्रपोज किये गये, उसके बारे में ही अपनी राय व्यक्त करें। यदि आपको यह आवश्यकता लगे अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए तो जरूर आप चर्चा करें लेकिन बिल के नाम पर हम जनरल डिबेट करेंगे तो यह परपज हमारा बिल पास करने का नहीं होगा और यह नियम और कानून नये सदस्यों को सीखना चाहिए कि बिल पास करते समय बिल के जो अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के सम्बन्ध में ही अपनी बात को रखें। यह एक बिल के जो नियम हैं, उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूं और मैं यह आशा करता हूं कि जो स्कोप डिबेट का इसमें लिखा हुआ है, उन नियमों का पालन किया जायेगा। श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विषय यह है कि इस संशोधन को लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विश्वविद्यालय के अधिनियम 2019 की धारा 11 की उप धारा 2 में यह प्रावधान है कि कुलपति पद के लिए नियुक्त किये जाने वाला व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य या इसके समकक्ष पद पर दस वर्ष अनुभव रखने वाला प्रख्यात शिक्षाविद् होगा। अब सरकार इसे बदलना चाहती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस स्थान पर सरकार यह चाहती है कि पत्रकारिता और जनसंचार, किसी भी शाखा में 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले को कुलपति बनाया जाये, यह संशोधन चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालयों का संचालन, पाठ्यक्रम व परीक्षा यू.जी.सी. के अधीन होती है। क्या यह संशोधन यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप है? किसी संशोधन के द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। इसी प्रकार आप विश्वविद्यालय के आधारभूत ढांचे में बदलाव कैसे कर सकते हैं?

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह निर्णय आया है।

(समय 13.12 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति एम.आर. शाह और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने अपने 58 पृष्ठ के फैसले में गुजरात के सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिरीष आर कुलकर्णी की नियुक्ति को इसलिए रद्द कर दिया कि उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यू.जी.सी. के नियमों के विपरीत कुलपति बनाया गया था। माननीय सभापति महोदय, श्री कुलकर्णी को प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष शिक्षण का अनुभव नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा कि कुलपति की नियुक्ति के मामले में राज्य सरकारें यू.जी.सी. द्वारा बनाये गये नियमों की अवहेलना या उनमें परिवर्तन नहीं कर सकती हैं। यदि राज्य के नियम भिन्न हैं तो उन्हें तत्काल प्रभाव से यू.जी.सी. के अनुरूप नियमों में सुधार करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का नवीनतम निर्णय है। क्या इस निर्णय के प्रकाश में सदन इस संशोधन विधेयक के औचित्य पर विचार करेगा? यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 की धारा 1 (ई) व धारा 26 (1) (जी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यू.जी.सी. द्वारा यू.जी.सी. विनियम बनाये गये हैं। यहां तक कि यू.जी.सी. अधिनियम के अनुसार उक्त अधिनियम के तहत बनाये गये नियम व विनियम संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखे जायेंगे।

माननीय सभापति महोदय, संविधान की धारा, अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित नियम को लागू करने पर यह प्रभावी होगा। शिक्षा विषय संविधान की समवर्ती सूची में है इसलिए यू.जी.सी. के नियम/विनियम के विपरीत वाइस चांसलर की नियुक्ति को वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन कहा जायेगा।

माननीय सभापति महोदय, सरकार यह संशोधन कैबिनेट की चर्चा के बाद लायी है। मेरा यह मानना है कि यह संशोधन सरकार बहुमत के बल पर पारित करवा लेती है तो आज का दिन राजस्थान के शैक्षिक इतिहास का काला दिन साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, जब सरकार शिक्षा व ज्ञान की जगह

(श्री धर्मनारायण जोशी)

चापलूसी के लिए रास्ता खोलेगी, यह संशोधन यह संदेश देगा कि सरकार शिक्षा में पराक्रम नहीं, नेताओं की परिक्रमा करने वालों को कुलपति बनाना चाहती है। 2019 में यू.जी.सी. की हैंड बुक में यह स्पष्ट उल्लेख है कि उच्च शिक्षा में, खासकर विश्वविद्यालयों में कुलपति एक अहम पद होता है और उसकी शैक्षणिक योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, क्या देश में पत्रकारिता पढ़ाने वाले योग्यताधारी पीएच.डी. धारक प्रोफेसरों का अकाल पड़ गया है? प्रदेश में जिन विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग चल रहे हैं, उनके पद खाली हैं, वर्षों से भर्ती नहीं, योग्यता वाले लोगों को अवसर नहीं, संविदा वाले लोग पढ़ा रहे हैं, शिक्षा में भी ठेकेदारी चालू कर ली है।

माननीय सभापति महोदय, अब कुलपति जैसे गरिमामय पद को भी राजनीति के दायरे में लाया जा रहा है। अब पीएच.डी. जरूरी नहीं, प्रोफेसर रहना जरूरी नहीं, नेताओं से सम्पर्क जरूरी हो जायेगा। शिक्षा क्षेत्र में यह विश्वविद्यालयों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा।

माननीय सभापति महोदय, अब यह संशोधन ला रहे हैं अनुभव का, तो मेरा यह निवेदन है कि क्या जो 20 साल खेत में काम कर ले, उसे कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बना दो? क्या जो 20 साल तक पशुओं को पाले, दूध बेचे, उसे पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का कुलपति बना दो? माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क पर फिरने वाले झोलाछाप चिकित्सकों को क्या सरकार 20 साल बाद किसी मेडिकल विश्वविद्यालय का वी.सी. बना देगी? जो किराणा व्यापारी 20 वर्ष से दुकान चला रहा है उसे मैनेजमेंट और कामर्स का डीन या वी.सी. बना दोगे? आज के इस संशोधन को देखते हुए सरकार शायद भविष्य में यह संशोधन भी कर दे तो आश्चर्य नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय का नाम हरिदेव जोशीजी के नाम से जुड़ा है। वे आजादी के आन्दोलन से जुड़े, प्रदेश के मुख्य मंत्री रहे, पूरा मेवाड़ और वागड़ बाऊजी के रूप में आज भी उन्हें सम्मान से याद करता है। मैं उनके बारे में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि वे विधान सभा के पहले चुनाव 1952 से आजीवन प्रत्येक चुनाव में विजयी होकर इस सदन में पहुंचे। यह रिकार्ड पूरे देश में केवल दो ही लोगों के नाम दर्ज है। डीग के राजा मानसिंहजी और हरिदेव जोशीजी के। यह संशोधन हरिदेव जोशीजी के विचार, जीवन, सिद्धांतों का भी अपमान होगा।

(श्री धर्मनारायण जोशी)

माननीय सभापति महोदय, इस विश्वविद्यालय के पहले कुलपतिजी, अब मैं उन पर आता हूं, उनकी जो स्थिति है, मुझे नाम लेने में, ओम थानवीजी बने। उन्होंने अपने +++ कुलपति पद की गरिमा को घटाया। कुलपति से जुड़े, राजनीति पहुंच से प्रचार व कुप्रचार में जुटे रहे +++ बिना योग्यता का गैर शैक्षिक व्यक्ति से अपेक्षा भी क्या की जा सकती है?

माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन से यह लगता है कि सरकार किसी थानवी या उसके जैसे किसी कृपा पात्र को उपकृत करना चाहती है। मेरा यह निवेदन है कि कुलपति जैसे पद को दरबारी राग गाने वाले प्रशंसक व विदूषक का पद मत बनाओ। इस पर किसी योग्यता वाले प्रोफेसर के आने से ...(व्यवधान) आपके यहां फ्री पत्रकार है, थानवी जैसी आपकी सेवा करता हो, उसे किसी और पद पर बैठा देना। इसके लिए कुलपति पद की गरिमा कम मत करते। थानवीजी कई मौके पर राजनीतिक प्रचार अभियान का हिस्सा बने थे वे। वे कुलपति कम, कांग्रेस के प्रवक्ता अधिक रहे। शायद उन्हें यह विश्वास था कि सरकार मुझे वापस बनायेगी। मेरे लिए यह संशोधन नहीं लायेगी, इसलिए उन्होंने अपना कार्यकाल पूर्ण होने से ठीक पहले विश्वविद्यालय की एकेडेमिक काउंसिल, विद्या परिषद् की बैठक की। कुलपति की तमाम सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव पास किया।

माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि अयोग्य, अपात्र व नेताओं के कृपा पात्र लोगों की कुलपति के रूप में नियुक्ति से विश्वविद्यालय की अकादमिक वातावरण का बंटाढार हो गया है। विश्वविद्यालयों को राजनीति का अड्डा बनाया जा रहा है। मैं यह चेतावनी देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण ऐसा नहीं रहा तो हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय में टुकड़ा-टुकड़ा गैंग सक्रिय होगी, यह कहीं दूसरा जे.एन.यू. न बन जाये।

कुलपति पद की गरिमा व विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक वातावरण बना रहे, इसलिए यह संशोधन विधेयक सरकार वापस ले या मतदान की स्थिति में माननीय सदस्य नामंजूर करें, यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा व शिक्षण का एक अनुशासन होता है। कोई भी संस्थान अपने नेतृत्व के मार्गदर्शन में ही कार्य करता है। जब नेतृत्व ही अयोग्य व सिफारिशों, जोड़-तोड़ से पद भरने वाला होगा, जब नेतृत्व बिना डिग्री व बिना शिक्षण अनुभव के होगा तो वहां पर पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं में क्या संदेश व संस्कार जायेगा, यह भी विचारणीय विषय है। सुप्रीम

(श्री धर्मनारायण जोशी)
कोर्ट के फैसले के खिलाफ समवर्ती सूची के विषय पर सरकार यह संशोधन लाकर गलत परम्परा डाल रही है। मैं इसका विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातों का निवेदन करना चाहता हूं कि आज स्थिति यह है कि वहां पर बिल्डिंग खासा कोठी में दो करोड़ रुपये किराये में ले रखी है और एक दूसरी शिक्षा संकुल में एक करोड़ रुपये में किराये पर ले रखी है यानी, कुल तीन करोड़ रुपया किराया यानी, महीने का 25 लाख रुपया किराया यह सरकार दे रही है और माननीय सभापति महोदय, स्थिति वहां पर यह है कि स्टाफ है, स्टाफ को यू.जी.सी. के नियमों के विपरीत एक पीरियड के पांच हजार रुपये दे रही है और एक-एक आदमी को अस्सी-अस्सी हजार रुपये पेमेंट वहां पर कर रही है। माननीय सभापति महोदय, जो शैक्षणिक स्टाफ है, उनको 8 लाख 69 हजार वेतन दे रहे हैं और गैर शैक्षणिक को 7 लाख 57 हजार से ऊपर वेतन दे रहे हैं। जो लोग रिटायर हो गये हैं, प्रतिनियुक्ति पर जो हैं उनका वेतन है 13 लाख रुपये। माननीय सभापति महोदय, वहां की आय 20 से 25 लाख रुपये, वहां के विद्यार्थियों से इनकम है और केवल 250 विद्यार्थी हैं। पिछली बार तो 114 थे। पीजी में केवल 15 विद्यार्थी हैं। यूजीसी का नियम है, आप किसी गेस्ट फैकल्टी को 25 हजार रुपये से ज्यादा वेतन नहीं दे सकते हैं। वहां केवल मात्र चमचागीरी करने वाले लोगों को ओब्लाइज करने का अभियान चला रखा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 18 तारीख को विद्या परिषद् की बैठक थी, बैठक में जो खेल हुआ, आपको आश्चर्य होगा, मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा, पत्र लिखने के बाद बोर्ड आफ कन्ट्रोल की बैठक स्थगित हो गयी।

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कीजिए प्लीज।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। वहां पर अजय सिंहजी को डायरेक्टर बना रखा है। उनकी पत्नी को बिना योग्यता के वहां पूजा सिंह को नियुक्ति दे दी। वीसी साहब ने विद्या परिषद की बैठक में कुछ निर्णय किये। निर्णय यह किये कि वीसी का वेतन 2 लाख 10 हजार कर दिया जाये। 5 हजार अलग से भत्ता दिया जाये। माननीय मंत्री महोदय, वीसी ने खुद का यह निर्णय कराया कि वीसी को हवाई जहाज में बिजनेस क्लास में सफर करने की आज्ञा दी जाये। निर्णय यह करवाया उसमें कि उनके परिवार के...

श्री सभापति: वहां के निर्णय के बारे में चर्चा के बजाय आज जो आपको बोलना है, उसको कन्क्लूड करिये प्लीज।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): उन्हीं की व्यवस्था के लिए सारा खेल हो रहा है यह। यह जो बिल आया है, केवल एक आदमी को ओब्लाइज करने के लिए लाया गया है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहा है, उसको ओब्लाइज करने के लिए बिल लाये हैं।

सभापति महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि राज्यपाल महोदय ने उदयपुर के शिक्षाविद् डा. देव कोठारी को सदस्य बनाया वहां पर, आपको आश्चर्य होगा कि तीन वर्ष में एक बार भी उनको मीटिंग में नहीं बुलाया। आपसे मेरी प्रार्थना है कि इस अनियमितता को रोका जाये। मेरी कुछ बातें रह गयी हैं। मैं पटल पर रखने की परमिशन चाहता हूं। परमिशन दीजिए मुझे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, जिस विश्वविद्यालय के विधेयक पर हम चर्चा कर रहे हैं उस विश्वविद्यालय का सम्बन्ध इस राज्य के मुख्य मंत्री रहे, जंगे आजादी में ब्रिटिश हुकूमत को ललकारने वाले स्वर्गीय हरिदेव जोशी से है। मुझे बड़ी वेदना है कि हरिदेव जोशीजी के नाम से बने इस पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के नाम पर इस सदन में कई बार चर्चा हुई। सभापति महोदय, आप तो साक्षी उस समय के भी रहे जब नई सरकार के प्रथम सत्र में पूर्ववर्ती सरकार पर यह आरोप लगाया गया कि हरिदेव जोशीजी के नाम से जो पत्रकारिता विश्वविद्यालय खुला था, उसको पूर्ववर्ती सरकार ने बन्द किया।

यह बात सही है, 2012-13 के अन्दर तत्कालीन सरकार ने इस विश्वविद्यालय को खोलने की घोषणा की। मैं वह सारे रिकार्ड लेकर आया हूं, 2012-13 की बजट घोषणा के बाद विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए जो पैसा आबंटित किया, वह 59 लाख रुपये था। विश्वविद्यालय खोल रहे हैं हरिदेव जोशी के नाम से, जो सदन के नेता रहे। 2013-14 में 175 लाख रुपये, कांग्रेस की हुकूमत थी और उसके बाद यह बात भी सही है कि इसमें उस समय विद्यार्थियों की संख्या 79 थी, तब तत्कालीन सरकार ने इसको राजस्थान विश्वविद्यालय का जो पत्रकारिता विभाग है, उसमें सम्मिलित करने का फैसला किया और मैं समझता हूं कि आरोप-प्रत्यारोप के बीच में यह विश्वविद्यालय 2019 में पुन: प्रारम्भ हो गया। पहली बार सदन के अन्दर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसका पुन: बिल लाया गया और आज इस विश्वविद्यालय ने तीन वर्ष की यात्रा पूरी की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि इन तीन वर्षों में जिस प्रकार मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सिर्फ पहला विश्वविद्यालय होगा, सभापति महोदय, इसमें एक भी प्रोफेसर नहीं है। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके अन्दर एक एसोसिएट प्रोफेसर और छह असिसटेंट प्रोफेसर के दम पर यह विश्वविद्यालय चल रहा है। यह हिन्दुस्तान में पहला विश्वविद्यालय होगा जो दड़बानुमा कमरों के अन्दर खासाकोठी में चल रहा है। यह पहला विश्वविद्यालय होगा जिसका एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक विश्वविद्यालय से कई किलोमीटर दूर शिक्षा संकुल में है।

सभापति महोदय, जो बिल आया है, मुझे बड़ा अफसोस है। राजस्थान में ही नहीं, पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, 1956 से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने पूरे देश के अन्दर विश्वविद्यालय के अन्दर शैक्षणिक, अशैक्षणिक, कुलपतियों की अर्हताएं एक समान रहे, इस बात को लेकर रेगुलेशन तय किया। 2010 के अन्दर सबसे पहले यूजीसी ने रेगुलेशन पास किया। 2018 के अन्दर उसमें अमेंडमेंट लेकर आये और बात सिर्फ एक ही थी कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक वातावरण पठन और पाठन का बना रहे, इसलिए उस विश्वविद्यालय में कुलपति उसे ही नियुक्त किया जायेगा जिसके पास कम से कम 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव हो, जिसके पास पीएचडी हो, जो प्रमुख शिक्षाविद् हो।

अब जो यह संशोधन 11(2) में लेकर आये हैं, मुझे बड़ा अफसोस है। सभापति महोदय, लिखा है उद्देश्य और कारणों के कथन में, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर केवल पत्रकारिता और जनसंचार क्षेत्र से संबंधित है। बिलकुल ठीक है। इसलिए राज्य सरकार ने आवश्यक समझा कि खोजबीन समिति, जो चयन समिति हो, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता और जनसंचार की किसी भी शाखा में न्यूनतम 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले किसी प्रोफेशनल की नियुक्ति की सिफारिश कर सकेगी। इस कारण से 11(2) में संशोधन आया।

सभापति महोदय, आज सुबह मैं जहां से चुनकर आता हूं हमारे वहां अख़बार चलता है उड़ता कबूतर। 40 साल से चलता है। प्रिंटिंग प्रेस में जाकर पूरे साल का एडवांस ही छपा लेते हैं एक साथ, पाक्षिक है। उसकी लगभग 100-125 कापियां होती हैं। आज उड़ता कबूतर के सम्पादकजी का मेरे पास

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

टेलीफोन आया कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय हरिदेव जोशी के नाम से है, 20 वर्ष का अनुभव पत्रकारिता में रखने वाले को कुलपति बनाया जा रहा है, तो मेरा भी नाम कहीं हो सकता है क्या? मैंने कहा कि आप भी एप्लाई कर देना। किस प्रकार का मजाक हम कर रहे हैं?

मावली से आने वाले माननीय सदस्य की बात को कोट करना चाहूंगा और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य नाराज हो जायेंगे क्योंकि ओम थानवीजी से आपकी मित्रता है, दर्जनों उन्होंने लेख लिखे होंगे क्योंकि लेखनी को स्वतंत्रता है। संविधान प्रदत्त अधिकार है। केन्द्रीय सरकार को कोसा होगा पर अचानक कुर्सियां दे देना।

सभापति महोदय, मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहूंगा, मैं सदन का ध्यान प्रक्रियाओं के नियम में आर्टिकल 208(1) के तहत बने हैं, यह हमारे लिए विधान सभा में किस कानून पर हम चर्चा कर सकते हैं, किस मोशन पर चर्चा कर सकते हैं, किस विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उसका बाइबल है, यह हमारी गीता है। हमारी गीता में क्या लिखा है, 109 संकल्प की ग्राह्यता की शर्तें में खण्ड 6 में लिखा है, 'वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय के निर्णय के अन्तर्गत हो।'

इसी प्रकार मैं सदन का ध्यान नियम और प्रक्रियाओं के नियम 119 के 8 में लोकहित के विषय पर चर्चा, किसी भी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय में निर्णीत होगा।

इसी तरह, सभापति महोदय, 121 में इस बात का है। यह बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूं कि मैं सदन का ध्यान माननीय उच्च न्यायालय ने 27 जनवरी को एक मामले में जनहित याचिका संख्या 1245/2022 पंकज प्रताप सिंह, रघुवीर सिंह बनाम ओम थानवी, कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर; नम्बर एक पार्टी। नम्बर दो, रजिस्ट्रार, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर, नम्बर तीन सेक्रेटरी राज्य सरकार; नम्बर चार सेक्रेटरी यू.जी.सी., मतलब एक जनहित याचिका दायर हुई। उस जनहित याचिका में एक आरोप लगाया गया कि जो यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 और यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 है, उसमें प्रावधान है कि 10 वर्ष के प्रोफेसर पद का

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुभव होना चाहिए, पीएच.डी. होनी चाहिए। यह कुलपति महोदय वह अर्हताएं नहीं रखते और पूरे मामले के अन्दर नोटिस जारी हुआ है। मेरा यक्ष प्रश्न यह है, मैं आसन से प्रोटेक्शन भी चाहता हूं और व्यवस्था भी चाहता हूं। हम नया पैंडोरा बाक्स खोल लेंगे। मंत्री महोदय, जो मामला राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, जिसके अन्दर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को पार्टी बनाया गया, नोटिस दिया गया है, उस न्यायालय के अन्दर हमारे नियम और प्रक्रियाओं के नियम 109, 119 और 121 में है कि सदन में चर्चा नहीं हो सकती, आप इस बिल को विथड्रा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, यही नहीं, अभी जिस उच्चतम न्यायालय के निर्णय की बात कही गयी, यह गम्भीरदान के. किदवई बनाम स्टेट आफ गुजरात, इसके अन्दर सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, मैं उस फैसले की कापी लेकर आया हूं। 05 जुलाई, 2018 का वह फैसला है। उस फैसले में लिखा है यू.जी.सी. के कुलकर्णी थे, यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 की धारा 7(3) के प्रावधानों में जो शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं करती, उन कुलपतियों की नियुक्ति अवैध है। गुजरात में इन कुलकर्णी जी के बाद सात और विश्वविद्यालयों के कुलपति, जो अर्हता ही नहीं रखते थे, उनको हटना पड़ा था। जस्टिस एम.आर. शाह ने जो निर्णय दिया, उन्होंने कहा कि यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 और यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 में स्पष्ट प्रावधान है। उन्होंने यह भी कहा यू.जी.सी. अधिनियम, 1956 चूंकि यह संसद द्वारा पारित किया गया है और यू.जी.सी. अधिनियम के रेगुलेशन अधिनियम का हिस्सा है, इसलिए उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, यू.जी.सी. रेगुलेशन को अपनाना राज्य की जिम्मेवारी है। आगे उन्होंने यह भी कहा कि राज्य व उसके अधीन विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में किसी प्रकार की हेरा-फेरी, मनमानी, भाई-भतीजावाद और पक्षपात के लिए कोई जगह नहीं। पात्रता, मापदण्ड निर्धारित करना खोज समिति की इच्छा पर नहीं छोड़ा जा सकता।

माननीय सभापति महोदय, आज जो सर्वोच्च न्यायालय में फैसला हो गया, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, वह कानून बनता है। सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, जो गम्भीरदान के. किदवई के मामले में था और इसी फैसले के मापदण्ड के अनुसार वहां छह और माननीय कुलपतियों को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। यक्ष प्रश्न यह है उच्च न्यायालय आपको नोटिस देता है। यक्ष प्रश्न यह भी है कि आपके सामने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है। उसके बाद भी आप सिर्फ एक व्यक्ति को, मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का जो नाम है, संशोधन विधेयक, माननीय सभापति महोदय, इस संशोधन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधेयक को अगर आप ओम थानवी नियुक्ति संशोधन विधेयक, यह जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता दूरसंचार (संशोधन) विधेयक, 2020 है, उसमें हरिदेव जोशी पत्रकारिता दूरसंचार फिर संशोधन के नाम पर ओम थानवी नियुक्ति संशोधन अधिनियम, अगर यह लिख देते तो ज्यादा ठीक रहता। एक मकसद, एक व्यक्ति, उसी को पद पर पहुंचाना, मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी बात को कंक्लूड करूं, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा। यह जो यू.जी.सी. के रेगुलेशन हैं, यह यू.जी.सी. के रेगुलेशन, जो सैक्शन 14 और 26 के अन्तर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र के सारे विश्वविद्यालय, प्रदेश के विश्वविद्यालयों में यह बाइंडिंग है, यू.जी.सी. मान्यता समाप्त कर सकती है सैक्शन 3 के अनुसार और मैं निवेदन करूं कि यह जो आप संशोधन लेकर आए हो, यू.जी.सी. रेगुलेशन 2010 और 2018, इसके कंट्रावेंशन में लेकर आए हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान की सातवीं अनुसूची, आर्टिकल 246 के अन्तर्गत बनी हुई है और उसकी एंट्री 25 में शिक्षा सब्जैक्ट लिखा हुआ है। यानी शिक्षा के विषय पर हमारे सदन को और संसद, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, पर 254 में यह भी लिखा है कि अगर एक ही विषय पर संसद और विधान मण्डल दोनों कानून बनाते हैं तो संसद का कानून आर्टिकल 254(2) के अनुसार प्रभावी रहेगा। आपने कर दिया, मंत्री महोदय, यह आपके घर का राज नहीं है, यह काकाजी का राज भी नहीं है, यह ओम थानवी जी का राज भी नहीं है। यह जाएगा राज्यपाल महोदय के पास, यह जाएगा राष्ट्रपति महोदय के पास। इसलिए हम ऐसे खोटे कानून के साक्षी बनें, यह विश्वविद्यालय की पवित्रता पर और विश्वविद्यालय में भाई-भतीजावाद पर और मैं उन आरोपों का समर्थन करते हुए मेरी बात समाप्त करूंगा, जो मावली से आने वाले माननीय सदस्य ने बताए। क्या आवश्यकता पड़ी एक फरवरी को कुलाधिपति राज्यपाल को पत्र लिखने की कि थानवी साहब, अब आपके रिटायरमेंट के दो सप्ताह बचे हैं, यह विद्या परिषद् की बैठकों में अपना खुद का वेतन बढ़ा लेना, यह कुलपति हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार का अन्याय नहीं हो, इसलिए हम इसके साक्षी नहीं बनना चाहते। मंत्री महोदय, छोड़ो इस बात को, आप दबाव में मत आओ। यह ऐसा शस्त्र है, जो चलेगा न, घूम-घूमकर आपको ही लगेगा और आपको स्वाहा कर देगा। यह पत्रकारिता में काम करने वाले उन विद्यार्थियों की आह लगेगी, डाह लगेगी इसलिए इस प्रकार का काम मत करो। इसको आप बिना संकोच के वापस ले लो, हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, लगभग सारी बातें मावली से आने वाले माननीय सदस्य और उप नेता, प्रतिपक्ष महोदय ने कह दीं। मैं तो केवल एक बात आपके समक्ष रखूंगा कि एक महीने पहले, जब यह बिल आया भी नहीं था, उस समय इस बिल का एक-एक कंटेंट सोशल मीडिया में चल रहा था, उसका प्रिंट मैं निकालकर लाया हूं। इस बिल का अक्षरश: उस कंटेंट से मिलता है। मेरे से पहले बोलने वाले दो पूर्व सदस्यों ने कहा किसके लिए बिल आया है, क्यों आया है? इससे पहले जब बिल आये थे सदन में, तो वह कुछ कुलपतियों को हटाने के लिए लाये गये थे। इस बार जब बिल लाया गया है, वह किसी विशिष्ट व्यक्ति के लिए बिल लाकर कुलपति बनाने के लिए लाया गया है। माननीय सदस्यों ने जो चिन्ता यहां पर व्यक्त की कि कोई पार्टी की चिन्ता नहीं है, जो चिन्ता पहले भी यहां पर बिलों में भी की और इस बार भी की, कि राजस्थान की शैक्षणिक स्थिति हमने क्या बना दी? राजस्थान में कितने कालेजों के पास नैक का एक्रेडिएशन है? यू.जी.सी. के कितने कालेज नियमों के अनुसार चल रहे हैं? कितने कालेजों के पास बिल्डिंग हैं? कितनी यूनिवर्सिटीज की हालत क्या है? यूनिवर्सिटी के लिए बताया गया कि यह खासाकोठी में चल रही है। इसका एडम ब्लाक शिक्षा संकुल में है और पढ़ाई कहीं और हो रही है। केवल तीन-चार करोड़ रुपये तो उसका किराया ही दिया जा रहा है, वेतनमान दिया जा रहा है। केवल इन चीजों के लिए यदि बिल लाएंगे तो मैं समझता हूं कि यह राजस्थान के उन डेढ़-दो करोड़ विद्यार्थी, जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन सबका अपमान है और इनका हश्र क्या होगा? माननीय सभापति महोदय, यहां करीब 20 के लगभग सदस्य राजस्थान विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जैसे मैं, जहां से हम सब निकले, वहां पर भी आज सरकार की अनदेखी के कारण जिस प्रकार के हालात पैदा हो गये, यह पूर्व मुख्य मंत्री आदरणीय हरिदेव जोशीजी के नाम का विश्वविद्यालय है, इसके आगे जाकर क्या हालात होंगे?

मैं आपके सामने उदाहरण रखना चाहता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालय में जो महारानी कालेज है, महारानी कालेज से लगता हुआ वहां प्रिंसिपल बंगला है, प्रिंसिपल बंगले के अन्दर पिछले दो साल से एक छोटा-सा, तीन-चार पत्थर रखकर उस पर हरा रंग लगाकर एक नई मजार बना दी गयी है। यह शिक्षा के मन्दिरों का हाल हो रहा है। एक तरफ जिस तरह से हम

(श्री अशोक लाहोटी)

कुलपति नियुक्त कर रहे हैं, जो उप मुख्य सचेतक हैं सत्ता पक्ष के, आप भी उस विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे हो, आप कभी साथ चलकर देखो, यह वही महारानी कालेज है जहां हम लोग वोट मांगने जाते थे। उसके प्रिंसिपल के बंगले के अन्दर, कालेज कैम्पस के अन्दर चार पत्थरों पर हरा रंग करके एक मजार बना दी जाती है और उस मजार को वहां पर रूप देकर धीरे-धीरे वहां पर एक जमावड़ा इकट्ठा हो जाएगा। वह पार्ट कालेज कैम्पस से अलग कर दिया जाएगा। इस तरह के शिक्षा के मंदिरों का हम क्या करना चाहते हैं? जिस प्रकार से हम कुलपति लगा रहे हैं, जिस प्रकार राजनैतिक हस्तक्षेप बढ़ा रहे हैं, जिस प्रकार से इनकी स्वायत्तता खतम कर रहे हैं, जिस प्रकार से शिक्षा के मन्दिरों का हम राजनीतिकरण कर रहे हैं, शिक्षा के मन्दिरों का व्यावसायीकरण कर रहे हैं, उससे इसी प्रकार की घटनाओं का जन्म होगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है मंत्री महोदय, कि इस बिल को आप जनमत जानने के लिए भेजें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल (अनुपस्थित)। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बिल पर बोलने का मौका दिया इसके लिए धन्यवाद। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे विधान सभा के अध्यक्ष महोदय स्वयं कालेज एजुकेशन से आते हैं, विश्वविद्यालय से आते हैं, प्रोफेसर हैं लेकिन उसके बावजूद उनकी अध्यक्षता वाले इस सदन में ऐसा बिल लाया जाये, तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती।

माननीय सभापति महोदय, अभी मावली, सांगानेर और चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बात कही, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जी.के. गढ़वी वर्सेज स्टेट आफ गुजरात रिट पिटिशन संख्या 1525/2019 में 3 मार्च, 2022 को निर्णय देते हुए सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात के कुलपति की योग्यता यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार प्रोफेसर के रूप में 10 वर्ष का अनुभव नहीं होने पर उन्हें पद से हटाने का निर्देश दिया है। क्या यह सरकार भी चाहती है कि सदन का, जो जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है, जिससे सदन चलता है, जिससे सदन में पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, वह खर्च करके वापस उसी स्थिति पर लाया जाये? इस प्रकार का बिल लाकर के क्या सन्देश देना चाहते हैं?

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आगे बताना चाहती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देते हुए रेखांकित किया है कि यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 26 (1)(ई) और 26 (1)(जी) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूजीसी द्वारा यूजीसी विनियमन बनाये गये हैं। राज्य के कानून और केन्द्रीय कानून के बीच में किसी भी प्रकार की कन्ट्रोवर्सी के मामले में संविधान के अनुच्छेद 254 में प्रतिपादित विरोध का नियम सिद्धान्त के अनुसार केन्द्रीय कानून प्रभावी होगा। जब यह आलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया और यह हम सबको मालूम है कि इसमें अल्टीमेटली केन्द्रीय कानून ही प्रभावी होने वाला है, फिर हम यह बिल क्यों लेकर आ रहे हैं? यह मेरी समझ से परे है। यूजीसी विनियमन प्रावधानों के विपरीत कुलपति के रूप में कोई भी नियुक्ति वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे आपसे उल्लेख करना चाहूंगी कि यूजीसी से मान्यता प्राप्त प्रत्येक विश्वविद्यालय पर समान रूप से लागू होंगे तथा विश्वविद्यालय, राज्य सरकारें इन विनियमनों को अपनाने के 6 महीने के भीतर सभी सम्बन्धित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और विधियों को संशोधित करेगी। कोर्ट ने इस तथ्य को भी रेखांकित किया है कि रेगुलेशन में यह शर्त है कि सम्पूर्ण रेगुलेशन, सिर्फ एक धारा नहीं, सम्पूर्ण रेगुलेशन एक कंपोजिट स्कीम के रूप में बिना मोडिफाई किये, यह शब्द स्पेशली रूप से लिखा है, बिना मोडिफाई के लागू किया जायेगा। इस सम्बन्ध में यूजीसी के 11 अगस्त, 2014 के पत्र को एज इट इज फैसले में शामिल किया है जिसे यूजीसी की ओर से लिखा गया है कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचनाएं मेंडेटरी हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि यह सिर्फ समय को जाया करने का ही प्रावधान है। मुझे लगता है कि यह जो बिल सरकार लायी है, यह सरकार भी जानती है कि राज्यपाल के पास जब यह बिल जायेगा तो यह पारित नहीं होगा, इस पर हस्ताक्षर नहीं होंगे क्योंकि यह वैधानिक नहीं है। यह आप सिर्फ हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में ओम थानवी जी को उपकृत करने के लिए, उनको सन्देश देना मात्र है क्योंकि यह फलीभूत नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहती हूं कि उच्च शिक्षा तंत्र से जुड़ा हुआ विशिष्ट शिक्षाविद् होना चाहिए ऐसा उसमें लिखा हुआ

(श्रीमती अनिता भदेल)

है। ऐसी स्थिति में उच्च शिक्षा तंत्र के बाहर से किसी पत्रकार को कुलपति के पद पर बैठाना यूजीसी रेगुलेशन और सुप्रीम कोर्ट दोनों के निर्देशों का उल्लंघन है। यह राज्य सरकार का आर्डर है। यह आर्डर है जयपुर, डेटेड 19.08.2020 जिसमें राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से यूजीसी के नियमों को सभी यूनिवर्सिटीज में लागू किया है। राज्य सरकार ने इसको अडॉप्ट कर लिया है। जब सरकार ने इस आर्डर को अडॉप्ट कर लिया है तो राज्य सरकार स्वयं इसका वायलेशन कैसे कर सकती है? इसमें सारे रूल्स दिये हुए हैं। आप चाहे तो मैं इसे टेबल भी कर सकती हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जे.पी. सिंघल जी का उदाहरण हम ले लेते हैं। जे.पी. सिंघल जी शिक्षाविद् थे। इसी सदन में, इसी कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था? अशोक गहलोत जी के स्टेटमेंट स्वयं वह उठाकर के देख लें कि उन्होंने क्या किया था? वह क्योंकि पीएचडी नहीं थे, राजस्थान विश्वविद्यालय के एक्ट में उस समय पीएचडी होना अनिवार्य नहीं था, लेकिन यूजीसी के नियम लागू होने चाहिए, जब यही अशोक गहलोत जी, जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री हैं, वह उस सन्दर्भ में तो बात अलग कहते हैं और इस सन्दर्भ में आप कानून में संशोधन लेकर आ रहे हैं। आप नया कानून बना रहे हैं। यह किसी भी तरह से न्यायोचित नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे निवेदन करना चाहती हूं कि ओम थानवी जी का क्या व्यवहार है? एक तो चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने याचिका का उल्लेख किया ही है, अहमदाबाद का उल्लेख मैंने आपको कर ही दिया, "Jaipur: Rajasthan High Court has issued a notice to the UGC, the State government and the Vice-Chancellor of Haridev Joshi Journalism and Mass Communication University. A reply has been sought within three weeks." सिर्फ 3 सप्ताह में उनको जवाब देना है।

"Petition is filed by one Pankaj Pratap Singh who has questioned the qualification on which Om Thanvi, current vice-chancellor of the university was appointed." इसी तरह से माननीय हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के बारे में उन्होंने लिखा है कि आपको जवाब देना है, "It has been said in the petition that as per the rules of the UGC, it is mandatory to have 10 years of professorship experience and a PhD degree as a vice-chancellor. The current vice-chancellor

(श्रीमती अनिता भदेल)

Om Thanvi has neither a PhD degree nor 10 years of professor experience. Hence, on what ground he was appointed as the vice-chancellor to state's only journalism university. The notice was issued by a bench of Justice Mahindra Mohan Srivastava and Justice Birender Kumar of the Rajasthan High Court while hearing a PIL filed by Pankaj Pratap." यह पंकज प्रताप की पीआईएल है, 3 सप्ताह में गवर्नमेंट को जवाब देना है।

ओम थानवी जी कौन हैं? इनकी चर्चा की जाये तो मैं निवेदन करूंगी कि एक ट्वीट अभी फिलहाल में उत्तर प्रदेश के चुनाव के सन्दर्भ में ओम थानवी जी ने किया, क्योंकि वह एक वर्ग विशेष की, एक विशेष राजनीतिक दल की विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए उन्होंने एक ट्वीट किया 'भारत का लोकतंत्र' और उसमें एक वीडियो अपलोड किया। यूपी चुनाव के सन्दर्भ में उन्होंने यह वीडियो अपलोड किया। वाइस चांसलर जैसा आदमी, इतनी ओछी राजनीतिक हरकत करेंगे?

श्री सभापति: बिल पर बोलिये। आप बिल पर बोलिये, व्यक्ति पर नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मैं बिल पर ही, बिल तो उन्हीं के लिए ही लाये हैं ना, यह कौन नहीं जानता है।

श्री सभापति: बिल पर बोलिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इस बात को कौन नहीं जानता है कि यह बिल ओम थानवी जी के लिए लाया गया है। वह व्यक्ति किस तरह से राजनीति में इस्तेमाल हुए हैं। उन्होंने यूपी चुनाव के सन्दर्भ में जो ट्वीट किया, यूपी पुलिस ने जब उसका इंवेस्टिगेशन किया तो पता पड़ा कि वह फेक ट्वीट था। जो वाइस चांसलर, जो शिक्षा के सबसे उच्च पद पर बैठा हुआ है, वह व्यक्ति इस तरह का कृत्य करेगा तो नीचे अपने स्टूडेंट्स को क्या शिक्षा देगा? किस दिशा में लेकर जायेगा? वह ठीक कहा उन्होंने कि इस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को जेएनयू बनाना चाहते हैं। साथ-साथ में, जेएनयू बनायें आप, लेकिन आप इस जेएनयू की चाल को पूरा नहीं कर पायेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करती हूं कि यह जो बिल लाया गया है, यह पूरी तरह से अवैधानिक है, सरासर गलत है। मैं आज आपको आश्वस्त करती हूं कि माननीय राज्यपाल महोदय इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यह समय जाया न किया जाये। माननीय मंत्री महोदय, आप इस बिल को वापस लें और जो यूजीसी के रूल्स हैं, उसके अनुसार आप लेकर आयें।

(श्रीमती अनिता भदेल)

खासा कोठी का पहले बता ही दिया कि खासा कोठी में किस तरह से, जहां एक भी प्रोफेसर नहीं है, जहां स्टूडेंट्स बहुत कम हैं, क्या क्वालिटी होगी? हम तो क्वालिटी की बात करते हैं कि हम क्वालिटी वाली शिक्षा देंगे। ऐसी स्थिति में क्वालिटी तो बहुत दूर, पता नहीं कहां छूट गयी। पहले आपको यूनिवर्सिटी की स्थापना करनी है। पहले फुलफ्लेज्ड तरीके से यूनिवर्सिटी की स्थापना करें, प्रोफेसर्स की भर्ती करें।

माननीय महामहिम को चिट्ठी लिखनी पड़ी है कि आप जो नियुक्तियां करने जा रहे हैं, चूंकि आपका कार्यकाल खतम हो रहा है इसलिए आप नियुक्तियां नहीं कर सकते। उनको यह चिट्ठी लिखने की क्या जरूरत थी? आप अपने कार्यकाल के अन्तिम वर्ष में नीतिगत निर्णय नहीं कर सकते, लेकिन आप नीतिगत निर्णय कर रहे हैं क्योंकि आपको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।

माननीय सभापति महोदय, मैं सरकार से मांग करती हूं, मंत्री महोदय से मांग करती हूं कि दबाव में, ओम थानवी जी ने आपको राजनीतिक रूप से प्रेशर दिया होगा, आप राजनीतिक दोस्त रहे होंगे, लेकिन उनके दबाव में आप यह गलत काम नहीं करें। यह गलत परम्परा स्थापित नहीं करें, नहीं तो आपको जनता के बीच में जवाब देना मुश्किल होगा। इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को पूरा करती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के संशोधन विधेयक में संशोधन के लिए बिल लाया गया है।

माननीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि पहले से ही नियम बने हुए हैं, पहले जो प्रावधान हैं उनमें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियमों और अन्य राज्य विश्वविद्यालयों के अधिनियमों के उपबन्धों के अनुसार हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम 2019 की धारा 11 की उप-धारा (2) में भी समरूप उपबन्ध किया गया था कि विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने वाला कोई व्यक्ति किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में प्राचार्य के रूप में न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध या शैक्षिक, प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर 10 वर्ष का अनुभव रखने वाला और प्रख्यात शिक्षाविद् होगा। यह पहले से प्रावधान है। अब सरकार यह चाहती

(श्री मदन दिलावर)

है, इसमें संशोधन लाना चाहती है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं उनको भी विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया जाये। मैं समझता हूं कि यह कुलपति की गरिमा को भी ठेस पहुंचाना है और विश्वविद्यालय का भी अपमान करना है और माननीय हरिदेवजी जोशी जैसी श्रेष्ठ विभूति के नाम पर जो विश्वविद्यालय है उनके नाम पर भी बट्टा लगाना है।

यह जो बिल लाया गया है, किसी व्यक्ति विशेष को खुश करने के लिए लाया गया है, जो नहीं लाया जाना चाहिए था। क्या पत्रकारिता क्षेत्र में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं? क्या 10 वर्ष का अनुभव अन्य लोगों को नहीं है? क्या कोई और शिक्षाविद् इस क्षेत्र में नहीं हैं? यदि हैं, तो फिर इसमें संशोधन करने की क्या जरूरत है? जब संशोधन ही करना है तो सभी विश्वविद्यालयों में कीजिये ताकि कोई भेड़ चराने वाला भी वेटेरिनरी विश्वविद्यालय का कुलपति बन सके। कोई मिस्त्री भी राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कुलपति बन सके। माननीय सभापति महोदय, इसी प्रकार का कोई खेती करने वाला किसान भी किसी कृषि विश्वविद्यालय का कुलपति बन सके। लाना चाहिए न? क्यों नहीं ला रहे हैं? यदि इनको अनुभव के आधार पर ही ये देना चाहते हैं और अपने व्यक्ति को लाना चाहते हैं ताकि उनसे अपने उलटे सीधे काम करवाते रहें। जिस प्रकार से रीट में इन्होंने धांधली की थी, जिस प्रकार से पेपर इन्होंने बेचा था।

श्री सभापति: आप विषय पर ही बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उसी प्रकार से पत्रकार या अपने किसी आदमी को बैठाकर, जिनको अनुभव नहीं है, योग्यता नहीं है और सारे नियमों को तोड़कर बैठाना चाहते हैं तो इस विश्वविद्यालय से क्या ये डिग्रियां बंटवाना चाहते हैं? क्या नोट कमाना चाहते है? क्या राजस्थान को लूटना चाहते हैं? क्या राजस्थान के बच्चों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं? क्यों इस प्रकार का लाना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, इसमें कोई न कोई बड़ा राज है। चुनाव आने वाले हैं, ज्यादा समय नहीं रहा है, +++ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, इस तरह की बातें न की जायें। डिलीट किया जाये।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): क्या मतलब है?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): कुछ तो आपने कमा लिया रीट से, बाकी बच गया वो इस विश्वविद्यालय से +++ के माध्यम से... (व्यवधान)।

श्री सभापति: किसी आदमी का नाम लेकर कहा है तो डिलीट किया जाये। विषय पर बोलिये आप। (व्यवधान) आप अपने विषय पर बोलिये। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? यह स्पष्ट करना होगा माननीय मंत्री महोदय को। क्या आवश्यकता पड़ी? क्या राजस्थान में पढ़े-लिखे लोगों की कमी हो गयी? क्या देश में पढ़े-लिखे लोगों की कमी हो गयी? क्यों लाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं संशोधन? अगर करना चाहते हैं तो सारे विश्वविद्यालयों में क्यों नहीं करते हैं? सारे विश्वद्यालयों में करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार से और माननीय मंत्रीजी से कि इसको वापस ले लें आपका मान और सम्मान रखना है तो, नहीं तो कभी भी लौटकर राज्यपाल महोदय के यहां से नहीं आयेगा, न इस पर दस्तखत होंगे, आपकी दुर्गति होगी। यदि आपको अपना मान और सम्मान बचाना है तो इसको वापस ले लें। इतना ही निवेदन करना था।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, यह जो संशोधन हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के लिए लाया गया है, यह संशोधन अवैध और गैर कानूनी है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने इसको गैर कानूनी स्पष्ट रूप से सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से यूजीसी एक्ट 2010 और यूजीसी एक्ट 2018 के यह खिलाफ है। कोई भी राज्य सरकार जो यूजीसी के नियमों को एडॉप्ट करती है तो नियुक्तियों में शत-प्रतिशत उसके नियमों का पालन करना आवश्यक है। उससे स्पष्ट है कि प्रोफेसर का अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए लेकिन आपने इस प्रकार का किया है कि किसी पढ़ाई-लिखाई की आवश्यकता नहीं है, केवल जैसा हमारे उप नेता ने कहा, 'उड़ता कबूतर' का एक्जाम्पल दिया, ऐसे अख़बार प्रान्त में बहुत निकल रहे हैं, कोई भी किसी भी अख़बार का सम्पादक लिख देगा कि मेरे को कुलपति नियुक्त कर दिया जाये और यदि मुख्य मंत्रीजी की मेहरबानी हो जायेगी कि मेरी चाटुकारिता करता है, मेरी विचारधारा को बढ़ावा देता है तो इसी को कुलपति नियुक्त कर दो। आखिर आप राजस्थान में करना क्या चाहते हैं? क्या पत्रकारिता में पढ़े-लिखे लोग नहीं हैं? पढ़े-लिखे लोग खूब हैं,

(श्री वासुदेव देवनानी)

मास कम्युनिकेशन में आपको आज डाक्टरेट किये हुए लोग मिल जायेंगे, लेकिन वो नहीं, मेरे को तो वही चाहिए जो मेरे इशारे पर काम करे, मैं मोदीजी और आरएसएस को गालियां देता हूं तो उनको गालियां देने वाला संगठन, वामपन्थी विचारधारा के लोग, थानवी जैसे लोग, आज हमको चाहिए जिनको मैं विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त कर दूं। इस प्रकार का षड्यंत्र, यदि आपको पत्रकारिता का 20 साल का अनुभव चाहिए तो आज किसी न किसी एडवोकेट जो 20 साल से वकालत कर रहा है, उसका मुंशी जो वकील के साथ जाता है, उसको क्या आप लॉ यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त कर देंगे? क्या किसी कृषक को आप किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त कर देंगे? क्या किसी टेक्नोक्रेट को किसी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का वीसी नियुक्त कर देंगे? उनके लिए तो नहीं, केवल नियम पत्रकारिता के लिए लागू होगा और ऐसे विश्वविद्यालय के कुलपति, मैं आज आपको दावे के साथ कहता हूं कि वामपन्थी विचारधारा और राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोगों को सपोर्ट करने के लिए और उन लोगों को भर्ती करने के लिए इस प्रकार की योजना बनायी जा रही है। (व्यवधान)

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): इसको डिलीट करवायें, सर, क्या मतलब है, नाम ले रहे हैं। क्या तरीका है? (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आपने रीट में खूब घोटाले किये। (व्यवधान) माननीय सदस्य घोटाले करने के बाद इस तरह की बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। मैं निवेदन करता हूं कि जिस बिल पर आपको अपना विचार व्यक्त करना है, please keep adherence to the bill only. व्यक्ति विशेष की बात करने की क्योंकि इसमें कंटेंट में व्यक्ति विशेष का नाम नहीं आया, नम्बर वन, और इधर-उधर की बात करके सदन का समय जाया नहीं करें। दूसरा, विनम्र निवेदन है कि रिपीटेशन न करें, जो आपके पहले माननीय सदस्य ने बोल लिया तो वह तो सदन के सामने आ गया, रिपीट नहीं करें, अपनी नई बात हो वो जरूर बतायें। थैंक यू।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मैंने इस प्रकार से कहा कि यूजीसी के नोर्म्स का पालन करना आवश्यक होता है। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी सारे देश पर लागू होते हैं। अभी जैसा बताया गया कि 3 मार्च, 2022 को ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, सरदार

(श्री वासुदेव देवनानी)

पटेल यूनिवर्सिटी, गुजरात, उसके लिए कोर्ट में गये। वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट निर्णय दिया है और उसके कारण से उसके कुलपति की नियुक्ति अवैध घोषित हुई। क्या हम चाहते हैं कि राजस्थान में इस प्रकार के निर्णय आयें? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को तो कई बार कोट किया जाता है और यहां तो उलटा है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो आ गया लेकिन उसके बीच में अब जिस विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में, योग्यताओं के बारे में संशोधन लाया गया है, उसके बारे में हाई कोर्ट में एक रिट चल रही है, हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है और नोटिस देकर तीन सप्ताह में जवाब मांगा गया है। यानी तीन सप्ताह का भी धैर्य नहीं है, आप आने तो देते हाई कोर्ट का निर्णय। हाई कोर्ट भी जब निर्णय करेगी तो उसके सामने सुप्रीम कोर्ट का निर्णय रखा जायेगा, तब हाई कोर्ट भी उसके अनुसार ही निर्णय करेगी। तो हाई कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन नहीं, उसके बारे में सोच नहीं, केवल एक तानाशाही, नादिरशाही, जो चाहे सो हम कर दें, बहुमत के आधार पर हम चाहे जो विधेयक पारित करवा दें, यानी इस प्रकार की सोच होना। मैं समझता हूं कि यह स्पष्ट है, शायद ये जानते होंगे शिक्षा मंत्रीजी भी, इस संशोधन को लाने वाले मंत्री महोदय, आखिर किस प्रकार से समवर्ती सूची में केन्द्र के निर्णयों की पालना करना आवश्यक होता है। समवर्ती सूची में शिक्षा है, उसमें दोनों का अपना-अपना है। उस नाते मैं कहूंगा कि आपको जो हाई कोर्ट का नोटिस जारी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके सामने है और उसके अलावा एक चीज जो कहना चाहूंगा कि अभी तीन महीने बाकी थे कुलपति की नियुक्ति में, मैंने राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा था कि ये अवैध नियुक्तियां करने जा रहे हैं, राज्यपाल ने उस आदेश में मेरा रेफरेंस भी लिखा है कि उनके पत्र के अनुसार ये जो नियुक्ति करने जा रहे हैं उन पर तुरन्त रोक लगायी जाती है और वो रोक लगी। यानी इनका तो था कि मेरे जाने से पहले सारी नियुक्तियां कर दूं ताकि अवैध जितना मैं लोगों को भर सकूं उतना भर दूं, यानी इस प्रकार की एक सोच होना।

(समय: 14.00 बजे)

और अब शिकायत करके मैं रिपीट नहीं करना चाहता, जैसा आपने कहा कि उसके 15 दिन पहले मीटिंग बुलाकर अपने लिए भत्तों इत्यादि में बढ़ोतरी कर देना, यह कहां की नैतिकता है? इस प्रकार की अनैतिकता क्यों हमारे राजस्थान के विश्वविद्यालयों में करें? हमारे बच्चों को किस प्रकार से

(श्री वासुदेव देवनानी)

हम बनाना चाह रहे हैं, कौन-से पत्रकार बनाना चाह रहे हैं, कौन-सी दिशा दे रहे हैं? राजस्थान के पत्रकार श्रेष्ठ हैं, समझदार हैं, लेकिन इस प्रकार की नयी-नयी शिक्षा देकर हम किस प्रकार उनमें विष भर देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। अत: मैं आपके माध्यम से यह मांग करता हूं कि इस विधेयक को वापस लें। राजस्थान की प्रतिष्ठा को आंच न पहुंचाएं। इससे राजस्थान के शिक्षा जगत पर काला धब्बा लगेगा। उसकी प्रतिष्ठा निश्चित रूप से नीचे जायेगी। इस प्रकार से राजस्थान को हम बदनाम न करें। पत्रकारिता अलग विषय है, एजुकेशन अलग विषय है। पत्रकारिता नहीं करनी है यहां पर। यहां पर जाकर पत्रकारिता विश्वविद्यालय में लोगों को शिक्षा देनी है। दोनों की सोच अलग है। जरा विचार करिये कि पत्रकारिता के लिए तो उनको एक अख़बार खुलवा दें, उसमें खूब विज्ञापन दे देना, उसका जो करना है वह कर लेना, लेकिन कम से कम मेरे शिक्षा के ज्ञान के मन्दिर में इस प्रकार की चीजें तो मत लाएं, जिसके कारण यहां पर काला धब्बा लगे। अत: इस विधेयक को वापस लेने की मांग करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): सभापति महोदय, आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। इस विधेयक से स्पष्ट है कि यह पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति के लिए ही लाया जा रहा है, जैसा कि अभी सभी माननीय सदस्यों ने कहा है और इस बिल से भी यह स्पष्ट है। मैं सरकार से इतना ही कहना चाहूंगी कि यूजीसी के जो नोर्म्स हैं, उन्हीं के हिसाब से नियुक्तियां की जाएं, यूजीसी के नोर्म्स का पालन करना चाहिये।

आज अधिकतर यूनिवर्सिटीज किराये के भवनों में चल रही हैं, उनका भारी-भरकम किराया भी दिया जा रहा है। इस प्रकार से बिल लाने का क्या औचित्य है? योग्य स्टाफ का भी अभाव है। करोड़ों विद्यार्थियों के साथ यह खिलवाड़ है। आज शिक्षा के मन्दिर का व्यापारीकरण होने जा रहा है। इसे रोका जाये और इस प्रकार से आनन-फानन में जो यह बिल लाया जा रहा है, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी

(श्री अविनाश)

पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह जो बिल लाया गया है संशोधन का, इसके माध्यम से कांग्रेस सरकार अपने चहेतों को या हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने पत्रकारिता में छोटी-मोटी डिग्री कर रखी है, उन्हें एडजस्ट करने के लिए, जिस प्रकार अभी हाल ही के दिनों में विभिन्न बोर्ड्स में, संगठनों में उन्हें एडजस्ट किया गया, इसी प्रकार से यह संशोधन विधेयक जो लाया गया है, उसी का परिणाम है।

यह सरकार अपने आने के बाद शिक्षा जगत में पता नहीं कितने कारनामे कर चुकी है और उसके कारनामों की लिस्ट में एक और यह संशोधन विधेयक जुड़ गया। अपने कार्यकर्ताओं को एडजस्ट करना, उन्हें राज़ी रखना। मैं ज्यादा लम्बी-चौड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन मात्र कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात को खतम करूंगा और यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

उससे पहले मेरी बात पर यह सदन गौर करे- रोटी जली, रसोइये ने कहा- तवा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा- आटा बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा- पानी बदल दो, रोटी फिर जली, रसोइये ने कहा- चूल्हा बदल दो। इस प्रकार रोटी जलती रही, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई यह कहने की कि रसोइया ही बदल दो। ये कुछ हालात कांग्रेस के हो रहे हैं कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हार हुई है लगातार, यह उसी का परिणाम है कि कोई कार्यकर्ता हिम्मत नहीं कर रहा है और सिर्फ इस बात के लिए कि हम +++ करके आगे बढ़ते रहेंगे।

श्री सभापति: बिल पर बोलिये प्लीज। डिलीट कर दीजिये।

श्री अविनाश (जैतारण): इसलिये, माननीय सभापति महोदय, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि यूनिवर्सिटीज में जिस प्रकार के पदों के मामले में देखा जाये, यूजीसी के नोर्म्स को अगर देखा जाये, उनकी सार-सम्भाल करते हुए यूनिवर्सिटीज की दशा और दिशा को सुधारने का प्रयास भी होना चाहिये। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस संशोधन विधेयक को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां (अनुपस्थित)। श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका धन्यवाद।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है, मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी बात कह दी, अगर इस बिल में यह कह देते कि बीस साल से कांग्रेस पार्टी का विचार रखने वाले व्यक्ति को भी कुलपति बनाया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हो जाता कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कुलपति बनाने का एक विधेयक इस विधान सभा में लाया गया है और उसी को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

सभापति महोदय, 2018 के चुनावों में इस बात का एक मुद्दा बनाया गया था कि भाजपा के शासन में हमारे दो विश्वविद्यालयों को बन्द कर दिया गया, एक बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय और दूसरा हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, लेकिन हमने बन्द नहीं किया था, हमने मर्ज किया था। उनसे कई गुना अधिक भव्य तरीके से इन दोनों विश्वविद्यालयों का संचालन किया था। 2019 में इसे अलग से इंडिपेंडेंट खोलने का काम किया।

मैंने विधान सभा में पिछली बार भी पूछा था सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य से कि कितने स्टूडेंट्स हैं, जवाब मिला था 66 स्टूडेंट्स इसमें अभी अध्ययनरत हैं। मैंने पूछा, बजट कितना दिया तो कहा, बजट तो अभी प्रक्रियाधीन है। अगर इस विश्वविद्यालय के हित में ये बिल लेकर आते कि हम इतना बजट खर्च कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में विद्यार्थियों को ज्ञान अर्जित कराने का काम हम करेंगे, मुझे लगता है सरकार कहीं न कहीं अपने कार्यकर्ताओं, अपने लोगों, अपने विचारकों को उपकृत करने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति-विशेष के लिए यह बिल लेकर आयी है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मुझसे पूर्व वक्ताओं ने जिन चीजों का उल्लेख कर दिया, उन्हीं को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि इस विधान सभा का समय जाया करने की बजाय इस बिल को 6 महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करने का काम करें। आपने बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन)

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

विधेयक, 2022, आसन पर आप विराजमान हैं, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों से भी विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, करना, न करना आपकी इच्छा पर है, पर यह जो संशोधन आप ला रहे हैं, इसे लाने का आपको अधिकार नहीं है, फिर भी आप उसके बाहर अपनी प्रतिष्ठा बनाकर कर रहे हैं। इसके कारण इस सदन का भी अपमान होगा। आज नहीं तो कल होगा, यह मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं। जो काम आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उसे आप अपने इस बहुमत के अभिमान के तहत ला रहे हैं। इससे आपकी प्रतिष्ठा तो गिरेगी ही, राजस्थान के इस सदन की प्रतिष्ठा भी गिरेगी कि यहां इस प्रकार के लोग बैठते हैं, जो कानून को समझे बिना ही हां और ना करते हैं।

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर अधिनियम, 2019 की धारा 11(2) में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति की योग्यता में संशोधन किया गया है। जो अभी विद्यमान है, वह है- ''कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला और सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो।'' यह आज की तारीख में है धारा 11(2) में। इसकी जगह बदलकर आप जो करना चाह रहे हैं, ''कोई भी व्यक्ति, कुलपति के रूप में नियुक्त किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि वह किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य के रूप में न्यूनतम दस वर्ष का अनुभव रखने वाला या किसी प्रतिष्ठित शोध और/या शैक्षणिक प्रशासनिक संगठन में किसी समकक्ष पद पर दस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई प्रख्यात शिक्षाविद् न हो या प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर में पत्रकारिता या जनसंचार की किसी शाखा में न्यूनतम बीस वर्ष का अनुभव रखने वाला कोई वृत्तिक न हो और जो सक्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिक आचार और सांस्थानिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर वाला न हो।''

इस योग्यता को हटाकर जो कानून हमने और आपने इसी विधान सभा में बनाया था कि कोई भी वाइस चांसलर बनेगा तो उसे कम से कम दस

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव होना चाहिये। यह कानून बनाने वाली यही संस्था है, यही विधान सभा है। आज यही विधान सभा एक नया बिल इस हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के कुलपति को बनाने के लिए ला रही है, वह बिलकुल नियम के विरुद्ध है। वह इस कारण से है कि चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई-सा भी प्रदेश हो, हमको यूजीसी के नियमों की पालना करनी पड़ती है। अभी माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता ने जो रेफरेंस दिया था गम्भीरदान वर्सेज गुजरात स्टेट का जो एक मुकदमा है वह सुप्रीम कोर्ट में चला। उसका सिविल केस नम्बर 1525/2019 और उसका अभी 3 मार्च के दिन फैसला हुआ है। उस 3 मार्च के फैसले में उन्होंने जो बात कही है, अभी बिलकुल ताजा है। आपने शायद पहले बना दिया होगा अपना बिल और इस कारण से आप यहां ले आये तो आपके ध्यान में नहीं आया, तो मैं ध्यान में लाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में "UGC Regulations becomes part of the Act. In case of any conflict between State legislation and Central legislation, Central legislation shall prevail by applying the rule/principle of repugnancy as enunciated in Article 254 of the Constitution as the subject 'education' is in the Concurrent List of the Seventh Schedule of the Constitution. Therefore, any appointment as a Vice-Chancellor..." यह अभी 3 तारीख का ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, "contrary to the provisions of the UGC Regulations can be said to be in violation of the statutory provisions."

उन्होंने इस आधार पर रिट की और उसमें उन्होंने लिखा - "Before parting we may hope and trust that wiser counsel will now prevail and the State Government shall amend the State legislation accordingly on par with the UGC Regulations." अब यह इसी 3 तारीख का फैसला है और यह इस बात के लिए आपको बाध्य करता है कि वाइस चांसलर बनाने के लिए आपको यूजीसी के नियमों का ही पालन करना पड़ेगा। आपको यह अधिकार नहीं है कि आप यूजीसी के नियमों की अवहेलना करके अपनी पूर्ति करने का प्रयास करो। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं और इस बारे में राजस्थान हाई कोर्ट में भी केस अभी फरवरी के महीने में ही दायर हुआ है। उसके तहत आपको भी सम्मन मिल गया, सम्बन्धित को भी मिल गया। एक व्यक्ति को आब्लाइज करने के लिए इतनी बड़ी संस्था, जो जनतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है, इस अदालत में हम केवल और केवल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

व्यक्ति और व्यक्ति के हित के लिए इस प्रकार की संस्था का दुरुपयोग करेंगे तो मैं सोचता हूं कि यह कोई बहुत अच्छा उदाहरण नहीं बनेगा। इन दोनों कारण से मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको यूजीसी के नियमों की पालना करनी पड़ेगी। अभी यह लेटेस्ट फैसला 03 मार्च, 2022 को हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, गुजरात स्टेट के मामले में हुआ है। उसकी पालना आपको करनी पड़ेगी। क्यों अपनी बेइज्जती कराकर, लौटकर के बुद्धू घर को आये, वैसा करने की जरूरत क्या है। मैं सोचता हूं कि क्या अच्छे और योग्य व्यक्ति इस देश में नहीं मिलते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति को ही केवल आब्लाइज करने के कारण से हम इस संस्था का भी इतना दुरुपयोग करेंगे। इसलिए मैं फिर आसन से निवेदन और आसन के माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं, मंत्री महोदय, इन दोनों बातों को सोचिये। आज की तारीख में हाई कोर्ट में जो एक तरह से पेंडिंग है, विचाराधीन विषय है उस विचाराधीन विषय पर आप निर्णय करने जा रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप निर्णय करने जा रहे हो और इस संस्था का दुरुपयोग करके आप इस काम को कर रहे हो, तो मेरी विनम्र प्रार्थना है कि कृपा करके संतोष से विचार करिये और इस सदन की प्रतिष्ठा को गिरने से बचाइये। व्यक्ति आयेंगे और व्यक्ति जायेंगे, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, कानून महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपा करके उसका पालन करो।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, सभापति महोदय। काफी कुछ इस बारे में कहा जा चुका है। माननीय नेता, प्रतिपक्ष माननीय उप नेता, प्रतिपक्ष और मेरे साथियों ने सारा वर्णन कर दिया है और ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। मैं इतना समझता हूं कि कालेज में मेरा एक भतीजा बेरोजगार है, एम.ए., बी.एड. है, मैंने कहा कि तू कालेज में लेक्चरर क्यों नहीं बनता, तो उसने कहा कि उसके लिए नेट करनी पड़ती है और वह मैंने नहीं कर रखी है तो कालेज में पढ़ाना है तो नेट चाहिए, स्लेट चाहिए या पीएचडी चाहिए। लेक्चरर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए नेट, स्लेट, पीएचडी जरूरी है और प्रोफेसरों के ऊपर कुलपति बनाने जा रहे हैं उसको पीएचडी जरूरी नहीं। यह कैसा अमेंडमेंट आप ले रहे हैं, शिक्षा का क्या बंटाढार आप करने जा रहे हैं? अन्धा बांटे रेवड़ी, फिर-फिर अपनों को दे और रेवड़ी बांटने के मामले

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

में माननीय मुख्य मंत्री जी का कोई जवाब नहीं। बांटते रहे हैं, पहले भी बांटी है, पिछली बार के कार्यकाल में जोधपुर की जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी का जो नाम खराब किया था, उसका कोई सानी नहीं। आपके अपने विधायक जो सिंडिकेट मैंबर थे उनको जेल तक जाना पड़ा तो वह प्रक्रिया, जैसी आपकी परम्परा रही है, अब तक के जैसे आपके संस्कार रहे हैं उसके हिसाब से आप अब भी यही करने जा रहे हैं। अपनों को आब्लाइज करने के लिए, अपनों को निहाल करने के लिए आप यह संशोधन लेकर आये हैं। बड़ा हास्यास्पद संशोधन आप लाये हैं।

तीन साल पहले यह एक्ट अपन ने पास किया था और तीन साल में अभी तक शिक्षा के नाम पर वहां कुछ हुआ नहीं है। आफिस कहीं है, क्लास रूम कहीं हैं और बच्चे कहीं हैं। पढ़ाने वालों की लाइन लगी हुई है और बच्चों का अता-पता नहीं है। यूनिवर्सिटी है और मुश्किल से 200-250 का एनरोलमेंट है और पढ़ाने वालों की लाइन लगी हुई है, कितने ही लोग वहां से तनख्वाह ले रहे हैं। 80-80 हजार रुपये महीना, लाख-लाख रुपये महीना पढ़ाने के लिए तनख्वाह ले रहे हैं पर किनको पढ़ा रहे हैं, यह पता नहीं है, तो यह सब तो पहले से ही चल रहा है। आपने पहले जयनारायण व्यास जी का नाम जोधपुर में खराब किया, अब आप हरिदेव जोशी जी का नाम यहां जयपुर में खराब करने पर तुले हुए हो। यह बहुत ही गलत होगा।

मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। एक शेर मुझे याद आ रहा है, मैं निवेदन कर रहा हूं कि

"हासिल तो देखिये मेरी इस दौड़-धूप का,

मौजूद है हर चीज, मेरा पता नहीं।"

सब कुछ है, आफिस है, क्लास रूम है, करोड़ों रुपये का किराया जा रहा है, करोड़ रुपये की तनख्वाह जा रही है पर बच्चे नहीं हैं जिनके लिए हम यह सारा कर रहे हैं। बच्चे तब आयेंगे जब आप ढंग के लेक्चरर रखोगे, प्रोफेसर रखोगे, ढंग का कुलपति रखोगे तो ही बच्चे आयेंगे। जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी ने ऐसा कुलपति देखा है वी.वी. जॉन साहब, जिनके नाम से बच्चे एडमिशन लेने आते थे कि उस यूनिवर्सिटी में जायेंगे जहां वी.वी. जॉन साहब कुलपति हैं। वह नाम हम पैदा करने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। जोशी जी और व्यास जी का नाम तो खराब किया तो किया, राजस्थान का नाम अब हम खराब नहीं करें, इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार इस पर पुनर्विचार करे, इस बिल को वापस ले और ठीक से सोचकर वापस लाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री कालीचरण जी सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 सरकार लेकर आयी है। मैं कोई लम्बी-चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि लगभग सारी बातें आ गयी हैं। मैं तो केवल दो-तीन बातें पूछना चाहता हूं कि यूजीसी की गाइडलाइन के हिसाब से दस साल का प्रोफेसर होना चाहिए और वह व्यक्ति पीएचडी होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 03 मार्च, 2022 को गुजरात में सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के बाबत जो निर्णय किया और उन्होंने निर्देश दिया कि इस योग्यता के बिना यदि कोई कुलपति नियुक्त किया है तो उसको आपको हटाना पड़ेगा तो क्या यह बिल कोई अनपढ़ व्यक्ति लाया है? यूजीसी की गाइडलाइन आप नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को आप नहीं मानेंगे। समवर्ती सूची में यह शामिल है कि केन्द्रीय सरकार का यदि कोई नियम है तो स्टेट गवर्नमेंट चैंज नहीं कर सकती, तो फिर आप राजस्थान की विधान सभा का यह समय जाया क्यों कर रहे हैं? राजस्थान विधान सभा की अपनी उच्च परम्पराएं रही हैं। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि इन सब बातों का ध्यान रखकर, आदरणीय मंत्री महोदय, आपका नाम काले अक्षरों में लिखा जायेगा। आप यह बिल पारित तो कर दोगे क्योंकि बहुमत है आपका, पर गवर्नर साइन नहीं करेंगे और गवर्नर साइन कर भी देंगे तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला जायेगा और वहां से यह रिजेक्ट हो जायेगा, तो क्यों अपनी इज्जत खराब करवाते हो? इसलिए मेरा तो यही कहना है कि इस बिल को तुरन्त वापस लीजिये, सदन से माफी मांगिये कि हमने सदन का इतना समय जाया किया, बेकार किया। धन्यवाद, जय भारत।

श्री सभापति: सुश्री दिव्या मदेरणा जी।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): मैं हरिदेव जोशी पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 पर बोल रही हूं। अभी बहुत-सी बातें मेरे से पूर्व वक्ताओं ने कीं कि हम किस तरीके से ला रहे हैं? क्या हमारी मंशा है? पॉलिटिकल तंज भी कसे, हमारे शीर्ष नेतृत्व का भी नाम लिया, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहती हूं, जहां आज आप एजुकेशन के प्रति इतने गम्भीर हैं, इस विश्वविद्यालय के प्रति हैं, मैं भी आपकी स्मृति की मैमोरी रिफ्रेश करानी चाहती हूं कि जब हम इसको लेकर आये तो इस विश्वविद्यालय को बन्द करने का काम किसने किया? आप वह बिल लेकर

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

आये। उसके एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्स मैं आपको यहां पर पढ़कर सुनाना चाहती हूं, तब शायद हम शर्मसार नहीं हुए। तब हम एजुकेशन को किस तरफ ले जाना चाहते थे? तकनीकी शिक्षा हम देना चाहते थे, where the World is so competitive. तब आप लेकर आये और आपके एम्स एण्ड आब्जेक्टिव्स कहते हैं and I would like to quote again - "Cabinet sub-committee has taken a decision to close down Haridev Joshi Journalism and Mass Communication University, Jaipur, as there is no justification for continuing the university." यह आपका कारण था।

आप यही लिख देते कि हम एजुकेशन का भगवाकरण करना चाहते हैं। उस एजेंडा में यह हमारे फिट नहीं होती है, इसलिए हम इसको बन्द करना चाहते हैं। आप बाकायदा अपने बिल के अन्दर लिखते हैं, there is no justification for continuing this university. मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ और जब-जब इस बिल की बात आयेगी या मेरे निजी राजनीतिक अनुभव की बात आयेगी तो एक दो पंक्तियां कहना चाहती हूं:-

''सजाएं बेगुनाहों को मिलेगी बेगुनाही की,
पर्दे जुर्म के मुजरिम के मुंसिफ बेखबर होंगे।''

ये विचारों की लड़ाई है, यह लोकतंत्र की लड़ाई है। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ पत्रकारिता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, लेकिन आप उसके विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा को गोदी मीडिया पसन्द है। आप नहीं चाहते कि ऐसे पत्रकार बनें जो आपकी आंख में आंख डालकर सत्ता से प्रश्न कर सकें। आप प्रश्न पूछने वाले पत्रकार नहीं बनाना चाहते हैं इसलिए आपका इस पर्टिकुलर बिल पर विरोध है। आपका पॉलिटिकल एजेंडा इसके खिलाफ रहा है और हमेशा से रहा है।

दूसरी बात अभी हाई कोर्ट के गम्भीरदान बनाम गुजरात राज्य को सारे के सारे वक्ताओं ने कोट किया और मुझे पता था कि इसको कोट करेंगे, लेकिन गुजरात के अन्दर सरकार किसकी है? गुजरात में सरकार किसकी है? जी हां, गुजरात वही है जिसे पूरे भारत में और विश्व में बताया गया कि मॉडल स्टेट है, तो आप वहां एजुकेशन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे थे? क्योंकि आप एजुकेशन सिस्टम के अन्दर पूरा भगवाकरण करना चाहते हैं। यह तो सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा, यह पार्ट आप उसका नहीं पढ़ेंगे, जो सुप्रीम

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

कोर्ट ने गुजरात की गवर्नमेंट के लिए कोट किया। यथा राजा, तथा प्रजा, 'Sense of morality must begin from the doorstep of the leader who preaches it' and who is the leader of Gujarat? We all know it. तो आप क्या करना चाहते हैं? आपकी मंशा क्या है? यह इससे साफ झलकती है।

जो अमेंडमेंट हम लेकर आये हैं उसके प्रति एक चीज और कह रहे थे। अजमेर से आने वाले सदस्य भी इसकी बात कर रहे थे कि हाई कोर्ट के अन्दर इसको चैलेंज किया there is a petition filed by Pankaj Pratap Singh, who has questioned the qualification of Om Thanvi, vice-chancellor of the university. लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं, आप अच्छी तरह जानते तो हैं, लेकिन अपनी बात कहने की आपमें सुन्दर कला है, उससे जिस बात को इतनी बखूबी से छिपा देते हैं। 2019 के एक्ट में स्पष्ट उल्लेख है, कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल द्वारा की जायेगी। इसमें पीएचडी होने या 10 वर्ष के प्रोफेसर होने का उल्लेख नहीं है।

प्रथम कुलपति राज्य सरकार की मंशा पर राज्यपाल द्वारा लगाया जायेगा। जिन कोटेशंस और यूजीसी को आप कोट कर रहे हैं, वह प्रथम कुलपति की योग्यता के प्रावधान पर लागू नहीं होता। आप सब जानते हैं, लेकिन सस्ती लोकप्रियता के लिए और क्योंकि आपने इसे बन्द किया था, यह आपके पॉलिटिकल एजेंडा के खिलाफ है इसलिए आप उसकी बार-बार बात करते हैं।

जो हम अमेंडमेंट लेकर आये हैं। मैं उसमें दो सुझाव भी देना चाहूंगी। एक तो हम 10 वर्ष का अनुभव यूनिवर्सिटी और कालेज की बात करते हैं, मुझे लगता है कि we should limit this experience only to universities. मैंने बहुत सारे शिक्षाविदों से बात की और यह सामने आया कि बहुत जगह बीजेपी को अपना आरएसएस का एजेंडा लागू कराने के लिए 10 वर्ष के अनुभव वाले यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स नहीं मिले तो उन्होंने कालेज प्रोफेसर्स को नियुक्त किया। इसलिए विशेष रूप से मैं चाहती हूं कि इसको सिर्फ यूनिवर्सिटी तक लिमिट किया जाये।

एक दूसरी चीज जो prerogative है गवर्नर का, उसके लिए भी we should quit that. जहां पर वाइस चांसलर आरएसएस की आइडियोलोजी से

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

नियुक्त किये जाते हैं। मुझे लगता है कि सरकार को कोई मैकेनिज्म क्रिएट करने की जरूरत है। वेस्ट बंगाल में दीदी ओ दीदी, खेला होबो, हो गया। उन्होंने एक कमेटी गठित कर रखी है या फिर आप एक पैनल बनाकर उसे कैबिनेट से अप्रूव करके फिर गवर्नर को भेजें। मुझे लगता है ऐसा कुछ करने की आवश्यकता है।

दूसरी चीज और मैं कहना चाहूंगी, यूजीसी को ये बहुत कोट कर रहे हैं। आल सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज में वीसी का कार्यकाल पांच साल का है। राजस्थान के अन्दर एनएलयू एक मात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें वाइस चांसलर का टेन्योर पांच साल का है। इसलिए तीन साल की अवधि आमूलचूल परिवर्तन करने, एक नई पत्रकारिता यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए कम होती है। आज हमारी सरकार का भी टर्म पांच साल होता है, तो तीन साल की अवधि कम होती है। मुझे लगता है सरकार को इस पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये, हम इसका टर्म पांच साल करें। इस पर मेरा एक सजेशन सरकार के लिए यह भी है कि एक हायर काउंसिल एजुकेशन में बनाये, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पालिसी, जो ये लेकर आये हैं, जो saffronise करती है और सब बता रहे थे कि concurrent list में है National Curriculum Framework भी अभी लागू करेंगे। हमें भी स्टेट में एजुकेशन पालिसी पर ध्यान देना चाहिये और कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैं मानती हूं कि हम अपने last leg की तरफ आ गये हैं, पर थ्री मंथ्स में हम कमेटी गठित करें, डेलिब्रेशन करें तो वह हमको फ्रेमवर्क दे सकती है।

दूसरी बात आ जाती है, जो अभी एडवाइजरी बोर्ड आफ मैनेजमेंट की मीटिंग थी, जिसको कैंसिल कर दिया था गवर्नर ने, Rajasthan Governor stops syndicate meetings at journalism university. मैं वह आर्डर भी अपने साथ लेकर आई हूं जिसमें वे कहते हैं, एक आर्डर निकालते हैं और कहते हैं कि उनके द्वारा विभिन्न नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं, जो प्रशासनिक दृष्टि से उचित नहीं है, अन्तिम तीन महीनों में कोई भी नीतिगत निर्णय नहीं होने चाहिये।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, does the governor have the power to take out something? It is very-very surprising. तीन माह में क्या हो जायेगा? क्या कुलपति को चुनाव लड़ना है? क्या वे मतदाताओं को

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

प्रभावित करेंगे? ऐसा क्या हो जायेगा? इन तीन महीनों के अन्दर आप यूनिवर्सिटी के रूटीन वर्क्स को भी ठप्पा लगा देना चाहते हैं। आप उसको बिलकुल lame duck कर देना चाहते हैं। यह आपकी मंशा है, anything that does not fit into your political agenda, that can be mis-used by this हिटलरशाही फरमान, जो इस तरीके से निकालते हैं।

यशपाल कमेटी कहती है कि हर राज्य के अन्दर एजुकेशन काउंसिल बनायें। आप एक काउंसिल बनाकर उसके अन्दर चेयरमैन शिक्षा मंत्री रह जायें, एमिनेंट शिक्षाविद् रह जायें who will talk about autonomy, who will talk about excellence, who will talk about fair teacher recruit-ment, who will talk about an objective selection of a vice-chancellor and give comprehensive work paper, और पूरे हायर एजुकेशन के आर्किटेक्चर पर प्रपोजल दे सके। मेरा यह सुझाव है कि हमें करने की जरूरत है, नहीं तो अपनी नेशनल एजुकेशन पालिसी के तहत ये पूरा का पूरा भगवाकरण करेंगे। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण मैं देती हूं, जो आपके वाइस प्रसीडेंट हैं, South Asian Institute of Peace and Reconcilia-tion के यहां जाते हैं इनोग्रेशन के अन्दर और कहते हैं कि I am very much surprised to say, a Vice President of India can have such a quote; and I quote, what he says - "We are accused of saffronising education, but then what is wrong with saffron," अनुराग ठाकुर भी कहते हैं कि भगवा देश का रंग है तो राष्ट्रीय रंग घोषित कर दीजिये। आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता है।

हम इंडिया की बात करते हैं, न्यू इंडिया की बात करते हैं, India at 75 की बात करते हैं, इंडिया अमृतकाल में एंटर हो रहा है। एक साल के बजट में आप 25 साल का प्रावधान कर देते हैं कि इंडिया अमृतकाल में एंटर हो रहा है। Do you want India to be progressive or do you want India to be regressive? Just because being saffronising. And what is wrong with saffron? The Vice President of India says because it suits your political agenda. और आप चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां इस तरीके से अन्धी हो जायें, जो आपके अल्टीमेट गोल, आपके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करे। I welcome this Bill and I therefore withdraw my amendment.

श्री सभापति: श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय विधेयक पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात बहुत अच्छे से रखी है फिर भी कुछ बातें जो मैं आपके माध्यम से सदन में रखना चाहूंगी कि कुलपतियों की नियुक्ति के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होना बहुत जरूरी है। मेरे से पहले पूर्व वक्ता ने बहुत अच्छे से यह बात बोली कि do you want to saffronise the country और what exactly the RSS agenda is all about, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं फिर भी यह बात तो नहीं कही गई कि क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं या नहीं हैं एक वाइस चांसलर जैसी इम्पोर्टेंट पोस्ट पर होने के लिए। इम्पोर्टेंट यह है कि फैक्ट्स, चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने यह बताया कि according to the fact इतने प्रोफेसर्स के पद इस यूनिवर्सिटी में रिक्त हैं। एक भी पोजिशन भरी नहीं है, एसोसिएट की एक पोजिशन खाली है, ऐसे कितने सारे डिफरेंट फैक्ट्स उन्होंने आलरेडी सदन में पेश किये हैं तो जब इतने पद आलरेडी खाली हैं और उसके बाद हम यह बोल रहे हैं कि चांसलर की पोस्ट पर हम सिर्फ किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो, सभापति महोदय, एक्सपीरियंस तो सीए फर्म में काम करने वाले के पास भी होता है, हम उसे सीए नहीं बनाते हैं। नर्सिंग स्टाफ के पास सर्जरी का एक्सपीरियंस होता है लेकिन हम उसे सर्जन नहीं बनाते तो केवल इस बेसिस पर यह बिल लाना कि आपके पास क्वालिफिकेशन, यह एक बहुत बेसिक भाषा में अपनी बात रखना चाहूंगी कि पाइंट यही है कि आप क्वालिफिकेशन बेस्ड रखना चाहते हैं, अकेडमिक एक्सीलेंस की कहां बात हुई? आपने यह बात बोली कि प्रश्न पूछने वाले पत्रकार को हम बनाना नहीं चाहते, मुझे लगता है कि जितना टोलरेंस पावर हमारे अन्दर है उतना तो किसी में हो ही नहीं सकता क्योंकि इस सदन में भी हम बहुत सारी बातें बहुत अच्छे से टोलरेट करके शान्ति से बैठे हुए हैं और जितना अच्छे से हम अपनी बात को सभ्यता से रखते हैं, उसकी बात नहीं कही जाये तो अच्छा है।

सभापति महोदय, प्रस्तुत संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया जा रहा है कि बीस वर्ष का अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल को कुलपति बनाया जा सकता है। बेसिक एजुकेशन के बारे में मैंने आपको कहा कि इसमें कुछ भी नहीं कहा जा रहा है जबकि पहले विश्वविद्यालयों में प्राय: दस वर्ष तक प्रोफेसर के रूप में टीचिंग का अनुभव अथवा रिसर्च या एकेडेमिक संगठन में दस वर्ष का इक्वेलेंट अनुभव हो तभी उस व्यक्ति को कुलपति नियुक्त किया जा सकता है।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सभापति महोदय, एक और बात मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि आज कितने ऐसे समाचार पत्र हैं, चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने भी बताया कि उनके चूरू में एक साथ कापीज हो जाती हैं। ऐसे हमारे हर विधायक के क्षेत्र में लोकल न्यूज पेपर्स भी बहुत होते हैं, सिर्फ वो ही नहीं, पब्लिक एप करके एक एप्लीकेशन है जिसे डाउनलोड करके कोई भी व्यक्ति न्यूज बना सकता है। मैं भी यहां पर खड़े होकर एक न्यूज बनाकर पोस्ट कर सकती हूं, तो क्या डिजिटल मीडिया के युग में जहां पर एक मोबाइल फोन से हम इन एप के द्वारा या फिर यूट्यूब के माध्यम से समाचार पत्र चला सकते हैं तो यह क्वालिफिकेशन क्या बहुत होगी कुलपति बनने के लिए? ऐसी स्थिति में वीसी जैसी महत्वपूर्ण पोस्ट पर किस बेसिस पर चयन किया जायेगा, यह कहीं भी इस बिल में नहीं लिखा गया कि नहीं, इसके अलावा कुछ एकेडेमिक क्वालिफिकेशंस भी इम्पोर्टेंट होती हैं। अगर हम मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी की बात करें, सभापति महोदय, तो कितनी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जहां पर यह नियम होता है कि आपको मैनेजमेंट की पढ़ाई करनी इम्पोर्टेंट होती है, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप उसमें पढ़ा सकते हैं, आप उस पर्टीकूलर में जा सकते हैं, लेकिन हम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, हम यहां पर saffronising the country की बिलकुल बात नहीं कर रहे हैं। पाइंट सिर्फ इतना है कि किसी प्रकार की क्वालिफिकेशन बहुत जरूरी होती है जब हम टीचिंग जैसे मुद्दे को डिस्कस कर रहे हैं।

सभापति महोदय, सदन के माध्यम से क्योंकि बहुत जनों ने अपनी बहुत बातें रख दी हैं, मेरे पास भी काफी फैक्ट्स और फिगर्स थे जो मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगी, तो आपको यही कहना चाहूंगी कि बच्चों के भविष्य से हम इस तरीके का खिलवाड़ न करें। एक एजुकेशन जो जरूरी है, सिर्फ इस वजह से कि कोई किसी नेता के बहुत क्लोज है इसलिए वह वहां का कुलपति बन जाये या आगे बढ़े, इस तरीके का प्रीसिडेंट हम न सैट करें। इसी बात को कहते हुए इस संशोधन को मैं छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने हेतु आपसे निवेदन करती हूं।

श्री सभापति: प्रभारी मंत्री जी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, ...(व्यवधान) मुझे अलाउ कर रखा है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका थर्ड स्टेज पर है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू):...(व्यवधान)...खुद की पैरवी खुद नहीं कर सकते...(व्यवधान)...थानवी जी के ये व्यक्तिगत मित्र हैं, यह उनकी पैरवी नहीं कर सकते। नियमों और प्रक्रियाओं में लिखा है इसलिए इनको पाबन्द किया जाये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सभापति महोदय, ये राठौड़ साहब डरते हैं इनसे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ऐसा है ...(व्यवधान) सर्च कमेटी सलेक्ट करती है, संयम लोढ़ा सलेक्ट नहीं करता है।

श्री सभापति: शिवगंज से आने वाले माननीय सदस्य, आपका थर्ड स्टेज पर है, मुझे ध्यान है। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, बहुत विस्तार से विपक्ष ने अपनी चिन्ता जाहिर की और रेवड़ी बांट लें और मुंह काला कर लें, काफी कुछ कहा। पहली बात तो लगभग 21 साल बीजेपी का राज रहा, 15 विश्वविद्यालय राज्यपोषित हैं जो कांग्रेस पार्टी ने बनाये हैं। इतना ही हायर एजुकेशन पर अगर था तो कोई एक भी राज्यपोषित विश्वविद्यालय खड़ा किया क्या? जो हमने खड़े किये उनको भी आपने पिछले कार्यकाल में बन्द किया। जिस तरीके से बार-बार ...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर):...(व्यवधान) शेखावाटी यूनिवर्सिटी, अलवर की यूनिवर्सिटी, ये किसने खड़ी की? आपने की क्या ये? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): बोल लिए आप, काफी बोल लिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): गलत बात मत करिये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): यह विश्वविद्यालय जब 2019 में...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): सभापति महोदय, भरतपुर का, शेखावाटी ...(व्यवधान) सीकर का और अलवर का, ये तीनों यूनिवर्सिटी हमने चालू की हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आपने इसको बन्द करने का काम किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय का वक्तव्य चल रहा है, आप डिस्टर्ब नहीं करें। आपको ये सुनते हैं तो आप भी सुनिये इनको। प्लीज। बोलिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इस विश्वविद्यालय को 2019 में जब दुबारा शुरू किया तब यह विचार था कि अच्छे पत्रकार निर्भीक, जो पिछले आठ-दस साल में माहौल हुआ है, पत्रकारिता का जो हाल आपने किया है, ऐसे चाटुकार पत्रकार न बनें, अच्छे लोग निकलें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ये ऊपर बैठे सारे पत्रकार चाटुकार हैं क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: बैठिये। प्लीज बैठिये न। बोलिये आप।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मैं कहना चाहूंगा, जब आप इतनी बात कह रहे थे, सब्र रखो थोड़ी देर। थोड़े समय सब्र रखो।

श्री सभापति: आप बोलिये प्लीज।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): उस सबको सोच कर हम उच्च शिक्षा में नवाचार कर रहे हैं और इसके लिए एक्सपीरियंस इसमें खुला लिखा है, सब कुछ मैं पढ़ देता हूं। कहीं कोई बड़ी बहस की जरूरत नहीं है, इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हमने भी धैर्य से आपकी बात सुनी और कालीचरण सराफ साहब तो हमारे आदरणीय कह रहे हैं कि मुंह काला होगा तो देखी जायेगी, पहले आप लोगों का होगा, बाद में हमारा होगा।

सरकार की भावना है देश में, प्रदेश में अच्छे पत्रकार हों, निर्भीक, जो पत्रकारिता को बैलेंस करके आगे बढ़ें। इस विश्वविद्यालय की प्रकृति पत्रकारिता एवं जनसंचार से सम्बन्धित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यकता महसूस की गयी कि पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा का प्रख्यात व्यक्ति जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का बीस वर्ष या अधिक का अनुभव हो, वह भी कुलपति पद के लिए योग्य माना जावे। इससे कुलपति के चयन हेतु गठित की जाने वाली चयन समिति को कुलपति पद के लिए पैनल निर्माण हेतु अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय, भोपाल और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय, रायपुर में भी इस प्रकार का प्रावधान है।

साथ ही, माननीय सदस्यों द्वारा उठायी गई आपत्तियों के अवलोकन में सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय में चयन समिति यूजीसी रेगुलेशन के अनुसार ही गठित की जायेगी। सर्च कमेटी के द्वारा ही कुलपति के चयन हेतु पैनल तैयार किया जायेगा। इससे यूजीसी रेगुलेशन के

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

अनुसार 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव रखने वाले व्यक्ति भी कुलपति पद पर चयनित हो सकेगा। यूजीसी के इस प्रावधान को यथावत रखा गया, केवल अधिक विकल्प मिल सके इसलिए यह अतिरिक्त प्रावधान किया गया है।

आप जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात कह रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ग्राउंड सरदार पटेल विश्वविद्यालय, गुजरात के संदर्भ में लिए हैं। इस संदर्भ में भी यह उल्लेखनीय है कि कुलपति के लिए जो चयन समिति गठित हुई थी, उसमें यूजीसी का कोई प्रतिनिधि नहीं था। इसके अलावा जिस कुलपति का चयन किया गया, उसको 10 वर्ष का प्रोफेसर पद का अनुभव नहीं था। अत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई व्यवस्थाओं का किसी भी तरह से उल्लंघन इस संशोधन में नहीं है। (व्यवधान) माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय हमारे लिए शिरोधार्य है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। यूजीसी के नियमों का भी हम पूर्ण सम्मान करते हैं। मेरा विनम्र निवेदन है कि हमने यूजीसी के नियमों में परिवर्तन नहीं किया है। पत्रकारिता विश्वविद्यालय चूंकि सामान्य विश्वविद्यालय से अलग प्रकृति का है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव बहुत मायने रखता है, इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसने पत्रकारिता के क्षेत्र में 20 वर्ष तक सेवा की है और इस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त रहा है, ऐसे व्यक्ति के अनुभव का लाभ उठाने के लिए पत्रकारिता विश्वविद्यालय के अधिनियम में कुलपति की योग्यता में यूजीसी द्वारा निर्धारित योग्यता में यह अतिरिक्त योग्यता अथवा के रूप में शामिल की जा रही है। माननीय सदस्यगण, हमने कुलपति के पद हेतु यूजीसी द्वारा निर्धारित 10 वर्षों के प्रोफेसर के अनुभव की योग्यता को भी यथावत रखा है।

मैं माननीय सभापति महोदय से कहूंगा इसको पारित किया जाय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पारित की स्टेज ही नहीं आई अभी तो, पारित कैसे कर सकते हैं।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): We want division. We want division.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): We want division. We want division. डिविजन हमारा अधिकार है। हमें डिविजन दीजिए।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम इसका बहिष्कार करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2-कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाय।

श्री सभापति: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह वैसा ही है कि बांसुरी सीखने की बात हो और हरिप्रसाद चौरसिया को यह कहा जाय कि आप डिग्री लेकर आइए, शास्त्रीय गायन सीखने की बात हो और पंडित भीमसेन जोशी को कहा जाय कि आप डिग्री लेकर आइए, नृत्य सीखने की बात हो और बिरजू महाराज को कहा जाय कि आप डिग्री लेकर आइए। माननीय सभापति महोदय, या तो जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेकर आई है, उसको पढ़ने की ओर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया। इतना ही नहीं, भारत सरकार में ज्वाइंट सैक्रेटरी के पद पर लेट्रल एंट्री के जरिए कितने लोग तैनात हुए, प्रधान मंत्री के इस कदम की तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होगी ही।

माननीय सभापति महोदय, मैं यूजीसी के चेयरपर्सन का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं जो आल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग के बाद में उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा-

"In a major move to rope in industry experts and professionals, the University Grants Commission (UGC) is doing away with the mandatory PhD requirement to teach in central universities. Special positions - professor of practice and associate professor of practice - are being created. This will allow, say diplomat, to walk in to teach international relations. There are many experts who want to teach. There could be someone who has implemented large projects and has a lot of on-the-ground experience, or there could be a great dancer or a musician. But we can't appoint them going by the present rules, said UGC chairperson M Jagadesh Kumar."

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने विनती करना चाहूंगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, उस निर्णय के बिन्दु संख्या 15 का एक पोर्शन मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी विद्वता का तार-तार हो रहा है, चीर हरण हो रहा है। आपने अभी क्या पढ़ दिया, इसका अर्थ क्या है? अपनी ही बातों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह प्रोफेसर के बारे में है। मैं आगे उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: आप अपनी बात चालू रखिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय का हवाला दिया है, उसका बिन्दु संख्या 15 मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं - "we find that appointment of respondent No. 4 is contrary to the UGC Regulations, 2018." यहां तक तो सही है, लेकिन आगे "Also, respondent No. 4 has been appointed by a search committee, not constituted as per the UGC Regulations, 2018." माननीय सभापति महोदय, वाइस चांसलर का चयन करने के लिए जो सर्च कमेटी बनाई गई, वह सर्च कमेटी ही गलत थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप अपने +++ के लिए ऐसी पैरवी मत करो कि रिकार्ड में ऐसी बातें जाएं, आप पर लोग हंसेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट की एक लाइन कोट करके और आगे दूसरी कोट करके हाउस को मिसलीड नहीं कर सकते।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमारे +++ को अगर दुबारा वाइस चांसलर बनना होता तो सरकार के इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। डिप्टी लीडर, मैं हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी एक्ट का प्रोविजन सुना देता हूं।

श्री सभापति: यह +++ वाली डिलीट कीजिए, इसमें कोई मतलब नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले होगी, परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। अगर उनको बनाना होता तो यह अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं थी, आलरेडी प्रोविजन था, उसमें हो जाता।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे विनती करूंगा इसी फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आगे लिखा है - "The appointment of respondent No. 4 is even otherwise not as per the eligibility criteria prescribed by the Search Committee, which is as under:-

1. Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment.
2. Persons should be a distinguished academician with proven leadership qualities shall be satisfying anyone of the following:

   10 years' experience of teaching and research as professor or ..."

तो बताने के लिए इतना ही काफी है कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जिक्र कर रहे हैं, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इसी पर तय हो जाये, कानून के जानकार को आप भी अपना इस्तीफा भेज दो, मैं भी भेज देता हूं, वह तय कर देता है कि क्वालीफिकेशन का कोई ताल्लुक नहीं, फैसला हो जाये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रतिपक्ष के उप नेता (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सदन के अन्दर मैं इस्तीफा रखता हूं, आप भी रखो। सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ। मैं अपनी बात यहां रखूं, ये अपनी बात यहां रखें, मैं विधान सभा से त्याग पत्र देता हूं।

श्री सभापति: प्लीज बैठिये। इस सदन का मसला तो आप लोग ही तय करेंगे, जो इधर बैठे हैं और उधर बैठे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सर्च कमेटी ही गलत है तो फिर चयन कैसे होगा और वह भी कहां? विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेन्द्र मोदी के गुजरात में। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। माननीय सभापति महोदय, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि यथा राजा, तथा प्रजा। (व्यवधान)

श्री सभापति: Please don't disturb. आप बोलिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा कि बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्या प्रोविजन है? इन्होंने क्या चेंज किया है? छत्तीसगढ़, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम, 2004 में, धारा-11 की उप धारा (1) में, शब्द 'एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान' के स्थान पर, चिह्न एवं शब्द 'एक व्यावसायिक व्यक्ति, जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर से 10 वर्ष का अनुभव हो', प्रतिस्थापित की जाये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। ये यूजीसी के नियम कब चेंज हुए?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आज भी यही चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको मध्य प्रदेश की माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान का भी कुलपति से सम्बन्धित एक पोर्शन सुना देता हूं। कुलपति पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा में से वरिष्ठ व्यक्ति होगा, जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर से 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो तो यह जो आप ज्ञान यहां

(श्री संयम लोढ़ा)

पर बांट रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपसे विनती करुंगा। हरिदेश जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में मैं राज्य सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, इस किताब में लिखा है कि कोई भी माननीय सदस्य अपनी हितों के लिए अपनी खुद की बात की चर्चा सदन में नहीं कर सकते। अगर ये मनोनीत सदस्य हैं तो ये नहीं कर सकते। यह नियम और प्रक्रियाओं के नियम में लिखा है, ये बात नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री सभापति: ये विधायक के रूप में हैं। आप बैठिये, प्लीज बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बोर्ड आफ मैनेजमेंट का मैम्बर हूं। (व्यवधान) इसी विधान सभा ने मुझे मनोनीत किया है। आपकी इसमें सहमति है।

श्री सभापति: देखिये, आप अपनी बात चालू रखिये, इनकी बीच की बात डिलीट कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अभी जब विचार व्यक्त किये जा रहे थे तो यह कहा कि ये तो +++ हां, हम हैं +++ जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम +++ करेंगे क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू-गांधी ने किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): +++ ये नई संस्कृति आयी है। आपको +++ के लिए बधाई हो। ये +++ हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज बैठिये ..(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): इतनी +++ करने के बाद भी कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया। (व्यवधान) कितनी +++ कर रहे हो, आप धन्य हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये। आसन पैरों पर है, आप डिसिप्लिंड लोग हैं। आप अपनी बात को कन्क्लूड करिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, +++ अपनी बात नहीं बोल सकते। इन्होंने माना कि ये +++ हैं।

श्री सभापति: आप अपनी कन्क्लूड करिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह हरिदेव जोशी

(श्री संयम लोढ़ा)

यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एडवरटाइजमेंट है - Appointment for the Post of Vice-Chancellor, Haridev Joshi University of Journalism and Mass Communication, Jaipur. 28.12.2021 को यह विज्ञापन निकला। माननीय सभापति महोदय, इसकी लास्ट डेट 15 जनवरी थी। The soft copy of the application/nomination should be mailed at registrar@hju.ac.in by 15.01.2022. राजस्थान के राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी को चिट्ठी 21 जनवरी को भेजी। क्या कहा? डा. कैलाश सोढ़ानी से हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त जीवनवृत्त मूल ही संलग्न कर खोजबीन समिति को प्रस्तुत किये जाने हेतु प्रेषित है। क्या यह शर्म की बात नहीं है? राजस्थान का राजभवन यह काम कर रहा है। कैलाश सोढ़ानी कौन है? अब आपको सांप क्यों सूंघ गया है? बताते क्यों नहीं? कौन है कैलाश सोढ़ानी जिसका बायोडाटा राजस्थान के राज्यपाल भेज रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (शिक्षा मंत्री): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री सभापति: वक्तव्य के बीच में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, वह बात अंकित नहीं होगी। आप कन्क्लूड कीजिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करुंगा कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय है, जिसके अपने अधिकार कानून प्रदत्त हैं। 21-22 फरवरी को बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बैठक थी। निवाई से आने वाले माननीय सदस्य और वाइस चांसलर से सहमति लेकर बोर्ड आफ मैनेजमेंट की बैठक बुलायी। राजभवन ने उस बैठक को स्थगित कर दिया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक्ट का कौनसा सेक्शन चांसलर को इस बात की अनुमति देता है कि वह बैठक स्थगित कर दे? टीचर्स की भर्ती का प्रोसेस चल रहा था। आप पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि एक्ट का कौनसा प्रावधान इस बात की इजाजत देता है कि भर्ती प्रक्रिया को आप रोक दें?

(श्री संयम लोढ़ा)

मानननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह विनती करूंगा कि आपको पत्रकारिता विश्वविद्यालय अमेंडमेंट लाना है तो इस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का चांसलर चीफ मिनिस्टर को बनाइये। ये तो वे लोग हैं, जिनको सुहाया नहीं कि स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा पंडित हरिदेव जोशी के नाम पर इस विश्वविद्यालय को बनाया गया है, चलाया गया है। उसको इन्होंने बन्द करने का काम किया है। श्री अशोक गहलोत ने हिम्मत दिखायी कि उस यूनिवर्सिटी को वापस शुरू किया, खड़ा किया और यूनिवर्सिटी में किस-किस स्तर के पत्रकार आये। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वा नंद, एनडीटीवी के रविश कुमार। ऐसे सारे प्रतिष्ठित पत्रकार इस विश्वविद्यालय में आये और हमारे बच्चों को पत्रकारिता के नये गुण देने का उन्होंने प्रयास किया।

श्री सभापति: आप अमेंडमेंट पर और कुछ बोलना चाहें तो बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, वही बोल रहा हूं। अब मैं एक विनती जरूर करूंगा। आप यह अमेंडमेंट लाये। इसमें आपने जो प्रोफेसर रखा, वह यूनिवर्सिटी का और साथ में आपने कालेज जोड़ दिया। मैं आपको एक विनती जरूर करूंगा कि आप इसमें खाली यूनिवर्सिटी रखो। कालेज के प्रोफेसर को वह दस साल वाला, वाइस चांसलर बनाने का खतरा मोल नहीं लो, जिससे इस यूनिवर्सिटी की गरिमा बनी रहे।

(समय: 14.59 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

आपसे एक विनती और करता हूं कि पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज का आप एक कामन एक्ट लायें। जो दशा आज यूनिवर्सिटीज की हो रही है और आपको यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट के लिए जो अमेंडमेंट करना है, पहले जो था, एक तो एडवाइस था, फिर आपने कंसलटेशन कर दिया। गुजरात में बीजेपी की सरकार ने कम्प्लीट पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है। वाइस चांसलर के अपाइंटमेंट में आप स्टेट गवर्नमेंट को सारी पावर दें। वह अमेंडमेंट लेकर आयें, जिससे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के हालत को सुधारा जा सके और पैसे लेकर जो कुलपतियों की नियुक्तियां हो रही है, उसको रोका जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(समय: 15.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बोलना है या पारित के लिए रखना है?

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): पारित करवाना है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): थर्ड स्टेज पर नहीं बुलवायेंगे आप?

श्री अध्यक्ष: वे क्या फोर्थ स्टेज पर बोले थे?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ये पारित करेंगे, उसके बाद थर्ड स्टेज पर बुलवायेंगे।

श्री अध्यक्ष: थर्ड स्टेज पर ही बोले हैं वे। मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय, जयपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, श्री राजेन्द्र यादव। माननीय मंत्री जी।

विधेयक पर विचार

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज का दिन राजस्थान की उच्च शिक्षा के लिए काले दिवस के रूप में याद किया जायेगा। ब्रूटल मैजोरिटी के आधार पर जिस प्रकार अभी-अभी हमने स्वतंत्रता सेनानी हरिदेव जोशी जी के नाम के विश्वविद्यालय का अमेंडमेंट बिल पास किया, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 लाया गया है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, देश के भावी कानूनविज्ञों को तैयार करने वाला ये विश्वविद्यालय प्रदेश का एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसके आगे राष्ट्रीय शब्द लिखा है। मैं समझता हूं कि शिक्षा की सर्वोच्च संस्था का कुछ लोगों को लाभ देने के लिए हम इस प्रकार के अमेंडमेंट लेकर आये, इसको दुर्भाग्य नहीं कहें तो क्या कहें? इस जोधपुर विश्वविद्यालय, 2022 के इस अमेंडमेंट के द्वारा जो मूल अधिनियम है 1999 का, उसकी धारा 14 (1) की उप-धारा (2) में और 14 की धारा (3) के अन्दर सरकार संशोधन लेकर आयी है। उद्देश्य और कारणों के कथन में यह स्पष्ट उल्लेख किया है कि कुलपति की शक्तियों के बारे में नियमों में प्रावधान है 1999 के और ऊपरी आयु सीमा के लिए भी प्रावधान है, परन्तु कुलपति की कालावधि, एक व्यक्ति कितनी बार कुलपति रह सकता है, इसका प्रावधान नहीं, इसलिये इस विधेयक के माध्यम से धारा 14(2) के अन्दर एक संशोधन लेकर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय, हम साक्षी रहे हैं कई विश्वविद्यालय के अन्दर, यहां से हम विधेयक के रूप में स्थापना के, विधेयक के पारण के। मैंने कोशिश की कि देखूं और कौनसा विश्वविद्यालय है, अभी इसी 24 दिसम्बर को सबसे पुराने विश्वविद्यालय जय नारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर, जहां आपका यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय भी है, वहां वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए एक विज्ञप्ति निकली और विज्ञप्ति के अन्दर जो अर्हताएं, जो बात कही गयी, वह मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसमें लिखा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति के आवेदन में, the appointment will be for a period of three years or up to the age of 70 years, whichever is earlier. The Vice Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. मतलब तीन साल की कालावधि की बात कही है और आप इस अमेंडमेंट के माध्यम से कुलपति को 5 साल पहले और 5 साल बाद एक बार दोबारा मौका देना चाहते हैं क्योंकि ये नामचीन विश्वविद्यालय है।

अध्यक्ष महोदय, 22 वर्ष गुजर जाने के बाद भी इस विश्वविद्यालय में एक भी फैकल्टी परमानेंट नहीं है। कोई प्रोफेसर नहीं, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं, एडहॉक बेसिस पर विश्वविद्यालय चल रहा है। इसी विश्वविद्यालय में जो वर्तमान में कुलपति हैं, जो यू.जी.सी. की अर्हताएं, यू.जी.सी. रेगुलेशन 2018 के अनुसार जब इनको अपाइंट किया गया था, तब इनके पास 10 वर्ष का प्रोफेसर का अनुभव नहीं था। आज उसी वाइस चांसलर को पिछले दरवाजे से पुन: नियुक्ति देने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि आज जिस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के बारे में हम यहां चर्चा कर रहे हैं, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम, 1999 की धारा 7 है, मैं उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस धारा 7 में हिन्दुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश धारा 7 के अनुसार इस विश्वविद्यालय के ओनरेबल विजिटर हैं। मंत्री महोदय, जिस विश्वविद्यालय का विजिटर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और धारा 8 के अन्दर माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वे इसके चांसलर हैं और इसी धारा 8(2) के अन्दर चांसलर को अधिकार है कि वे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को नियुक्त करें। मैं समझता हूं कि अगर इसको देखा जाये तो मैन उद्देश्य एक ही है धारा 14 में उप-धारा (1) के पश्चात् नयी उप-धारा (2) को जोड़कर सरकार वाइस चांसलर के लिए दो कार्यकाल से अधिक का कार्यकाल नहीं देने और अधिकतम आयु 70 वर्ष की अर्हताएं लेकर आयी है।

अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पूरे एक्ट को पढ़ा। गंभीरता से पढ़ा। मैं देख रहा था सेक्शन 7 के अन्दर ओनरेबल चीफ जस्टिस आफ इंडिया जिसके विजिटर हों, ओनरेबल चीफ जस्टिस आफ हाई कोर्ट जिसके ओनरेबल चांसलर हों, सेक्शन 8 में, निश्चित तौर पर जब अमेंडमेंट लेकर आये हैं तो निश्चित तौर पर उनकी कहीं न कहीं कंसेंट होगी, उनकी सहमति होगी। कहीं सहमति नहीं है। एक और अमेंडमेंट, किस प्रकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर हमला किया जा सकता है क्योंकि इस विश्वविद्यालय का अपना शानदार इतिहास रहा है। इस विश्वविद्यालय में एन.एम. माथुर, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कई बार आपकी मुलाकात उस दरमियान भी हुई जिस दरमियान का जिक्र मैं करूंगा, सदन में उत्तेजना फैलाना नहीं चाहता। ये एन.एम. माथुर वे ही हैं जिन एन.एम. माथुर ने हमारी पूर्ववर्ती सरकार के समय कार्यकाल की जांच के लिए गठित आयोग बना।

श्री अध्यक्ष: Please don’t set a wrong precedent. He is not a member of this House. Don’t say it. आप विषय के इतर नहीं। आप सीनियर आदमी हैं। Please.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको दोबारा मौका नहीं दूंगा। मैं ये कह रहा हूं इस विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति में एक ऐसा व्यक्तित्व था जो आज की भी इसी विश्वविद्यालय की छाया उन्हीं पर है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उन्हीं की मेहरबानी से इस विश्वविद्यालय के अन्दर 79 वर्ष के डीन लॉ आफ फैकल्टी प्रोफेसर आई.पी. मेसी at the age of 79 years, 72 वर्ष के डीन आफ साइंस हैं प्रोफेसर के.के. बनर्जी, 70 वर्ष के डीन आफ मैनेजमेंट हैं प्रोफेसर यू.आर. डांगा, क्या विश्वविद्यालय है? अध्यक्ष महोदय, जब से विश्वविद्यालय बना है इसका एफ.ए. ही नहीं है, फायनेंशियल बजट इन्होंने नहीं लिया। आज तक इस विश्वविद्यालय की आडिट नहीं हुई। आज तक इस विश्वविद्यालय के अन्दर जो प्रोफेसर हैं, उनकी जब ये अर्हताएं रख रहे थे कुलपति के लिए, तब उनके पास अर्हताएं नहीं थीं। एक परमानेंट फैकल्टी नहीं। क्या मजाक बना रखा है? एडहॉक रूप से जो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विराजे हैं, उनको एक मौका और देने के लिए हम ये खेल कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज विश्वविद्यालय का जिक्र अभी हमारे दिव्या जी कर रहे थे, पहला विश्वविद्यालय जिसके अन्दर कुलपति का कार्यकाल 5 साल के लिए है।

अध्यक्ष महोदय, ये दूसरा अमेंडमेंट लेकर आये हैं। दूसरा अमेंडमेंट क्या लेकर आये हैं 14(3) में ये, जब कुलसचिव की नियुक्ति का अधिकार अब राजस्थान की सरकार को होगा, किसी आई.ए.एस. को या सुपर टाइम आर.ए.एस. को कुलपति नियुक्त कर सकते हैं, रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकते हैं। मैं माफी चाहूंगा, रजिस्ट्रार...

इसलिये मैं आपका ध्यान पैरा 20, जो इस अनुसूची में दिया है, जोधपुर विश्वविद्यालय 1999 के मूल अधिनियम में, उसमें लिखा है रजिस्ट्रार की नियुक्ति कौन करेगा - “The Registrar shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of Selection Committee constituted by the Executive Council under the Chairmanship of Vice Chancellor.” वाइस चांसलर की चेयरमैनशिप में बनी, यह एग्जीक्यूटिव कमेटी में कौन-कौन है। इसमें वाइस चांसलर है, one member of the General Council to be nominated by the General Council, Advocate General of the Rajasthan, Secretary to the Government Law & Legal Affairs, Secretary Higher Education Department (Rajasthan), Secretary Finance Department, The Chairman of the State Bar Council, Senior most faculty member to be nominated by the Vice Chancellor by rotation, two eminent academicians or jurists nominated by the Visitor. भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, a sitting Judge of the High Court to be nominated by the Chancellor (sitting Judge of the High Court), Chairman of Bar Council of India. इन लोगों से बनी कमेटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उसको सुपरसीड करके, सैक्शन 14(3) में अमेंडमेंट करके आप जो लेकर आये हैं। मैं समझता हूं एक सीनियर आरए.एस. रजिस्ट्रार बने, एक आई.ए.एस. रजिस्ट्रार बने, क्या हमारे हाई कोर्ट के आनरेबल जज जो सीटिंग जज हैं, उससे बड़े हैं? क्या वह चेयरमैन जो बार काउंसिल, उससे बड़े हैं? एजी से बडे हैं? यह किस प्रकार का कानून लेकर आये हो? मैं समझता हूं, यह दुर्भाग्य होगा।

अध्यक्ष महोदय, यह विश्वविद्यालय 1999 में स्थापित किया गया था। राजस्थान में एक ही विश्वविद्यालय है जिसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा है। क्या अरमान थे। यह विश्वविद्यालय पूरे देश के अन्दर कानून के जानकारों को शिक्षा लेने की लालायितपने को यहां पूरा करेगा, सब लोग खिंचे चले आएंगे, पर आपने हालत क्या कर दी, कम से कम यह तो देखो।

डा. डी.एस. कोठारी 1964 में यूजीसी के चेयरमैन रहे, उसी जोधपुर से थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन्होंने बनाई। आज उसी जगह पर, अध्यक्ष महोदय, हमारे पास राजस्थान में 88 लॉ कालेज हैं। मंत्री महोदय, मेरा दावा है नैक का एक्रिडिटेशन एक के पास हो तो बता देना मुझे। एक के पास भी। 88 Law Colleges in the Rajasthan. हम किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर होकर what precedent you want to set here?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैं यह कहना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: Please be confined to the amendment. Don't go beyond it.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मैंने अमेंडमेंट से आगे, मैंने सैक्शन 14 (2) के अमेंडमेंट की बात कही।

श्री अध्यक्ष: सुन लिया मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 14 (3) अमेंडमेंट की बात कही।

श्री अध्यक्ष: You are giving a scope of different things...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरे सीधेपन के लिए, मैं आपका जितना आज्ञाकारी हूं, दुनिया जानने लग गई अब तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं आपको इसलिए टोकता हूं, आप सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं। आप यदि रान्ग प्रीसिडेंट सैट करेंगे तो नये सदस्य भी रोन्ग चीजों को पिकअप करेंगे।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, आप जानते हैं यह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूरे हिन्दुस्तान में, अलग-अलग स्टेट्स में क्यों खोले गये, इसके पीछे क्या उद्देश्य था, यह आपको मालूम है। सरकार क्यों अमेंडमेंट ला रही है, यह भी आपको मालूम है। ज्यादा अच्छा रहेगा अपन उस अमेंडमेंट के सम्बन्ध में बोलें तो नये सदस्य उसको पिकअप कर पाएंगे। यह यूनिवर्सिटी किस कंटेक्स में बनी, इस यूनिवर्सिटी का जिस तरह का एक्ट बना, वह एक्ट अलग-अलग स्टेट के अन्दर भी, वही एक्ट के प्रोवीजन हैं। कुछ एक्ट के अन्दर यह अमेंडमेंट किये गये, जो स्टेट के लिए ठीक हैं। मैं समझता हूं कि बैटर रहेगा, आपसे अपेक्षा की जाती है अमेंडमेंट के सम्बन्ध में रिलेवेंट डिस्कशन करें, नये सदस्य उससे एनरिच हों। यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आपने तो मेरे मुंह के शब्द छीन लिए। यही तो बात मैं कह रहा हूं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूरे देश में जिस मंशा के साथ स्थापित किये गये थे, आज उस मंशा के प्रतिकूल जाकर हम सिर्फ एक व्यक्ति, जो आज यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, श्रीमती पूनम जी को दोबारा वाइस चांसलर पद पर आरूढ़ करने के लिए, इस प्रकार के संशोधन लेकर आये हैं।

मैं समझता हूं इस विश्वविद्यालय में आडिट नहीं है। मंत्री महोदय, एक बार भी विश्वविद्यालय की आडिट नहीं हुई। इस विश्वविद्यालय में एक भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है। जब अमेंडमेंट बिल आया है, माननीय अध्यक्ष जी की भावना देखो, कितनी बड़ी भावना है। आप अगर ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं, तो इसके अन्दर परमानेंट फैकल्टी लाओ। इसकी आडिट करवाओ। इसके अन्दर जैसा मैंने पहले कोट किया, 69 साल, 70 साल, 72 साल डीन आफ फैकल्टी, इनकी जगह स्थायी लोगों को लेकर आओ।

अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं, इस प्रकार के खोटे कानून से राजस्थान के विधि शिक्षा की सर्वोच्च संस्था को हम कलंकित कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे आज बड़ी तकलीफ है, प्रजातंत्र के सबसे बड़े सदन में, एक +++ जो मेरे मित्र हैं, सिरोही से आने वाले मित्र हैं, उन्होंने कहा मैं +++ हूं, इन शब्दों को एक्सपंज कराओ। मेरे आंसू निकल रहे हैं। मैं खड़ा रहने में कांप रहा हूं। इन शब्दों को एक्सपंज कराओ, वरना यह +++ माने जाएंगे। पूरा राजस्थान आपको +++ आपको गर्व है न +++ के ... (व्यवधान) धन्यवाद आपको, बधाई।

श्री अध्यक्ष: श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जब हम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय से सम्बन्धित संशोधन पर चर्चा कर रहे हैं, कर्नाटक के पूर्व मुख्य मंत्री वीरप्पा मोइली जी का स्मरण करना चाहूंगा जिन्होंने देश में सबसे पहले बैंगलोर के अन्दर एक बहुआयामी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे देश के अन्दर, विधि क्षेत्र के अध्ययन का माहौल बदलने का प्रयास किया, इस रूप में बदला कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय पूरे देश के नौजवानों के आकांक्षा का केन्द्र बन गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जब राजस्थान बना, कहां विधि की पढ़ाई की सुविधाएं थीं? हमारे यहां के बड़े-बड़े लॉयर हैं, वह इन्दौर के होलकर कालेज से लॉ करके आये थे। उसके बाद धीरे-धीरे कानून की पढ़ाई की सुविधा का विस्तार हुआ। तीन साल का प्रोफेशनल कोर्स चलता था, दो साल का पास कोर्स चलता था। जिन लोगों को पढ़कर वकालात नहीं करनी है, वह दो साल का कोर्स करते थे। इसलिये करते थे कि कानून की जानकारी देश के हर नागरिक को होनी चाहिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, धीरे-धीरे इसमें सुविधाओं में बढ़ोतरी हो, आधारभूत संरचना हो, इन सबकी दिशा में बार काउंसिल आफ इंडिया ने बहुत सजग भूमिका निभायी। हमारे स्टेट में भी कई जगह पर लॉ कालेज की सेपरेट बिल्डिंग नहीं थी। मेन कालेज के पार्ट में ही, इवनिंग क्लास के रूप में लॉ चला रहे थे। यहां तक कि बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी इवनिंग क्लास के रूप में लॉ चल रही थी लेकिन बार काउंसिल आफ इंडिया के सख्ती करने से तमाम ज़िलों के अन्दर, तमाम यूनिवर्सिटीज के अन्दर लॉ की अलग फैकल्टी का निर्माण हुआ और कानून के विद्यार्थियों को अलग से एक व्यवस्थित तरीके से अध्ययन का अवसर मिला। मुझे इस बात की बेहद प्रसन्नता है। निंदा तो किसी भी बात की की जा सकती है, लेकिन राजस्थान का राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अपने शिक्षकों की अथक मेहनत और प्रयत्न से आज देश में रैंकिंग में उसका पांचवां स्थान है। अध्यक्ष महोदय, देश भर के लड़के, दिल्ली तक के लड़के-लड़की, अगर उनका नजदीक में कहीं एडमिशन नहीं होता है तो एनएलयू जोधपुर को एडमिशन के लिए प्राथमिकता देते हैं।

हमारे प्रतिपक्ष के उपनेता ने जिस बात का जिक्र किया कि दोबारा किसी को वाइस चांसलर बनाने के लिए लाया गया है, उसके लिए अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। इस विश्वविद्यालय में पहले भी लगातार दो बार

(श्री संयम लोढ़ा)

वाइस चांसलर रह चुके हैं। मैं उनका कोई व्यक्तिशः उल्लेख नहीं करना चाहता।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी अजीब किस्म की मानसिकता हो गयी है। यह कानून की पढ़ाई एक प्रोफेशनल जगह है। आप देखते होंगे, आपके सम्पर्क में बहुत से हमारे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बच्चे भी हैं, किस ढंग से रिसर्च करके, मेहनत करके वह मुक़दमे तैयार करते हैं, अपनी पढ़ाई करते हैं। कितना अधिक समय देते हैं।

सरकार जो यह अमेंडमेंट लेकर आयी है, आई.ए.एस. और आर.ए.एस. को इसमें रजिस्ट्रार बनाने का, क्या जरूरत थी? वैसे भी ज्यादा टाइम आर.ए.एस. और आई.ए.एस. ही रहे हैं इसके अन्दर। कानून के अन्दर संशोधन करके प्रावधान करने की क्या जरूरत है? वहां पर एक्ट में प्रावधान है कि अकादमिक काउंसिल रजिस्ट्रार का निर्णय करती है। जिस अकादमिक काउंसिल में खुद चांसलर बैठते हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो हमको एक ऐसी संस्था, जिसने हमारा लगातार मान बढाया है, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, हमको उस पर भरोसा करना चाहिये। वहां कानून की पढ़ाई में, आई.ए.एस. और आर.ए.एस. क्या करेंगे? अगर लॉ का असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लॉ का एसोसिएट प्रोफेसर हो, लॉ का प्रोफेसर हो, या डी.जे. रैंक का आफिसर हो, तो वह उस विश्वविद्यालय को और अधिक बेहतर दिशा में ले जाने में समर्थ हो सकेंगे।

आपने दूसरी यूनिवर्सिटी में यह आई.ए.एस., आर.ए.एस. बिठा रखे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या हम नहीं जानते, जिस आई.ए.एस को किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगा दो, उसका उसी शाम को मूड खराब हो जाता है। वह 12 बजे यूनिवर्सिटी में जाता है और 3 बजे वापस लौट जाता है। सुपर टाइम के आर.ए.एस. को आप यूनिवर्सिटी में लगा दो, उसको दो दिन खाना नहीं भाता। इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह विनती करूंगा और सरकार से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि आप यह अकादमिक काउंसिल पर छोड़ दो कि वह कैसे कौनसे कुलसचिव की नियुक्ति करे। हर जगह पर अपनी टांग फंसाना जरूरी नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं एक विनती और करना चाहूंगा कि आपने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको स्मरण है, आपने ही इस विधान सभा में इस यूनिवर्सिटी के लिए कुछ प्रस्ताव रखे थे। यदि अमेंडमेंट नहीं होते तो सरकार वह लागू कर पाती क्या?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप आई.ए.एस. को लगा रहे हो और आर.ए.एस. को लगा रहे हो और आपने इस प्रस्ताव को लाने से पहले कार्मिक विभाग की अनुमति नहीं ली, वित्त विभाग की अनुमति नहीं ली तो आपको अमेंडमेंट लाने के पहले कार्मिक विभाग से आपको अनुमति लेनी चाहिए थी, इसलिए मैं आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से यह विनती करता हूं, मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूं और मेरी व्यक्तिगत राय में इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे, इसलिए आप इसको एक महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करो, सारे वकीलों से राय लो, सारे लॉ के टीचर्स से राय लो, फिर आपका मन बने तो लेकर आना। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्री बिहारीलाल।

श्री बिहारीलाल (नोखा): That the object and purpose of the National Law University, Jodhpur (amendment) bill, 2022 as stated in the said Bill is to cap the term of the office of Vice-Chancellor and to provide for the appointment to the office of Registrar and for such purpose the State Government has decided to reserve the power of amending the Statute thereof.

That the National Law University, Jodhpur Act, 1999 was enacted for establishment of the National Law university in the State of Rajasthan. That under chapter-VI section 15 (4) of the Act of 1999 provides power to the chancellor of the University to amend the statute contained in the schedule of the Act of 1999 in consultation with the State Government and statute 19 of the schedule appended with the Act of 1999 talks about the term of the vice-chancellor therefore, it is clear that the Act provides mechanism for amendment of the Statute and thus the purpose for which the said Bill is proposed can be achieved by procedure laid down in the Act of 1999 by necessary amendment to statute 19 by invoking section 15(4) of the Act of 1999.

(श्री बिहारीलाल)

That earlier in the past also amendment was brought in statute 19 and vide notification dated 08.07.2010 the upper limit for holding the office of Vice-Chancellor was fixed to 70 years by the Chancellor of the university by invoking its power under section 15(4) of the Act of 1999 therefore similarly the term for the office of VC can be fixed by amending the Statute 19 as per the procedure given in the Act of 1999.

Speaker Sir, that from the above-said discussion it is clear that the only purpose for which the said Bill is proposed is to curtail the powers of the Chancellor of the University and the motive of seeking such amendment by way of passing of the said bill is the intention of the present Government to poke into the affairs of the University which it otherwise does not have any power provided under the Act.

The said bill is against the statutory provisions of the Act of 1999 and thus its validity is ambiguous. माननीय स्पीकर सर, मैं यह चाहता हूं कि सरकार इसको जनमत जानने के लिए परिचालित करे।

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज हम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर विचार कर रहे हैं। वास्तव में यह राजस्थान में जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें एक ही विश्वविद्यालय यह है जिसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगता है और इस विधि विश्वविद्यालय से जो एक प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, इससे अच्छे लॉ-मेकर्स, लॉ को जानने वाले, लॉ के विशेषज्ञ तैयार होकर निकलें, ऐसा इसके पीछे भाव रहा है, लेकिन यह तब ही सम्भव है जब उस विश्वविद्यालय का कुलपति अच्छा होगा, वहां की फैकल्टी परमानेंट होगी, वहां की सारी व्यवस्थाएं, अनुबंध उसके अच्छे होंगे और वहां पर वातावरण प्रोफेशनल होगा, अच्छा होगा लेकिन यह जानकर बड़ी पीड़ा होती है कि वहां पर एक भी फैकल्टी परमानेंट नहीं है। उससे आखिर कैसे लॉ-मेकर्स निकलेंगे और यह जो वाइस चांसलर है, शायद जितने विश्वविद्यालय हैं उन सबकी टर्म तीन वर्ष होती है कुलपति की, यह शायद एक ही विश्वविद्यालय है जिसके कुलपति की पांच वर्ष सीमा है। वह पांच वर्ष होने से उसमें भी संतुष्टि नहीं हुई उसको दो बार, बाकी जहां पर तीन वर्ष है वहां पर तो कई बार कुलपति दो टर्म के लिए,

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपन एक टर्म और उसको देते आये हैं, लेकिन पांच वर्ष के बाद दूसरी टर्म देना अर्थात्, दस वर्ष के लिए एक ही व्यक्ति कुलपति रहे, मैं यह समझता हूं कि यह उचित नहीं है। दस वर्ष तक में तो पता नहीं कितना पानी बह जाता है, कितने नये-नये ज्ञान आ जाते हैं, कितनी परिस्थितियां बदलती हैं, इसलिए या तो इस विश्वविद्यालय में भी एक संशोधन लाया जाता कि इसकी टर्म तीन वर्ष रखी जाये, तब शायद दो टर्म का होता तो शायद यह स्वीकार करने योग्य था, लेकिन पांच वर्ष में यदि दो टर्म की भाषा कही जाती है तो यह निश्चित रूप से उचित नहीं है क्योंकि कहीं न कहीं इसके पीछे गंध नजर आती है कि हम एक ही व्यक्ति को लाभ लेने के लिए इस प्रकार का करते हैं। शायद लॉ यूनिवर्सिटी में आज तक किसी भी व्यक्ति को दूसरी टर्म नहीं दी गयी है। यह शायद पहले व्यक्ति होंगे जो इसको दूसरी टर्म देने की सरकार की मंशा दिखती है इसलिए हमारी यस मैन और हमारे चाटुकार लोग न हों, इसके लिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस संशोधन को, यह उचित नहीं है।

साथ में जो दूसरा संशोधन किया जा रहा है कि रजिस्ट्रार कोई आई.ए.एस., आर.ए.एस. होगा, यह भी उचित नहीं है क्योंकि यहां पर जब एकेडेमिक काउंसिल बनी हुई है, उसके माध्यम से व्यक्ति होता है। यदि यहां पर रजिस्ट्रार लॉ यूनिवर्सिटी में लॉ को जानने वाला, लॉ का किसी प्रकार का कोई अच्छा व्यक्ति होता तो समझ में आता कि लॉ का जानकार वहां पर है लेकिन केवल हम हमारी योजना से, हमारा ही व्यक्ति वहां पर रजिस्ट्रार बने, कोई आई.ए.एस., आर.ए.एस. हमारा जो यस मैन बने, हमारे कहने के अनुसार वहां पर सारे काम करवाये। इस प्रकार का यदि वहां पर रजिस्ट्रार होगा तो यह रजिस्ट्रार और कुलपति दोनों मिलकर विश्वविद्यालय का क्या हाल होगा?

राजस्थान में उच्च शिक्षा के जैसे हाल हो रहे हैं, उसमें लॉ को भी जोड़ना, यह तो सरासर अन्याय होगा राजस्थान के बच्चों के साथ, इसलिए मेरा आपसे यह आग्रह है कि इस प्रकार का यह टर्म, इसको तीन वर्ष की जाये, यह इसमें संशोधन होता तो शायद स्वीकार योग्य होता, लेकिन मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि इस यूनिवर्सिटी का यह जो विधेयक लाये हैं इसको छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैं इंटरफेयर तो नहीं करना चाहता पर मैंने इस एक्ट को पढ़ा है। इस एक्ट के सैक्शन 14 में अमेंडमेंट कर रहे हैं। क्यों अमेंडमेंट कर रहे हैं? 70 साल की उम्र का उसमें लिख रखा था,

(श्री अध्यक्ष)

टाइम के बारे में नहीं लिख रखा था। इसमें सैक्शन 14 में जो कुलपति लिखा हुआ है, कुलपति 70 साल का होगा, तो 70 साल के साथ में उन्होंने दो टर्म जोड़ा है। तीन साल और पांच साल का नहीं, नम्बर एक।

नम्बर दो, इसमें जो आफिसर डिफाइन है, उसमें रजिस्ट्रार आफिसर डिफाइन नहीं है। इसमें लिख रखा है- ऐसे अन्य अधिकारी जो विनियमों द्वारा विहित किये जायें। इसलिए यहां अधिकारी में रजिस्ट्रार लाने के लिए इन्होंने यह अमेंडमेंट किया। हम जो डिस्कशन कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि हम बिल में पढ़कर या तो डिस्कशन किया करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता।

मैं फिर आप सब माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बिल में जो सैक्शन 14 में अमेंडमेंट किया जा रहा है, उस अमेंडमेंट में जो आफिसर लिखे हुए हैं, उसमें कुलपति आफिसर हैं, कुलपति की उम्र उन्होंने 70 साल लिख रखी है कि 70 साल में एक बार बने, दो बार बने, तीन बार बने, यह नहीं लिख रखा है, इसलिए उन्होंने 70 साल की उम्र के साथ यह लिखा है कि दो टर्म तक बन सकता है, उससे ज्यादा नहीं बन सकता, एक तो यह अमेंडमेंट कर रहे हैं।

इसमें रजिस्ट्रार के सम्बन्ध में कोई शब्द नहीं लिख रखा था। रजिस्ट्रार की व्यवस्था उनकी इंटर्नल व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को करने के लिए उन्होंने यह डिफाइन किया कि रजिस्ट्रार बनेगा, उसमें आई.ए.एस. से बनेगा, यह बनेगा।

मैं सबसे यह अपेक्षा करता हूं कि जब हम बिल के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि हम, यह मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली है और हम जिस तरह के कानून के बारे में चर्चा करते हैं, वह कानून के बारे में चर्चा में हमें ज्यादा अध्ययन करने की आवश्यकता है जिससे हम सार्थक रूप से यह चर्चा कर सकें।

यह मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया, हम जब एक्ट में अमेंडमेंट करने के बारे में समझें तो बहुत सिम्पल इसमें एक्ट में अमेंडमेंट लिखा हुआ है, उस एक्ट की भावना को समझकर यदि हम चर्चा करेंगे तो इस चर्चा का एक ही प्रश्न है। अभी तक जो एक्ट में अमेंडमेंट था, यह मैंने सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को बीच में रोका था कि इसी सदन में हमने यह पास किया था कि राजस्थान के बच्चों का इसमें एडमिशन नहीं होता है क्योंकि उस समय एक्ट में अमेंडमेंट नहीं था। हमारे रिक्वेस्ट करने के बाद

(श्री अध्यक्ष)

भी, बराबर रिक्वेस्ट करने के बाद भी वहां पर यह अमेंडमेंट नहीं हो सका, फिर सरकार को बाध्य होकर डाइरेक्शन देना पड़ा कि राजस्थान के लड़कों को इसमें एडमिशन दिया जाये। ऐसी स्थिति पैदा नहीं हो इसलिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति के अंतर्गत आर.ए.एस. और आई.ए.एस. को रखा जाये, यह सोच-समझकर सरकार अमेंडमेंट कर रही है जिससे राजस्थान के बच्चों का भविष्य भी सुदृढ़ हो सके और राजस्थान सरकार की जो मंशा है, वह सरकार को कम्युनिकेट करने के लिए जो व्यवस्था है, उसको ठीक ढंग से कर सके तो मेरी सानुरोध प्रार्थना है आप सबसे कि जो हम एक्ट में डिस्कशन करें तो हम रेलेवेंट डिस्कशन करेंगे। यह यू-ट्यूब पर हमारी लाइव डिबेट जा रही है। यदि हम मैम्बर आफ लेजिस्लेटिव असेम्बली, कानून के बनाने के सन्दर्भ में इस तरह की बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम जनता के प्रति अपने कर्तव्य का, उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं करेंगे।

मुझे माफ करें, पर मैं आशा और अपेक्षा करता हूं कि जब हम डिबेट करें तो जो कानून के प्रोविजन हैं, जो अमेंडमेंट कर रहे हैं उन अमेंडमेंट के सम्बन्ध में सार्थक चर्चा करें। यह अति आवश्यक है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उसमें पांच वर्ष है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं पढ़कर बोल रहा हूं, बिना पढ़े कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, उसमें 70 साल लिखा है। 70 साल में वह पांच बार क्या, छह बार भी बन सकता है, उसको रेस्ट्रिक्टेड करने के लिए उन्होंने दो टर्म का प्रोविजन किया है, इससे पहले कोई प्रोविजन नहीं था इसके अन्तर्गत इसलिए प्रोविजन करने के पीछे यह मंशा है। एक्ट में 70 साल तो लिखे हुए थे। 60 साल का आदमी कितनी बार बनेगा, उसमें कोई टर्म नहीं लिखी हुई थी। अब उसमें लिख रहा है कि केवल मात्र दो टर्म ही आप दे सकते हो और 70 साल की उम्र के बारे में अमेंडमेंट नहीं किया, इसलिए मैं समझता हूं कि हम एक्ट को पूरा पढ़ कर आयें, अमेंडमेंट के बारे में हम चर्चा करें तो सार्थक रूप से चर्चा कर सकेंगे। यह मेरी आप सबसे सानुरोध प्रार्थना है।

मैं आशा करूंगा कि बिल के सम्बन्ध में जितनी ज्यादा गम्भीरता जनता एक्सपेक्ट करती है, उसके बारे में हम उतने गम्भीर नहीं हैं। बिल बनाने में हमें गम्भीर होने की आवश्यकता है क्योंकि इसके फार-रीचिंग इफेक्ट हैं। हम राजस्थान की जनता को यह बता ही नहीं पायेंगे कि अमेंडमेंट क्यों कर रहे हैं और दूसरी यूनिवर्सिटी के अमेंडमेंट के साथ हम लिंक करेंगे तो

(श्री अध्यक्ष)

जिस उद्देश्य के साथ हमने अमेंडमेंट किया है, उस धारा के अमेंडमेंट के बारे में हम सही डिस्कशन नहीं कर पायेंगे, इसलिए मुझे अन्यथा न लें। मैं माननीय सदस्यों से अपेक्षा करूंगा कि हम बिल के अन्दर जो प्रोविजन लिखा हुआ है, सार्थक चर्चा करें, रिलेवेंट चर्चा करें और बिल में जो अमेंडमेंट है, उससे ही कन्फाइंड रखें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उपयोगी रहेगा। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। आपकी बात सुनकर मुझे लगा कि बात आपने बहुत अच्छे से कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं बिल से हट कर कुछ निवेदन करूं तो शायद...

श्री अध्यक्ष: बिलकुल नहीं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इस बिल के सन्दर्भ में ही। जो बात आपने कही है, उसी सन्दर्भ में।

श्री अध्यक्ष: बिल के अन्दर जो है, आप उसी पर बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): बिल के अन्दर जो बात आपने कही है, उसी के लिए निवेदन करना चाहती हूं कि यह लेजिस्लेटिव असेम्बली है और असेम्बली कानून बनाये और उसके लोंग इफेक्ट हों, वह तभी सम्भव है जब माननीय सदस्य बिल के बारे में ठीक ढंग से, जैसाकि आपका आग्रह है कि पढ़कर अपनी बात कहें। उदाहरण के तौर पर ही मैं आपको बता रही हूं। 2022 चल रहा है, हम 1999 के बिल में संशोधन कर रहे हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, जब मैंने इसको पढ़ा, इसके आगे राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर लिखा है। मैंने उप नेता से भी रिक्वेस्ट की कि मुझे थोड़ा यह समझा दें कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में कैसे संशोधन कर सकते हैं? तब उन्होंने मुझे बताया कि चूंकि हमारे राजस्थान के परव्यू में है, क्योंकि पिछली बार जब डिस्कस हुआ था तो आपने जो बात कही, वह बात ठीक है कि हमने यह बात कही थी कि राजस्थान के बच्चों को भी इसमें 5 परसेंट कोटा होना चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिल सके। अभी आपने यह बात क्लीयर की है कि आई.ए.एस. और आर.ए.एस. की व्यवस्था है पर पिछले जितने भी रजिस्ट्रार की पोस्ट पर हम देख रहे हैं तो आप देखिएगा कि मैक्सीमम समय आई.ए.एस. और आर.ए.एस. ही पोस्ट पर रह रहे हैं। रजिस्ट्रार की पोस्ट पर आर.ए.एस. और आई.ए.एस. ही रहते आये हैं। जब वही रहते आये हैं तो फिर हमें इस अमेंडमेंट की क्या जरूरत है? इसकी जरूरत

(श्रीमती अनिता भदेल)

होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि हम दो टर्म करना चाह रहे हैं, 70 वर्ष तक की आयु तो डिसाइड है लेकिन उसको कितने टर्म रहना है, दो टर्म की आपने उसकी बाध्यता की है कि दो टर्म से अधिक नहीं रह सकते।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि इस विश्वविद्यालय के चांसलर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं और इसी प्रकार से हमारी जो काउंसिल बनी हुई है, क्या हमारे पास काउंसिल की रिकमण्डेशन आयी है? अकादमिक काउंसिल जो स्वयं निर्णय लेती है, उसकी रिकमण्डेशन तो हमारे पास आयी नहीं है कि हमें यह निर्णय करना चाहिए। यदि उसकी रिकमण्डेशन हम पहले ले लेते तो शायद हमारे लिए ठीक होता कि उन्होंने रिकमण्ड किया है।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगी, जैसा कि पूर्व के माननीय सदस्यों ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी में, नेशनल यूनिवर्सिटी जिसके आगे लिखा हुआ है, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एक भी स्थायी नहीं है। गेस्ट फैकल्टी के नाम से और दूसरी फैकल्टीज के आधार पर हम इसमें व्यवस्था कर रहे हैं। हमें यह चाहिए था कि हम ऐसी व्यवस्था करते। चूंकि यह कानून की पढ़ाई का एकमात्र नेशनल लेवल का विश्वविद्यालय है इसलिए इस नेशनल लेवल के विश्वविद्यालय को स्टेट गवर्नमेंट चाहे कि नेशनल लेवल के स्तर का ही हम बनायें तो ज्यादा अच्छा होगा।

(समय: 15.34 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

इसमें बाकी की चीजों का जिक्र पहले के माननीय सदस्य कर चुके हैं इसलिए मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि इस बिल में जो संशोधन सरकार लेकर आयी है, उस संशोधन को जनमत जानने के लिए रिलीज किया जाये ताकि लोगों की भावना या कानून के लोगों की भी, सुझाव आ सकें और सुझाव आने के बाद हम अच्छे से संशोधन करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर अधिनियम में संशोधन विधेयक पर बोलने का आपने मौका दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद।

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही, उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में संशोधन करके किसी व्यक्ति को पांच वर्ष के दो टर्म या 70 वर्ष होने तक के लिए कुलपति बनाने का प्रावधान किया जा रहा है। विधि विश्वविद्यालय जैसे हाईएस्ट एकेडमिक स्किल वाले इंस्टीट्यूट में कुलपति के लिए पांच वर्ष का कार्यकाल ही पर्याप्त होता है। दस वर्ष के लिए किसी को भी कुलपति बनाना संस्था के नये विचारों को लाने, प्रबन्धन की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, आवश्यक परिवर्तन और परिवर्द्धन करने और अन्य योग्य व्यक्तियों को अवसर देने की भावना के विरुद्ध है। एक कुलपति के लिए संस्थान में मैनेजमेंट और एकेडमिक एक्सीलेंस प्रदर्शित करने के लिए पांच वर्ष का एक कार्यकाल ही पर्याप्त होता है। क्या हम यह precedent getting new energy in institution is dangerous माननीय सभापति महोदय, नई एनर्जी अगर आती है तो उससे नया ग्रोथ होता है। जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एनएलयू पांचवें स्थान पर है इण्डिया में। हमें उसको पहले स्थान पर लाने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए और वे तभी होते हैं जब हम अच्छे कुलपति और नये लोगों को चांस दें कि वे आकर उसको अच्छा बढ़ा सकें।

माननीय सभापति महोदय, सभी बातें माननीय राठौड़ साहब और अनिताजी ने रखी थीं। मैं बस एक बात साथ में और कहना चाहूंगी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात् उसके कार्यकाल में एडहॉक आधार पर तदर्थ आधार पर वृद्धि अधिकतम एक वर्ष निश्चित कर देनी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा गठित चयन समिति को नये कुलपति की खोज के लिए एक वर्ष की अवधि पर्याप्त से भी अधिक होती है। बिना किसी आपात स्थिति के, बिना किसी अत्यावश्यक परिस्थिति के विधियों में संशोधन करना डेमोक्रेसी की मर्यादा के विरुद्ध है। कहीं भी यह नहीं बताया गया, कोई ठोस कारण नहीं दिया गया कि हमें यह चेंज क्यों लाना पड़ा या अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा।

सभापति महोदय, विश्वविद्यालय का प्रबन्धन अभी तक बहुत अच्छे से चल रहा है और आगे भी इस बिना संशोधन के अच्छे से चल सकता है। अत: मैं राज्य सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस संशोधन को छह माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हमीर सिंहजी भायल (अनुपस्थित)। श्री गोपी चन्दजी मीणा, जहाजपुर।

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय, सरकार के द्वारा विधि विश्वविद्यालय संशोधन जल्दी में लाया गया है। कुलपति के लिए अधिकतम आयु सीमा न्यूनतम पांच वर्ष होनी चाहिए और कुलपति के लिए योग्य एवं अनुभवी व्यक्ति होना चाहिए जिसका दस साल का प्रोफेसर के पद का अनुभव रहा हो। संस्थान के हित में होगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें संशोधन करना चाहिए कि राजस्थान के बच्चों को भी 10 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने का प्रावधान करना चाहिए। यह सरकार के द्वारा जल्दी में लाया गया बिल है। अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिए छह माह के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री ज्ञानचंदजी पारख (अनुपस्थित)। श्री बलजीत यादव (अनुपस्थित)। श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक 2022 संशोधन के लिए लाया गया है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा है, उसमें अपने आपको समाहित करते हुए निवेदन करता हूं कि इसको तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक 2022 में सरकार जो संशोधन लेकर आयी, सबसे पहले तो इसके पक्ष में बात रखूंगा क्योंकि सवाल यह है कि वह स्टेट में है। इंस्टीट्यूशन चाहे सेन्टर का हो, स्टेट में कोई भी इश्यू होता है, सवाल स्टेट गवर्नमेंट से करते हैं।

जैसे कल-परसों एक इश्यू चल रहा था, लोगों की समझ में नहीं आती। इसलिए मैं गम्भीरता के साथ, सरकार हर इंस्टीट्यूशन में, अकेले जोधपुर विधि विश्वविद्यालय में नहीं, छात्रों की संख्या के अनुरूप व्याख्याताओं की नियुक्ति, उनकी दूसरी सुविधाएं विश्वविद्यालय से सम्बन्धित अकेले

(श्री बलवान पूनियां)

विश्वविद्यालय में एकेडमिक नहीं, दूसरी गतिविधियों को मजबूती के साथ करते हुए, बढ़ाते हुए राजस्थान सरकार जो संशोधन लेकर आयी है, इसका मैं समर्थन करता हूं और मैं यह मानता हूं कि जो विधि विश्वविद्यालय और दूसरे विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति राजस्थान सरकार वहां की परिस्थितियों के अनुसार, उस सूबे की सरकार वहां की परिस्थितियों के अनुसार उसको अच्छा लगे, उसकी स्थिति से उसकी नियुक्ति करे। इसलिए यह उपबन्ध 14 का जो संशोधन है, मैं इसका समर्थन करता हूं और मैं मेरा जनमत जानने का प्रस्ताव वापस लेता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया (अनुपस्थित)। श्री रामलाल शर्मा (अनुपस्थित)। श्री अमृतलाल जी मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 में संशोधन के लिए है, मैं इस विधेयक के बारे में कहूंगा कि इसे छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने का प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द कटारिया, आप बोलेंगे?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022, मंत्री महोदय, जब इसके बारे में जवाब दें तो हमको थोड़ा समझाने का प्रयास करें। हो सकता है कि हमारा ज्ञान अधूरा हो कि 1999 के कानून में, अभी अपन 2022 में हैं, तो ऐसी क्या परिस्थिति आ गयी आपके सामने, कि ये दो छोटे-छोटे अमेंडमेंट आपको लाने पड़े? कोई आपको समस्या आयी या कोई इसके कारण से इस विश्वविद्यालय को और ऊंचाई देने में कहीं दिक्कत आ रही है, किसके कारण से 1999 के बाद पहली बार यह संशोधन आप लेकर आ रहे हैं? यह एक तरह से राजस्थान के लिए यह सम्माननीय विश्वविद्यालय के रूप में है और जिस मंशा से इसको प्रारम्भ किया, उसके पीछे यही था कि हमारे इस प्रदेश में लॉ की दृष्टि से हमारी स्ट्रेन्थन और हमारे बच्चों को भी अवसर मिले और हमारे लोग भी इस विश्वविद्यालय के आधार पर आगे बढ़ें।

संशोधन तो बहुत सामान्य हैं, दो ही हैं। वास्तव में कहा है कि यह संशोधन राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 की धारा 14 की उप-धारा 1 के पश्चात् दो नई उप-धाराएं जोड़ने हेतु पेश किया गया है। उप-धारा 2 अधिनियम की अनुसूची में उप-वर्णित परिनियमों में अन्तर्निष्ट किसी बात

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के होने पर भी कोई भी व्यक्ति कुलपति का पद दो पदावधि से अधिक के लिए, मतलब आपको यह लगता था कि दो से भी अधिक कोई यहां वाइस चांसलर बन गया क्या या कोई बनने की सम्भावना लगती है क्या? यह दो बार से ज्यादा रोकने के लिए आप यह कानून ला रहे हो। इसका मतलब आपके मन में कोई अन्दर छिपी हुई बात हो तो वह भी बता दो कि ऐसा करने का क्या मतलब है? या तो यह है कि जो पद पर है, वह हटना ही नहीं चाहता है या उसको बार-बार बनाना चाहते हो और राजस्थान सरकार नहीं चाहती है कि वह न बने। इसके लिए आपको कानून लाने की आवश्यकता पड़ी है या किसी को आब्लाइज करने की दृष्टि से है कि कम से कम इसको दो बार तो अपन बना ही सकते हैं?

माननीय सभापति महोदय, यह जो एज की लिमिट आपने की है 70 साल की, मैं सोचता हूं इसके पीछे भी रीजन समझाइए कि बाकी सारे विश्वविद्यालयों की अलग स्थिति है, वह अलग कानून है। आपने यह 70 साल का जो निर्णय किया, यह 70 साल का निर्णय करने के पीछे आपका मन्तव्य क्या है? यह समझ में आये तो हम समझ सकते हैं कि इसके कारण से किया है।

जहां तक मैं सोचता हूं कि रजिस्ट्रार 1999 से लेकर 2022 तक भी लगे होंगे, उन रजिस्ट्रारों के अनुभव से आपको कोई ऐसी चीज लगी हो जिसके कारण से यह करने की आवश्यकता पड़ी? जैसे स्पीकर साहब ने भी कहा कि हमने विधान सभा में भी इस विषय पर डिस्कशन किया कि हमारे बच्चों को भी इस विश्वविद्यालय में प्रोपर स्थान मिलना चाहिए ताकि हमारे विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें। यह सबकी अच्छी सोच थी और हम सब लोगों ने इस पर चर्चा की थी। क्या यह जो आपका रजिस्ट्रार है, वह आई.ए.एस. या सीनियर स्केल का आर.ए.एस. हो तो ही आपका प्रोटेक्शन हो सकता है, इसके कारण ये लाए हैं या बीच के जो कालखण्ड निकले, उसमें आपका अनुभव कुछ ऐसा रहा कि जैसा आप चाहते थे वैसा नहीं हुआ।

अब यह इतना प्रतिष्ठा प्राप्त विश्वविद्यालय है, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हमने इसमें देखा कि आपके इसमें 37 लोगों के पद हैं शैक्षणिक दृष्टि से, एक भी अभी तक परमानेंट आदमी नहीं है, सभी अनुबन्धित कार्यरत हैं। या तो अनुभव यह आया कि अच्छी यूनिवर्सिटी चलाने के लिए अनुबन्धित ही

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेना चाहिए ताकि बढ़िया से बढ़िया आपको विद्वान लोग मिलें और उसके कारण से यूनिवर्सिटी में पढ़ाए और गए। मतलब यूनिवर्सिटी का आगे क्या होना, नहीं होना उसको मतलब नहीं। आप 22 साल में अगर इसके रेगुलर स्टाफ के बारे में निर्णय करने की स्थिति में नहीं आए तो इसका मतलब क्या है, समझ में ही नहीं आता है। कोई एक-दो साल यूनिवर्सिटी चले और उसमें स्टाफ नहीं हो तो समझ में आता है। इतने वर्षों के बाद भी 37 में से 37 ही अनुबन्धित पर हैं, एक भी परमानेंट स्टाफ नहीं है और विश्वविद्यालय आप चला रहे हो। मैं सोचता हूं कि इस बारे में भी आपको सोचना चाहिए।

यह जो दो छोटे-छोटे अमेंडमेंट आप लाये हैं, केवल आपकी भावना समझना चाहते हैं कि इतने लम्बे कालखण्ड के बाद एक अचानक कैसे यह सपना आया कि यह दो अमेंडमेंट करने से यह विश्वविद्यालय और सशक्त और अच्छा हो सकेगा? वह तर्क से हमें समझा दो तो हम आपकी बात मान लेंगे।

श्री सभापति: श्री धर्मनारायण जी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय सभापति महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर का जो संशोधन विधेयक, 2022 लाये हैं, अभी हमारे विपक्ष के माननीय नेता ने जो बात उठायी है, मुझे लगता है कि वहां पर फैकल्टी नहीं हैं, फैकल्टी की व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी और फैकल्टी जब नहीं है, फिर आप जो दो छोटे-छोटे संशोधन लाए हैं, 22-23 वर्ष बाद, जिनकी आवश्यकता नहीं थी, पहले स्टाफ की व्यवस्था करते, फैकल्टी की व्यवस्था करते। विधि विश्वविद्यालय का देश में बड़ा नाम है और पता नहीं आप या तो किसी को रखना चाहते हैं, या हटाना चाहते हैं, आप क्यों यह संशोधन लाए?

(समय: 15.46 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी अनेक विश्वविद्यालयों के बारे में बात हुई। आपने खेल विश्वविद्यालय खोल रखी है, उसका कोई धणी-धोरी नहीं है, कोई चल ही नहीं रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, please be relevant.

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय में जो संशोधन लाये हैं, आपके संशोधन लाने की जो मंशा है, वह मंशा सदन को बताने की कृपा करावें और मैं सोचता हूं इस विधेयक को जनमत जानने के लिए जनता के पास परिचालित किया जाए। इसको अभी स्थगित करें, इसको आगे भेजें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित)। श्री अभिनेश महर्षि।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं बहुत लम्बी बात नहीं करूंगा। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बहुत छोटे-छोटे दो संशोधन हैं, जिनके ऊपर काफी वक्तव्य दे दिए हैं। मैं मेरी भावना, माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। कोई भी कानून बने, कोई भी कानून के अन्दर अमेंडमेंट हों, उसमें सबसे पहले लोगों की राय और उस विषय को जानने वाले लोगों की राय जाननी चाहिए। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, कोई भी सरकार हो, लेकिन राय जान लेते हैं तो उसके अन्दर अमेंडमेंट अच्छे हो जाते हैं और छोटे-छोटे संशोधन अमेंडमेंट्स के बजाय आप एक साथ में, क्योंकि सदन का समय भी बहुत जाया होता है। एक साथ में कई सारे अमेंडमेंट्स लेकर, मैं समझता हूं बहुत जल्दबाजी में नहीं लाकर और विषय के ऊपर पूरी गहनता के साथ में विचार-विमर्श होने के बाद में आना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व सभी वक्ताओं ने कहा कि 22 वर्ष गुजर जाने के बाद में भी परमानेंट फैकल्टी नहीं है। यह बहुत गम्भीर विषय है। इसके ऊपर भी इसी के अन्दर एक ऐसा संशोधन लाना चाहिए था कि अब इसके अन्दर एक वर्ष के अन्दर-अन्दर या छह महीने के अन्दर हम परमानेंट फैकल्टी लगा देंगे जिससे विद्यार्थियों के जो हित हैं, उनके ऊपर कुठाराघात नहीं हो सके।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे मन की एक बात और कहना चाहता हूं कि यह लॉ विश्वविद्यालय है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है और इसके अन्दर देश के पहले कानून मंत्री बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, इस कानून के अन्दर यह कर दें कि जितने भी इस तरह के विश्वविद्यालय हैं, उन सबमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आदमकद मूर्ति लगे, क्योंकि कानून बनाने वाले देश के पहले कानून मंत्री थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, don't be irrelevant, please. हो गयी बात।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): एक मिनट मेरी बात कह दूं।

श्री अध्यक्ष: क्या बोल रहे हैं आप?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): सर, कानून का विषय था।

श्री अध्यक्ष: कानून के विषय में मूर्ति भी है?

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): हैं, सर?

श्री अध्यक्ष: कानून के विषय में मूर्ति भी है? माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): ओके, ओके। मैं मेरी बात पर आ जाता हूं। इसमें हर वर्ष आडिट होनी चाहिए। यह भी इसके अन्दर अमेंडमेंट होना चाहिए। इसके अन्दर कई वर्षों से आडिट नहीं हो रही है। यह भी इस कानून के अन्दर अमेंडमेंट होता तो ज्यादा अच्छा होता।

जो आई.ए.एस., आर.ए.एस. पद के अन्दर, वह कम महत्व का पद मानते हैं, इसलिए इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं। यह लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ में बहुत अन्याय होता है। जो कुलपति महोदय हैं, उनके नीचे यदि आई.ए.एस. अधिकारी को लगा दिया जाता है तो वह समझते हैं कि यह हमारा नीचा पद हो गया, हमारा कद नीचा हो गया इसलिए वह इसके अन्दर इंट्रेस्ट नहीं लेते हैं।

हम यदि राजस्थान के बच्चों का भविष्य उज्ज्वल बनाना चाहते हैं तो इसके अन्दर यह अमेंडमेंट भी करना चाहिए कि राजस्थान के बच्चों को इसके अन्दर ज्यादा परसेंट के साथ मौका दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं इसको जनमत जानने के हेतु 6 महीने के लिए परिचालित करने की मांग करता हूं। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ (अनुपस्थित)। सुश्री दिव्या मदेरणा।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) के बिल पर बोल रही हूं।

जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने बताया कि इसमें 2 अमेंडमेंट्स लेकर आये हैं। प्रथम कुलपति के 2 टर्म्स तक लिमिट करने के लिए और 3 पर कैप लगायी है। एनएलयू, जोधपुर 1999 में स्थापित हुआ। जेएनयू की बारम्बार बात करते हैं, विशेषकर सदन के उप नेता, व्यास यूनिवर्सिटी की चर्चा होती है तो भी

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

जयनारायण व्यास पर पहुंच जाते हैं, एनएलयू की चर्चा होती है तो भी जयनारायण व्यास पर पहुंच जाते हैं। मुझे पता नहीं कि राज्य में गधों की कमी होने से इतने व्यथित हैं कि कहीं से कहीं दूसरे इर्रेलेवेंट पर पहुंच जाते हैं।

जेएनयू के अन्दर 9 पूर्णकालिक और 6 व्यक्तिगत अतिरिक्त प्रभार कुलपति के रूप में रहे, लेकिन एनएलयू के अन्दर अभी तक सिर्फ 3 व्यक्ति कुलपति रहे। सिर्फ यही एक यूनिवर्सिटी है जहां पर कुलपति का कार्यकाल 5 वर्ष का है। दूसरा, कोई व्यक्ति कितनी ही बार कुलपति बन सकता है। इसके लिए बार-बार यह कह रहे थे...। आप बीच में बात न करें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्या को आप इंटरफेयर कर रहे हैं। आप सुनें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): प्रोफेसर सक्सेना, जिसके लिए सदन के उप नेता बार-बार कह रहे थे कि शायद पीछे के दरवाजे से आप उनको लेकर आना चाहते हैं और इसी कारण आप यह बिल लेकर आये हैं।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि प्रोफेसर सक्सेना 2013 में एनएलयू, जोधपुर की कुलपति बनीं। एनएलयू में कुलपति का उनका 5 वर्ष का कार्यकाल था, जिसको जुलाई, 2018 तक समाप्त होना था। उनको एक्सटेंशन दे दिया, जो कि सम्भव नहीं था। जब कोई नियुक्ति किसी सर्च कमेटी की अनुशंसा पर निर्धारित अवधि हेतु हो तभी हो सकती है, बिना सर्च कमेटी आप एक्सटेंशन नहीं दे सकते।

अब आप इसको बार-बार पढ़ रहे थे कि आपने इसे कैसे बना दिया? I would like to readout the extension letter - by the Chief Justice of Rajasthan High Court where he states in exercise of the powers vested in me under statute 19(4) do hereby extend the tenure of Poonam Saxena as Vice Chancellor of the National Law University, Jodhpur for a period of five years or till she attains the age of 70. अब आप पूछ रहे थे कि हम इनको लाना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यह भी जुलाई, 2018 के अन्दर इसका एक्सटेंशन हुआ था, आपके कार्यकाल के अन्दर। बताइये यह कैसे सम्भव हुआ? किस तरीके से यह हो रहा था? बिना सर्च कमेटी के आपने कार्यकाल बढ़ा दिया। यह सब आपके ही कार्यकाल में हो रहा था।

दूसरी चीज जो हम लेकर आ रहे हैं वह है रजिस्ट्रार को करने का, एनएलयू की 22 जनवरी की जनरल काउंसिल की मीटिंग में एजेंडा खुद के

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

रजिस्ट्रार नियुक्त करने का प्रस्ताव रखता है। इस बैठक में हाई कोर्ट के एडवोकेट जनरल एम.एस. सिंघवी ने एतराज जताते हुए कहा कि इसके लिए एनएलयू अभी तैयार नहीं है। रूल्स तैयार नहीं हैं। इसे स्थगित कर दिया जाता है। जनरल काउंसिल की बैठक में अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस अखिल कुरैशी ने कहा कि रिलेवेंट रूल्स के साथ अलग से बैठक बुलायें और जनरल काउंसिल में इस मामले को स्थगित कर दिया।

बैठक के 3 दिन बाद, महज 3 दिन बाद पत्र भेजकर जनरल काउंसिल के सभी सदस्यों को जानकारी दी गयी कि रजिस्ट्रार की नियुक्ति एनएलयू एक्ट 1999 के स्टेट्यूटरी 14 के तहत होती है। रजिस्ट्रार की योग्यता का एमएचआरडी के पत्र 02 नवम्बर, 2017 के तहत माना गया, जिसे वर्ष 2017 में अप्रूव करा दिया गया। 18 जनवरी, 2020 की बैठक में अप्रूव भी कर दिया गया। इस सम्बन्ध में कुलाधिपति और चीफ जस्टिस की बात कर शीघ्र बैठक आयोजित की गयी। बाद में राज्य सरकार के शिक्षा मंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी जो आज वह एक्ट में इसको लेकर आ रहे हैं।

आप बार-बार यहां पर पूछ रहे हैं कि आप एक्ट के अन्दर यह क्यों लाना चाहते हैं? क्या सपना आ गया? 1999 के बाद आपने क्यों नहीं किया? आपकी क्या मंशा है? एनएलयू के अन्दर आप किस तरीके से स्वयं जो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व होता है कुलसचिव, वहां पर आप उसको बाईपास करके स्वयं कर रहे थे। स्वयं यहां पर करने की कोशिश की।

दूसरी बात, आप शायद मुझे टोकेंगे भी कि स्टूडेंट्स का रिजर्वेशन हमारे यहां पर नहीं है, जिसको अब बहुत टाइम बाद में लागू किया गया है। उसका कारण है कि अगर कुलसचिव यहां पर होता तो इस तरह से देखने को नहीं मिलता। एक दूसरा अभाव यह भी होता है कि स्टेट्स से ऐसे एनएलयूज को ग्रांट की बहुत कमी है, NLU Jodhpur received Rs. 50 lakh this academic year. It has since consented to a domicile reservation of 25 per cent, perhaps in the hope of receiving more capital grants. तो शायद एक दबाव के अन्दर कई बार यह 85 परसेंट भी डोमेसाइल रिजर्वेशन कर देते हैं इस तरीके से कि शायद हमें ग्रांट मिले। मुझे लगता है कि रिजर्वेशन तो हो लेकिन आवश्यकता है कि हम इनको ऐसे करें, जहां पर बेहतरीन लीगल एडवोकेट्स हम चाहते हैं भविष्य के लिए, तो हमारी लीगल ग्रांट्स भी यहां पर सरकार को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

लास्ट में मैं एक दूसरी बात कहकर अपनी बात को खतम करना चाहूंगी कि एनएलयू के अन्दर किस तरीके से बार-बार रिजर्वेशन की और कुलपतियों की मांग उठ रही थी। 22 साल बाद भी वंचित रहे और मैं एक ब्रीफ हिस्ट्री देकर अपने आपको कन्क्लूड करूंगी। How long was the debate to get reservation in this particular University? वर्ष 2013 में भाजपा की सरकार थी। सीएम तक मामला पहुंचा, कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी लेकिन तब तक सरकार बदल गयी।

2014 में शिक्षा मंत्री को अवगत कराया। यही कालीचरण जी सराफ मंत्री थे और वह कहते हैं कि I was very surprised, एनएलयू मेरे क्षेत्राधिकार में नहीं आता। यह स्टेट एक्ट से बना हुआ है। 2015 में फिर मुद्दा उठाया जाता है। 16 में से 12 यूनिवर्सिटीज को आल ओवर इंडिया में रिजर्वेशन मिल जाता है। 2016 के अन्दर नये सीएम को केस बताया जाता है, आश्वासन मिलता है और अफसरों को निर्देश भी दिये जाते हैं। 2017 के अन्दर, उस वक्त किरण माहेश्वरी जी उच्च शिक्षा मंत्री थीं, वह व्यस्त थीं। वह सूरत, गुजरात के चुनावों में गयी हुई थीं। वहां से राजस्थान का प्रतिनिधित्व मण्डल जाता है और उनको कहता है कि आप यहां पर करें। 2018 के अन्दर शिक्षा मंत्री विधान सभा में आरक्षण की घोषणा करती हैं। 2019 में कमेटी की रिपोर्ट एक साल तक नहीं आती और काउंसिल उससे रिपोर्ट मांगती रहती है। 2020 में रिपोर्ट के बाद भी एनएलयू उस पर कोई निर्णय नहीं लेता। फिर कोरोना आ जाता है।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूं कि 2021 से सरकार ने एनएलयू की जानकारी मांगी और उसमें राजस्थान के रिजर्वेशन की घोषणा की। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, धन्यवाद, पर जनमत जानने का पक्ष थोड़े ही है इसमें।

सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): I withdraw my amendment.

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड-2 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 स्वीकार किया गया।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय मंत्री राजेन्द्र यादव। प्रस्ताव रखें माननीय मंत्री जी।

विधेयक का पारण

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2022 को पारित किया गया।

(समय: 16.00 बजे)

वापस लिए जाने वाले विधेयक।

गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022

माननीय मंत्रीजी।

वापस लिया गया विधेयक

गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को वापस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मेरे लम्बे अनुभव में पहली बार एक बिल जो सदन में रखा गया, सर्कुलेट हुआ, कार्यसूची में आया, जिस बिल को काबीना ने पास किया, आज मंत्री महोदय, आपने वापस लिया। बचपन में दादी जब खिचड़ी पकने के लिए बात कहती थी, दूर से कहती थी कि एक दाना ले आना, दाना देखकर कहती कि देखो, खिचड़ी पक गयी। माननीय मंत्री महोदय, यह एक विश्वविद्यालय की बात नहीं है, जितने विश्वविद्यालयों के बिल आपने पारित किये हैं, उन सब की यही कहानी है और मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि यह जो गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 है, इसके पृष्ठ 1 में लिखा है, कि राजस्थान लोक न्यास अधिनियम, 1959 के अधीन सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, जयपुर के कार्यालय में रजिस्ट्रेशन संख्या 05/सीकर/2017, दिनांक 18.07.2017 पर रजिस्ट्रीकृत एक न्यास है, चार साल पुरानी है। आगे लिखते हैं कि उक्त गुरुकुल शिक्षण संस्थान, सीकर ने राजस्थान राज्य में जयपुर रोड, सीकर जिला सीकर में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं, और फिर लिखते हैं, उपर्युक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है जिसके सदस्य कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, संकायाध्यक्ष, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर, सह आचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और सह आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो बात कही गयी, इस कमेटी ने अप्रूव किया, तो आपको मालूम है कि ऐसा मेरे जीवन में पिछले कई दशकों से कोई मौका नहीं मिला जब जयपुर और सीकर की रोड से मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को जाने के लिए गुजरता नहीं हूं। मैंने अनुभव किया कि मेरी आंखों ने शायद धोखा दे दिया, मैं ढूंढ रहा था वे अवसंरचनाएं जो आपने अनुसूची 1

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर इस कमेटी के द्वारा, जिसकी सदारत कर रहे थे कुलपति, उदयपुर विश्वविद्यालय।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उन्होंने क्या लिखा, 28 प्रशासनिक खण्ड के मकान बने इसके अन्दर, कांफ्रेंस हाल, चेयरपर्सन का कार्यालय, सबके नाम लूंगा तो लम्बा समय लगेगा। कुल आच्छादित क्षेत्रफल का माप-2,053 वर्ग मीटर। शैक्षणिक खण्ड-व्याख्यान हाल 62 बन गये उसमें, और इसमें कुल आच्छादित क्षेत्र का माप-17,947 वर्ग मीटर में। इसी प्रकार निवास खण्ड, मतलब वहां पर कैफेटेरिया बन गया, अध्यापकों का निवास बन गया, 4,070 वर्ग मीटर में और फिर शैक्षणिक सुविधाओं में 10,645 वहां पुस्तकें रहीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सारी बात कहूं तो टेबल टेनिस से लेकर वहां के ग्राउंड तक का बताया गया है, लेकिन मैं सदन के सामने एक तस्वीर पेश करना चाहता हूं। यह तस्वीर मेरी खुद की है जिस दिन हम सब लोग रामा-श्यामा कर रहे थे, मेरे मन में जिज्ञासा हुई, पर मैं उस विश्वविद्यालय को खोजने के लिए निकल पड़ा। सबसे पहले मैंने इस विश्वविद्यालय की खोज में जयपुर और सीकर रोड के अन्दर ये जिन खसरों की बात कही गयी है, खसरा नम्बर का मैं नाम लूंगा तो आप कहेंगे कि जल्दी करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूची 1 में दिये गये वे खसरा नम्बर जयपुर-सीकर रोड, जिला सीकर खसरा नम्बर 47, 181, 182, 189, 2709 ये सारे खसरे दिये हैं, मुझे कहीं नहीं मिले। मैंने मेरे स्रोत से मालूम किया और मैंने उस पटवारी को बुलाया और कहा कि मुझे इन खसरों पर पहुंचना है, तो ये 24,811 वर्ग मीटर पर बना हुआ विशाल विश्वविद्यालय जो मेरी नजर से बच गया था, इसको खोजता-खोजता मैं जयपुर से सीकर रोड पर गया और फिर मैं हाईवे से नीचे उतरा 14 किलोमीटर दूर, दांतारामगढ़ तहसील में गया और वहां आरआई सर्किल, जीणमाता में गोरिया से जीणमाता, कोछोर रोड पर मुझे यह जगह मिली और फिर मैंने दूरबीन निकाली, मैंने सोचा शायद ऐसा समय आता होगा जब कोई चीज अन्तर्ध्यान हो जाती होगी, मुझे वह भवन कहीं नजर नहीं आया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है कि मंत्री महोदय ने बिल वापस कर लिया, सवाल इस बात का है कि जिस कमेटी ने यह रिपोर्ट आपको दी, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2005 के सेक्शन 4(2) में बनी कमेटी, हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी का एक्ट इसलिए पारित किया था कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान में जब भी निजी विश्वविद्यालय आयें तो उनमें एकरूपता रहे। उक्त एक्ट में आपने सेक्शन 4(2) में वीसी, सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनायी, उस कमेटी की रिपोर्ट, मैं समझता हूं कि या तो मेरा त्यागपत्र ले लिया जाये, क्योंकि मैंने इसमें फोटोग्राफ मेरी खुद की खींची है, उसके साथ वे सारी संरचनाएं मैं टेबल करना चाहता हूं। मैं टेबल करना चाहता हूं वे सारे खसरे जो सीकर रोड पर नहीं होकर कोछोर रोड पर हैं और या तो मेरा त्यागपत्र ले लिया जाये वरना जिस समिति ने आपको रिपोर्ट दी, जिसके आधार पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट, 2005 के सेक्शन 4(2) के तहत आप उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराओ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही नहीं, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के कुलपति, अमेरिका सिंह की तो मैं बात ही क्या करूं? मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस व्यक्ति की सत्यनिष्ठा पर पूरे राजस्थान में कोई अंगुली नहीं उठा सकता, प्रतिपक्ष के नेता ने जब यह बात कही और मैं समझता हूं कि जहां-जहां पांव पड़े सन्तन के वहां-वहां बंटाढार। यह अमेरिका सिंह जी ने, मेरा दावा है, मेरा आरोप है, ये एक नहीं, प्रतिपक्ष के नेता, इस पूरे मामले में करोड़ों रुपयों का लेन-देन हुआ और ये बिल लेकर आये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं इसमें दूसरी क्या अनियमितता हुई वह बताना चाहता हूं। आपको जिस तरह से मैंने पढ़कर सुनाया यह आपके पृष्ठ 1 में लिखा है, इसमें रजिस्ट्रेशन है न्यास का, वह तो 2017 का है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट 2005 के सेक्शन 4(2) में लिखा है, इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि स्पोंसर्ड बॉडी, जो संस्था है, यूनिवर्सिटी स्थापित करने की गारंटी देती है, वो 5 वर्ष के आडिटेड वित्तीय संसाधनों की सूचना यूनिवर्सिटी स्थापना के प्रार्थना पत्र के साथ सरकार को देगी। मतलब, 4 साल का यह पूरी की पूरी लिखते हैं, 5 साल का आडिटेड फर्जी प्रमाणपत्र भी आपको दे दिया? मतलब आप देखते रहे और यही नहीं, जब आपने एक्ट की धारा 5(2) के अन्दर जब दोबारा एक कमेटी को लिखा कि यह जो हमने कमेटी भेजी है इस कमेटी के आधार पर ये अवसंरचनाएं स्थापित हो गयी हैं, यह आप फिर वेरीफाई करवाओ। आपकी दो-दो कमेटियों में बैठे लोगों ने चांदी कूटने का काम किया और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 9, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप मुझे टोक रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे अफसोस इस बात का है। हम सदन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

के अन्दर बात करते हैं, मतलब किस प्रकार का मजाक है? इससे अच्छा है कि हम सदन को छोड़कर चले जायें, इस प्रकार का अगर खोटे विश्वविद्यालय का बिल आपने वापस लिया। मैं आपकी मर्दानगी को धन्यवाद देता हूं, निश्चित तौर पर, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतिहास लिखा जायेगा, विधान सभा की अध्यक्षता आप कर रहे थे और एक बिल वापस हुआ। मैं मन से कह रहा हूं, आत्मा से कह रहा हूं, दिल के इस कोने से कहता हूं। इसके साथ ही अगर ऐसे खोटे काम करने वाले उच्च पदों पर बैठे लोग, जिनकी कमेटी की रिकमंडेशन पर आप विश्वविद्यालय का एक्ट लेकर आये, कितनी छीछालेदारी होगी, पूरा देश ऑनलाइन यू-ट्यूब पर हमको देख रहा है, आप तो एफआईआर दर्ज कराने की घोषणा करो, आप अमेरिका सिंह को ब्लैकलिस्टेड करो, आप अमरीका सिंह को गिरफ्तार करो, उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करो, तब हमारे साथ न्याय होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई विश्वविद्यालय बनाने का विधेयक इस सदन में आये, लिस्टेड हो जाये, उसके पहले की एक लम्बी प्रक्रिया है जो विभाग करता है, उस सारी लम्बी प्रक्रिया में से निकलकर इस विश्वविद्यालय की स्वीकृति के लिए आज आपने हाउस में रख दिया। मुझे बहुत अफसोस है कि सारी प्रक्रिया में जिन-जिन लोगों ने भी इसमें सहभागिता रखी, उन सब पर भी बहुत गहराई से विचार करने की आवश्यकता है कि क्या सारे ही कुओं में भांग पड़ गयी? कोई भी देखने वाला नहीं, समझने वाला नहीं, यानी सबने हां में हां मिलाना, यही एकमात्र उद्देश्य समझा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है, गुरुकुल शिक्षण संस्थान, सीकर ने राजस्थान राज्य में जयपुर रोड, सीकर जिला सीकर में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं, अनुसूची 1 में आपने जो मुझे इसके साथ ही दी है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप और हम सब सदन में माननीय सदस्य इसको पढ़ें और पढ़ने के बाद अगर इसमें एक परसेंट भी सच्चाई न हो, अगर इसे आज इतनी गहराई से नहीं देखा जाता और इतना विचार नहीं होता और शायद आपने स्वयं ने भी सवेरे जिला कलेक्टर को कहकर इसकी सच्चाई का पता लगाने के लिए फोन किया, आपका धन्यवाद। आपकी भी रिपोर्ट आने के

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बाद आपको लगा कि हां, वास्तव में बहुत अनर्थ हुआ है। यह आपकी अनुसूची 1 है, भूमि - जयपुर रोड, सीकर, जिला सीकर (राजस्थान) पर खसरा सं. 47, 181, 182, 2607/182, 189, 2609/189, 282/2755, 287, 307, 308, 309, 310/2757, 555, 819/559, 799/560 और 801/798 में समाविष्ट 80.31 हैक्टेयर भूमि है। छोटी-मोटी भूमि भी नहीं है। हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए जो कानून है, उसके तहत केवल 30 हैक्टेयर ही पर्याप्त होती है, लेकिन इस आदमी ने बहुत बड़प्पन रखा और बहुत बड़ी जमीन में इस विश्वविद्यालय को स्थापित किया और आप और हम सब यहां बैठकर इसे कर रहे हैं।

मैं इसमें आपका थोड़ा-सा, क्योंकि अधिक समय लगेगा, इतना समय नहीं है, इसमें शैक्षणिक खण्ड की जो इकाइयां कम्प्लीट होना बताया है, उसको मैं पढ़ता हूं तो हम सब को चौकन्ना हो जाना चाहिये कि अगर विश्वविद्यालय के इस कानून को पास करने के लिए इस स्टेज तक आ जाये और यहां से इसे वापस लौटना पड़े, यह वास्तव में राजस्थान के लिए दुर्भाग्य का दिन होगा। यह सामान्य घटना नहीं है।

व्याख्यान हाल 62, अध्यापन कक्ष 3, कम्प्यूटर कक्ष 5, ड्राइंग हाल 2, कार्यशाला 1, सेमिनार हाल 4, भाषा प्रयोगशाला 1, छात्रा कॉमन कक्ष 5, छात्र कामन कक्ष 5, पुस्तकालय 3, वाचनालय 3 और आपकी प्रयोगशालाएं 38, 1-2 नहीं, 38 और उसके बाद में खेल का मैदान, सुविधाएं, ये सब मिलाकर 17,947 वर्ग मीटर का कंस्ट्रक्शन बताया है इसमें। इसके बाद निवासीय खण्ड में इन्होंने कुल निर्मित क्षेत्र बताया है कि 24,811 वर्ग मीटर। इसमें सारे के सारे खेल मैदान भी बता रखे हैं। इसमें हैंडबाल, वालीबाल, बैडमिंटन, खो-खो, कबड्डी, एथलेटिक्स, योग और ध्यान, फुटबाल मैदान बने हुए हैं। यहां आपकी सारी की सारी प्रयोगशालाओं के बारे में है- भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, यह सारी की सारी सूची है।

अब इसमें आप आगे देखें। क्या स्थिति है, पता नहीं! ये यह कह रहे हैं कि यह सारा कंस्ट्रक्शन पूर्ण हो चुका है। हमें यह समझ में नहीं आया। इसके लिए जो कमेटी बनी, क्योंकि मैं बोलूंगा तो शायद ऐसा लगे कि मुझे अमरीका सिंह से कोई नाराजगी होगी, नाराजगी नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि जिस व्यक्ति का मैंने यहां विषय उठाया था कि जिसकी डिग्री के बारे में भी एलिजिबल है कि नहीं है, जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अपनी फर्जी डिग्रियां देकर वाइस चांसलर के पद पर बैठकर इस गरिमामय पद को लज्जित कर रहा है, उसके बारे में भी आपने कहा था, मंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूं, आपने एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपने जांच कमेटी की बात कही, वह भी अभी तक बनकर अपने काम में नहीं लगी।

"उपरोक्त अवसंरचना की पर्याप्तता की जांच राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त समिति द्वारा कर ली गयी है, जिसके सदस्य कुलपति, मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; संकायाध्यक्ष मोहन लाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर; सह आचार्य, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर और सह आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, अलवर थे।" इन्होंने सारी जांच कर ली। यह सारा का सारा निर्माण कम्प्लीट हो गया। ये सब भवन हैं और मैं आपको बहुत विनम्रता से कह रहा हूं कि केवल और केवल जमीन को लेवल करने का काम किया है और उसकी अभी केवल बाउंड्रीवाल बन रही है।

राजेन्द्र जी ने मौके पर जाकर उसके सारे फोटोग्राफ्स स्वयं इनके साथ, इन्होंने खड़े रहकर वे सारे फोटोग्राफ्स लिए, जो मैं हाउस की टेबल पर रखता हूं।

अध्यक्ष जी, आपसे बहुत विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं अगर वास्तव में हमारे विश्वविद्यालयों की यह स्थिति है और हम यहां, क्योंकि यह तो पहली बार हुआ कि मौका देखा गया और मौके के बारे में रिपोर्ट की गयी। बाकी न तो आप देखते हैं और न मैं ही देखता हूं कि कौन इसमें लिख रहा है कितना सच है और कितना सच नहीं है। इतना बड़ा इस सदन का अपमान इससे ज्यादा नहीं हो सकता और मैं चाहता हूं कि जिन्होंने यह रिपोर्ट दी, उन सबके खिलाफ एफआईआर करायें, उन सबके खिलाफ केस दर्ज करें। यह सब बिना लेन-देन के नहीं हो सकता। जहां जमीन पर एक इंच बिल्डिंग का कोई निशान नहीं है, उस जगह आप 24,000 स्क्वायर मीटर में बिल्डिंग बनी हुई लिखकर सारी चीजें बता रहे हैं। यह तो बहुत एक्सेस है।

मंत्री जी, आपने जिस मन से इसे विथ्ड्रा किया, क्योंकि हमने आपको समय के पहले बताया कि इसकी वस्तुस्थिति यह है, तो उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन इनके खिलाफ बिना कार्रवाई किये इसे वापस लेना और न लेना आपके और इस सदन के माथे पर कलंक है। इस सारे प्रोसीजर में से निकलकर यूनिवर्सिटी यहां तक पहुंची, यह एक कलंक है। मैं सोचता हूं, ऐसा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उदाहरण राजस्थान में मेरे चालीस साल के इस विधान सभा के कार्यकाल में मैंने कभी नहीं देखा, जो हमने आज देखा है। मेरी फिर विनम्र प्रार्थना है, इसे सामान्य घटना नहीं मानकर इस पर हर हालत में जिन-जिन का भी योगदान रहा है, उन सब पर एक्शन होना चाहिये। इसमें पैसे के लेन-देन के अलावा और कुछ आधार हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बिल विथ्ड्रा करने का एक प्रोसीजर है। बिल विथ्ड्रा करने के समय जो अप्रोच करता है, उसे अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। जैसा कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय उप-नेता जो बातें सदन के सामने लाये, यह गम्भीर प्रश्न है। राजस्थान में हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश कर रहे हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को एस्टेब्लिश करने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर के बारे में रिपोर्ट के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट में जो प्राइमा-फेसी बातें कही गयी हैं, उनमें जिस तरह की बातें सामने आयी हैं, वह हम सबके लिए बहुत चिन्तनीय विषय है।

अत: मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि सरकार ऐसा मैकेनिज्म डवलप करे कि यदि प्राइवेट यूनिवर्सिटी का कोई बिल ला रहे हैं तो बिल लाने के पहले सुनिश्चित कर लें, अन्यथा वह जिम्मेदारी उन अधिकारियों की होगी जिनकी फाल्स रिपोर्ट के आधार पर सरकार यदि हाउस में बिल लाती है तो यह पूरे सदन की एक तरह से अवमानना होती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस चीज को गम्भीरता से ले और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को जिस तरह से हम राजस्थान में बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, उसमें उनके स्टैंडर्ड्स, उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर, उन सबको एन्श्योर करने के बाद ही बिल के रूप में यदि हम सदन में लाएं तो मैं समझता हूं कि हम जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ठीक ढंग से निर्वहन करेंगे।

मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बारे में ध्यान देगी और इस सम्बन्ध में कोई एक मैकेनिज्म डवलप करेगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों। जो चीजें माननीय प्रतिपक्ष के नेता और माननीय उप-नेता सदन के माध्यम से सरकार के सामने लाये, मैं आशा करता हूं कि सरकार उन सब बातों पर गम्भीरता से चिन्तन करके तथ्यों की जानकारी लेकर उन पर एप्रोप्रिएट कार्रवाई करेगी। यही इसमें प्रोसीजर है। मेरे पास कोई आप्शन नहीं है। सिम्पल आप्शन यही है।

(श्री अध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को वापस लेने की आज्ञा प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को वापस लिए जाने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री जी, प्रस्ताव करें विथ्ड्रा करने का।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से गुरुकुल विश्वविद्यालय, सीकर विधेयक, 2022 को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष: विचारार्थ लिए जाने वाले विधेयक।

दोनों बिल्स हम साथ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दोनों बिल्स साथ रख रहे हैं। सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022, माननीय राजेन्द्र जी।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, माननीय मंत्री जी प्रस्ताव रखेंगे।

ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मनारायण जोशी।

श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): माननीय अध्यक्ष महोदय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी के लिए विधेयक लाया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अपने विचार निवेदन करता हूं, यह प्राइवेट विश्वविद्यालय दो-तीन वर्षों से कोशिश कर रहा था मान्यता के लिए। मैंने इन्क्वायरी की इधर-उधर से, कुछ पोलिटिकल लोग उसके साथ जुड़े और जुड़ने के बाद सरकार पर प्रेशर लाकर यह विधेयक लाये हैं। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि मैंने अनेक विश्वविद्यालय, प्राइवेट विश्वविद्यालय देखे हैं। मेरे

(श्री धर्मनारायण जोशी)

एक मित्र बी.ए.ड. कालेज में पढ़ाते थे उदयपुर में और जिला शिक्षा अधिकारी लेवल के आदमी थे। उनके दो बेटे आई.ए.एस. हैं। उन्होंने कहा कि वे बीएड की कक्षाएं लेते थे, दो साल उन्होंने पढ़ाया। दो साल पढ़ाने के बाद जो बच्ची बी एड में गोल्ड मैडल लायी तो उन पढ़ाने वाले शिक्षक ने कहा कि वह गोल्ड मैडल जो बच्ची लायी, उसकी मुझे शक्ल दिखा दीजिये, साल भर में मैंने उसको देखा ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये प्राइवेट विश्वविद्यालय इस प्रकार से आ रहे हैं। ये दुकानदारी चला रहे हैं और डिग्री बांटने के लिए केवल आप उनको एजेंसियां दे रहे हैं। आपसे मेरा निवेदन है कि इन एजेंसियों को बन्द कीजिये।

(समय : 16.20 बजे)

(श्री जे.पी. चन्देलिया, सभापति, पदासीन)

शिक्षा एक मात्र ऐसा क्षेत्र था जहां पर आज भी व्यक्ति निर्माण का काम होता है। मैन मेकिंग का काम हमारे विश्वविद्यालय करते हैं। हमारे विश्वविद्यालय की, राजस्थान की शिक्षा की बड़ी मान्यता है और सम्पूर्ण देश में, उत्तर भारत में राजस्थान के बोर्ड के, राजस्थान के विश्वविद्यालयों की बहुत बड़ी मान्यता है। उसके बाद भी जिस प्रकार से सरकार ये प्राइवेट कालेज ला रही है उससे राजस्थान की शिक्षा पद्धति को कलुषित करने के लिए इन सारे प्राइवेट विश्वविद्यालयों की स्थापना कर रही है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि सरकार इसको जनता जनार्दन में भेजे, इसको 2-3 महीने के लिए स्थगित करें, सरकार विथ्ड्रा करे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा का आज का दिन विश्वविद्यालय से सम्बन्धित एक साथ पांच-पांच बिल और उनमें से एक बिल को वापस लेने के लिए इतिहास में जाना जायेगा।

सभापति महोदय, अभी आपने गुरुकुल, मैं समझता हूं कि गुरु से बड़ा कुल कोई हो नहीं सकता, यह हमारे शास्त्रों में लिखा है और उसके नाम से विश्वविद्यालय का जो बिल लाया गया और जिस बिल पर उसकी अवसंरचनाओं को देखने के लिए मैं खुद पहुंचा और मैंने मेरे हस्ताक्षर से फोटो सहित सारी बातें यहां सदन में रखीं। उसी तर्ज पर आज दो विश्वविद्यालय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी और ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर के विधेयक पर अब हम एक साथ चर्चा कर रहे हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, मंत्री महोदय, एनुअल स्टेटस आफ हायर एजुकेशन इन इण्डिया की 2021 की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नवलगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आज सुबह उस रिपोर्ट को देख रहा था। उस रिपोर्ट में यह लिखा था कि पूरे हिन्दुस्तान में सर्वाधिक 89 विश्वविद्यालय जहां कहीं हैं वह राजस्थान की धरती हो गयी। मैं जब इन सारे विधेयकों को पढ़ रहा था, यह जो हिन्डौन सिटी का है इसके उद्देश्यों और कारणों के कथन में लिखा है- 'राजस्थान देहली एजुकेशन सोसायटी, हिन्डौन सिटी, जिला करौली ने राजस्थान राज्य में ग्राम खेड़ा, तहसील हिन्डौन सिटी, जिला करौली में अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट भौतिक और शैक्षणिक दोनों प्रकार की शैक्षिक अवसंरचनाएं स्थापित कर ली हैं।' जिस तरह से आज हमने गुरुकुल में देखा, ठीक वैसी ही हैं। मंत्री महोदय, यह भी बात छिपेगी नहीं। 'और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट शाखाओं में अनुसन्धान और अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय में उक्त अवसरंचना का विनिधान करने के लिए सहमति व्यक्त कर दी है।' इन अवसंरचनाओं की पर्याप्तता की जांच के लिए राज्य सरकार ने कुलपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर; प्राचार्य, राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय, बीकानेर और आचार्य, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की समिति बनायी। मैं समझता हूं कि, मंत्री महोदय, यह जो जांच समिति आप भेजते हैं, इसके क्या मापदंड हैं? आप ठीक वही काम करते हैं जिसमें यह जो विश्वविद्यालय स्थापित करना चाहता है। ये उन लोगों को छांटते हैं और उन लोगों को कहते हैं कि यहां बैठे-बैठे जैसे हम चाहें वैसी रिपोर्ट लिख देना और वे वैसी ही रिपोर्ट लिखते हैं। मैं समझता हूं कि कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिस-क्वालिफिकेशन कुछ नहीं।

सभापति महोदय, अब यह हिन्डौन सिटी में गांव खेड़ा कहां है? मंत्री महोदय, आप उसी इलाके के रहने वाले हो, आप मेरी बात सुन लें। मैं सीधा-सादा आदमी हूं इसलिए आप लोग मुझे इग्नोर कर सकते हैं, परन्तु मैं मेरे अधिकारों की रक्षा तो करूं। मंत्री महोदय, आप उसी इलाके के रहने वाले हैं, इस खेड़ा गांव में चले जाओ, यह जो मैं पढ़ रहा था, इन्होंने लिखा कि- 'ज्ञान के क्षेत्र में तीव्र प्रगति और मानव संसाधनों की परिवर्तनशील अपेक्षाओं से यह आवश्यक हो गया है कि शैक्षिक अनुसन्धान और विकास की ऐसी संसाधनपूर्ण और त्वरित और उत्तरदायी प्रणाली सृजित की जाये।' इसके लिए विश्वस्तरीय सारी अवसंरचनाओं को सृजित किया जाये और इसके लिए निजी विश्वविद्यालय के अन्दर काम में लगने वाले इस बिल को आप लेकर आये हैं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, विश्वस्तरीय इस विश्वविद्यालय, जिसका यह बिल लेकर आये हैं, यह गांव खेड़ा में है। यह हिन्डौन सिटी से 47 किलोमीटर दूर है, मंत्री महोदय। करौली से 25 किलोमीटर दूर है, यहां कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। इस गांव की 3,881 जनसंख्या है, साक्षरता 55 परसेंट है। अब इसमें है कौन? ये सौरभ जी कौन हैं? इनका शौर्य तो ऊंचा ही है। एक टीचर ट्रेनिंग कालेज, आज इस बिल के बाद में विश्वविद्यालय का दर्जा लेगा। इसके पीछे खेल क्या है? आप एक्ट पास करोगे, ये वित्तीय संस्थानों के पास जायेंगे, ये कहेंगे कि एक्ट पास हो गया, इसमें आप देख लो, राजस्थान की विधान सभा में मोहर लगा दी कि जमीन है, यह सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और उसके नाम पर ये करोड़ों रुपये लेंगे और उसके बाद ये सौरभ भी मोटे-ताजे होकर एक बहुत लम्बी-सी गाड़ी में आगे विराजेंगे, उस गाड़ी के आगे इतनी बड़ी नेम-प्लेट होगी जिस पर कुलपति लिखा होगा। लाल प्लेट के अन्दर सायरन बजाते हुए जायेंगे, तो यह स्टेटस सिम्बल के लिए आप एक टीचर ट्रेनिंग कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा दे रहे हो।

सभापति महोदय, मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। इस विश्वविद्यालय में, जिस खेड़ा गांव का मैंने बताया, वहां पहुंचने के लिए पर्याप्त सड़क नहीं है। उस गांव में बिजली की अव्यवस्था रहती है, गांव वाले कहते हैं कि हमारे बिजली नहीं आती, पानी की अव्यवस्था है और आप वहां विश्वस्तरीय आधुनिक अनुसन्धान अध्ययन सुविधा के लिए बच्चों को भेजोगे। मैं समझता हूं कि इसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि इसके अन्दर शिड्यूल 1 के अन्दर जो जांच समिति बनायी है न, मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि मेरे मन में जिज्ञासा रही, मैंने होली की रामा-श्यामा को आधा छोड़कर देखने पहुंचा तो एक बात सामने आयी और यह 30.26 एकड़ जमीन है। मेरी सदन से मांग है कि, मंत्री महोदय, यह 30.26 एकड़ जमीन खेड़ा गांव के अन्दर है, सबसे पहले इसकी जांच तो करा लो, ऑनलाइन पड़ा है, मुझे समय मिलेगा तो मैं लेकर दे दूंगा। फिर आप कह रहे हो कि 32 कमरे तो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक के बन गये, शैक्षणिक खण्ड है, इसके अन्दर 67 व्याख्यान हाल हैं। मंत्री महोदय, मेरी चुनौती है, आप भी चलो और मुझे भी ले चलो और आप देखोगे तो वहां कुछ नहीं मिलेगा। ये तो कह रहे हैं कि निवास खण्ड भी बना दिये, मैं समझता हूं कि इसके पीछे हेतुक क्या है? सभापति महोदय, यों ही नहीं आये, इनके पीछे हेतुक है। ये यहां आयुर्वेद, यूनानी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

होम्योपैथी चिकित्सा, दन्त चिकित्सा, ये कालेज खोलना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि इस प्रकार का काम हमसे मत कराओ और निश्चित तौर पर इसको आप देखोगे तो सारी आपके सामने आयेगी।

सभापति महोदय, यह जो एनुअल स्टेटस आफ हायर एजुकेशन इन इण्डिया की रिपोर्ट की बात मैंने कही, उसने एक रिपोर्ट में कहा है कि ये जो निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, ये डिग्री बांटने का काम कर रहे हैं। होलो डिग्री, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है। यह बांटने का काम नहीं, शिक्षा को रोजगारोन्मुखी बनाने की बात करें। मैं समझता हूं कि डिग्री बांटने की फर्जी फैक्ट्रियों को लगाने का ही कारण है कि आज पहले 100 विश्वविद्यालयों में राजस्थान का एक विश्वविद्यालय नहीं है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं, आपसे बड़ा आदमी कौन? आपके पास बड़ा अनुभव है। आप तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के बड़े ख्यातनाम अधिकारी रहे हैं, पहले कैम्पस इंटरव्यू हुआ करता था, कैम्पस इंटरव्यू में नामी गिरामी कम्पनियां आया करती थीं और वे कम्पनियां आकर कैम्पस इंटरव्यू से, क्योंकि हमारा टेलेंट होता था, विश्वविद्यालय में पठन-पाठन का काम होता था, तो वहां कैम्पस इंटरव्यू में हमारे लोगों का सलेक्शन करते थे। मेरा दावा है कि इन तीन साल में राजस्थान के अन्दर एक भी यूनिवर्सिटी का नाम बता दो जिसमें कैम्पस इंटरव्यू के द्वारा हमारे बच्चों का प्राइवेट निजी बड़ी-बड़ी कम्पनी, उद्योगपति ने सलेक्शन किया होगा। ऐसा खोटा काम आप मत करो, यह मेरा आपसे निवेदन है।

इसी प्रकार यह ड्यून्स, मतलब आज हरेक चीज का सन्देश जाता है। सभापति महोदय, आप तो गांवों में विराजते हो। गांव में अगर स्कूल के नाम के आगे किसी का नाम लिख जाता है तो लोग कहते हैं कि जरूर स्वतंत्रता सेनानी होगा, जरूर त्यागी होगा, भामाशाह होगा। मेरे समझ में नहीं आया सौरभ जी कौन आ गये? और ये ड्यून्स, मैंने नाम ही पहली बार सुना है, ड्यून्स विश्वविद्यालय, क्योंकि जोधपुर में सैंया भये कोतवाल, फिर चलता रहेगा काम।

सभापति महोदय, जोधपुर में यह 10वां विश्वविद्यालय है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने कमाल ही कर दिया है, वह डिजिटल यूनिवर्सिटी कहां हैं? साढ़ चारे करोड़ की, दिखाओ तो सही, मैं तो जोधपुर जाकर आया था, मुझे कहीं नहीं दिखी। उस एमबीएम यूनिवर्सिटी का क्या हुआ? आपने विभाजन कर दिया? मतलब, हम गम्भीर हैं ही नहीं।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जोधपुर का नाम आते ही आप घबराये क्यों जी? मैं उन सारे कागजों को देख रहा था। आपके दस्तखत करने की अदा बदल गयी। इस ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर का बिल सामने आते ही, ऐसा क्या डर है? लोकतंत्र में आपके सदन के नेता आपके नेता हो सकते हैं। आप उनके मातहत, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य की तरह +++ थोड़े ही हो।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): वे अभी यहां नहीं हैं। ये शब्द आप वापस लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपको कहकर गये थे?

श्री बलवान पूनियां (भादरा): नहीं, वे कहकर गये थे कि उल्टा-पुल्टा बोलें राठौड़ साहब, तो आप कह देना। वे आयें, तब आप कहना यह बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यह जो ड्यून्स विश्वविद्यालय है, यह जोधपुर से 25 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। एक जाजीवाल स्टेशन लगता है, वह भी दूर है। इसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लाक और सारी बात करूं। मैं समझता हूं आप जांच करा लें।

कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर गये थे, इसकी अवसंरचनाओं की जांच करने के लिए और उनके साथ विज्ञान संकाय अध्यक्ष, जयनारायण विश्वविद्यालय, ये विज्ञान संकाय अध्यक्ष, जयनारायण विश्वविद्यालय, एसीबी के अन्दर मामला, दागी आदमी, 154 लेक्चरर के सलेक्शन का जो मामला चला, आपने भेजा, क्योंकि असत्य वाला आदमी दे सकता है बिना रिपोर्ट देखे, हर कोई नहीं कर सकता है। निदेशक, शैक्षिक मल्टी मीडिया अनुसंधान केन्द्र, जयनारायण विश्वविद्यालय।

सभापति महोदय, मैंने टेलीफोन करके पूछा, वहां एक-दो प्रोफेसर मेरे मित्र हैं। मैंने कहा कि ये निदेशक, शैक्षिक मल्टी मीडिया अनुसंधान केन्द्र, तो उन्होंने कहा मैं आपको दो घंटे बाद बताऊंगा, दो घंटे गुजर गये, कौन है जी? सहायक आचार्य, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर। मेरी मांग है, आप इस कमेटी की सम्पत्ति की जांच करवाओ। फिर मत कहना कि ईडी आ गयी या कोई और आ गयी। आप एसीबी से जांच करवाओ। ऐसी खोटी जांच कमेटी बनाकर आप राजस्थान में निजी विश्वविद्यालय खोलकर राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत को शर्मसार कर रहे हो।

आपने जो जीवटता अभी गुरुकुल वाले में दिखाई, मंत्री महोदय, आप इतिहास में अमर हो गये हैं। हम सब रहेंगे या नहीं रहेंगे, इतिहास बोलेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आपने जिस जीवटता के साथ उस बिल को विथ्ड्रा किया, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहां से सब लोग हम एक साथ उठेंगे और आपको बधाई देंगे। आप इन दोनों बिलों को विथ्ड्रा कर लें और हमारी जान छोड़ें, यही निवेदन है। इसलिए, इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री बिहारीलाल जी (अनुपस्थित)। श्री अशोक लाहोटी (अनुपस्थित)। श्रीमती अनिता भदेल।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, अभी गुरुकुल विश्वविद्यालय की बानगी हम सब ने देख ही ली है और मंत्री महोदय ने इसे वापस ले लिया है। मंत्री महोदय, वापस लेने के लिए तो आपको बधाई, लेकिन क्या ये दो नये विश्वविद्यालय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी और ड्यून्स विश्वविद्यालय, क्या इनकी गति भी ऐसी ही होनी है? इस पर भी एक बार विचार कर लेना बहुत आवश्यक है।

आप देखिये जिस तरह से निजी विश्वविद्यालयों में 52 निजी विश्वविद्यालय, पहले तीन राज्यों में राजस्थान है। जैसे निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आ गयी हो तो उस तरह से इन निजी विश्वविद्यालयों की बाढ़ आई हुई है। शिक्षा की गुणवत्ता की दृष्टि से अभी मावली से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे। मैं निवेदन करना चाहती हूं, माननीय मंत्री महोदय नहीं है, जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, चाहे वे बीएड कालेज संचालित करते हों, चाहे एमएड कालेज संचालित करते हों, चाहे और दूसरे शैक्षिक कोर्सेज संचालित करते हों। माननीय सभापति महोदय, यह सत्य है कि ऐसे निजी विश्वविद्यालय भी हैं, जहां छात्र कालेज में जाते ही नहीं हैं, विश्वविद्यालयों में जाते ही नहीं हैं, उनको डिग्रियां दे दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त नहीं आने के लिए, उनको यह कहा जाता है कि आप अपने घर पर ही रहे, आपको विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं है। आप 20 हजार रुपये दे दें, 35 हजार रुपये दे दें, 40 हजार रुपये दे दें, आपको घर बैठे डिग्री मिल जायेगी। बी.एड., जो प्रोफेशनल डिग्री है, उसका यह हाल है। बाकी की प्रोफेशनल डिग्रियां, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे और दूसरे फील्ड्स हों, उनकी भी यही स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि ये दोनों विश्वविद्यालय जिनके भवन के बारे में अभी उल्लेख किया गया है, जिनकी कमेटी के बारे में उल्लेख किया गया है, किन कमेटियों ने इनका निरीक्षण किया है? अब तो बहुत बड़ा प्रश्न चिह्न लगने लगा है कि कमेटी का

(श्रीमती अनिता भदेल)

निर्माण हम इन विश्वविद्यालयों की भौतिक संरचनाओं के सुपरविजन के लिए कर रहे हैं, निरीक्षण के लिए कर रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई और जिस तरह से पैसों के लेन-देन की बात आ रही है। कितना बड़ा अमला, आज का जो दिन है, यह विधान सभा में काला दिन है और यह वास्तव में इतिहास में लिखा जायेगा।

यह हिम्मत का काम है बिल को वापस लेना और नेता और उप नेता को भी बधाई देती हूं कि उन्होंने फील्ड में जाकर उस सच्चाई को जाना, नहीं तो यह बिल पास हो जाता, कौन देखने वाला था? इतना बड़ा राजस्थान का सर्वोच्च सदन जिस बिल पर चर्चा करने के लिए तैयार है, उसकी ऐसी दुर्गति है तो बाकी के बिलों के लिए हम क्या कल्पना कर सकते हैं?

माननीय मंत्री महोदय को यह कहना चाहूंगी कि इन दोनों बिलों को वे स्थगित करें। इसके लिए एक स्टेंडिंग कमेटी बनायें और कमेटी वहां जाकर के विजिट करे और उसके बाद में ये बिल आयें तो निश्चित रूप से इनकी सच्चाई हो सकती है।

माननीय सभापति महोदय, एक अन्तिम निवेदन करके अपनी बात को पूरा करूंगी। माननीय मंत्री महोदय को उल्लेख करना चाहूंगी। मैंने पिछली बार भी यह उल्लेख किया, लेकिन सभापति महोदय ने मुझे टोक दिया, उन्होंने कहा ज्यादा समय नहीं है। जितने निजी विश्वविद्यालय हैं, चूंकि सदन के पटल पर यह बात आ गयी है, भादरा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सवाल पूछा था, इसी सदन में। यह 2019 की बात है। इन्होंने एक सवाल पूछा था और उस सवाल के जवाब में सरकार ने जो जवाब दिया 2019-2020, 2021 और 2022 तीन साल निकल गये।

माननीय सभापति महोदय, पर ये जो निजी विश्वविद्यालय हैं, मैं एक-एक करके 11 निजी विश्वविद्यालयों का उल्लेख करूंगी, जिसके सवाल के जवाब में सरकार ने जवाब दिया है। ओपीजेएस विश्वविद्यालय-चूरू, इसकी गड़बड़ियों को लेकर सरकार ने कमेटी बनायी और उस कमेटी ने फाइंडिंग दी कि इस यूनिवर्सिटी ने बैक डेट में डिग्रियां जारी की हैं, आफ कैम्पस सेन्टर संचालित किये हैं। आफ कैम्पस सेन्टर संचालित करने का आपको राइट कहां है? आप यूनिवर्सिटी हिण्डौन में बना रहे हैं और जयपुर में कैम्पस संचालित कर रहे हैं। यह कैसे सम्भव है तो आपके लिए यह सम्भव नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इस यूनिवर्सिटी ने अनियमितताएं की हैं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

जगदीश प्रसाद झाबरवाल टिबड़ेवाल यूनिवर्सिटी, चुडेला, झुंझुनूं शोध सम्बन्धी यूजीसी रेगुलेशन 2009 व 2016 के प्रावधान का उल्लंघन कर 5 हजार से अधिक गाइड नियुक्त कर शोध कार्य करवाया। माननीय सभापति महोदय, 5 हजार से अधिक गाइड, इतिहास में गवर्नमेंट की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, गिने-चुने गाइड हैं। यह 5 हजार गाइड की मैन पावर आई कहां से? 5 हजार, भाई साहब, यह सम्भव है क्या? भगवान मालिक है इन चीजों का। नियम विरुद्ध परिसर के बाहर की फैकल्टी को शोध निरीक्षक नियुक्त करना, निकायों के नियमों, परिनियमों के मापदण्डों का उल्लंघन करना, बैक डेट में बिना शिक्षण कराये डिग्री जारी करना। बैक डेट में बिना शिक्षण कराये डिग्री जारी की है। सरकार ने जांच कमेटी बनाई है, लेकिन उस जांच कमेटी का क्या हु आ? आज तक किसी को पता नहीं, वापस पैसे ले देकर के रफा-दफा हो गया दिखता है मामला। मैं यह 2019 की ही बात कर रही हूं। सिंघानिया विश्वविद्यालय, पचेरी बड़ी, झुंझुनूं यह तीसरा मैटर है। विश्वविद्यालय द्वारा नियामक निकाय यथा यूजीसी, एमसीआई आदि के प्रावधानों की पालना किये बिना पाठ्यक्रमों का संचालन करना। मतलब, पाठ्यक्रम बिना यूजीसी के नियमों के, गाइडलाइन के आप मर्जी के पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। कुछ भी पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, जिसके एक्सपर्ट ही राजस्थान में नहीं हैं उनके नाम से आप पाठ्यक्रम संचालित कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सौरभ और ड्यून्स पर बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): नहीं, मैं इन यूनिवर्सिटीज के बारे में ही बोल रही हूं, माननीय सभापति महोदय, इनसे बाहर नहीं बोल रही हूं।

श्री सभापति: दो का बिल है, दो पर बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं इनकी सत्यता के लिए ही बोल रही हूं। आज जिन यूनिवर्सिटीज का बिल पारित कर रहे हैं न हम, कल जाकर के वह फील्ड में गड़बड़ी करेंगी तो दोष किसका होगा, कि राजस्थान की विधान सभा ने ये बिल पारित किये थे? बच्चे किसके यकीन पर यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेंगे? बच्चे तो तभी एडमिशन लेंगे न जब वे ये जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय का बिल राजस्थान की विधान सभा ने पारित किया है तो यकीन नहीं होगा उनको। उनके यकीन को हम कैसे धोखे में बदल सकते हैं इसलिए मैं यह उल्लेख कर रही हूं।

(श्रीमती अनिता भदेल)

मैं बताना चाहती हूं कि किस-किस तरह से विश्वविद्यालय गड़बड़ियां करते हैं। आप इसको देखिये, पाठ्यक्रमों का संचालन करना, नियम विरुद्ध डिग्रियां प्रदान करना, ओएस कैम्पस बिना मान्यता के संचालित करना, यूजीसी रेगुलेशन, 2009 और 2016 का उल्लंघन करना, बिना अधिकारिता के सम्बद्धता प्रदान करना यह महत्वपूर्ण बिन्दु है, माननीय सभापति महोदय। इन यूनिवर्सिटीज को राइट नहीं है कि वे किसी कालेज को सम्बद्धता प्रदान करें लेकिन बिना अधिकारिता के उन्होंने कालेज को सम्बद्धता प्रदान कर दी और वे प्राइवेट कालेज भी, वे ऐसे ही बी.एड. कालेज प्राइवेट कालेज जिनका कुछ लेना देना नहीं है, जिनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं हैं, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, जिनकी कोई नियमावली नहीं है, जिनके पास टीचर्स नहीं हैं, ऐसे फर्जी बी.एड. कालेज, ऐसी यूनिवर्सिटी से सम्बद्धता प्राप्त करते हैं। छह माह की अवधि में बीएससी, एएमई पाठ्यक्रम संचालित करना, बिना मान्यता एमबीबीएस कोर्स संचालित करना। एमबीबीएस जो डाक्टर की डिग्री देते हैं, वे बिना मान्यता के ऐसे कोर्स कैसे संचालित किये जा सकते हैं और यह सिंघानिया यूनिवर्सिटी यह कोर्स संचालित कर रही है। देखिये अब आप और इसी तरह से आगे देखिये, श्रीधर विश्वविद्यालय, बिगोदना, झुंझुनूं ये सारे ही, पता नहीं झुंझुनूं के क्या हैं, सारी यूनिवर्सिटी झुंझुनूं की हैं। निम्स विश्वविद्यालय, जयपुर बिना शिक्षण कराये हजारों छात्रों को पुस्तकालय विज्ञान में परीक्षाएं आयोजित कर डिग्रियां देना, बिना अनुमति के...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, दो बिल हैं सौरभ विश्वविद्यालय और ड्यून्स विश्वविद्यालय। माननीय सदस्या, इन पर बोलें।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं सौरभ विश्वविद्यालय की बानगी ही दे रही हूं कि इन विश्वविद्यालयों के जब हमने बिल पारित किये न माननीय सभापति महोदय, तभी भी यही कहकर किया था कि आप इसी विश्वविद्यालय पर बोलिये, लेकिन दो साल बाद मैं गारंटी से कह सकती हूं कि ये दो विश्वविद्यालय जिनको हम पारित कर रहे हैं न, उनकी भी यही चीजें सामने आने वाली हैं, क्योंकि किसी की ईमानदारी से इच्छा नहीं है। यह जो उप नेता महोदय ने कहा न कि लाल बत्ती गाड़ी पर लगाकर उप कुलपति की बड़ी सारी नेम प्लेट लगा करके आप, क्योंकि अब चुनाव तो हर कोई जीत नहीं सकता है। कई लोगों की नेता बनने की इच्छा होती है, कई लोगों को वीआईपी बनने की इच्छा होती है। अब वे पढ़-लिख करके आर.ए.एस.,

(श्रीमती अनिता भदेल)

आई.ए.एस. नहीं बन सकते, वे अब चुनाव में जीत नहीं सकते तो उनको क्या तरीका है, क्योंकि कई लोगों के पास बहुत सारा पैसा आ गया, अब वह पैसा उनको कैसे वीआईपी कल्चर दिला सकता है, तो उसका एकमात्र रास्ता है कि यूनिवर्सिटी स्थापित करो और वीआईपी कल्चर को प्राप्त करो इस तरह से लाल बत्ती की गाड़ी लगा करके, तो जब तक मात्र यह उद्देश्य रहेगा न, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता ठीक नहीं हो सकती और जो मैंने कहा कि नैक से प्रत्यायन कराया जाये। हमारी तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नैक से प्रत्यायन नहीं है तो हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी को नैक से प्रत्यायन की कैसे बात कर सकते हैं? सौ यूनिवर्सिटीज में भी हमारे राजस्थान की एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है, माननीय सभापति महोदय। जब हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा हो जाती है और उन सरकारी यूनिवर्सिटी की घोषणा के अनुसार हम नहीं कह सकते। अब यह मैं बताती हूं आपको स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, 2019 के बजट में घोषित झुंझुनूं की स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, आज तक कोई बजटीय प्रावधान नहीं है। एमडीएम यूनिवर्सिटी खोलने के लिए दो वर्ष पहले मात्र 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वास्तव में यह नया विश्वविद्यालय नहीं बल्कि जय नारायण विश्वविद्यालय को तोड़ करके दो विश्वविद्यालय बना रहे हैं और हम कह रहे हैं कि नया विश्वविद्यालय बना रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि यह नया विश्वविद्यालय बनेगा। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, अन्त में यह कह करके अपनी बात को पूरा करूंगी कि विश्वविद्यालय में भयमुक्त वातावरण स्थापित करने के उद्देश्य से जन घोषणा पत्र में लिखा गया था, पर भयमुक्त वातावरण तो नहीं मिल रहा है, हम किस तरह से लोगों को उपकृत करने का काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगी माननीय मंत्री महोदय को कि इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा कर 5.30 बजे तक कर दिया जाये।

श्री सभापति: क्या सदन का समय आधा घण्टा बढ़ा दिया जाये?

(स्वीकृत)

सदन का समय आधा घण्टा बढ़ाया गया।

विधायी कार्य: विधेयक पर विचार

सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 व ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी व ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक में संशोधन के लिए लाया गया है। मैंने अभी गुरुकुल के बारे में भी सुना है और आप सब लोगों ने भी सुना है। यदि गुरुकुल विश्वविद्यालय की स्थिति जैसी थी और जैसा यहां बताया गया है और उसके आधार पर माननीय मंत्री महोदय ने इस बिल को वापस लिया है, वही स्थिति यदि इन दोनों यूनिवर्सिटीज की है तो राजस्थान का दुर्भाग्य है। यह कहीं न कहीं राजस्थान के दुश्मन लोग हैं जो राजस्थान को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान काफी अग्रणी रहा है। छोटी सी बात करूं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ही बात करूं, जिसका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध रहा है पर अब यूनिवर्सिटीज के नाम से इस राजस्थान को बदनाम करने का षड्यंत्र चल रहा है जो ठीक नहीं है जैसे कि +++ तो इस राजस्थान का होगा क्या? इस राजस्थान का होगा क्या, बिल कैसे लाये?

श्री सभापति: डिलीट करिये, इसको डिलीट करिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): संरचनाएं वहां मौके पर नहीं हैं, जो संरचनाएं मौके पर नहीं है, निर्माण वहां नहीं है और निर्माण दिखाया जा रहा है सारे कुएं में भांग घुल गयी है। सारे कुएं में भांग घुल गयी है, इसका कोई इलाज करो। आखिर में यशस्वी राजस्थान है, जिसकी प्रतिष्ठा है।

श्री सभापति: सौरभ विश्वविद्यालय और ड्यून्स विश्वविद्यालय पर बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, मैं सौरभ और ड्यून्स के बारे में बोल रहा हूं। सौरभ यूनिवर्सिटी और ड्यून्स यूनिवर्सिटी का भी हाल यदि ऐसा ही हुआ तो राजस्थान का क्या होगा, +++ तो बच्चों को क्या पढ़ायेंगे, क्या शिक्षा देंगे? +++ क्या है आखिर में यह, क्या है यह? यानी जिसका बेस ही +++ से बन रहा हो...।

श्री सभापति: डिलीट करो इसको।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और +++ ऐसे लोगों को सबको जांच करके जेल में डालो और जिन्होंने यह बिल बनाया है और बिल लाये हैं उनको भी जेल में डालो। ये करोड़ों रुपये खाकर के, अरबों रुपये खाकर के इन यूनिवर्सिटीज को मान्यता दे रहे हैं...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने बिल पढ़ लिया तो आप बिल पर बोलिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): और असत्य जांच रिपोर्ट यहां प्रस्तुत कर रहे हैं और राजस्थान की विधान सभा के माननीय सदस्यों को भी बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, क्योंकि यह राजस्थान की विधान सभा में बिल पास कराया जा रहा है। यदि राजस्थान की विधान सभा में इस प्रकार के फर्जी बिल पास हो गये और गलत तथ्यों के आधार पर पास हो गये तो कल राजस्थान का युवा हमको कोसेगा। हमको कोसेगा कि न तो हमने कुछ देखा है, न सुना है और उसी के आधार पर हमने, और भेड़ चाल चल कर इसको पास कर दिया है। इसलिए मंत्री महोदय को, मुख्य मंत्री महोदय को और सम्बन्धित अधिकारियों को यह चाहिए था कि मौके पर जाकर तो देख लेते, जो हमने कमेटी बनाई है उस कमेटी ने बैठे-बैठे दस्तख्त कैसे कर दिये और दस्तख्त कर दिये +++

श्री सभापति: डिलीट करिये इसको। डिलीट करिये।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? +++ जेल में क्यों नहीं डाल रहे हो? मैं कहता हूं कि इसमें जो-जो अधिकारी इन्वोल्व हैं जो-जो मंत्री, एमएलए, मुख्य मंत्री हों, चाहे कोई भी हों, जो-जो इन्वोल्व हैं सबकी सीबीआई से जांच करायी जाये ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये और हमारे बच्चे गलत रास्ते पर न जायें, ऐसे +++ जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं और उस आधार पर हमारे बच्चों को +++ सिखाना चाहते हैं उनको तुरन्त प्रभाव से जेल में डाल दिया जाये और सीबीआई से जांच करायी जाये और इनको वापस लिया जाये दोनों को। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी। बैठिये-बैठिये। यह अंकित नहीं होगा। आगरा वगैरह वाली बात।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज अभी सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन ओर ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर के बारे में चर्चा हो रही है। वास्तव में जब प्राइवेट यूनिवर्सिटी लाने का मुद्दा आया था 2005 में तो उस वक्त सोचा था कि राजस्थान में शिक्षा का विस्तार हो और 52 विश्वविद्यालय आज की तारीख में प्राइवेट विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं, नयों को स्वीकृति देने के पहले जरा उनकी स्थिति की भी जानकारी करनी पड़ेगी और किस तरह से इसमें चेंजेज आया है, यह गड़बड़ियों का कारण क्या है। जब मैंने खोजने की कोशिश की तो, सभापति महोदय, राजस्थान निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 को मैंने पढ़ा, उसमें विजिटर का प्रावधान है और विजिटर का अर्थात् राज्यपाल, राजस्थान के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और निजी विश्वविद्यालयों का शैक्षणिक जो मुखिया है वह राज्यपाल होता है, तो राज्यपाल विजिटर के रूप में उसमें बीच में थे और विजिटर का काम होता था वह जो संवैधानिक मुखिया है, ताकि उन सारे दस्तावेजों की जांच कर सके, उनका निरीक्षण कर सके, उनके दीक्षांत समारोहों में जा सके और सब नियामक नियंत्रण की तरह काम करें। लेकिन बहुत टेक्निकल ढंग से ऐसा गायब हुआ, निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के तहत प्रदेश के राज्यपाल को जो शक्तियां दी गई थीं, धीरे-धीरे निजी विश्वविद्यालय आते गये, चाहे वे हमारे समय के हों, चाहे इनके समय के हों, उसमें इन लोगों ने उसको क्रास करके, समाप्त करके चेयरपर्सन ले आये और चेयरपर्सन की नियुक्ति वही लोग करेंगे, सरकार की सहमति से करेंगे। जब सरकार की सहमति से करेंगे तो निश्चित रूप से उनका व्यक्ति होगा और वह अपने मनमानी ढंग से काम करेगा। उस आधार पर न तो राज्यपाल को पावर रह गई कि किसी को बुला सकें। कागज कभी मंगा नहीं सकते। अत: इन्होंने अपनी मनमानी करनी शुरू की। वह मनमानी बढ़ती गई और सरकार के प्रतिनिधियों को अपने कार्यक्रमों, बैठकों, इत्यादि में बुलाना इन्होंने बंद कर दिया। प्रवेश की नीति खुद की, पाठ्यक्रमों की स्वीकृति, सीटों की संख्या, परीक्षाओं का आर्डिनेंस, डिग्रियों तक का तरीका, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक आडिट, इन सभी की सूचना देना इन्होंने बंद कर दिया। उस आधार पर जब ये नये विश्वविद्यालय बनने शुरू हुए तो ये भ्रष्टाचार के केन्द्र बनते गये और मनमानी और धांधली इनमें चलती रही। डिग्रियां बांटने के केवल केन्द्र से बन गये। ये स्टाफ का रजिस्टर दिखाते हैं,

(श्री वासुदेव देवनानी)

स्टाफ का रजिस्टर फर्जी होता है। माननीय मंत्री महोदय, आप पता करना कि वहां स्टाफ है या नहीं। सरकारी विश्वविद्यालयों को तो स्टाफ मिल नहीं रहा है और प्राइवेट विश्वविद्यालय वाले लिख रहे हैं कि हमारे पास इतना स्टाफ है। कई घर बैठे हैं, महीने, दो महीने में उनसे साइन कराकर उनको मोटी रकम दे देते हैं। स्टाफ नहीं, एडमिशन नहीं और स्ट्रक्चर नहीं। अभी स्ट्रक्चर की बात चली और बहुत बड़ी इसमें घोषणाएं की हैं। जांच कौन कर रहा है, मैं इसको पढ़ रहा था, ड्यून्स विश्वविद्यालय जोधपुर में बन रहा है। उसके लिए कमेटी कौनसी बनी, कुलपति कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर; संकाय अध्यक्ष, विज्ञान संकाय जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर; निदेशक, शैक्षणिक मल्टी मीडिया अनुसंधान केन्द्र, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर; सहायक आचार्य, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर। यानी जोधपुर में निजी विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हो और जोधपुर की सारी टीम भेज रहे हो। अपनी मिलीभगत से सारा उन्होंने कर दिया। मंत्री महोदय, मैं आपको कहता हूं कि आप वहां खुद जाइये जांच कीजिये, देखिए वहां बना है या नहीं बना है। कहीं ऐसा नहीं हो कि वह भी गुरुकुल की तरह बना हो और वहां पर कुछ भी नहीं हो। इसकी संभावनाएं क्या हैं, केवल जोधपुर के मुख्य मंत्री जी का देखते ही आपने उस पर तुरंत साइन कर दिये। कमेटी भी पूरी जोधपुर की। बाहर का कोई भी शिक्षाविद् आपको नहीं मिला जो वहां जाकर वास्तविक स्थिति का पता करता। उन्होंने वास्तविक स्थिति पता की नहीं और घर बैठे उन्होंने उसको ओके कर दिया, जिसके कारण से इस विश्वविद्यालय का आज आप इस सदन में बिल लेकर आये हैं।

वास्तव में ये जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, दूसरे विश्वविद्यालय की कमेटी भी मैं देख रहा हूं, आपकी हिण्डौन की जो यूनिवर्सिटी है, वह भी वहां है या नहीं है। रेलवे स्टेशन नहीं, कोई गया नहीं। एक मैदान को कह दिया कि यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ऐसी यूनिवर्सिटीज हमारे बीच में आयेंगी तो मेरे बच्चों का भविष्य बिगड़ेगा। यहां विद्यार्थी तैयार नहीं होंगे, जिनको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, केवल डिग्रियां बटेंगी। यूजीसी मान्यता नहीं देगी और कई बार नौकरी में आता है, अमुक विश्वविद्यालयों के लोग कृपया अप्लाई न करें। यह स्थिति हमारे विश्वविद्यालयों की बनेगी। बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करेंगे। इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे

(श्री वासुदेव देवनानी)

कहूंगा कि आप जांच कराओ। मैं स्वयं जाकर देखूंगा, नहीं होगी तो फिर आप मजबूर होंगे कि जिस प्रकार से आपने गुरुकुल विश्वविद्यालय को वापस लिया, कहीं ऐसा न हो कि इन दोनों विश्वविद्यालयों को भी आपको वापस लेना पड़ जाय। यह तो सदन की तौहीन होगी। आखिर यह सदन गरिमामय है। इसलिए सदन में इस प्रकार का व्यवहार न हो, इस तरह की मैं आपसे मांग करता हूं। हिण्डौन के छोटे से बी.एड. कालेज की स्थिति इस प्रकार की बने तो वास्तव में, केवल एक दो बात और कहकर मैं अपनी बात पूरी करूंगा।

सब ने उसमें लिखा है कि हम चिकित्सा क्षेत्र में काम करेंगे। मेडिकल कालेज तो खोलोगे, लेकिन उसके साथ 100 बैड का हास्पिटल भी चाहिये। कहीं किसी के पास हास्पिटल की सुविधाएं हैं क्या? किसी भी विश्वविद्यालय के पास नहीं हैं। केवल बड़ी-बड़ी घोषणाएं कर देते हैं कि इतने कमरे बन गये, इतने अधिकारी नियुक्त कर दिये। मैं पूरा पढ़ूंगा तो ज्यादा समय लग जायेगा। केवल कमेटी वालों को पैसे देकर और अच्छे होटल में ठहराकर, उनकी आवभगत करके उसकी स्वीकृति पहले टेबल पर ले लेते हैं, जो निश्चित रूप से शिक्षा के साथ सरासर अन्याय है। शिक्षा के साथ एक तरह से लूट है। मैं समझता हूं कि शिक्षा क्षेत्र तो सरस्वती का मंदिर था, कम से कम इसको तो बख्शो, लेकिन इसको भी धंधा बना लिया और सेठ जी आकर यहां पर इस प्रकार का व्यापार करने लगे। शिक्षा को व्यापार मत बनाओ, शिक्षा को शिक्षा रहने दो। मानव निर्माण का केन्द्र बने रहने दो। इसलिए आवश्यक है कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय को जल्दबाजी में लाने की तुलना में सोच-समझकर लाएं।

वैसे तो शिक्षा में पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान बिलकुल नीचे आता जा रहा है। देश के 200 विश्वविद्यालयों में राजस्थान का कोई विश्वविद्यालय नहीं आया। कहीं एक-दो गलती से आ गये तो उसके कारण से आप फूले नहीं समा रहे हो। विश्वविद्यालय की हालत देखो, न तो अध्यापक हैं, न कहीं कुछ है। पहले सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थिति सुधारो, ताकि प्राइवेट में लोग कम से कम जायें। नहीं तो यहां एडमिशन नहीं होते फिर प्राइवेट की ओर दौड़ते हैं और वहां से फर्जी डिग्रियां लेकर, गलत डिग्रियां लेकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए राजस्थान को बचाया जाये। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन दोनों बिलों को आप 6 महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 और डयून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022 इन दोनों विधेयकों का उदय आज ऐसी परिस्थिति में हुआ है, जहां एक विधेयक माननीय मंत्री महोदय ने वापस ले लिया है। आदमी गलती करता है, लेकिन गलती दोहराये नहीं, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। गलती करी, वापस ले लिया, इस बात के लिए धन्यवाद। आदमी आलोचना से नहीं डरे, यह भी एक ताकत होती है।

सभापति महोदय, मैंने पहले सत्र में प्रश्न लगाया था, 9 विश्वविद्यालयों के रिकार्ड हैं, सभापति महोदय, अभी तक भी किसी में जांच पूर्ण नहीं हुई है। 2019 में जो मुझे उत्तर मिला, आज भी वैसी की वैसी परिस्थिति है। दूध का जला आदमी, छाछ फूंक-फूंक कर पीता है। जब हम शिक्षा को मजबूत करने के लिए कालेज खोल रहे हैं, स्कूल ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल रहे हैं तो यह निजी विश्वविद्यालय लाने की जरूरत कहां है? हमारे सरकारी विश्वविद्यालयों को सरकार और मजबूत करे। हम नीचे से बेस इतना मजबूत खड़ा करना चाह रहे हैं, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल, स्कूलों का क्रमोन्नयन, गवर्नमेंट कालेज किसी भी विधायक ने मांगे, मुख्य मंत्री जी ने गवर्नमेंट कालेज दिये। हमारे घर के आगे हम यह क्यों बांध रहे हैं? हम यह मारने झोटे क्यों बांध रहे हैं? सभापति महोदय, मैं तो इसका भागीदार नहीं हो सकता। 9 विश्वविद्यालयों की मैंने शिकायत की थी। मैंने सिर्फ यह पूछा कि राजस्थान में ऐसे कितने निजी विश्वविद्यालय हैं जिनकी शिकायतें हुई हैं, उनकी शिकायतें पेंडिंग है? सभापति महोदय, इसकी एसओजी जांच कर रही है और एसओजी जांच करने के बाद दोषी मान रही है। सरकार ने एक भी विश्वविद्यालय की रिपोर्ट ढंग से नहीं की कि इसकी कार्यवाही तो लम्बित है और इतने दिन में कर देंगे।

सभापति महोदय, मुझे लगता है इस सदन में उच्च शिक्षा से जुड़े हुए 200 में से कम से कम 60-70 लोग हैं। एलएलबी तक पढ़ाई करे हुए कम से कम 40-50 लोग मिलेंगे। सभापति महोदय, हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिये। राजस्थान प्रदेश के नौजवान इस सदन के बाहर खड़े हैं। पांच मिनट के लिए आप बाहर निकल जाओ, आपको ज्ञापन देने के लिए खड़े रहते हैं कि इस पवित्र सदन में आप हमारी बात रखना। सभापति महोदय, इतनी इज्जत

(श्री बलवान पूनियां)

है इस पवित्र सदन की। लोग यह कहते हैं कि आप तो एक मिनट बोल देना, सरकार हमारी बात सुनेगी।

सभापति महोदय, रावतसर, टिब्बी और पीलीबंगा को लेकर मैंने एक बात कही थी कि शिड्यूल्ड कास्ट की मेरी कांस्टीट्यूएंसी में कालेज नहीं है, मुख्य मंत्री जी ने कल दोनों जगह घोषणा कर दी। सभापति महोदय, इस सदन में हम इसलिए आये हैं कि यहां प्रदेश का चहुंमुखी विकास करने के लिए बहस करेंगे, बात करेंगे, हम प्रदेश में शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए बात करेंगे। इस ड्यून्स विश्वविद्यालय और इस सौरभ विश्वविद्यालय के लिए सरकार से और मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप एक सर्वदलीय कमेटी बनाइए। जिन अधिकारियों ने और जिस तरीके के लोगों ने गुरुकुल विश्वविद्यालय की रिपोर्ट दी, वैसे के वैसे लोग इन दोनों विश्वविद्यालयों की अवसंरचना की रिपोर्ट देने वाले हैं जो उद्देश्यों में आपने लिखा है। हम कैसे विश्वास

(समय: 17.00 बजे)

कर लें और हम क्यों भागीदार बन जायें? यह बात सही है कि एमएलए और मंत्रियों के दुनियाभर के काम होते हैं। हमें हमारे नीचे के सारे के सारे ढांचे पर विश्वास करना पड़ता है। विश्वास के बिना प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकते, काम नहीं चलता, लेकिन जब हमारे सामने यह स्थिति आ गयी कि एक विश्वविद्यालय की रिपोर्ट फाल्स की है तो हम दोनों विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट को सही कैसे मान लें? इसलिये इस पवित्र सदन में मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह है कि इन दोनों विधेयकों के लिए आप सर्वदलीय कमेटी बनायें और पता करें कि वास्तव में स्थिति क्या है? कमेटी की रिपोर्ट आने तक इस विधेयक को एक बार स्थगित करें।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सौरभ विश्वविद्यालय, हिण्डौन सिटी, (करौली) विधयेक, 2022 और ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर, विधेयक, 2022 पर आपने बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सभापति महोदय, तमाम विधायकों की चिन्ता इस बात की है कि इस सदन के अन्दर जो विधेयक लाये गये हैं और उन विधेयकों के अन्दर जो बातें कही गयी हैं, उनकी सत्यता क्या है?

(श्री रामलाल शर्मा)

सभापति महोदय, इस सदन में लगभग 14 से 15 माननीय विधायक ऐसे हैं जो राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। माननीय महेश जी विराजमान हैं, राजकुमार जी यहां विराजमान हैं, राजेन्द्र जी यहां विराजमान हैं और अन्य बहुत से हैं। उस विश्वविद्यालय के अन्दर किस तरह के हालात थे? जब हम चुनाव लड़ते थे और वोट मांगने के लिए जाते थे तो अगर अध्यापक क्लास ले रहा है तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी कि अन्दर जाकर वोट मांग लें। या तो अध्यापक मना कर देते थे या बच्चे मना कर देते थे कि थोड़ी देर बाद आना, हमारी क्लास चल रही है। सभापति महोदय, इन विश्वविद्यालयों के अन्दर क्या क्लासें लगेंगी? सभापति महोदय, चिन्ता इस बात की भी है कि इन विश्वविद्यालयों के अन्दर एडमिशन के लिए भारी फीस देनी पड़ेगी। एडमिशन के अलावा आपको हॉस्टल लेना पड़ेगा, वह बाध्यता है। अगर नहीं लेंगे तो भी आपको फीस देनी पड़ेगी। आपने समय पर फीस जमा नहीं करायी तो आपके पेपर ड्यू रहेंगे। पेपर क्लीयर कराने के लिए आपको फिर पैसे देने पड़ेंगे। सभापति महोदय, यह सत्यता है।

सभापति महोदय, इस विधेयक के अन्दर धारा 13(33) के माध्यम से फीस निर्धारण का राइट भी उसी विश्वविद्यालय को दे दिया कि तुम्हारी मर्जी हो, उतनी फीस आप निर्धारित करने का काम करो। सभापति महोदय, आवश्यकता इस बात की है कि अभी भादरा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि कमेटी बनाइये। सभापति महोदय, हम विधायक सिर्फ मेज थपथपाकर इन विधेयकों को पारित करने के लिए नहीं हैं। विधान सभा के अन्दर भी कई कमेटियां बनी हुई हैं, निश्चित रूप से ऐसे बिल आये, उससे पहले उस कमेटी के द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाये और उसके बाद इस सदन में बहस के लिए लाया जाये।

सभापति महोदय, टेक्निक युग है। इस टेक्निक युग में कौनसी बात छिपी हुई रह सकती है? मंत्री महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आधा घन्टे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कराइये और गूगल मैप के माध्यम से आप सदन के सभी सदस्यों को दिखाइये कि ये यूनिवर्सिटी है, यह खसरा नम्बर है, इस खसरे नम्बर के अन्दर इतनी भौतिक रूप से बिल्डिंगें बनी हुई हैं। आप आधे घन्टे के अन्दर दिखा सकते हो गूगल मैप के माध्यम से। आज अगर कोई सिंचाई विभाग का एनिकट भी बनाना है तो गूगल मैप के माध्यम से, उसके सर्वे पत्र में शामिल होता है कि उसकी लोकेशन क्या है, वह शामिल होती है। जेडीए सड़क बना रहा है, गूगल मैप के आधार पर पहले सर्वे करके

(श्री रामलाल शर्मा)

तय करता है कि कहां से कहां, जो सड़क बनेगी वह रिकार्ड में है या नहीं है। उसके बाद उसकी स्वीकृतियां जारी होती हैं। आप इतने बड़े विश्वविद्यालय का बिल पारित कर रहे हैं। क्यों नहीं, गूगल मैप के माध्यम से आप पहले खुद तो अपनी आंखों से देख लो, हम तो आपके ऊपर भी विश्वास कर लेंगे। अगर आप देख लेते तो गुरुकुल विश्वविद्यालय वाला विधेयक वापस नहीं लेते।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि यदि राजस्थान की सरकार, 28 परसेंट बेरोजगारी बढ़ रही है, उस बेरोजगारी को कम करने के लिए कोई विधेयक लेकर आती या गवर्नमेंट के जो विश्वविद्यालय संचालित हैं, वहां पर आप इस तरह का माहौल क्रिएट करने का काम करते जिससे आने वाली पीढ़ी उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो तो मुझे लगता है कि ज्यादा बढ़िया था। इसलिये, सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इतना निवेदन जरूर है कि ये दोनों ही बिल आप कम से कम छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करें। मंत्री महोदय, आज आपने हिम्मत दिखायी है। ऐसी हिम्मत आप एक और दिखाइये। इन दोनों बिलों को आप वापस लें, नहीं तो आने वाले समय में आज की तारीख आने वाली पीढ़ी याद रखेगी, आपको माफ नहीं करेगी। इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि छह महीने के लिए जनमत जानने के लिए इन बिलों को परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया (अनुपस्थित)। श्री कालीचरण जी सराफ (अनुपस्थित)। सुश्री दिव्या मदेरणा (अनुपस्थित)। श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी।

श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, आपने दोनों निजी विश्वविद्यालयों के विधेयकों पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदय, जैसे कि चूरू के माननीय विधायक जी ने कहा कि आज पांच विश्वविद्यालयों के विधेयक एक साथ आये हैं। माननीय सभापति महोदय, यह बहुत गम्भीर समस्या है कि हम एक अम्ब्रेला एक्ट में अगर इन सभी विश्वविद्यालयों को डाल दें तो हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड का समय बहुत बच सकता है और बार-बार हर चीज में अमेंडमेंट, हर चीज के संशोधन में हमें जो समय लगता है, उस समय को हम बचा सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान इण्डिया में टाप 4 स्टेट में आता

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

है, in terms of colleges or students के एनरोलमेंट को हम अगर देखें। यहां पर 50 परसेंट से ज्यादा फैकल्टी हायर एजुकेशन में वेकेंट है, एम्प्टी है। नंबर आफ स्टूडेंट्स का जो एनरोलमेंट 2017 में था, वह आज करीबन 35 लाख और बढ़ चुका है। डेफिनेटली अगर हम इन आंकड़ों को देखें तो अच्छे कालेजेज, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स की जरूरत है, लेकिन बार-बार ऐसे संशोधन जो हमारे सामने आ रहे हैं और जैसे कि मावली के विधायक और बाकी सब विधायकगणों ने भी यह बात रखी कि किस प्रकार से ये सारे विश्वविद्यालय सिर्फ एक डिग्री बेचने का काम कर रहे हैं। बार-बार ऐसी चीजें हमारे सामने आती हैं, जो हो रही हैं, उसको नियम के रूप में लाने के लिए अगर हम एक अम्ब्रेला एक्ट बना दें और ऐसा नहीं है कि इसमें राजस्थान पहला होगा। Uttar Pradesh Private Universities Ordinance, 2019 माननीय योगी जी ने पास कराया था, जिसकी वजह से अब सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक ही अम्ब्रेला के अन्दर आती हैं, जिससे उनको रेगुलेट अच्छी तरह से किया जा सकता है।

हम सब की भावना एक ही है और वह भावना यह है कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और कहीं न कहीं वे यह छलावा महसूस नहीं करें कि हम दो साल एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और उसके बाद वह यूनिवर्सिटी ही नहीं होती या हमारी डिग्री फर्जी हो जाती है। इन सब चीजों को रोकने के लिए उत्तराखण्ड ने भी 2020 में एक बिल पास किया। सभापति महोदय, उत्तराखण्ड में तो केवल 11 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और 18 प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं। अगर हम उसको राजस्थान के आंकड़ों से कम्पेयर करें तो कई ज्यादा हैं। डेफिनेटली बहुत जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इस बारे में कुछ सोचें कि इन सभी यूनिवर्सिटीज को एक वन-अम्ब्रेला एक्ट के अन्दर लाने की कोशिश करें।

माननीय सभापति महोदय, बाकी बातें तो सबने रखी हैं तो मैं तो आपसे यही निवेदन करना चाहती हूं कि बार-बार by creating separate laws for each university. We are giving them the right to play with future of young minds. सभापति महोदय, हम जो बार-बार यूनिवर्सिटी को इतना सक्षम बना रहे हैं कि वे अपने हिसाब से कुछ भी चीजें अपनी यूनिवर्सिटी में मोल्ड कर सकें, उसको न करते हुए जिस तरह से कम्पनी एक्ट है, जिस तरह से सरकारी संस्थाओं के लिए एक ही एक्ट है, वैसे ही यूनिवर्सिटीज को भी एक ही एक्ट के अन्दर लाने की बहुत जरूरत है। राज्य

(श्रीमती दीप्ति किरण माहेश्वरी)

सरकार एक रेगुलेटरी अथोरिटी बनाकर इन पर नियन्त्रण रख सकती है। आई थिंक काफी सारे पाइंट बाकी सबने बोल दिये हैं तो मैं अपनी बात का समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगी कि इन दोनों एक्ट्स को छह महीने के लिए जनमत जानने हेतु परिचालित करें।

श्री सभापति: श्रीमती संतोष।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, विधेयक पर बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। शिक्षा ऐसा क्षेत्र है जहां व्यक्ति के व्यक्तित्व का पूरा निर्माण किया जाता है। आप कालेज की हालत देख रहे हैं, टीचर्स नहीं हैं। एक-एक, दो-दो लेक्चरर के बूते कालेज चलाये जा रहे हैं। आज नयी यूनिवर्सिटी खोलने की बात की जा रही है। अच्छी बात है कि नये कालेज खोले जायें, छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए जरूरी भी है, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का क्या होगा? कैसे हम बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, यह विचार का विषय है। माननीय सभापति महोदय, एक-एक कमरे में एक-एक यूनिवर्सिटी को अनुमति देना, न टीचर है, न फैकल्टी है, न कम्प्यूटर है, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। मात्र डिग्री देने के लिए यूनिवर्सिटी खोलना गलत है। ये प्रश्न केवल विश्वविद्यालय खोलने का नहीं है, ये प्रश्न राजस्थान और इस राष्ट्र के उत्थान की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। निजी विश्वविद्यालय खुल रहे हैं, आखिर ये विश्वविद्यालय चलेंगे कैसे? भवन नहीं हैं, स्टाफ नहीं हैं। शिक्षा को मात्र डिग्री बांटने का माध्यम बनाया जा रहा है। निजी विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम का कोई निर्धारण नहीं है। किस प्रकार की उच्च शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा रहा है?

माननीय सभापति महोदय, प्राइवेट कालेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांग व्यक्ति, एस.सी./एस.टी., पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। उक्त कोटे में अभ्यर्थियों को लिए जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना अति आवश्यक है क्योंकि प्राइवेट विश्वविद्यालय उक्त नियमों के आधार पर प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसके लिए मॉनिटरिंग सेल बनाकर उक्त विद्यालयों में आरक्षण के आधार पर सीटों को भरा जाये। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र, शैक्षणिक उपाधियों के लिए भी राज्य सरकार द्वारा एक रीति अपनाये जाने की आवश्यकता है जिससे ये कागज की डिग्रियां न होकर व्यावहारिकता में इनका मूल्यांकन सम्भव हो सके। यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो।

(श्रीमती संतोष)

इस प्रकार केवल डिग्री देने के लिए कालेज खोलना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे यही निवेदन करूंगी कि आनन-फानन में इस प्रकार से निजी विश्वविद्यालय खोल देना, बिना स्टाफ के, बिना भवन के उचित नहीं है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। रोजगारोन्मुखी शिक्षा हो, इसके लिए इस बिल को जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाये।

श्री सभापति: श्री अविनाश। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा पर विपक्ष के हमारे साथियों ने बड़ी चिन्ता जाहिर की है। पिछले पांच साल में 11 निजी विश्वविद्यालय खुले। वर्ष 2007 में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को लाने का काम भी विपक्ष के साथियों की पार्टी ने किया। अजमेर से आने वाले हमारे सदस्य कह रहे थे कि बहुत स्थिति गिरा दी हायर एजुकेशन की। हमारे तो तीन साल में करीब डेढ़-पौने दो साल यूनिवर्सिटीज बंद रहीं। जो हम 2013 में छोड़कर आये थे, पिछले पांच साल में वह स्थिति आपने खराब की है।

उपनेता, प्रतिपक्ष कह रहे थे कि आपने हिम्मत दिखाई। हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है। पिछले पांच साल हम देखते थे, आप इधर थे, हम उधर थे। हम थे इधर। श्रीमानजी, हम इधर थे। आपको गलतफहमी है। तब हम आपको भी देखते थे कि किस तरीके से डिक्टेटरशिप थी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मंत्री जी जब बोलते हैं तो प्लीज बीच में नहीं, परम्परा के विपरीत है, गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): मेहरबानी करके हमारी हिम्मत को दाद मत दीजिए। हमारे यहां प्रजातंत्र है, हमारे यहां सबको निर्णय लेने का अधिकार है। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे सबको साथ लेकर चलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): जवाब दीजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): आप भी टू द पाइंट बात करते हैं। उच्च शिक्षा की पहुंच आम व्यक्ति तक हो, इस उद्देश्य के प्रति राज्य सरकार दृढ़ संकल्प है। उच्च शिक्षा विभाग के अधीन संचालित 15

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय हमारी सरकार के द्वारा खोले गये, जो कि हमारे संकल्प को परिलक्षित करते हैं, जबकि गत सरकार द्वारा एक भी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय युवाओं के हित में नहीं खोले गये।

महोदय, इन लोगों के राजनैतिक दल ने जाति, धर्म के आधार पर वाट्सएप यूनिवर्सिटीज चला रखी हैं और उनके माध्यम से युवाओं में जहर घोलकर सामाजिक तानेबाने को छिन्न-भिन्न किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): इस प्रकार विथ्ड्रा करना पड़ा बिल, फिर भी चौड़े हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): चल रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आराम से जवाब दे दीजिए। क्यों चौड़े हो रहे हैं?

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): एक बार उस यूनिवर्सिटी की जांच करवा लो जहां से प्रधान मंत्री जी ने डिग्री ली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वो तो छोड़ो, आज आपके तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, थोड़ी देर पहले क्या हालत बनी है? विथ्ड्रा कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास में ...(व्यवधान) पहली...

श्री गोविंद राम (आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री): जिनके कांच के मकान होते हैं राठौड़ साहब, तो ज्यादा पत्थर नहीं मारने चाहिये। जिनके मकान कांच के होते हैं, ज्यादा पत्थर नहीं मारने चाहिये।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप चालू रखिए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): हमारी सरकार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में सदैव बजट में वृद्धि कर नये उच्च शिक्षण संस्थान खोले हैं। यहां यह भी ध्यान दिला दूं कि यह सभी 15 राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय प्रदेश के समस्त सम्भाग को कवर करते हैं जो कि युवाओं के प्रति हमारी सरकार की समावेशी सोच को दर्शाता है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों की भी भूमिका है।

महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने गत तीन वर्षों में दो राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय डा. भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर एवं हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

विश्वविद्यालय, जयपुर को पुन: स्थापित किया है। गत वित्तीय वर्ष में एक नये विश्वविद्यालय एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर की स्थापना की है।

मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सदन के पटल पर आज निम्नलिखित विधेयक पेश किये गये। सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022, संस्था 2002 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है एवं वर्तमान में 8 शिक्षण संस्थान संचालित कर रही है। करौली जिले में कोई राज्य वित्त पोषित या निजी विश्वविद्यालय वर्तमान में संचालित नहीं है। यह क्षेत्र जनजाति बाहुल्य एवं डांग क्षेत्र है। अगर यहां पर विश्वविद्यालय खुलता है तो इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा उनके निवास के समीप उपलब्ध हो पायेगी जिससे वे लाभान्वित होंगे।

ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022, संस्था 2003 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है एवं वर्तमान में 13 शिक्षण संस्थान संचालित कर रही है। उक्त निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से भविष्य में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। क्षेत्र के विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय स्तर की अध्ययन एवं अनुसंधान की सुविधा उपलब्ध होगी।

महोदय, ए.आई.एस.ई.एस.एच.ई. की 2020 की रिपोर्ट के आधार पर देखें तो राजस्थान में 18 से 23 आयु वर्ग की जनसंख्या ..(व्यवधान) का जी.ई.आर., सकल नामांकन अनुपात 24.1 प्रतिशत है।

श्री सभापति: बैठिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): जबकि इसी के समकक्ष गुजरात के जी.ई.आर. 21.3 एवं असम का जी.ई.आर. 17.3 है, जिसे 2030 तक नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार बढ़ाकर 50 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र के विकास में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। साथ में यह भी आश्वस्त कर दूं कि निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, निजी विश्वविद्यालयों की जांच एवं निजी विश्वविद्यालयों में...(व्यवधान) एक्रिडिएशन हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): टेबल कर दें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): या तो पूरा पढ़ें या टेबल कर दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): निजी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण हेतु राज्य सरकार राजस्थान राज्य शिक्षा नियामक प्राधिकरण के गठन हेतु प्रस्तुत विधेयक का प्रशासनिक ...(व्यावधान) अनुमोदन प्राप्त कर पत्रावली विधि विभाग को प्रेषित कर दी गयी है।

अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उच्च शिक्षा की पहुंच आम व्यक्ति तक हो एवं शैक्षणिक गुणवत्ता, अनुसंधान व उच्च शिक्षा का विकास, ...(व्यवधान) रोजगारोन्मुखी एवं कौशल शिक्षा देने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, आप पढ़िए।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): निजी विश्वविद्यालयों की शिकायत के सम्बन्ध में माननीय सदस्यगणों द्वारा उठाये गये प्रश्नों के सम्बन्ध में निजी विश्वविद्यालयों द्वारा फर्जी तरीके से, बिना अध्यापन कराये केवल परीक्षा की औपचारिकताएं कर डिग्री प्रदान करने आदि के सम्बन्ध में शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रही हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कमेटी गठित कर उनकी जांच करवाई जाती है। जांच में अनियमितता पाये जाने पर, अधिनियम के प्रावधानुसार आगामी कार्रवाई की जाती है। प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में अधिनियम के प्रावधानानुसार कार्रवाई की जा रही है।

महोदय, यदि किसी डॉक्टर से किसी मरीज का आपरेशन फेल हो जाये, इसका तात्पर्य यह नहीं होगा कि वह डाक्टर अयोग्य है एवं सर्जरी करना बन्द कर दे। (व्यवधान) इसी प्रकार कुछ विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हो रही है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सभी निजी विश्वविद्यालय खराब हैं या अनियमित तरीके से डिग्रियां जारी कर रहे हैं। महोदय, इन लोगों के राजनीतिक दल ने जाति धर्म के आधार पर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): वाट्सएप विश्वविद्यालय के माध्यम से युवाओं में जहर घोलकर, सामाजिक ताने बाने

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

को छिन्न भिन्न किया जा रहा है। हमारी सरकार ने तो शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं के हित में सदैव बजट में वृद्धि कर नये उच्च शिक्षण संस्थान खोले हैं और कल के बजट में भी नये कालेज खोले गये हैं।

मैं सभापति महोदय से कहना चाहूंगा, इस बिल को पारित किया जाये। (व्यवधान)

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, वी वांट डिविजन ... (व्यवधान) वी वांट डिविजन।

श्री सभापति: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि सौरभ विश्विद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): वी वांट डिविजन, नहीं दे रहे... (व्यवधान) डिविजन नहीं दे रहे। हम बहिर्गमन करते हैं। हम बहिर्गमन करते है, बहिर्गमन करते हैं।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

खण्डश: विचार

श्री सभापति: खण्ड 2 से 47, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं।

(श्री सभापति)

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जायें?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गयीं।

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

प्रश्न यह है कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022 को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार

खण्ड 2 से 47, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 47 स्वीकार किये गये।

अनुसूची 1 व 2, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की जायें?

(स्वीकृत)

अनुसूची 1 व 2 स्वीकार की गयीं।

(श्री सभापति)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

माननीय प्रभारी मंत्री महोदय।

विधेयक का पारण

सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 व ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया जाये।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

सौरभ विश्वविद्यालय, हिन्डौन सिटी (करौली) विधेयक, 2022 पारित किया गया।

प्रश्न यह है कि ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक 2022 को पारित किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2022 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.26 बजे बुधवार, दिनांक 23 मार्च 2022 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोतर

जोधपुर की वन रेंजों में लगाये गये पौधे

372. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर के रेंज कार्यालय व वन नाकाओं में जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक किस-किस वन नाका व उप वन संरक्षक कार्यालय द्वारा उक्त अवधि में कितने पौधे कहां-कहां लगाये गये? संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सभी पौधों को लगाने पर कितनी राशि व्यय हुई? वर्षवार रेंज कार्यालयवार पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त वर्षों में लगाये गये पौधों की वर्तमान में क्या स्थिति है?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में उप वन संरक्षक, जोधपुर कार्यालय के अधीन विभिन्न रेंज कार्यालय व वन नाकाओं में 1 जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2021 तक प्रतिवर्ष लगाये गये पौधों का विवरण परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(2) उक्त सभी पौधों पर की गई व्यय राशि का वर्षवार तथा रेंज कार्यालयवार विवरण परिशिष्ट-2 के अनुसार है।

(3) वर्तमान में उक्त कार्यस्थलों पर जीवितता 75 से 95 प्रतिशत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

गोगुन्दा में श्रमिकों के लिए संचालित योजना के लाभार्थी

380. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पं.स. गोगुन्दा, सायरा, कोटड़ा, बडगांव में कुल कितने श्रमिक पंजीकृत हैं?

(2) क्या उक्त पंजीकृत श्रमिकों को अलग-अलग योजनाओं में लाभ दिया जाता है? यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का योजनावार लाभार्थियों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की पंचायत समिति गोगुन्दा, सायरा, कोटड़ा, बडगांव दिनांक 15.03.2022 तक कुल 13,027 श्रमिक पंजीकृत हैं।

(राज्य मंत्री, श्रम)

(2) जी हां। प्रत्येक पंजीकृत श्रमिक/आश्रित को योजना में उल्लेखित शर्तों एवं पात्रता के अनुसार लाभ दिया जाता है।

गत तीन वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021) में उक्त पंजीकृत श्रमिकों में से कुल 4373 श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। योजनावार लाभार्थियों का संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भीलवाड़ा में धार्मिक स्थलों पर चोरी की घटनाएं

395. श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला भीलवाड़ा में विगत तीन वर्षो में कितने धर्म स्थलों पर चोरियों की वारदात हुई है? उनमें से किन-किन का खुलासा हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जिला भीलवाड़ा में वर्ष 2019, 2020 व 2021 में धर्म स्थलों पर चोरी के कुल 79 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिनमें से 29 प्रकरणों का खुलासा कर 68 मुल्जिमों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया है, जिसका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मालौनी रपट पर पुलिस चौकी की स्थापना

396. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार मालौनी रपट पर पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में मालौनी रपट पर पुलिस चौकी खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भविष्य में क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अपराध एवं कानून व्यवस्था की स्थिति, वित्तीय संसाधनों तथा पुलिस नफरी की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जा सकेगा।

विभिन्न सेवा संवर्गों में पदोन्नति

397. श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विभिन्न सेवा संवर्गों में पदोन्नति के अलग-अलग नियम हैं? सेवा विशेष संवर्ग को पदोन्नति में छूट किस आधार पर दी जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

सामान्यतया पदोन्नति के मापदण्ड (Criteria, Eligibility and Procedure for Promotion) समान होते हैं, तथापि कतिपय सेवा नियमों में पदोन्नति हेतु अनुभव एवं योग्यता के भिन्न-भिन्न प्रावधान हो सकते हैं।

सम्बन्धित सेवा नियम के नियम Power to relax rules के तहत पदोन्नति हेतु वांछित अनुभव में छूट दिये जाने का प्रावधान है।

अधिसूचना दिनांक 18.02.1998 (परिशिष्ट-"क") के तहत वांछित अनुभव में एक तिहाई अवधि का शिथिलन परिपत्र दिनांक 07.01.2020 (परिशिष्ट-"ख") के द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर देय है तथा अधिसूचना दिनांक 18.07.2017 (परिशिष्ट-"ग") के तहत मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा दो वर्ष का शिथिलन परिपत्र दिनांक 06.10.2017 (परिशिष्ट-"घ") के द्वारा निर्धारित मापदण्ड पूर्ण होने पर देय है।

(अधिसूचना व परिपत्र पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में सिंगल पेमेंट कोषालय

398. श्री जब्बर सिंह सांखला (आसीन्द): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार की प्रदेश के समस्त उप-कोषालयों को एवं उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से कोषालयों को भी बंद करके ई-कोषालय की तर्ज पर सिंगल पेमेंट कोषालय प्रारम्भ करने की योजना है? यदि हां, तो लेखा संवर्ग एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग पर पड़ने वाले प्रभावों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। IFMS 3.0 के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से पहले उप कोषालयों को एवं तत्पश्चात् कोषालयों के स्थान पर विभागों का सशक्तिकरण करते हुए प्रत्येक विभाग में पे एण्ड एकाउन्टस आफिस खोले जाएंगे। इस प्रकार परिवर्तन होने पर संबंधित कोष कार्यालय को बंद अथवा अन्य कार्य लेने हेतु विचार गुणावगुण पर किया जायेगा। इससे लेखा एवं अधीनस्थ लेखा संवर्ग पर कोई प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

नदबई के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पद

399. श्री जोगिन्दर सिंह अवाना (नदबई): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री जोगिन्दर सिंह अवाना)

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में कितने विद्यालय संचालित हैं? तहसील व ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के कितने पद सृजित हैं तथा उनमें कितने पद रिक्त हैं? विद्यालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नदबई में प्रारम्भिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों का तहसील व ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-क पर तथा माध्यमिक शिक्षान्तर्गत संचालित राजकीय विद्यालयों का तहसील व ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के विद्यालयों में तृतीय श्रेणी अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विद्यालयवार विवरण क्रमश: परिशिष्ट-क व ख में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

कोटा में सहरियाओं के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था

400. श्रीमती निर्मला सहरिया (किशनगंज): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि शैक्षणिक नगरी कोटा में विभिन्न क्षेत्र व वर्गों के बच्चों के लिए कोचिंग व्यवस्था है? यदि हां, तो कौन-कौनसे क्षेत्र व वर्गों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में सहरिया जनजाति के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि हां, तो कब तक इसकी व्यवस्था की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कोटा व समस्त राजस्थान राज्य हेतु मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू की गई है, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं बी.पी.एल. समुदाय के बच्चे नि:शुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं।

(2) जी हां। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत सहरिया जनजाति के बच्चों को भी नि:शुल्क कोचिंग प्रदान की जा रही है।

प्रतापगढ़ के विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक

401. श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला प्रतापगढ़ में कितने विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद भरे हुए हैं व कितने पद रिक्त हैं? उक्त रिक्त पदों को सरकार कब तक भरने का विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि कई विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित ही नहीं हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त में कब तक पद सृजित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रतापगढ़ जिले में माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित 152 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियों के पद भरे हुए हैं तथा वर्तमान में 58 विद्यालयों में पद रिक्त हैं। इसी प्रकार प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित 106 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद भरे हुए हैं तथा वर्तमान में 103 विद्यालयों में पद रिक्त हैं।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर तथा विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से चयनित आशार्थी उपलब्ध करवाये जाने पर उक्त रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

(2) जी हां। जिला प्रतापगढ़ के माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गत जिला प्रतापगढ़ के नव क्रमोन्नत 23 विद्यालयों में शारीरिक शिक्षकों के पद सृजित नहीं है। इन नवक्रमोन्नत विद्यालयों में पद सृजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रारम्भिक शिक्षा अन्तर्गत संचालित शिक्षा विभाग एवं पंचायती राज विभाग (प्रारम्भिक शिक्षा) के राजकीय विद्यालयों में पदों को निर्धारण के संबंध में शासन स्तर से जारी स्टाफिंग दिशा-निर्देश दिनांक 28.05.2019 के अनुसार 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद आबंटन किये जाने का प्रावधान है, जिसकी अनुपालना में स्टाफिंग 2021 के अन्तर्गत दिनांक 31.10.2021 के नामांकन के आधार पर 105 से अधिक नामांकन वाले समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अध्यापक का पद आबंटित किया जा चुका है।

किशनपोल में स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्य

402. श्री अमीनुद्दीन कागजी (किशनपोल): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड नं. 55 से 75 में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक स्मार्ट सिटी द्वारा क्या-क्या कार्य करवाये गये? कार्य के नाम एवं स्थान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नं. 55 से 75 में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक स्मार्ट सिटी द्वारा विकास कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस कार्यकारी एजेंसी को कितनी-कितनी राशि के विकास कार्य दिये गये तथा उक्त कार्यों के पेटे अब तक उस एजेन्सी को कितना भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनपोल के वार्ड नं. 55 से 75 में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक स्मार्ट सिटी द्वारा करवाये गये कार्यों का नामवार एवं स्थानवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत वार्ड नं. 55 से 75 में दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2021 तक करवाये गये विकास कार्यों का राशिवार, फर्मवार एवं फर्म को किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अकलेरा नगरपालिका द्वारा कराये गये कार्य

403. श्री गोविन्द प्रसाद (मनोहर थाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की नगरपालिका अकलेरा द्वारा वर्ष 2021 में किस-किस वार्ड में कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त नगरपालिका के वार्ड संख्या 1, 4, 6, 12, 13, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 35 में वर्ष 2021 में कोई कार्य नहीं करवाया गया है? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना की नगरपालिका अकलेरा द्वारा वर्ष 2021 में करवाये गये कार्यों का वार्डवार एवं राशिवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) नगरपालिका अकलेरा द्वारा वार्ड संख्या 1, 6, 12, 13, 24, 27, 29, 30, 35 में वार्ड पार्षदों की मांग एवं आमजन की समस्या अनुसार विकास कार्य करवाया गया है। शेष वार्डों में पूर्व में सीसी रोड व नालियों का निर्माण कार्य करवाया गया था। पालिका द्वारा जो भी क्षतिग्रस्त व कच्ची रोड व नालियां बची हुई हैं, उनके प्राथमिकता के अनुसार कार्य करवाये जा रहे हैं। शेष वार्डों में भी क्षतिग्रस्त सडकों का निर्माण कार्य वार्ड पार्षदों की अभिशंसा के आधार पर करवाये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

चाकसू में सहभागिता आवास योजना में आवास

404. श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य सरकार की सहभागिता आवास योजना (अफोर्डेबल) के अन्तर्गत चाकसू, जयपुर में कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. जयपुर द्वारा निर्मित फ्लैट किस-किस को, किस कीमत पर कब-कब विक्रय, आबंटित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त एजेन्सी द्वारा किस साइज के कितने फ्लेट बनाये गये? नगरपालिका चाकसू को किन शर्तों के साथ उक्त आवासों को कब सुपुर्द किया गया? उक्त फ्लैटों में वर्तमान में कितने आबंटी कब से आवास कर रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या नगरपालिका चाकसू द्वारा उक्त आवासरत फ्लैटों में आज तक पानी एवं बिजली (घरेलू कनेक्शन) सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है? क्या सरकार उक्त आवासों में आवासरत गरीब परिवारों को पानी एवं बिजली (घरेलू कनेक्शन) सुविधा उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त योजना में कितने फ्लैटों का आबंटन, विक्रय शेष है तथा शेष को कब तक आबंटित कर दिये जायेंगे?

उत्तर

(1) सहभागिता आवास योजना (अफोर्डेबल) के अन्तर्गत नगरपालिका चाकसू द्वारा कार्यकारी एजेन्सी मैसर्स पाटनी बिल्डर्स प्रा. लि. जयपुर द्वारा निर्मित फ्लैटों के आबंटन का राशिवार एवं दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त फर्म द्वारा निर्मित फ्लैटों का विवरण, नगरपालिका चाकसू को आवासों की सुपुर्दगी एवं फ्लैटों में निवास कर रहे आबंटियों का नामवार तथा शर्तों का विवरण परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

(3) नगरपालिका, चाकसू द्वारा बिजली कनेक्शन हेतु जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में डिमाण्ड नोटिस जमा करवा दिया गया है। उक्त आवासरत फ्लैटों में नगरपालिका द्वारा पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है।

(4) नगरपालिका चाकसू में EWS के 100, LIG के 170 एवं MIG के 45 फ्लैट विक्रय किया जाना शेष है। उक्त फ्लैटों के आबंटन/विक्रय की प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर के पृथ्वीराज नगर में स्वीकृत कालोनियां

405. श्रीमती सफिया जुबेर (रामगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर में पृथ्वीराज नगर आवासीय योजना में कुल कितनी कालोनियां स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या स्वीकृत कालोनियों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वंचित कालोनियों में कैम्प लगाकर नियमन करने एवं पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पृथ्वीराज नगर योजना क्षेत्र में जोनवार अनुमोदित/स्वीकृत कालोनियां निम्न प्रकार हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है:-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

जोन	**अनुमोदित कालोनियों की संख्या**
उत्तर-I	160
उत्तर-II	152
दक्षिण-I	101
दक्षिण-II	165
कुल	**578**

(2) पृथ्वीराज नगर में योजना क्षेत्र की निम्न अनुमोदित कालोनियों में पट्टे जारी किये जा रहे हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

जोन	**अनुमोदित कालोनियों की संख्या**	**दिनांक 14.03.2022 तक जारी पट्टों की संख्या**
उत्तर-प्रथम	160	13668
उत्तर-द्वितीय	152	13737
दक्षिण-प्रथम	101	9205
दक्षिण-द्वितीय	165	13350
कुल	**578**	**49960**

(3) पृथ्वीराज नगर की गैर-अनुमोदित कालोनियों की जोनवार सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। कैम्प न लगाये जाने के कारण सूची में अंकित है।

संगरिया में वृक्षारोपण

406. श्री गुरदीप सिंह (संगरिया): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र संगरिया में कितने पेड़ लगाये गये व वृक्षारोपण व रख-रखाव पर कितनी राशि व्यय की गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला हनुमानगढ़ में विभाग की कितनी भूमि है व कितनी भूमि पर अतिक्रमण है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुरदीप सिंह)

(3) उक्त जिले में वर्ष 2018 से जनवरी, 2022 तक विभाग के कितने कार्मिकों के विरुद्ध अनियमितता, लापरवाही, पेड़ खुर्द-बुर्द करने जैसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई? उक्त पर क्या कार्यवाही की गई? तहसीलवार संख्यात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2018 से जनवरी 2022 तक वन विभाग द्वारा विधान सभा क्षेत्र संगरिया में करवाये गये वृक्षारोपण का तहसीलवार विवरण निम्नानुसार है-

1. तहसील टिब्बी में कुल 201350 पौधे लगाये गये, जिस पर 183.36 लाख रु. राशि व्यय की गई है।
2. तहसील संगरिया में कुल 234503 पौधे लगाये गये जिस पर 235.21 लाख रु. राशि व्यय की गई है।

(2) जिला हनुमानगढ़ में वन विभाग की कुल भूमि 23946 हैक्टेयर है तथा वर्तमान में 28.112 हैक्टेयर वन भूमि पर 328 अतिक्रमियों द्वारा किये गये अतिक्रमण को चिह्नित कर एल.आर.ए. 91 के तहत कार्यवाही की गई है।

(3) वन मण्डल हनुमानगढ़ में वर्ष 2018 से जनवरी 2022 तक कर्मियों के विरुद्ध अनियमितता, लापरवाही, पेड़ खुर्द-बुर्द करने की शिकायतों का तहसीलवार विवरण परिशिष्ट-1 अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

फतेहपुर बीड़ की सरकारी भूमि

407. श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है की बीड़ फतेहपुर (सीकर) की वन भूमि में से जोजोबा फार्मिंग के लिए भूमि लीज पर दी गई थी? यदि हां, तो कितनी भूमि, कब एवं किसे लीज पर दी गई तथा उक्त की लीज अवधि कब समाप्त हुई वर्तमान में उक्त भूमि किसके कब्जे/अधिकार में है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य सरकार के आदेश क्रमांक संख्या प. 7(345)रा.क. /68 दिनांक 07.07.1972 द्वारा 7500 एकड़ वन भूमि, दिनांक 28.10.1972

(वन मंत्री)

द्वारा 1200 एकड़ वन भूमि एवं दिनांक 11.12.1975 द्वारा 680.312 एकड़ वन भूमि कुल 9380.312 एकड वन भूमि भेड़ एवं ऊन विभाग को केन्द्रीय ब्रीडिंग फार्म की स्थापना हेतु लीज पर दी गई है।

पशुपालन विभाग से प्राप्त सूचनानुसार उप शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.3(83)/कृषि-6/90 दिनांक 04.07.1995 से बीड़ फतेहपुर की भूमि खसरा नं. 49/1 की 70 हैक्टेयर भूमि 15 वर्ष के लिए चीफ एक्जीक्यूटिव एवं सेक्रेटरी एसोसिएशन आफ द राजस्थान जोजोबा प्लान्टेशन एण्ड रिसर्च प्रोजेक्ट को लीज पर दी गई थी। उक्त लीज अवधि वर्ष 2010 में समाप्त हो चुकी है। उक्त भूमि का चार्ज दिनांक 17.09.2020 को वन विभाग द्वारा अपने क्षेत्राधिकार में ले लिया है।

महवा को जिला बनाने की कार्ययोजना

408. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में नया जिला बनाने हेतु सरकार की क्या कार्ययोजना है?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र महवा को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में नवीन जिलों के संबंध में भौगोलिक परिस्थिति, प्रशासनिक आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर नीतिगत निर्णय लिया जाता है।

(2) बजट सत्र 2022-23 के दौरान दिनांक 03.03.2022 को सामान्य वाद विवाद पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने माननीय सदस्यों, जन प्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से समय-समय पर नये जिले बनाने के संबंध में प्राप्त हो रहे ज्ञापन / मांग पत्रों पर गुणावगुण के आधार पर आवश्यकता का आंकलन कर नये जिलों के लिए 6 माह में अभिशंसा देने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित किया है।

ईण्टाली (मावली) में खेल मैदान की भूमि

409. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र मावली के ईण्टाली गांव में राजकीय उच्च

(श्री धर्मनारायण जोशी)
माध्यमिक विद्यालय के लिए खेल मैदान की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है? यदि हां, तो क्षेत्रफल, स्थान व खसरा नम्बर सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त भूमि पर विभाग ने सीमांकन किया है? यदि हां, तो कब?

(3) क्या उक्त भूमि पूर्णतः अतिक्रमण से मुक्त है?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र मावली के ग्राम ईण्टाली में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए खेल मैदान की भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिसके आराजी संख्या 2492 रकबा 1.8696 हैक्टेयर एवं आराजी संख्या 2509 रकबा 1.8535 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 3.7231 हैक्टेयर है। जमाबन्दी की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। राजस्व विभाग द्वारा उक्त भूमि का सीमांकन दिनांक 05.09.2020 एवं 11.03.2022 को करवाया गया।

(3) जी नहीं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ईण्टाली के नाम दर्ज भूमि में से 0.2700 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, ईण्टाली की विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के द्वारा अतिक्रमियों को दिनांक 22.09.2020 को नोटिस दिया गया। अतिक्रमियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाने पर अतिक्रमण हटाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतिक्रमण के अतिरिक्त विद्यालय की भूमि में से प्राकृतिक बहाव (पानी) का नाला गुजर रहा है तथा इसी भूमि में से खेतों पर जाने का रास्ता गुजर रहा है। विद्यालय की भूमि पर वर्तमान में लगभग 200 मीटर लम्बाई की सी.सी. सडक बनी हुई है। ग्राम के मौतबिरानों द्वारा अधिकांश अतिक्रमण विद्यालय को भूमि आबंटन से पूर्व का होना बताया गया। इन अतिक्रमियों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है। जिला कलेक्टर, उदयपुर द्वारा दिनांक 12.03.2022 को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत तहसीलदार मावली को कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

पटवारियों को नामांतरकरण हेतु ऑनलाइन आईडी

410. श्री रामस्वरूप लाम्बा (नसीराबाद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि फौतेदगी, समर्पण व खरीदी गई जमीनों के नामांतरकरण (म्यूटेशन) भरने की ऑनलाइन की कोई व्यवस्था है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नामांतरकरण की व्यवस्था तहसील स्तर पर है? यदि हां, तो एक तहसील में 100 से 150 गांव आते हैं? क्या सरकार पूर्व की भांति पटवारियों को म्यूटेशन भरने के लिए ऑनलाइन आईडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील स्तर पर ही एक से अधिक कर्मचारियों को ऑनलाइन आईडी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश में ऑनलाइन तहसीलों में फौतेदगी, समर्पण व खरीदी गई जमीनों के नामांतरकरण (म्यूटेशन) ई-धरती सॉफ्टवेयर के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा रहे हैं।

(2) जी हां। ऑनलाइन तहसीलों में RPG पटवारी के द्वारा प्रपत्र पी-21 जनरेट किया जाकर संबंधित पटवारियों को पी-21 की प्रति दी जाती हैं। पटवारियों द्वारा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी से विक्रेता के नाम आदि का मिलान कर पी-21 पर अपनी टिप्पणी अंकित कर जांच हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक को पेश करता है। भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपनी टिप्पणी अंकित करने के उपरान्त संबंधित ग्राम पंचायत कोरम द्वारा स्वीकार करने पर पटवारी द्वारा पी-21 व संबंधित दस्तावेजों की अलग-अलग PDF फाइल तैयार कर RPG पटवारी की ई-मेल आई.डी. पर भिजवायी जाती है। तहसील स्तर पर RPG द्वारा पी-21 तथा अन्य दस्तावेजों की प्रति ई-धरती पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। संबंधित तहसीलदार द्वारा एस.एस.ओ. आई.डी. से लॉगिन कर पी-21/नामान्तकरण लॉक, ई-साइन किया जाता है।

ई-धरती सॉफ्टवेयर पर सभी पटवारियों की एस.एस.ओ. आई.डी पंजीकरण हेतु मण्डल द्वारा पत्रांक 3930-62 दिनांक 25.10.2021 से समस्त

(राजस्व मंत्री)

जिलों को निर्देशित किया जा चुका है, जिसके संबंध में NIC जयपुर द्वारा पत्रांक 78 दिनांक 23.11.2021 से अवगत करवाया गया कि ऑनलाइन तहसीलों में ई-धरती सॉफ्टवेयर पर पटवारियों की ID पंजीकृत करने हेतु विकल्प पूर्व में ही दिया जा चुका है।

(3) ई-धरती सॉफ्टवेयर पर सभी पटवारियों की एस.एस.ओ. आई.डी. पंजीकरण हेतु मण्डल द्वारा पत्रांक 3930-62 दिनांक 25.10.2021 से समस्त जिलों को निर्देशित किया जा चुका है, जिसके संबंध में NIC जयपुर द्वारा पत्रांक 78 दिनांक 23.11.2021 से अवगत करवाया गया कि ऑनलाइन तहसीलों में ई-धरती सॉफ्टवेयर पर पटवारियों की ID पंजीकृत करने हेतु विकल्प पूर्व में ही दिया जा चुका है।

देवली-उनियारा में नवीन राजस्व गांव

411. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में विगत 3 वर्षों में कितने राजस्व गांव बनाये गये हैं एवं कितने बनाये जाने प्रस्तावित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित गांव, ढाणियों को राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा की तहसील दूनी एवं उनियारा में विगत **3** वर्षों में कोई भी नवीन राजस्व ग्राम सृजित नहीं किया गया है तथा तहसील देवली में 01 (नयागांव धाकड़ियावास) नवीन राजस्व ग्राम सृजित किया गया है।

जिला कलेक्टर, टोंक ने विधान सभा क्षेत्र देवली-उनियारा में तहसील क्षेत्र उनियारा की ग्राम पंचायत पायगा के राजस्व ग्राम छाण की ढाणी शरीफनगर को राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव का उल्लेख किया है, जो अभी तक राज्य सरकार को अप्राप्त है।

(2) जी हां। उक्त प्रस्तावित नवीन राजस्व ग्राम बनाये जाने के प्रस्ताव कार्यालय जिला कलेक्टर, टोंक से नियमानुसार तैयार किये जाने

(राजस्व मंत्री)

उपरान्त राजस्व मण्डल अजमेर के माध्यम से राज्य सरकार को प्राप्त होने पर राजस्व विभाग द्वारा नवीन राजस्व ग्राम सृजन हेतु निर्धारित मापदण्ड अनुसार परीक्षणोपरान्त सही पाये जाने पर प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के बाद अधिसूचना प्रसारित की जावेगी।

जालौर जिले में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति

412. श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला जालौर में पर्यटन विकास की प्रबल संभावनाएं हैं? यदि हां, तो सरकार उक्त जिले में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। जालौर जिला पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू के कार्यक्षेत्र में आता है एवं जालौर जिले के समस्त कार्यों का निर्वहन/पर्यवेक्षण वर्तमान में पर्यटक स्वागत केन्द्र, माउण्ट आबू कार्यालय द्वारा संपादित किया जा रहा है।

जालौर जिले में पर्यटन अधिकारी की नियुक्ति का कोई प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

बारां जिले में आपदा प्रभावितों को सहायता

413. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विगत दो वर्षों में जिला बारां में प्राकृतिक आपदा और आगजनी से क्या-क्या नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में कितने लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया एवं किन-किन लोगों के आवेदन निरस्त किये गये तथा कितनों को मुआवजा दिया गया? निरस्त किये गये आवेदकों की कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत दो वर्षों में जिला बारां में प्राकृतिक आपदा एवं आगजनी से हुई क्षति का विवरण परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जिला बारां में सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों, सहायता उपलब्ध कराये गये आवेदनों की संख्या एवं निरस्त आवेदनों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-"अ" के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा संभाग में मावठ व ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान

414. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या कोटा संभाग में वर्ष 2021-2022 में मावठ व ओलावृष्टि से रबी की फसल खराब हो गई? क्या विभाग द्वारा नष्ट फसल का सर्वे कराया गया? यदि हां, तो किस-किस ग्राम का सर्वे कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्ष 2021-22 में उक्त से नष्ट फसल का मुआवजा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। रबी फसल संवत् 2078 (वर्ष 2021-22) में बोई गई फसलों में पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से नुकसान की आवश्यकतानुसार विशेष गिरदावरी करवाने हेतु राजस्व विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। बारां, बूंदी, झालावाड़ एवं कोटा जिले में सर्वे किये गये गांवों की जिलेवार सूची क्रमश: परिशिष्ट-"अ", "ब", "स" व "द" पर संलग्न है।

(2) रबी फसल वर्ष 2021-22 में विशेष गिरदावरी रिपोर्ट में झालावाड़ जिले के 29 एवं बारां जिले के 06 ग्रामों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा हुआ है। पाला, शीतलहर और ओलावृष्टि से गिरदावरी रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबे पर प्रभावित पात्र कृषकों को एसडीआरएफ नोर्म्स अनुसार कृषि आदान-अनुदान का भुगतान किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नोहर में सड़कों व पुलियाओं का निर्माण

415. श्री अमित चाचाण (नोहर): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषकों की उपज को मंडी में लाने हेतु ग्रामीण सड़कों व पुलियाओं का निर्माण करवाया जाता है? यदि हां, तो इसके क्या मापदण्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर में विगत तीन वर्षों में उक्त मापदण्ड के अनुसार कितनी-कितनी सड़क व पुलिया का निर्माण किया गया तथा कितने कार्य लम्बित हैं? क्या सरकार उक्त लम्बित कार्यों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मंडी समितियों द्वारा कृषकों की उपज को मंडी में लाने हेतु ग्रामीण सड़कों व पुलियाओं का निर्माण करवाया जाता है। राज्य में कृषि उपज मण्डी समितियों के माध्यम से सम्पर्क सड़कों के निर्माण की स्वीकृति हेतु आदेश दिनांक 31.12.2014 द्वारा मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं। आदेश दिनांक 31.12.2014 की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) विधान सभा क्षेत्र नोहर में पिछले 3 वर्षों में बोर्ड द्वारा निर्मित सड़कों की सूची परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है। उक्त सभी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

जैतारण में आई.टी.आई. में पदस्थापित कार्मिक

416. श्री अविनाश (जैतारण): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) डी.जी.टी.ई. व एन.सी.वी.टी. के नियम अनुसार सरकारी व प्राइवेट आई.टी.आई. में 70 प्रतिशत कर्मचारी स्थायी होने पर ही आई.टी.आई. चलाई जा सकती है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जैतारण में राजकीय आई.टी.आई. में मात्र 2 कर्मचारी ही स्थायी है, शेष संविदा कार्मिक कार्यरत हैं? क्या उक्त नियमानुसार सही है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। डी.जी.टी. व एन.सी.वी.टी. के नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। प्रशिक्षण महानिदेशालय (डी.जी.टी.) भारत सरकार द्वारा जारी ट्रेनिंग मेन्युअल के चैप्टर 03 में अपेक्षित स्टाफ के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं जिसमें स्थायी/अस्थायी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। डी.जी.टी. द्वारा पत्र दिनांक 19.08.2020 सरकारी व प्राइवेट आईटीआई में गुणवत्ता सुधार हेतु केवल फैकल्टी के पदों को भरने के निर्देश जारी किये गये थे, जिसमें फैकल्टी के पद 70 प्रतिशत स्थायी कर्मचारियों द्वारा भरे होने व कान्ट्रेक्ट/गेस्ट फैकल्टी 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। पत्र की प्रति परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, कौशल, नियोजन एवं उद्‌यमिता)

(2) जी नही। वर्तमान में राजकीय आई.टी.आई. जैतारण में 05 नियमित कर्मचारी पदस्थापित हैं।

संस्थान में कोई संविदा कार्मिक कार्यरत नहीं है। प्रशिक्षण कार्य के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार गेस्ट फैकल्टी की सेवाएं ली जा रही हैं। यह व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार की जा रही है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

छबड़ा में खेल मैदान

417. श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में खेल मैदान स्वीकृत है? यदि हां, तो कहां-कहां पर, कौन-कौनसे खेल के मैदान स्वीकृत किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत किये गये खेल मैदानों की वर्तमान स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में खेल मैदान स्वीकृति का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	स्थान का नाम	युवा मामले एवं खेल विभाग से स्वीकृत वर्ष	स्वीकृति राशि (लाखों में)	स्वीकृति कार्य का विवरण
1	छबड़ा (बारां)	2015-16	51.21	खो-खो, कबड्डी, फुटबाल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल
2	छीपा बड़ौद (बारां)	2015-16	51.21	कबड्डी, फुटबाल मैदान एवं बाउण्ड्रीवाल

(2) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा (बारां) एवं छीपा बड़ौद (बारां) में स्वीकृत कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

वर्तमान में खेल गतिविधियां संचालित की जा रही हैं।

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों की वरिष्ठता सूची

418. श्री बाबु लाल (झाडोल): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर के वर्तमान संकाय सदस्यों की वरीयता सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विज्ञान महाविद्यालय के अधिष्ठाता को वरीयता सूची दरकिनार करते हुए पदोन्नत किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के वर्तमान संकाय सदस्यों की प्रोविजनल वरीयता सूची दिनांक 30.11.2001 की प्रतिलिपि परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। इसके पश्चात् कोई वरीयता सूची जारी नहीं की गई है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में विश्वविद्यालय में 2001 के बाद की वरिष्ठता की सूची नहीं बनी है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अधिनियम और स्टेट्यूट के बिन्दु संख्या 34 के (1) में अधिष्ठाता की नियुक्ति के प्रावधान निम्नलिखित हैं:-

"34. Manner of Appointment: The following procedure shall be adopted for the appointment of these officers :

(1) When a vacancy is to be filled, the Vice-Chancellor shall appoint a Selection Committee of 5 members composed of 3 Heads of Departments of the College or Campus or School in which the vacancy exists and 2 members from outside such college of campus or school:

Provided that the Vice-Chancellor may make temporary or officiated appointment not exceeding beyond the academic session in which the appointment is made, without constituting such a Selection Committee and adopting the procedure herein after mentioned; and

Provide further that where it is not possible to constitute such a committee as aforesaid the Vice-Chancellor shall constitute an ad-hoc committee with the approval of the Board, and such committee shall proceed to make recommendation in manner laid dawn in these Statutes." प्रतिलिपि परिशिष्ट-"ब" पर संलग्न है।

माननीय उच्च न्यायालय, राजस्थान जोधपुर S.B. रिट No. 10732/2013 के निर्णयानुसार वित्तीय लाभ 23.08.2009 से देने हेतु आदेश

(राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा)

क्रमांक F. ()MLSU/Estt./Gr-1/2020/676 Date 22.02.2020 में प्रो. जी.एस. राठौड़ को (Notional Benefit) के साथ प्रोफेसर पद हेतु आदेश दिये गये थे। इस अवधि को वरिष्ठता में जोड़ने हेतु माननीय न्यायालय ने आदेश नहीं दिये हैं। प्रोफेसर जी.एस. राठौड़ CAS के तहत 19.12.2015 में प्रोफेसर बने थे, प्रोफेसर एन. लक्ष्मी, प्रो. बी.आर. बामनिया, प्रो. सी.पी. जैन UGC-CAS के प्रमोशन के तहत 30.09.2011 को प्रोफेसर नियुक्त हुए। प्रोफेसर कनिका शर्मा सीधी भर्ती के तहत 22.02.2012 को प्रोफेसर नियुक्त हुई। स्वर्गीय प्रो. निधि राय, 09.07.2014, प्रो. सुधीश कुमार, प्रो. के.बी. जोशी दिनांक 30.09.2014 को UGC-CAS के तहत प्रोफेसर नियुक्त हुए। प्रो. एम. के. जैन UGC-CAS के प्रमोशन के तहत 21.02.2015 को प्रोफेसर नियुक्त हुए। अतः उक्त सभी प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रो. जी.एस. राठौड़ की प्रोफेसर पद की नियुक्ति तिथि से पूर्व होने के कारण प्रशासनिक दृष्टि से वरिष्ठ हैं, परन्तु माननीय कुलपति ने माननीय न्यायालय के आदेश से प्रो. जी.एस. राठौड़ को 23.08.2009 से प्रोफेसर पद पर (Notional Benefit) दिये जाने के कारण वरिष्ठ माना। माननीय न्यायालय का आदेश एवं सम्बन्धित कार्यालय टिप्पणी परिशिष्ट-"स" पर संलग्न है।

(सूची व प्रतिलिपि पुस्तकालय में रखी गयीं)

जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय

419. श्रीमती सूर्यकांता व्यास (सूरसागर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से कुल कितने महाविद्यालय सम्बद्ध हैं व निजी महाविद्यालयों के एफिलियेशन के लिए क्या नियम हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रत्येक महाविद्यालय से विगत तीन वर्ष में मान्यता शुल्क, मान्यता नवीनीकरण शुल्क एवं प्रत्येक विद्यार्थी से प्राप्त विभिन्न शुल्क मद में वसूली की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्राप्त राशि को वास्तविक रूप में किस-किस मद में किस-किस सक्षम स्वीकृति की अनुपालना में कब-कब व्यय किया गया? प्रत्येक व्यय की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति, निविदा सूचना, दर विश्लेषण, बजट प्रावधान, कार्यादेश एवं वर्तमान वित्तीय एवं भौतिक कार्य प्रगति की सूचना सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर से सत्र 2021-22 में कुल 343 महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त है। निजी महाविद्यालयों के एफिलियेशन के नियम की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) महाविद्यालयों से विगत तीन वर्षों में प्राप्त मान्यता शुल्क, मान्यता नवीनीकरण शुल्क एवं प्रत्येक विद्यार्थी से प्राप्त विभिन्न मद में वसूल की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति परिलाभों एवं पेंशन आदि का भुगतान विश्वविद्यालय आय से ही किया जाता है। इसी क्रम में महाविद्यालयों से विगत तीन वर्षों में मान्यता शुल्क, मान्यता नवीनीकरण शुल्क एवं प्रत्येक विद्यार्थी से प्राप्त विभिन्न मदों में वसूली की गई राशि का उपयोग विश्वविद्यालय मासिक पेंशन भुगतान हेतु किया गया।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

बून्दी में श्रमिकों की बालिकाओं के विवाह हेतु सहायता

420. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बून्दी में गरीब पंजीकृत श्रमिकों के बालक-बालिकाओं की पढ़ाई एवं शादी के लिए कितनी राशि के बजट का प्रावधान विगत तीन वर्षों में किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले में विवाह व पढ़ाई हेतु सहायता योजनाओं के कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने आवेदन किस-किस योजना में स्वीकृत हुए? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार श्रम कल्याण की विभिन्न योजनाओं में बजट के अभाव में या स्वीकृति के अभाव में लम्बित आवेदकों को, योजनाओं का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल द्वारा नियोजकों से उपकर के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग विभिन्न संचालित योजनाओं हेतु किया जाता है। अधिक से अधिक पात्र श्रमिकों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने एवं संवेदनशील आवश्यक योजनाओं में प्राथमिकता से भुगतान

(राज्य मंत्री, श्रम)

हेतु जिलों को आवश्यकतानुसार एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र के आधार पर युक्ति युक्त बजट का आबंटन मण्डल द्वारा किया जाता है।

(2) श्रम विभाग बूंदी कार्यालय में प्राप्त, स्वीकृत तथा लम्बित योजनाओं के आवेदनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(3) माननीय मुख्य मंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसरण में लम्बित योजना आवेदनों के निस्तारण की प्रभावी कार्रवाई करने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर में श्रमिक कार्ड के आवेदनों का निस्तारण

421. श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश के श्रमिकों को श्रमिक कार्ड जारी किये जाने के क्या-क्या प्रावधान हैं? इन कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं व लाभ देय हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला श्रीगंगानगर में विगत तीन वर्षों में कितने श्रमिक कार्ड जारी किये गये तथा कार्डधारियों को क्या-क्या सुविधाएं दी गईं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जिला श्रीगंगानगर में वर्तमान में श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कितने आवेदन लम्बित हैं? क्या सरकार लम्बित आवेदनों के निस्तारण के साथ ही श्रमिक कार्ड जारी किये जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 12 एवं इसके अन्तर्गत राजस्थान नियम, 2009 के नियम 44 में श्रमिकों के पंजीयन किये जाने का प्रावधान किया गया है। ऐसे श्रमिक जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है एवं 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है तथा जिन्होंने 12 माह में भवन एवं अन्य संनिर्माण का कार्य किया है, पंजीयन के पात्र हैं। मण्डल द्वारा पंजीकृत

(राज्य मंत्री, श्रम)

निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जाता है। योजनावार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) श्रम कार्यालय श्रीगंगानगर में विगत 3 वर्षों (दिनांक 01.01.2019 से 31.12.2021) में 7520 पंजीयन आवेदन स्वीकृत किये गये तथा मण्डल द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं में किये गये लाभान्वितों का वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जिला श्रीगंगानगर में वर्तमान (दिनांक 11.03.2022 तक) 1824 पंजीयन आवेदन लम्बित हैं। मंडल में प्राप्त आवेदनों का विभाग में उपलब्ध सीमित संसाधनों का उच्चतम प्रयोग करते हुए जिला स्तर पर वरीयतानुसार प्राप्त आवेदनों का 'पहले आओ पहले पाओ' (FIFO) पद्धति से यथाशीघ्र निस्तारण किया जाता है, जो एक निरंतर प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)